वार्षिक रिपोर्ट

2016–2017

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रस्तावना

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह रिपोर्ट 1 **अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017** की अवधि की है। यह आयोग की **चौबीसवीं** वार्षिक रिपोर्ट है।

2. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 12 अक्टूबर, 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत अपने स्थापना काल से ही मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण के कार्य को करते हुए अपने 24 वर्ष पूरे कर लिए हैं। आयोग तभी से निरन्तर केंद्र एवं राज्य स्तर पर सरकार में मानव अधिकार केन्द्रित दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर कार्य करने के साथ–साथ लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के बीच मानव अधिकार जागरुकता एवं संवेदनशीलता उत्पन्न करने की दिशा में कार्यरत है। इन वर्षों में आयोग ने लोगों के नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के साथ–साथ उनके आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को सुरक्षित करने की दिशा में भी अपने प्रयासों को बढ़ाया है।

3. हमारे जैसे विविधतापूर्ण समाज में मानव अधिकारों की अभाज्यता एवं अंतर–संयुक्तता चाहे वे नागरिक एवं राजनीतिक अथवा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार हों, स्वतः ही स्पष्ट है खासतौर पर अत्यंत वंचित वर्ग जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, महिलाएं, बच्चे, अशक्त एवं अन्य कमज़ोर वर्ग के लोग शामिल हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इन वर्गों में से प्रत्येक द्वारा सामना किए जाने वाली वंचन, समस्याएं एवं चिंताएं आयोग के लिए चिंता के महत्त्वपूर्ण विषय बने हुए थे।

4. इसी प्रकार वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित मामलों पर मीडिया रिपोर्टों के साथ–साथ इसको प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वतः संज्ञान लिया। इसके अतिरिक्त, इसको अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिदेशित एवं सौंपे गए विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए आयोग निरन्तर स्वास्थ्य, भोजन, शिक्षा से संबंधित अधिकारों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों से संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में कार्य करने के साथ–साथ अन्य कमज़ोर वर्गों जैसे महिलाएं, बच्चे, अशक्त एवं वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों, मानव अधिकार शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा जागरुकता फैला रहा है।

5. यह खुशी की बात है कि आयोग के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अथक प्रयासों के कारण प्रतिवर्ष इसको प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह न केवल लोगों में मानव अधिकारों की बढ़ती जागरुकता का सूचक है बल्कि उनके इस बढ़ते विश्वास का भी प्रतीक है कि आयोग एक ऐसा सक्षम एवं उत्तरदायी संस्थान है जो उनके अधिकारों की सुरक्षा हेतु दृढ़ संकल्प है। यह अत्यधिक संतोष का विषय है कि लगभग सभी मामलों में सरकारी प्राधिकारियों ने पीड़ितों को राहत देने तथा दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आयोग की संस्तुतियों

का अनुपालन किया।

6. आयोग देशभर में अपनी पहुंच को बढ़ाने के लिए विभिन्न वर्गों जैसे महत्त्वपूर्ण पणधारी जैसे न्यायपालिका, पुलिस कार्मिक, सरकारी कर्मचारी, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों तथा शिक्षाविदों (छात्रों सहित) के साथ यह अंतःशिक्षुता कार्यक्रमों, प्रकाशनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, परामर्शों तथा इसी प्रकार के अन्य साधनों के माध्यम से अधिक नवीन एवं व्यापक साझेदारी का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा, आयोग अपने शिकायत निपटान प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सभी प्रकार के प्रयास कर रहा है। साथ ही, इसने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन.आई.सी.) के तकनीकी सहयोग से शिकायत प्रबंधन प्रणाली, सोफ्टवेयर के वेब–आधारित स्वरूप को डिज़ाइन, विकसित एवं कार्यान्वित किया है।

7. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2016–17 की वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ–साथ आयोग की महत्त्वपूर्ण गतिविधियों तथा देश में मानव अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु 2016–17 के दौरान की गई अनेक पहलों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है।

8. आयोग को यह उम्मीद है कि वर्तमान वार्षिक रिपोर्ट पिछले वर्ष के दौरान आयोग द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहलों के विषय में इसके पाठकों को न केवल सूचना मुहैया कराएगी बल्कि सरकारी एवं नागरिक समाज दोनों को ही मानव अधिकार की चुनौतियों जिनका हम संयुक्त रूप से एक राष्ट्र के रूप में सामना करते हैं, अधिक गहराई से सोचने के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक एवं समग्र दृष्टिकोण भी प्रदान करेगी।

(न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू)

विषय - वस्तु (2016-17)

अध्याय–1	**परिचय**	1
अध्याय–2	**मुख्य बिन्दु**	4
अध्याय–3	**राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य**	30
अध्याय–4	**नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार**	38
	क. आतंकवाद एवं उग्रवाद	38
	ख. हिरासत में हिंसा एवं प्रताड़ना	39
	ग. महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले	39
	(क) हिरासत में मौत	39
	न्यायिक हिरासत	39
	1. पुलिस थाना केन्द्रीय फरीदाबाद हरियाणा की हिरासत में दिनांक 18.08.2015 को अभियुक्त मदन (23 वर्षीय) की मौत (मामला संख्या 7030/7/3/2015–पी.सी.डी.)	39
	2. केन्द्रीय जेल, कोटा, राजस्थान में न्यायिक हिरासत में राजू उर्फ राजेन्द्र नामक एक विचाराधीन कैदी की मौत (मामला संख्या 922/20/21/2013–जे.सी.डी.)	40
	3. भोनगीर, आंध्रप्रदेश की उप–जेल में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी की मौत (मामला सं० 403/1/14/09–10 जेसीडी)	42
	4. समय पर उचित चिकित्सा देख–रेख नहीं मिलने के कारण केन्द्रीय जेल संख्या 1, तिहाड़, नई दिल्ली में एक विचाराधीन कैदी की मौत (मामला संख्या 2632/30/1/2012–जे.सी.डी.)	44
	(ख) विधिविरुद्ध गिरफ्तारी, गैर–कानूनी नजरबंदी तथा प्रताड़ना	46
	5. मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के थाना हरिहरपारा द्वारा सफ़ीयुज्ज़मान सरकार नामक व्यक्ति की गैरकानूनी नज़रबंदी तथा पैसे की जबरन वसूली (मामला संख्या 1066/25/13/2014)	46
	6. पुलिस स्टेशन में 8 दिनों तक शिकायतकर्त्ता के पुत्र राजीव उर्फ गुड्डू निवासी गांव यकाबगढ़ी, धनौरा पुलिस स्टेशन, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश की अवैध नज़रबंदी तथा प्रताड़ना (मामला संख्या 12111/24/41/2012)	46

(ग) पुलिस की मनमानी 47

7. पुलिस की पिटाई से मोहल्ला पोखरा बसेरी, जिला धौलपुर, राजस्थान निवासी 54 वर्षीय प्रेम गिरि की मौत 47
(मामला संख्या 506/20/12/2014)

8. पुलिस स्टेशन शंभुगंज, भागलपुर, बिहार के प्रभारी द्वारा गौतम कुमार को शस्त्र अधिनियम के मामले में झूठा फंसाया जाना
(मामला सं. 4499/4/3/2014)

(घ) पुलिस द्वारा गोलीबारी और मुठभेड़ 50

9. अमृतसर, पंजाब में नशीले पदार्थ विरोधी प्रको ठ द्वारा मुखजीत सिंह को फर्जी मुठभेड़ 50
(मामला संख्या 673/19/1/2015–ई.डी)

10. हजारीबाग जिला, झारखण्ड के गांव पगेर में पुलिस गोलीबारी में कसार महतो नामक व्यक्ति की मौत तथा चार अन्य गंभीर रूप से घायल 52
(मामला संख्या 947/34/11/2013)

(ङ) जेल में अत्याचार 53

11. जिला जेल मऊ, उत्तर प्रदेश में सहकैदी द्वारा एक हमले में एक कैदी को गंभीर चोटें 53
(मामला संख्या 20338/24/53/2013)

(च) इलैक्ट्रोक्यूशन (करंट लगने से हुई मौत) के मामले 54

12. जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में बिजली का करंट लगने के कारण एक 55 वर्षीय महिला की मौत 54
(मामला संख्या 22027/24/39/2013)

13. तरणतारण, पंजाब के गांव घटियाला में बिजली का करंट लगने के कारण चार व्यक्तियों की मौत तथा छः अन्य जख्मी 56
(मामला संख्या 304/19/19/2014)

(छ) प्रदूषण एवं पर्यावरण मामले 57

14. गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गांव अभिनैनिगुंटापलम में अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के आवासीय क्षेत्र में करोली प्लास्टिक बोतल उत्पादन उद्योग के कारण कथित प्रदूषण 57
(मामला संख्या 1046/1/6/2016)

15. लुधियाना, पंजाब में सतलुज नदी दूषित होने के कारण स्वास्थ्य जोख़िम 57
(मामला संख्या 430/19/10/2016)

16. दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड़ पर एन.बी.सी.सी. द्वारा की जाने वाली निर्माण गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण 58
(मामला संख्या 6310/30/8/2016)

(ज) अन्य महत्वपूर्ण मामले 58

17. कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक छात्रा की मौत 58
(मामला संख्या 9036/24/56/2015)

18. केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनके राष्ट्रीय खेल समारोह में भाग लेने के लिए बिना रिजर्वेशन के स्लीपर क्लास कम्पार्टमेंट में भेड़–बकरियों की तरह बड़ी संख्या में छात्रों को यात्रा कराई गई। 59
(मामला संख्या 7298/30/3/2014)

19. जिला जेल, भागलपुर, बिहार में चार मौत की सजा के आरोपियों की दया याचिका की प्रक्रिया में देरी। 62
(मामला संख्या 684/4/5/2014)

20. जिला बक्सा, असम के गांव नोनके खाराबारी में वन अधिकारियों एवं एन.डी.एफ.बी. कैडर के संघर्ष में 36 गांववालों की मौत 63
(मामला संख्या 215/3/11/2014)

21. चान्हों, रांची जिला, झारखण्ड के राजकीय स्कूल में एक अध्यापक द्वारा कथित रुप से पीटे जाने के कारण आठ वर्षीय छात्र की मृत्यु 65
(मामला सं. 122/34/16/2014)

22. देलांगा रेलवे स्टेशन, ओडिशा के पास जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जीआरपीएफ/आरपीएफ पुलिस द्वारा एक रेलवे यात्री पर क्रूरतापूर्ण हमला (मामला सं. 2430/18/12/2014) 66

23. क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे, महाराष्ट्र में एक अन्य रोगी द्वारा दो रोगियों की हत्या (मामला सं. 3143/13/23/2013) 67

24. मौर्या एक्सप्रेस में हाथिदाह रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जिला पटना, बिहार हुई डकैती में दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या तथा चार अन्य जख्मी। (मामला संख्या 3380/4/26/2014) 69

घ. कारागारों में हालात 70

क. कारागारों के दौरे 70

ङ कारागार सुधार 72

क. कारागार सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का अनुवर्तन 72

च. विचाराधीन कैदियों पर अध्ययन 73

छ. हिरासतीय न्याय– उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में मौतों के कारण के संबंध में अन्वेषण 73

अध्याय – 5 विस्तार क्षेत्र 74

क. आयोग की बैठकें 74

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिविर बैठकें 74

ग. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अत्याचार पर जन सुनवाई 74

घ. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक 75

ङ. विशेष संपर्ककर्त्ता 75

च. कोर एवं विशेषज्ञ समूह 78

अध्याय – 6 स्वास्थ्य का अधिकार 80

क. सिलिकोसिस 81

ख. स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह 83

ग. जनजातीय समुदायों हेतु स्वास्थ्य वितरण योजना की स्थिति तथा गुणवत्ता स्वास्थ्य की पहुंच निर्धारित करने वाले कारकों के आकलन संबंधी अनुसंधान अध्ययन 83

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत स्वरूप मामले 84

1. सरकारी उम्मेद अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान के बच्चों के वार्ड में चींटीयों द्वारा 9 दिन के बच्चे की दांई आंख का खाया जाना (मामला संख्या 882/20/19/2013) 84
2. सरकारी अस्पताल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में चूहों द्वारा काटे जाने के कारण वेंटिलेटर में रखे शिशु की मौत (मामला संख्या 1051/1/6/2015) 85
3. संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में जिला महिला अस्पताल की महिला सर्जन एवं स्टाफ द्वारा गर्भवती महिला को वापस भेज देना (मामला संख्या 41931/24/65/2014) 86
4. हिन्दू राव तथा सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 10 वर्षीय लड़के का पैर काटना। (मामला संख्या 4301/30/0/2015) 87
5. गुजरात के वड़ोदरा जिले के छोटा उदयपुर तालुक में सिलिकोसिस के कारण 9 मज़दूरों की मौत तथा बड़ी संख्या में सिलिकोसिस से ग्रस्त मज़दूर (मामला संख्या 212/6/9/2010) 89

अध्याय – 7 भोजन का अधिकार 93

क. भोजन का अधिकार पर अध्ययन – बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों में प्रबल स्थिति 96

ख. कृषि संकट एवं किसानों की आत्महत्या पर अनुसंधान प्रोजेक्ट– स्थानीक राज्य–विषय एवं चिंताओं का प्रयोगसिद्ध अध्ययन 96

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भोजन का अधिकार के दृष्टांत मामले 97

1. पंजाब में आंगनवाड़ियों में बच्चों को भोजन की आपूर्ति नहीं करना (मामला संख्या 1164/19/0/2014) 97

2. मल्कानगिरी ओड़िशा में भालूगुड़ा सेवाश्रम के जनजातियों के लिए सरकार द्वारा चालित एक छात्रावास में दो सौ छात्राओं को उचित भोजन तथा पर्याप्त जीवन स्तर से वंचित रखना 99
(मामला संख्या 3727/18/29/2013)

अध्याय – 8 शिक्षा का अधिकार 101

क. केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन 103

ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित दृष्टांत मामले 103

1. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम अपलोड करने में गलती के कारण पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नात्तक कार्यक्रम के एक विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच के साथ–साथ आगामी टर्म परीक्षा में बैठने से वंचित रखना 103
(मामला संख्या 4167/30/0/2014)

2. तलाशी सेवाश्रम विद्यालय जन संचार विभाग, ओडिशा में एक विद्यार्थी को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा चुड़ैल करार देकर विद्यालय से निकाल देना। 106
(मामला संख्या 224/18/7/2014–डब्ल्यू.सी.)

अध्याय – 9 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकार 108

क. श्री के. वी. सक्सेना द्वारा "अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण" पर रिपोर्ट की संस्तुति 109

ख. बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन 109

क) बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर राष्ट्रीय संगो ठी 109

ख) क्षेत्रीय कार्यशाला 111

ग) बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप 111

ग. एन.एच.आर.सी., द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित दृष्टांत मामले 111

1. जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट के मेनहोल में कार्य करते हुए जहरीली गैस की वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित 3 मजदूरों की मौत 111
(मामला संख्या 29674/24/54/2011)

बंधुआ मजदूरी

2. गांव मदीना, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जिला सीकर, राजस्थान के एक मजदूर एवं अन्यों से बंधुआ मजदूरी करवाना
(मामला संख्या 1693/7/19/2012–बी.एल.) 113

3. जिला फरीदाबाद, हरियाणा में एक ईंट भट्टे में मजदूरों को बंधुआ मजदूरों के रूप में रखना
(मामला संख्या 6051/7/3/2015–बी.एल.) 114

अध्याय – 10 महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार 115

क. महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार पर कोर ग्रुप का गठन 116

ख. किशोर न्याय (बच्चों का देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मॉडल नियम, 2016 के ड्रॉफ्ट पर टिप्पणी 116

ग. महिलाओं के खिलफ हिंसा के अन्य पहलू से पड़ताल; अपराधियों की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन। 119

घ. 'तीसरे लिंग के रूप में ट्रांजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन' 119

ङ यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकंलन/राष्ट्रीय विश्लेषण 120

च. भारत में मानव तस्करी पर राष्ट्रीय अनुसंधान 120

छ. सरोगेट्स की बदलती गतिशीलता एवं चुनौतियों को समझने हेतु एक अध्ययन 120

ज. एन.एच.आर.सी. द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले 123

1. महावीर एन्क्लेव, दिल्ली के समीप कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा मामले का पंजीकरण एवं कार्रवाई न करना।
(मामला संख्या 3322/30/7/2016) 123

2. माथिली ब्लॉक, मल्कानगिरी जिला, ओडिशा के चौला मेंडी अपग्रेडेड उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा IX विद्यार्थी की कथित यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार
(मामला संख्या 2101/18/29/2015–डब्ल्यू.सी.) 122

3. जिला हुगली, पश्चिम बंगाल के आरामबाग में एक बच्ची पर तेजाब से हमला। 123
(मामला संख्या 1047/25/8/2015)

4. शराब बेचने के मामले में एक महिला के पति की रिहाई की बदोलत पुलिस थाना चिरवा, जिला झुंझुनु, राजस्थान के चनाना पुलिस पोस्ट के एक सहायक पुलिस निरिक्षकों द्वारा एक महिला का बलात्कार 124
(मामला संख्या 1741/20/18/2016–ए आर)

5. एक नाबालिग लड़की की छोटी बहन की हत्या के मामले में पूछताछ के दौरान जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के पुलिस कर्मियों द्वारा उस लड़की की गरिमा का उल्लंघन 125
(मामला संख्या 1340/20/6/2012)

6. दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय में एक चार वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न 126
(मामला संख्या 6498/30/0/2014)

अध्याय – 11 बुजुर्गों अधिकार 128

क. बुजुर्गों के संरक्षण एवं कल्याण पर कोर ग्रुप की बैठक 131

ख. बुजुर्गों के मानव अधिकार से संबंधित कानूनःनीति एवं कार्यान्वयन– केरल के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन। 132

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा बुजुर्गों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले 132

1. थाना, अहिरोली, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के एक जमीनी विवाद के मामले में पुलिस द्वारा एक बुजुर्ग को उठाकर उसके बाएं कान को खिंचकर कर उखाड़ देना। 132
(मामला संख्या 43832/24/24/2013)

2. अवैध परितोषण से निपटान के लिए रंगदारी हेतु वैशाली नगर पुलिस थाना, जयपुर, राजस्थान की पुलिस द्वारा गोवा के एक वरिष्ठ नागरिक को पकड़ कर झूठे आरोप में फंसाना। 135
(मामला संख्या 2655/20/14/2015)

अध्याय – 12 दिव्यांग जनों के अधिकार 136

क. अशक्तता पर एन.एच.आर.सी.कोर ग्रुप की बैठक 137

ख. मानसिक स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. में मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित 138

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित उदाहरणार्थ मामले। 139

आंध्र प्रदेश में कोकिनाड़ा के नजदीक नेत्रहीनों के लिए ग्रीनफिल्ड आवासीय विद्यालय के नेत्रहीन विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बूरी तरह छड़ी से पीटना (मामला संख्या 1117/1/6/2014) 139

अध्याय – 13 मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरुकता 141

क. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम 141

ख. अंतःशिक्षुता कार्यक्रम 142

ग. मानव अधिकारों पर ओपन ऑनलाईन कोर्स 143

घ. मानव अधिकारों पर हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन 143

ङ. एन.एच.आर.सी. हिन्दी पखवाड़े का आयोजन 143

च. भारत के चयनित 28 जिलों में मानव अधिकार जागरुकता एवं सुगम निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम का प्रवर्तन 143

छ. मीडिया कार्यशाला 144

ज. विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाओं का सृजन 145

झ. भारत के विद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा पर अनुसंधान अध्ययन : राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का एक तुलनात्मक अध्ययन 145

ञ. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति 145

ट. विधि विद्यालयों द्वारा मानव अधिकार शिक्षा के संरक्षण, प्रसार एवं संवर्धन की चुनौतियाँ : उत्तर भारत का एक अध्ययन 146

ठ. एन.एच.आर.सी. का 23वां स्थापना दिवस समारोह 146

ड मानव अधिकार दिवस का आयोजन एवं एन.एच.आर.सी. प्रकाशनों का लोकार्पण 147

ढ़ निबन्ध लेखन प्रतियोगिता 148

ण. 'अखिल भारतीय अन्तर्केन्द्रीय सशत्र पुलिस बल' वाद विवाद प्रतियोगिता 2016 148

त. राज्य/केन्द्र शासित पुलिस बलों के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में मानव अधिकार जागरुकता पर वाद–विवाद प्रतियोगिता 149

अध्याय – 14 मानव अधिकार समर्थक 150

क. एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट 152

ख. मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य 152

ग. मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले 153

1. श्री राजीव शर्मा, मानव अधिकार समर्थक को गाजियबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाया 153
(मामला संख्या 41893/24/31/2016).

2. जिला बदवानी, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार समर्थक को मुआवजे का अनुदान जिन्होंने चिकित्सीय लापरवाही की शिकार एक बनिया बाई के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। 154
(मामला संख्या 1062/12/2/2013)

3. के. आर. रामास्वामी, 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्त्ता की शिकायत पर पुलिस, थाना विपेरी, चैन्नई द्वारा कार्रवाई न करना। 155
(मामला संख्या 609/22/13/2015)

4. छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार समर्थकों पर हमला 156
(मामला संख्या 667/33/20/2016 एवं 130/33/1/2016)

5. श्री सत्य नारायण गर्ग, सामाजिक कार्यकर्त्ता, अजमेर, राजस्थान को हर्जाने की सिफारिश 157
(मामला संख्या 2806/20/1/2015)

6. विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम के तहत सामाजिक सरोकार के संवर्द्धन हेतु केन्द्र की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न करना। 158
(मामला संख्या 6259/30/0/2016)

7. हुगली, पश्चिम बंगाल में कीर्ति राय एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता एवं गैर सरकारी संगठन मासूम के अन्य सदस्यों का कथित धमकी एवं उत्पीड़न (मामला संख्या 1063/25/6/2016) 159

8. श्री खुर्रम परवेज़ को यू.एन.एच.आर.सी. में भाग लेने हेतु जिनेवा की यात्रा करने से रोकना एवं मनमाने तरीके से नज़रबंद करना। 160
(मामला संख्या 183/9/13/2016)

अध्याय – 15 अंतर्राष्ट्रीय सहयोग 161

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फोरम के साथ सहयोग 161

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के वैश्विक संगठन (गनहरी) के साथ सहयोग 162

ग. सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा 165

घ. व्यापार एवं मानव अधिकार 167

ङ भारतीय संदर्भ में मानव अधिकारों के सम्मान हेतु कॉरपोरेट जिम्मेदारी पर अनुसंधान अध्ययन 169

च. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैठक एवं कार्यक्रममों में एन.एच.आर.सी. की भागीदारी 169

छ. एन.एच.आर.सी. के विदेशी प्रतिनिधिमण्डल के साथ–विचार विमर्श 170

अध्याय – 16 राज्य मानव अधिकार आयोग 172

अध्याय – 17 प्रशासन एवं संभारकीय सहयोग 175

क. कर्मचारी 175

ख. बजट 175

ग. राजभाषा का संवर्द्धन 176

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय 176

ङ. सूचना का अधिकार 178

अध्याय – 18 राज्य सरकारों द्वारा एन.एच.आर.सी. की संस्तुतियों को स्वीकार न करना 180

अध्याय – 19 एन.एच.आर.सी. के अपनी प्रभावी कार्यान्वयन में हो रही समस्याएं 182

अध्याय – 20 प्रमुख अनुशंसाओं एवं टिप्पणियों का सारांश 187

अनुलग्नक 197

1. दिनांक 01/04/2016 से 31/03/2017 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका 198
2. वर्ष 2016–17 के दौरान निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका 199
3. 31.03.2017 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका 200
4. वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या 201
5. वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या 202
6. वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण 216

7. वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 2000–01 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण 219

8. मानव अधिकार समर्थकों का समर्थन जारी रखने की शपथ, 9 दिसम्बर 2016 (मानव अधिकार समर्थक दिवस) के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संदेश 223

संक्षिप्तियाँ 225

अध्याय-1

परिचय

1.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि की है। यह आयोग की चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट है।

1.2 आयोग की तेइसवीं वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 की अवधि शामिल है, को की गई कार्रवाई के संबंध में ज्ञापन तैयार करने तथा "मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993" की धारा 20 के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करने के लिए 29 जून, 2017 को केंद्र सरकार को सौंपी गई थी।

1.3 समीक्षाधीन अवधि के दौरान न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, पूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर आसीन थे। न्याययमूर्ति श्री सिरियक जोसेफ (पूर्व न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय) ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद ग्रहण किया और वे दिनांक 27 जनवरी, 2017 तक इस पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति श्री डी. मुरूगेसन (पूर्व मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय) और श्री एस. सी. सिन्हा (पूर्व महानिदेशक, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण) ने आयोग के सदस्य के रूप में अपनी सेवाएं देना जारी रखा।

1.4 डॉ. सत्य नारायण मोहन्ती, आई.ए.एस. (1980: तेलंगाना कैडर) ने आयोग के महासचिव और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर सेवाएं दी। श्री जे. एस. कोचर तथा डॉ. रणजीत सिंह ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में क्रमशः संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) और संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) के पद पर बने रहे। श्री सी. के. चतुर्वेदी ने रजिस्ट्रार (विधि) के पद पर 28 फरवरी, 2017 तक सेवाएं दी। इनके पश्चात् श्री ए. के. कौल, पूर्व रजिस्ट्रार, जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय की आयोग में रजिस्ट्रार (विधि) के रूप में नियुक्ति हुई।

1.5 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 3(3) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) रामशंकर कथेरिया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री नन्द कुमार साई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री सैयद घायोरुल हसन रिज़वी तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य– प्रभारी अध्यक्ष श्रीमती रेखा शर्मा आयोग के मानद सदस्य माने जाएंगे जो पी.एच.आर. एक्ट की धारा 12 के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट किए गए हैं।

1.6 आयोग की वार्षिक रिपोर्टें इसके द्वारा प्रतिवर्ष की गई समग्र गतिविधियों के विषय में न केवल विवरण प्रस्तुत करती हैं बल्कि देश में मानव अधिकार स्थिति के विषय में सूचना का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत भी है। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के तहत परिकल्पित विविध कार्यों के अनुरूप व्यापक गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। आयोग ने देश के विभिन्न भागों में पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रयोग किए गए अत्यधिक बल जिसके कारण कई लोगों की जान गई; पुलिस एवं न्यायिक अभिरक्षा में बलात्कार और मृत्यु; जेलों में कैदियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन; अवैध रूप से बंदी बनाना और प्रताड़ना; मुठभेड़ में मौत; बिजली के करंट के कारण मृत्यु; सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन भुगतान में विलम्ब; स्कूलों में शिक्षण तथा मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, सुरक्षित भवन एवं अवसंरचना का अभाव; स्कूलों में मिड–डे–मील खाने के बाद बच्चों का बीमार होना; आई. वी. एफ. क्लिीनिक्स की संदिग्ध गतिविधियां; बच्चों एवं महिलाओं का यौन उत्पीड़न, बलात्कार तथा अवैध व्यापार; काला जादू करने का आरोप लगाकर व्यक्तियों की हत्या; किसानों द्वारा आत्महत्या; बच्चों को भीख मांगने के लिए बाध्य करना; आवारा कुत्तों का आतंक; सब्जियों एवं फलों में कीटनाशक; मोतियाबिंद की गलत सर्जरी; दलित बच्चों के लिए पृथक आंगनवाड़ी; प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निम्न स्तयरीय सुविधाएं जिनके चलते नवजात शिशुओं की मृत्यु; बच्चों के गुमशुदा होने की घटनाओं में वृद्धि; और कमजोर वर्गों जैसे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ा वर्ग, बच्चे, महिलाएं, अशक्तों एवं वृद्धों के प्रति क्रूरता से संबंधित मीडिया रिपोर्टों के साथ–साथ इनके संबंध में प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्वंतः संज्ञान लिया। इन सभी मामलों में संबंधित राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी करने और स्थल जांच करने के लिए अन्वेषण प्रभाग से अपनी टीम भेजने के अलावा आयोग ने अधिकार उल्लंघन के पीडितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत का भुगतान करने और किए गए भुगतान का साक्ष्य प्रस्तुत करने की भी सिफारश की।

1.7 आयोग हमेशा ही समाज के कमज़ोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रति संवेदनशील रहा है। आयोग श्री के. बी. सक्सेना, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) द्वारा दी गई संस्तुतियों जिसमें उन्होंने आयोग के आग्रह पर अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध अत्याचार के विषय में अध्ययन करके आयोग को रिपोर्ट दी थी, के कार्यान्वयन के प्रयास में आयोग ने देश के विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में शिविर बैठकों और जन सुनवाई का आयोजन किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने बिहार, झारखण्ड, ओड़िशा एवं संघशासित क्षेत्र पुदुचेरी तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शिविर बैठकों और जन सुनवाई का आयोजन किया।

1.8 इस वार्षिक रिपोर्ट में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों जिसमें पुलिस/न्यायिक हिरासत में मौत, अवैध नज़रबंदी, पुलिस द्वारा बल प्रयोग, पुलिस मुठभेड़ में मौत आदि शामिल हैं, के विषय पर जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों जैसे स्वास्थ्य देखरेख से संबंधित अधिकार जिसमें मानसिक स्वास्थ्य देखरेख एवं कुष्ठ रोग भी शामिल हैं, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, महिलाओं एवं बच्चों को शामिल कर कमज़ोर वर्गों के अधिकार, बंधुआ एवं बाल मज़दूरों का बचाव, रिहाई एवं पुनर्वास शामिल हैं। आयोग ने मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय मानव

अधिकार आयोग तथा राज्य मानव अधिकार आयोगों के बीच सहयोग एवं समन्वय के क्षेत्रों का भी पता लगाया है तथा साथ ही, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् द्वारा वर्ष 2012 में भारत की सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यू.पी.आर.) के द्वितीय चक्र के भाग को तैयार करने के विषयों पर भी ध्यान केन्द्रित किया है, जो कि भारत सरकार के सहयोग से किया गया था क्योंकि आयोग द्वारा यह महसूस किया गया था कि इससे वर्ष 2017 में किए जाने वाले आवधिक समीक्षा के तृतीय चक्र हेतु इसकी स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इसके प्रशिक्षण एवं अंतःशिक्षुता कार्यक्रम, प्रकाशन, सेमीनार, कार्यशालाओं, परामर्शों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के ज़रिये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच निरंतर मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार कार्य कर रहा है जिसमें मुख्य पणधारी जैसे न्यायिक अधिकारी, पुलिस कार्मिक, सरकारी कर्मचारी, मीडिया से जुड़े व्यक्ति गैर–सरकारी एवं नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के छात्र शामिल हैं।

1.9 इन मुद्दों के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट 2016–17 के विभिन्न अध्यायों में और अधिक विस्तार से टिप्पणी की गई है।

(एच. एल. दत्तू)
अध्यक्ष

अध्याय-2

मुख्य बिन्दु

2.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को हुआ था। आयोग का अधिदेश, मानव अधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में निहित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है जिन्हें अक्टूबर, 1991 में पेरिस में मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में अंगीकृत किया गया था तथा दिसम्बर, 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 48/134 के रूप में समर्थित किया गया था। यह आयोग, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति भारत की चिंता का प्रतीक है। रिपोर्ट की अवधि के दौरान आयोग की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

शिकायत प्रबंधन प्रणाली का वेब-आधारित स्वरूप

2.2 आयोग ने शिकायतों के प्रबंधन से संबंधित इसके अधिकांश गतिविधियों को कम्प्यूटरीकृत करने के प्रयास किए हैं। इस प्रक्रिया में गतिविधियां/मॉड्यूल्स समान मामलों की कार्यवाहियों का समूह के रूप में बनाना, समूह में फाइल मूवमेंट, कार्यवाहियां जारी करना, मामलों को लिंक करना, समान मामलों पर शिकायतों के लिए जवाब देना आदि को कम्प्यूटरीकृत किया गया है तथा आयोग द्वारा हाल ही में कार्यान्वित सी.एम.एस. के वेब आधारित स्वरूप में जोड़ा गया है।

विधि प्रभाग के डिस्पैच सेक्शन के लिए सोफ्टवेयर में अतिरिक्त मॉड्यूल्स

2.3 आयोग ने विधि प्रभाग द्वारा विभिन्न प्राधिकारियों को भेजे जाने वाले साधारण पोस्ट एवं गैर रजिस्टर्ड पत्रों के लिए डिस्पैच सोफ्टवेयर में कुछ मॉड्यूल्स जोड़े हैं। इससे इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डों के रख–रखाव के साथ–साथ भेजे गए पत्रों से संबंधित सूचना को शीघ्र प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली में अतिरिक्त रिपोर्ट

2.4 आयोग ने वेब आधारित वास्तविक समय प्रबंधन सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर में विभिन्न रिपोर्टें डिज़ाइन एवं विकसित की हैं जो कि मामले के निपटान के विभिन्न चरणों के दौरान लिए गए समय के संबंध में सूचना मुहैया कराते हैं।

नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली

2.5 आयोग द्वारा स्रोत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क के प्रबंधन हेतु आयोग में ही एक वेब–आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली सोफ्टवेयर डिज़ाइन एवं विकसित किया गया है। यह सोफ्टवेयर आई.पी.एड्रेस, कम्प्यूटिंग डिवाइसेस, यूजर्स तथा डिवाइसेस की लोकेशन के संबंध में सूचना स्टोर करने, पुनः प्राप्त करने तथा संकलित करने में सहायता करता है।

सरकारी ई–बाज़ार

2.6 आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा अपेक्षित मदों की ख़रीद के लिए सरकारी ई–बाज़ार पोर्टल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

यू–ट्यूब पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अकाउंट

2.7 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने यू–ट्यूब पर एक अकाउंट बनाया है। आयोग के यू–ट्यूब अकाउंट पर आयोग द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों पर आधारित तीन लघु फिल्मों को अपलोड किया गया है।

लेखा सोफ्टवेयर

2.8 सभी भुगतानों को इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से करने के लिए लेखा सोफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव किए गए हैं।

स्थापना दिवस समारोह

2.9 दिनांक 12 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष अर्थात् 2016 में दिनांक 21.10.2016 को आयोग का स्थापना दिवस डॉ. डी. एस. कोठारी सभागार, डी.आर.डी.ओ. भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली में मनाया गया था। इस अवसर पर दूरसंचार तथा विधि एवं न्याय मंत्री माननीय श्री रविशंकर प्रसाद मुख्य अतिथि थे।

मानव अधिकार दिवस समारोह

2.10 आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर मानव अधिकार दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अर्थात् 2016 में मानव अधिकार दिवस दिनांक 10.12.2016 को डॉ. डी. एस. कोठारी सभागार, डी.आर.डी.ओ. भवन, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली में मनाया गया था। इस अवसर पर केरल के माननीय राज्यपाल न्यायमूर्ति श्री पी. सदाशिवम मुख्य अतिथि थे तथा सफाई कर्मचारी आन्दोलन के संस्थापक श्री बेज़वाड़ा विल्सन, सम्माननीय अतिथि थे।

आयोग की बैठकें

2.11 पूर्ण आयोग ने अपनी 36 बैठकों में मानव अधिकारों के उल्लंघन के 566 मामलों पर चर्चा की और निर्णय दिया। इसके अतिरिक्त, दो विभागीय पीठों ने 91 बैठकों में 1595 मामलों पर विचार किया। आयोग में 3 जन सुनवाई अदालतों में कश्मीरी विस्थापितों के 24 मामलों पर जन सुनवाई कर आगे विचार किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शिविर बैठकें

2.12 आयोग, लंबित शिकायतों के तीव्र निपटान और राज्य के पदाधिकारियों को मानव अधिकारों के प्रति सुग्राही बनाने के लिए राज्यों की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन करता रहता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने बिहार, झारखण्ड और ओड़िशा में शिविर बैठकों का आयोजन किया। आयोग ने पूर्ण आयोग की बैठकों में 51 मामलों तथा इन शिविर बैठकों में खण्डपीठ में 28 मामलों पर विचार किया।

अनुसूचित जाति के विरूद्ध अत्याचार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जन-सुनवाई

2.13 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने 270 मामलों पर पटना, बिहार–67 मामले (21 अप्रैल, 2017), रांची, झारखण्ड–69 मामले (7 सितम्बर, 2017), पुदुचेरी–17 मामले (16 दिसम्बर, 2017), भुवनेश्वर, ओड़िशा–107 मामले (9 जनवरी, 2017) तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह–10 मामले (19 जनवरी, 2017), पर जन–सुनवाइयां आयोजित कीं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सूचना का प्रचार-प्रसार और मीडिया के साथ संवाद

2.14 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने विभिन्न साधनों के माध्यम से आयोग की गतिविधियों के विषय में मीडिया एवं संचार विंग के द्वारा सूचना का प्रचार–प्रसार किया। इनमें प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कांफ्रेंस, अध्यक्ष एवं सदस्य के साक्षात्कार शामिल हैं। उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार) ने मीडिया में मानव अधिकार विषयों पर की गई रिपोर्टिंग के विषय में आयोग को फीडबैक दिया तथा आयोग द्वारा स्वतः संज्ञान हेतु समाचार क्लिपिंग भी दीं।

आउटरीच मैकेनिज्म

2.15 रिपोर्ट की अवधि के दौरान दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक मीडिया एवं संचार यूनिट ने आयोग के विभिन्न हस्तक्षेपों एवं क्रियाकलापों के बारे में लगभग 139 प्रेस रिलीज और वक्तव्य तैयार किए और जारी किए। स्वतः संज्ञान लेने के लिए आयोग के समक्ष लगभग कुल 99 समाचार कतरनों को रखा गया। मीडिया में रिपोर्ट किए गए मुद्दों, विशेषतः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निभाई गई भूमिका और उसके द्वारा किए गए हस्तक्षेप के बारे में समग्र ब्यौरा देने के लिए, समाचार पत्रों

की कतरनों को दिन–प्रतिदिन आधार पर आयोग की वेबसाईट पर डाला गया। इन समाचार–पत्रों की कतरनों के मासिक संग्रह को तैयार किया गया और अन्य पुस्तकालयों को प्रचार–प्रसार के प्रयोजनार्थ और पुस्तकालय में आने वाले अन्य सभी के संदर्भ हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पुस्तकालय में भेजा गया।

2.16 इसके अलावा, यूनिट द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मासिक न्यूजलैटर प्रकाशित किए जाते हैं, जो केन्द्र एवं राज्य स्तर पर सरकार के सभी हितधारकों को, अकादमिक/तकनीकी संस्थानों, मीडिया, गैर सरकारी संगठनों और सभ्य समाज के संगठनों आदि को मानव अधिकार मुद्दों के संबंध में और आयोग द्वारा समय–समय पर किए जाने वाले हस्तक्षेपों एवं सिफारिशों के बारे जागरुकता फैलाने हेतु उन्हें निःशुल्क परिचालित किए जाते हैं। इन्हें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाईट पर भी पोस्ट किया जाता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के स्वागत कक्ष में आने वाले आगंतुकों को इन न्यूजलैटर की प्रतियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

2.17 समग्र रूप से 4 प्रेस कांफ्रेस और आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य मीडिया संगठनों के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के 6 साक्षात्कार का आयोजन ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन एवं अन्य मीडिया संगठनों हेतु किया गया। मीडिया से जुडे व्यक्तियों को आमंत्रित करने के विशेष प्रयासों में मानव अधिकारों के विभिन्न विषयों पर देश के विभिन्न भागों में आयोग द्वारा 14 जन–सुनवाइयों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। आयोग के मुख्यालय में की गई गतिविधियों के अतिरिक्त निम्नलिखित विषयों पर अवधि के दौरान मीडिया कवरेज हेतु कुछ विशेष बाहरी स्थानों पर भी विशेष प्रयास किए गएः–

1. आयोग द्वारा भोजन का अधिकार विषय पर नई दिल्ली में 28–29 अप्रैल, 2016 को दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन।
2. आयोग द्वारा बिहार, पटना में 21–23 अप्रैल, 2016 को तीन दिवसीय जन–सुनवाई, शिविर बैठक का आयोजन।
3. आयोग द्वारा बंधुआ मज़दूर उन्मूलन विषय पर 13 मई, 2016 को बैंगलूरू में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन।
4. आयोग द्वारा मुम्बई में 23–24 जून, 2016 को सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा हेतु दो दिवसीय 'पश्चिम क्षेत्रीय परामर्श' का आयोजन।
5. आयोग द्वारा स्थानिक राज्यों हेतु सिलिकोसिस विषय पर 22 जुलाई, 2016 को नई दिल्ली में सम्मेलन का आयोजन।
6. आयोग द्वारा नई दिल्ली में 12–13 अगस्त, 2016 को तृतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा हेतु दो दिवसीय परामर्श का आयोजन।
7. आयोग द्वारा नई दिल्ली में 19–20 अगस्त, 2016 को 'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।

8. आयोग द्वारा रांची झारखण्ड में 7–8 सितम्बर, 2016 को दो दिवसीय शिविर बैठक एवं जन–सुनवाई का आयोजन।
9. आयोग द्वारा 21 अक्टूबर, 2016 को इसके स्थापना दिवस समारोह के भाग के रूप में आयोग के अध्यक्ष द्वारा 'मीडिया विमर्श–ब्रीफिंग'।
10. आयोग द्वारा शिलांग, मेघालय में 3–4 नवम्बर, 2016 को मेघालय सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में 'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन।
11. आयोग द्वारा पुदुचेरी में 16 दिसम्बर, 2016 को एक दिवसीय जन सुनवाई–सह–शिविर बैठक का आयोजन।
12. आयोग द्वारा बैंगलूरू में 20–21 दिसम्बर, 2016 को कर्नाटक सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना की सहभागिता से 'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन।
13. आयोग द्वारा भुवनेश्वर, ओडिशा में 9 से 11 जनवरी, 2017 को दो दिवसीय शिविर बैठक एवं जन सुनवाई का आयोजन।
14. आयोग द्वारा कोहिमा में 15 मार्च, 2017 को 'जेंडर, सामाजिक न्याय एवं मानव अधिकार' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।
15. आयोग द्वारा रायपुर, छत्तीसगढ़ में 23–24 मार्च, 2017 को 'साहित्य, समाज एवं मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन।

इन–हाउस फीडबैक मैकेनिज़्म

2.18 प्रतिदिन आयोग के अध्यक्ष को मानव अधिकारों के विभिन्न पहलुओं से संबंधित समाचार कतरनें मुहैया कराने के अलावा आयोग के फीडबैक के लिए मीडिया में रिपोर्ट किए गए मानव अधिकार मुद्दों पर एक 'साप्ताहिक न्यूज डाइजेस्ट' तैयार किया जाता है, जिसकी एक प्रति मासिक संग्रह के साथ सभी मुख्य पुस्तकालयों को सूचनार्थ अग्रेषित की जाती है। मानव अधिकार विषयों तथा इसी प्रकार के समारोहों एवं गतिविधियों जिनका मानव अधिकारों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंध है, पर आधारित मीडिया रिपोर्टों का एक मासिक संग्रह किया जाता है।

स्थापना दिवस पर प्रेस कांफ्रेंस

2.19 आयोग में 21 अक्टूबर, 2016 को अपने स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर माननीय अध्यक्ष द्वारा संबोधित प्रेस कांफ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कांफ्रेंस के संबंध में आयोग की गतिविधियों को रेखांकित करने वाले रेडी रेकनर तथा एक विवरण तैयार किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का लघु फिल्म पुरस्कार

2.20 आयोग ने वर्ष 2015 से इसके मीडिया एवं संचार यूनिट की पहल पर मानव अधिकार विषय पर

सर्वश्रेष्ठ तीन लघु फिल्मों को पुरस्कार देना ज़ारी रखा जिसमें क्रमशः ₹1,00,000/–, ₹75,000/– और ₹50,000/– के पुरस्कार के साथ प्रमाण–पत्र एवं विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ट्रॉफी भी प्रदान की जाती है। वर्ष 2016 में कुल 94 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं, जिसमें से केवल 83 प्रविष्टियां ही शर्तों के अनुकूल पाई गईं; बाहरी विशेषज्ञों की ज्यूरी का गठन किया गया जिन्होंने सर्वोत्तम फिल्मों के पुरस्कार हेतु तीन फिल्मों को चुना। ये तीन फिल्में केरल के श्री अनुज एस. आर. की 'ब्लैक एण्ड व्हाइट', कोलकाता के श्री रिम्बिक दास की 'टम्बलिंग स्ट्रीट' तथा पश्चिम बंगाल के श्री सोमनाथ चक्रवर्ती की 'एम्ब्रोसिया' थीं। चार अन्य फिल्मों को 'स्पेशल मेंशन' का प्रमाण–पत्र दिया गया– i) दहलीज़, ii) अरेम सेइ, iii) वूमेन, iv) कनावुगुल। इसके अलावा 11 और फिल्मों को जागरुकता उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया गया। तीन पुरस्कार विजेताओं को मानव अधिकार दिवस समारोह के अवसर पर आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कार ग्रहण करने के लिए नई दिल्ली में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर छः चुनी गई लघु फिल्मों का एक फेस्टिवल भी आयोजित किया गया। इनमें 2015 एवं 16 से 3–3 प्रविष्टियां शामिल की गईं। इन लघु फिल्मों के साथ–साथ आयोग के लघु फिल्म पुरस्कार योजना संबंधी ब्राशर तथा 2016 की 3 पुरस्कृत फिल्मों को रेखांकित करने वाली एक डी.वी.डी. को जारी किया गया।

2.21 वर्ष 2016 की तीन लघु फिल्मों 'ब्लैक एण्ड व्हाइट', 'वूमेन' तथा 'अरेम सेई' को यू–ट्यूब पर भी अपलोड किया गया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सोशल मीडिया नीति एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया (मसौदा)

2.22 मीडिया एवं संचार यूनिट ने 2015 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सोशल मीडिया नीति एवं मानक प्रचालन प्रक्रिया (मसौदा) तैयार किया। नीति दस्तावेज़ों का आयोग के कम्प्यूटर यूनिट के प्रचालन सहयोग के साथ बड़ी गहनता के साथ इस विषय पर एस.ओ.पी. सहित एक संयुक्त प्रयास के रूप में किया गया। आयोग द्वारा मसौदा नीति दस्तावेज़ पर विचार किया जाना है।

बच्चों के लिए चित्रकला एवं फोटो प्रदर्शनी

2.23 मानव अधिकार दिवस–2016 के अवसर पर बच्चों की चित्रकला एवं आयोग की गतिविधियों संबंधी फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में पुरस्कृत फिल्मों तथा अभिलेखीय कोलाज़ को भी शामिल किया गया।

अभिलेखीय कोलाज़

2.24 आयोग की वर्षवार गतिविधियों संबंधी समाचार कतरन एवं फोटो से एक इन–हाउस कोलाज़ निर्मित किया गया जिसे मानव अधिकार दिवस समारोह के अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा जारी किया गया। इस कार्य की शुरूआत वर्ष 2014 में की गई जिसका वर्ष 2015 एवं 2016 में भी अनुपालन किया गया। आगन्तुकों को इन वर्षों के दौरान आयोग के कार्यों के विभिन्न महत्त्वपूर्ण कार्यों की झलक देने के लिए इस प्रकार के आर्काइव गैलरी कोलाज़ का निर्माण किया गया।

शिकायतों की संख्या और प्रकृति

2.25 मानव अधिकार साक्षरता देश में निरंतर बढ़ती जा रही है। मानव अधिकारों की पहुंच प्रासंगिक रूप से कानूनों के साथ–साथ न्यायिक कथनों के माध्यम से भी विस्तृत हुई है जिससे मानव अधिकारों की परिधि में अधिक अधिकार एवं मानव अधिकारों के नए पहलू सामने आए हैं। फोर्थ जनरेशन मानव अधिकारों के विषय में व्यापक चर्चा एवं विमर्श मौजूद है। आमलोग मानव अधिकारों के संरक्षण के कार्य के लिए स्वेच्छा से आगे आ रहे हैं तथा अनेक स्वयंसेवक एवं गैर–सरकारी संगठन मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु बड़ी संख्या में कार्य कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी होनी ही थी। अब राज्य मानव अधिकार आयोग भी इस प्रकार की शिकायतों का बड़ी संख्या में समाधान कर रहे हैं तथा सिविल प्राधिकारियों के बीच दिन–ब–दिन मानव अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता एवं सम्मान में बढ़ोतरी हो रही है। इन तथ्यों के कारण आयोग में अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों में थोड़ी कमी आई है जहां वर्ष 2015–16 में आयोग द्वारा 1,17,808 मामले दर्ज किए गए थे वहीं वर्ष 2016–17 में 91,887 मामले दर्ज किए गए। आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में लोकसेवकों द्वारा लापरवाही के कारण अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन तथा इस प्रकार के उल्लंघन से बचाव करने में लापरवाही, हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

2.26 पिछले पांच वर्षों के परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण मानकों का विवरण निम्नलिखित है:–

पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका
(दिनांक 03/10/2017 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

वित्त वर्ष	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	2016–2017
पुलिस मुठभेड़ में मौत (घटना कोड 812)	168	137	188	179	169
हिरासतीय मौत (न्यायिक) (सूचना) (घटना कोड 301)	1557	1577	1588	1668	1616
हिरासतीय मौत (पुलिस) (सूचना) (घटना कोड 807)	143	140	130	151	145

पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका (दिनांक 03/10/2017 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)					
वित्त वर्ष	2012–2013	2013–2014	2014–2015	2015–2016	2016–2017
बाल मज़दूरी (घटना कोड़ 101)	121	63	716	66	50
बंधुआ मज़दूरी (घटना कोड़ 601)	3865	3174	1017	3345	240
राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की निष्क्रियता (घटना कोड़ 1505)	9755	9546	14799	16258	13578
सामूहिक बलात्कार (घटना कोड़ 1307)	673	659	759	572	455
बलात्कार (घटना कोड़ 1311)	704	827	978	707	535
बच्चे (घटना कोड़ 100–112)	1745	1568	2560	1657	1211
स्वास्थ्य (घटना कोड़ 200–205)	1487	1475	2738	2535	1832
जेल (घटना कोड़ 300–318)	2739	2597	2583	2670	2447
पुलिस (घटना कोड़ 800–823)	35523	32968	34954	35533	27845
प्रदूषण/पारिस्थितिकी/पर्यावरण (घटना कोड़ 900–904)	291	271	334	457	446
महिलाएं (घटना कोड़ 1300–1314)	8449	8991	9904	8105	7413
रक्षा बल (घटना कोड़ 1600–1617)	120	144	144	128	72
अर्द्ध–सैनिक बल (घटना कोड 1700–1717)	239	141	178	160	152
अनु. जाति/अनु.ज.जाति/अ.पि.व. (घटना कोड़ 1900–1904)	3987	3210	3555	3454	3207
नोटः पुनः सत्यापन करने पर डाटा परिवर्तित हो सकता है।					

मानव अधिकार उल्लंघन के मामले

2.27 वर्ष 2016–2017 के दौरान कुल 91,887 मामले आयोग में दर्ज किए गए (अनुलग्नक–1)। इन 91,887 मामलों में से आयोग ने 42,590 मामले उत्तर प्रदेश, 8,750 मामले ओडिशा, 6,368 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 4,596 हरियाणा तथा 3,765 बिहार से संबंधित थे। पंजीकृत किए गए मामलों की संख्या का राज्यवार विवरण निम्नलिखित चार्ट में दिया गया हैः–

वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत मामलों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र–वार संख्या

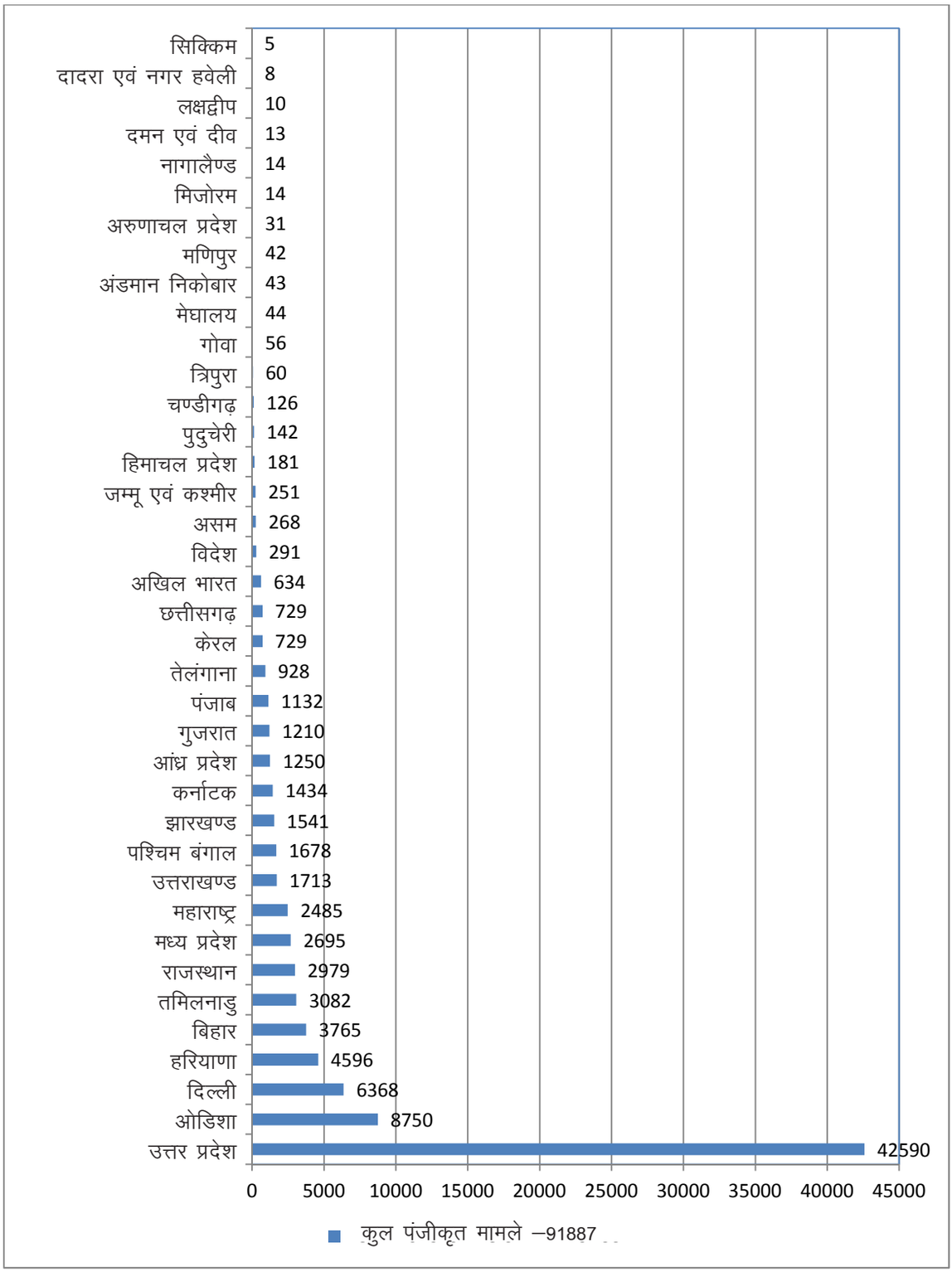

2.28 वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में पंजीकृत मामलों की कुल संख्या का समग्र विश्लेषण नीचे ग्राफ में दिया गया है:–

कुल पंजीकृत मामले
(2014–15 से 2016–17)

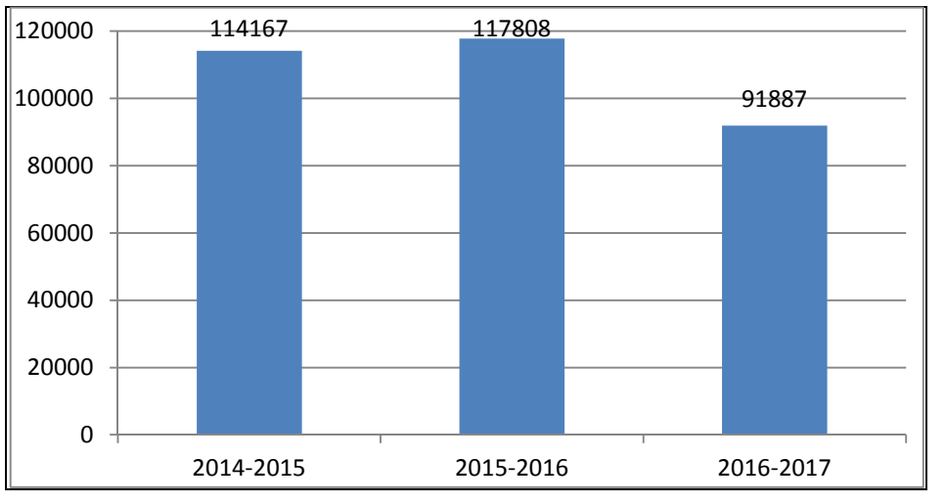

2.29 वर्ष 2016–2017 के दौरान कुल 1,00,699 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 42,527 मामलों को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया। इन मामलों का राज्यवार विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:–

वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा प्रारम्भ में खारिज़ मामले

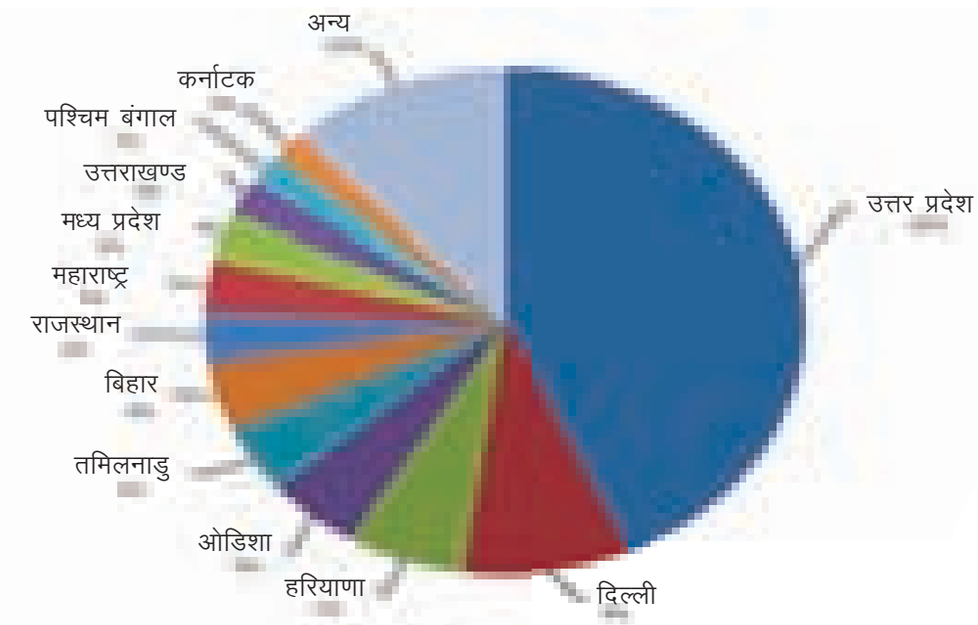

2.30 आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान 17,666 मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देश के साथ किया गया। इन मामलों का राज्यवार विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:–

आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान निर्देश सहित निपटाए (डी.डब्ल्यू.डी.) गए मामले

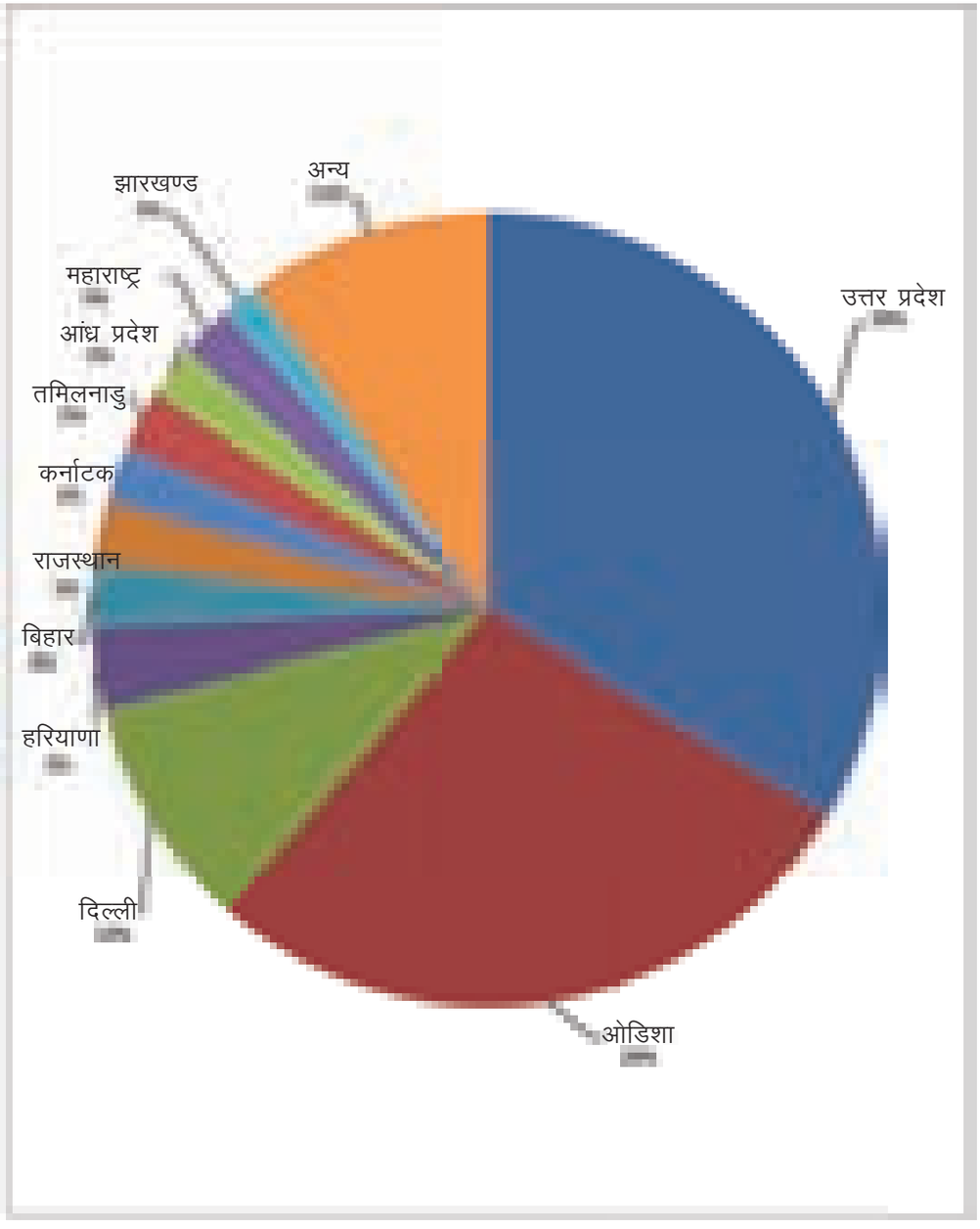

2.31 कुल 20,446 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। इनको चार्ट में भी दर्शाया गया है। वर्ष 2016–2017 के दौरान राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण के लिए कृपया अनुलग्नक –2 देखें।

वर्ष 2016–2017 के दौरान आयोग द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोगों को हस्तांतरित मामले (कुल मामले 20446)

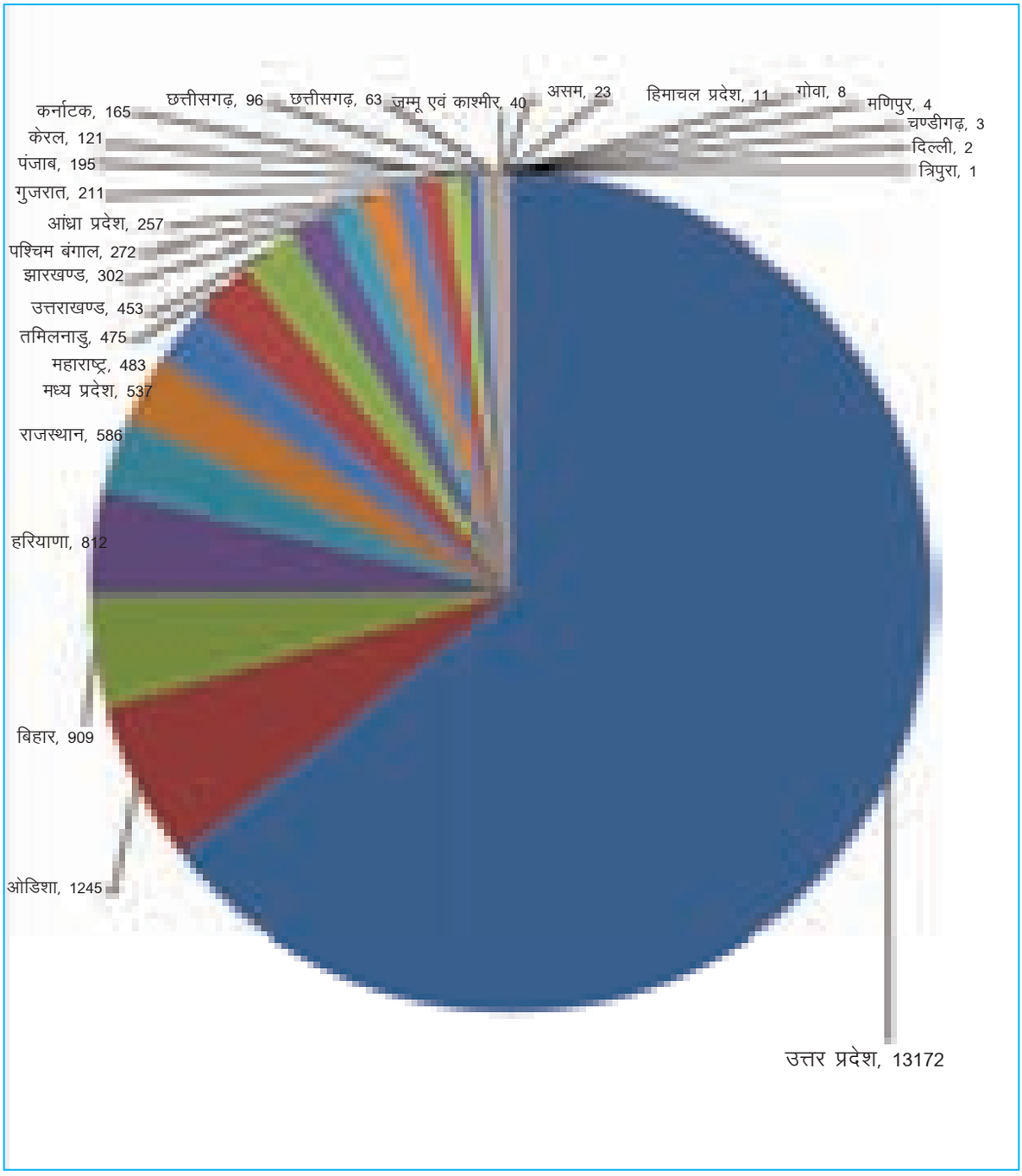

2.32 समीक्षाधीन अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार से जैसे शिकायत खारिज़ करना (डी.आई.एल.) प्राधिकारियों को उचित कार्यवाही करने हेतु निर्देश देकर, राज्य मानव अधिकार आयोगों को शिकायत हस्तांतरित करके आयोग के निदेश के अनुपालन में प्राप्त रिपोर्टों पर विचार करने के बाद बंद करके मामलों के निपटान का विवरण नीचे चार्ट में दिया गया है:–

वर्ष 2016–17 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए मामले

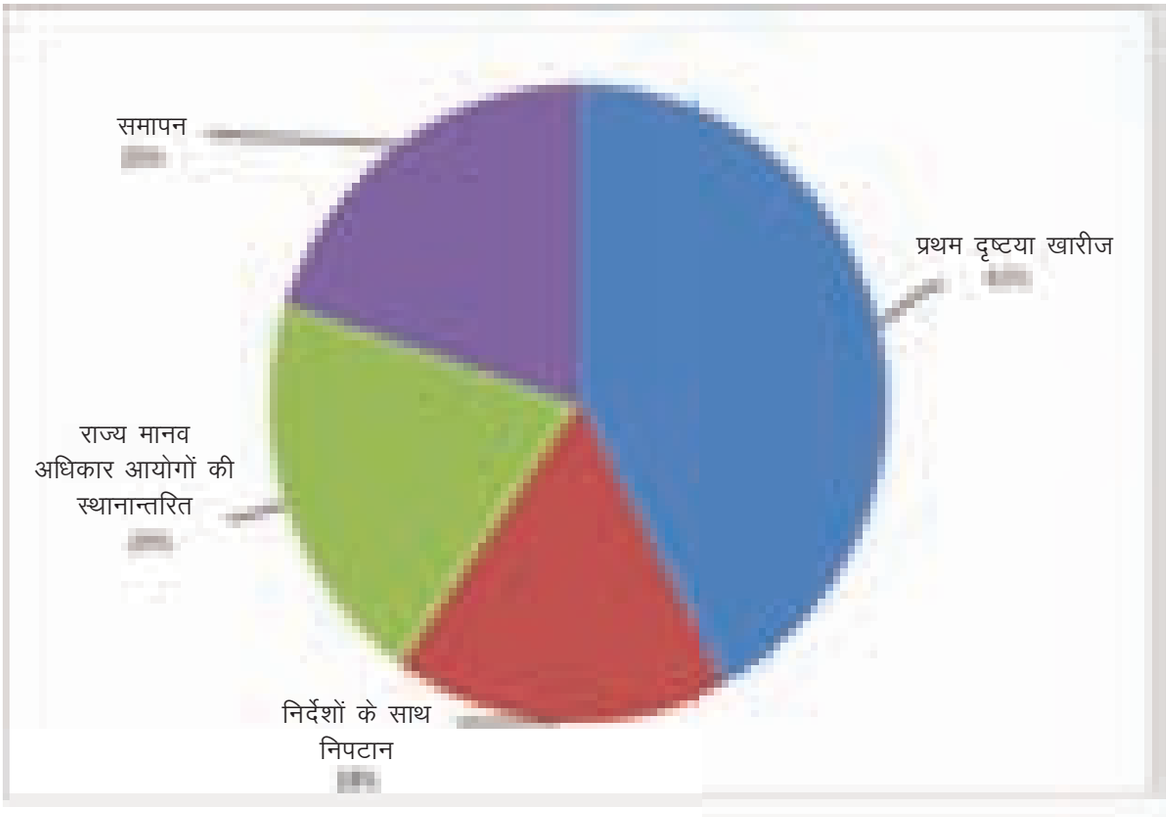

2.33 रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2017 के अंत में आयोग के पास कुल 32085 मामले लम्बित थे। इनमें 2,537 मामले प्रारम्भिक विचारण के लिए प्रतीक्षित तथा 29,548 मामले या तो संबद्ध प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्टों पर विचारण करने हेतु लम्बित थे (अनुलग्नक–3)।

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

2.34 आयोग को वर्ष 2016–17 के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 1,616 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार की 146 सूचनाएं प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैन्य बल/रक्षा बल की हिरासत में मौत की एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासतीय मौत के 2,194 मामले निपटाए। इन 2,194 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1,974 मामले, पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार के 220 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं। विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दिया गया ग्राफ देखें:–

वर्ष 2016–2017 के दौरान दर्ज एवं निपटाए गए हिरासतीय मौत/बलात्कार की घटनाओं की संख्या

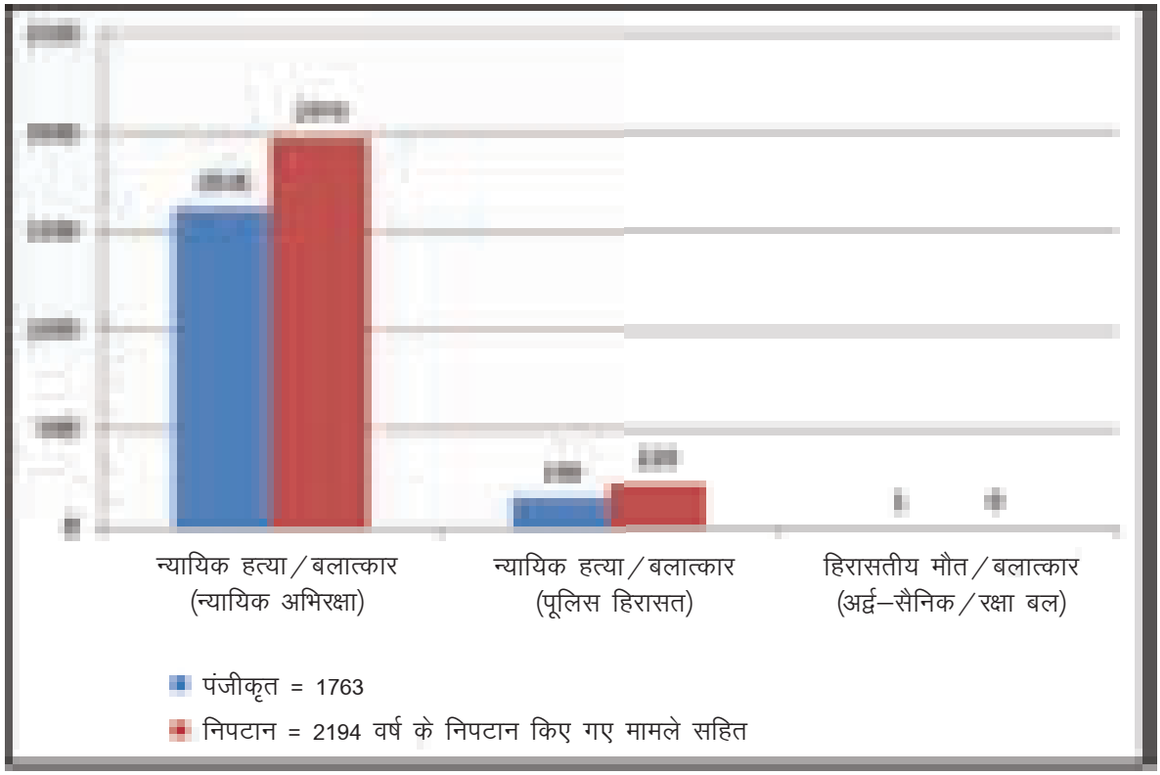

आर्थिक राहत के लिए रा.मा.अ.आ. की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

2.35 समीक्षाधीन अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान आयोग ने 531 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में ₹11,24,87,500/– की सिफारिश की। इन 531 मामलों में से जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 96 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल ₹1,95,15,000/– की राशि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को किया गया। इस मामलों का राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक– 4 पर दिया गया है।

2.36 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसे 435 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिनमें ₹ 9,29,72,500/– की मौद्रिक राहत की अनुशंसा की गई थी (मामलों का विवरण अनुलग्नक–5 में दिया गया है)। मौद्रिक राहत के संबंध में की गई सिफारिश के अलावा आयोग ने 16 मामलों में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई तथा 4 मामलों में दोषी लोकसेवकों के अभियोजन की अनुशंसा भी की। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से उनके यहां लंबित पड़े मामलों पर अनुपालन से संबंधित त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की ताकि प्रत्येक मामले में पीड़ितों/निकटतम संबंधी को संस्तुति मौद्रिक राहत तत्काल ही दी जा सके।

वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा मौद्रिक राहत हेतु की गई अनुपालन के लिए लम्बित राज्यवार सिफारिशों का विवरण (31.03.2017 तक)

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	मामलों की संख्या
1)	उत्तर प्रदेश सरकार	133
2)	ओडिशा सरकार	50
3)	महाराष्ट्र सरकार	29
4)	बिहार सरकार	25
5)	राजस्थान सरकार	23
6)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	20
7)	मध्य प्रदेश शासन	17
8)	झारखण्ड सरकार	17
9)	हरियाणा सरकार	15
10)	आंध्र प्रदेश सरकार	13
11)	पश्चिम बंगाल सरकार	12
12)	गुजरात सरकार	11
13)	मणिपुर सरकार	11
14)	असम सरकार	9
15)	तमिलनाडु सरकार	8
16)	केरल सरकार	7
17)	पंजाब सरकार	7
18)	छत्तीसगढ़ सरकार	6
19)	तेलंगाना सरकार	6
20)	मेघालय सरकार	4
21)	मिज़ोरम सरकार	3
22)	कर्नाटक सरकार	2
23)	त्रिपुरा सरकार	2
24)	केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ सरकार	2
25)	जम्मू एवं कश्मीर सरकार	1
26)	नागालैण्ड सरकार	1
27)	झारखण्ड सरकार	1

2.37 पिछले वर्षों से संबंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में 202 (96+106) मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है। विवरण के लिए अनुलग्नक–6 एवं 7 देखें।

2.38 अनुलग्नक–6 में मौद्रिक राहत के भुगतान के संबंध में वर्ष 2015–16 के अनुपालन संबंधी लंबित 96 मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है इस सूची में भी उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर सबसे ऊपर है क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 34 मामलों, जिनमें से अधिकतर सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, में भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिन अन्य राज्यों को अभी इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित करना शेष है वे इस प्रकार हैं– झारखंड (11), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (8), मध्यप्रदेश (6), महाराष्ट्र (6) हरियाणा (6), ओडिशा (5), राजस्थान (4), बिहार (3), तेलंगाना (3), त्रिपुरा (3), पश्चिम बंगाल (2), असम (2), छत्तीसगढ़ (1), मणिपुर (1) तथा तमिलनाडु (1) (अुनलग्नक–6)। इन राज्यों से जुड़े हुए सभी मामले प्रमुखतः सिविल और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, कुछेक मामले सेना/अर्धसैनिक बल के कार्मिकों सहित महिलाओं के यौन शोषण से, महिलाओं के अनादर, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सरकारी अस्पतालों में अनियमितताओं/दुराचारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग की महिलाओं सहित महिलाओं के अपरहरण/बलात्कार तथा पेंशन का भुगतान न किए जाने से संबंधित हैं। इन मामलों का विवरण राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पहले की वार्षिक रिपोर्टों में दिया गया है। आयोग एक बार फिर उपरोक्त सभी राज्य सरकारों का आह्वान करता है कि वे आयोग को अपनी अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए तत्काल कदम उठाएं साथ ही हिंसा की घटनाओं को रोकने तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंध रखने वाली महिलाओं सहित महिलाओं के प्रति भेद–भाव को रोकने के लिए विशेष उपाय करने सहित नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य संबंधी अधिकारों की रक्षा एवं उसकी बहाली के लिए व्यापक कदम उठाएं।

2.39 अनुलग्नक–7 में वर्ष 2000–01 से 2014–2015 की अवधि के लिए आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर लंबित अनुपालन के मामलों का विवरण दिया गया है। निर्दिष्ट अनुलग्नक में उद्धृत 106 मामलों में से 4 मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने–अपने उच्च न्यायालायों में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ये राज्य हैं – जम्मू एवं कश्मीर (2), केरल (1) एवं ओडिशा (1) (अनुलग्नक–7 की क्रम संख्या 96, 97, 98 एवं 101)। आयोग इन सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अतिरिक्त, आयोग को यह विश्वास है कि अनुलग्नक–7 में सूचीबद्ध अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करेंगे तथा पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधी को तत्काल राहत प्रदान करेंगे।

2.40 दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान अन्वेषण प्रभाग ने कुल 7,865 मामले निपटाए, इनमें न्यायिक हिरासत में मौत के 4,356, पुलिस हिरासत में मौत के 495 तथा तथ्य अन्वेषण के 3,014 मामले शामिल हैं। अनुभाग ने पुलिस मुठभेड़ में मौत के 178 मामलों का भी निपटान किया।

मौके पर जांच

2.41 दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान अन्वेषण प्रभाग ने सिविल, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन संबंधी 58 मामलों के बारे में मौके पर जांच की। यह मामले हिरासत में हुई मौतों/बलात्कारों; पुलिसकार्मिकों द्वारा यौन शोषण; हिरासतीय प्रताड़ना; झूठे मामले में फंसाना; गैर–कानूनी रूप से गिरफ्तार करना; बंधुआ एवं बाल श्रम; अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों पर अत्याचार; कारवासों तथा बच्चों के सुधार गृहों की अमानवीय परिस्थितियों आदि से संबंधित थे।

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार

सिलिकोसिस

2.42 आयोग ने सिलिकोसिस विषय पर विशेषज्ञों के साथ बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की जिनका आयोजन 23 जनवरी, 7 फरवरी तथा 6 अप्रैल, 2017 को प्रभावित मज़दूरों एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा सामना की जाने वाली सिलिकोसिस की समस्या के उन्मूलन के लिए रक्षात्मक, उपचारात्मक, प्रतिपूरक एवं पुनर्वासात्मक उपायों के विषय में ठोस सुझाव देना था। इन सुझावों को बाद में संस्तुतियों के रूप में मसौदा तैयार किया गया। आयोग ने उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका संख्या 110 (पीपुल्स राइट एण्ड सोशल रिसर्च सेंटर बनाम भारत सरकार) में सिलिकोसिस के विभिन्न पहलुओं जैसे रक्षात्मक, उपचारात्मक, प्रतिपूरक एवं पुनर्वासात्मक पर अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करने के लिए एक हलफ़नामा दायर किया।

गैर सरकारी संगठनों का कोर समूह

2.43 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 (i) के अनुपालन में आयोग अपने स्थापना काल से ही मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयासरत है। आयोग मानव अधिकारों की जागरुकता के क्षेत्र में इसके द्वारा आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रोजेक्टों में प्रशिक्षित गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग एवं साझेदारी करता आ रहा है। चूंकि मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में मानव अधिकार की जागरुकता एक महत्त्वपूर्ण पहलू है अतः गैर सरकारी संगठनों के साथ चर्चा को बढ़ाने के बेहतर अवसर हैं। गैर सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों के साथ अपनी चर्चा को बढ़ाने की दिशा में आयोग ने 17 जुलाई, 2001 को गैर सरकारी संगठनों का एक कोर समूह गठित किया। इस समूह को अन्तिम बार 16 सितम्बर, 2011 को 11 सदस्यों सहित पुनर्गठित किया गया था। गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह के पुनर्गठन से संबंधित मामला एक बार पुनः आयोग के विचाराधीन है। ताकि देशभर में मानव अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों से विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों से व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

राज्य मानव अधिकार आयोग

2.44 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (पी.एच.आर.ए.) के तहत किया गया। पी.एच.आर. एक्ट की धारा 21 यह निहित करता है कि सभी राज्य सरकारों के पास अपना राज्य मानव अधिकार आयोग होना चाहिए ताकि इस संस्थान को प्रदत्त शक्तियों एवं इसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन हो सके। आयोग उन राज्य सरकारों को राज्य आयोगों के गठन का आग्रह कर रहा है जहां पर अभी तक राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन नहीं किया गया है ताकि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 तथा पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सके।

2.45 आयोग राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ समन्वय एवं साझेदारी के क्षेत्र तलाशने एवं उन्हें सुदृढ़ करने के लिए नियमित रूप से चर्चा करने की पहल करता रहा है।

2.46 राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 26 राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन किया है ये राज्य हैं: आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (संयुक्त एस.एच.आर.सी.), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओड़िशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल एवं मेघालय।

2.47 आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों के सुलभ कार्य निष्पादन हेतु शिकायत निपटान की स्ट्रीमलाइनिंग सहित बुनियादी संरचना, न्यूनतम जनशक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं जैसे चिंतनीय मुद्दों के निपटान हेतु भारत सरकार से गुहार लगाई है। इसके उत्तर में, भारत सरकार ने एन.एच.आर.सी. से निवेदन कर प्रत्येक एस.एच.आर.सी. के संबंध में पजीकृत शिकायतों, निपटान, लम्बित शिकायतों, विभाग–आधार पर जनशक्ति, वित्तीय आवंटन, अनुभव की गई कमियों के प्रकार एवं इसकी वृद्धि के स्पष्टीकरण के संबंध में विवरण अग्रेषित करने का निवेदन किया है। एन.एच.आर.सी. ने राज्य मानव अधिकार आयोगों से प्राप्त विवरण को दिनांक 23 मार्च, 2015 को भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया। भारत सरकार से आगे का उत्तर प्रतीक्षित है।

2.48 आयोग ने 17 फरवरी, 2017 को नई दिल्ली में राज्य मानव अधिकार आयोगों का सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में राज्य मानव अधिकार आयोगों के अध्यक्ष/कार्यवाहक अध्यक्ष, सदस्य, सचिव तथा अधिकारीगण के साथ–साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव एवं अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

2.49 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन करने के पीछे भारत के विधि निर्माताओं के लिए एक महत्त्वपूर्ण उद्देश्य भारत के लागों के अनुलंघनीय अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना था। आयोग को दी गई शक्तियों का विवरण मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 में विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया है तथा

राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं राज्य मानव अधिकार आयोग नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की एक व्यापक श्रृंखला के संबंध में कार्य करते हैं। आयोग ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एवं राज्य मानव अधिकार आयोग बैठक हेतु एजेंडा तैयार किया जिसमें दोनों के ही चिंता के विभिन्न विषयों को व्यापक रूप से शामिल किया गया इनमें पी.एच.आर. अधिनियम में यथोचित संशोधन से संबंधित मामले शामिल थे जिनके संबंध में इन आयोगों को अधिक शक्ति के साथ–साथ अधिक प्रभावी कार्य करने के लिए अधिक वित्तीय एवं कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान की जा सके। बैठक का एक अन्य उद्देश्य मानव अधिकार समर्थकों, प्रशिक्षण एवं जागरुकता कार्यक्रमों के माध्यम से मानव अधिकारों के संवर्द्धन संबंधी महत्त्वपूर्ण चिंताओं पर विचार–विमर्श करने के साथ–साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ बेहतर कार्यों को साझा करने में विशेष रूप से जांच एवं अन्वेषण करने के क्षेत्र में परस्पर साझेदारी करना था।

2.50 सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी ने कहा कि 'सार्वभौमिकता' मानव अधिकारों की आधारशिला है। इस सिद्धांत पर पहली बार 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर में जोड़ दिया गया था तथा 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अंगीकरण के माध्यम से दोहराया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना भी सभी मनुष्यों की जीवन में अंतर्निहित गरिमा के सिद्धांत पर आधारित है। न्यायमूर्ति भंडारी ने कहा कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राज्य मानव अधिकार आयोगों की भूमिका की वे इसलिए भी सराहना करते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना काल से ही उसके द्वारा प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या में बढ़ोतरी भी नज़र आती है। न्यायमूर्ति भंडारी ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि इन आयोगों को, विशेषरूप से अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए राज्य मानव अधिकार आयोगों को सक्षम बनाने हेतु अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में स्वच्छ भारत अभियान

2.51 भारत सरकार द्वारा पूरे देश में चलाए गए स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने वर्ष के दौरान अपने भवन के महत्त्वपूर्ण स्थानों पर बैनर दर्शाते हुए, कर्मचारियों द्वारा भवन और आसपास के क्षेत्र की आवधिक सफाई, सभी प्रभागों द्वारा पुरानी फाईलों को नष्ट करने और आयोग की वेबसाईट तथा न्यूजलैटर में इन गतिविधियों के स्नैपशॉट्स पोस्ट करके वर्ष के दौरान सार्थक कदम उठाए। प्राधिकृत नोडल अधिकारियों ने सभी प्रभागीय प्रमुखों को यह अनुरोध करते हुए परिपत्र भी जारी किए कि वे आयोग द्वारा स्वच्छ भारत अभियान, 2016–17 के दौरान चलाए जाने वाले स्वच्छता अभियान में अपना और अपने स्टॉफ की भागीदारी सुनिश्चित करें।

2.52 आयोग के कार्यालय हेतु वर्ष 2017–18 के लिए स्वच्छता कार्य योजना (एस.ए.पी.) तैयार किया गया:–

क्र.सं.	कार्यक्रम/योजनाएं/गतिविधियां
1.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट के मुख्य द्वार, पिछले द्वार, केन्द्रीय प्रांगण तथा अन्य स्थानों पर बैनर प्रदर्शित करना।
2.	सभी अनुभाग प्रमुखों को अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु स्वच्छता एवं जागरुकता अभियान आयोजित करने के लिए विशेष मुहिम चलाने का आग्रह करते हुए परिपत्र जारी करना।
3.	पुराने रिकॉर्डों को नष्ट करने के लिए विशेष मुहिम चलाना।
4.	इस उद्देश्य हेतु समय–समय पर विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित करना।
5.	आई.टी. सामग्री एवं सहायक उपकरणों की स्वच्छता हेतु विशेष अभियान आयोजित करना।
6.	विशेष मुहिम हेतु हाउसकीपिंग/टायलेटरी मदों की खरीद।

सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार

2.53 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों एवं विकास के संबंध में देश में शासन के विषयों पर भी ध्यान दे रहा है जिसके लिए वह डिजिटलाइजेशन, विकास एवं न्यूनतम शासन को ध्यान में रखते हुए सुशासन प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा हेतु एक मंच मुहैया कराने का भी प्रयास कर रहा है। निश्चित रूप से यह एक चुनौती है अतः इसने विभिन्न पणधारियों के बीच सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक रोडमैप का सूत्रपात करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है।

2.54 इन विषयों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शिलांग, मेघालय में 3–4 नवम्बर, 2016 को मेघालय सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में 'सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार' विषय पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला तथा बैंगलूरू में 20–21 दिसम्बर, 2016 को कर्नाटक सरकार के संयुक्त तत्त्वावधान में तमिलनाडु, केरल, आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना की सहभागिता से दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया।

2.55 इन दोनों कार्यशालाओं की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने की। इन कार्यशालाओं में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों जैसे महानिदेशक/महानिरीक्षक, जिलाधिकारियों, एस.डी. एम., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, वरिष्ठ राज्य अधिकारियों, कल्याणाधिकारियों, श्रम अधिकारियों, राज्य मानव अधिकार आयोगों तथा गैर सरकारी संगठनों/नागरिक समाज संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों तथा विश्वविद्यालयों से शोधार्थियों तथा मंडल/पंचायत अधिकारियों ने भाग लिया।

2.56 इन कार्यशालाओं का उद्देश्य मानव अधिकारों एवं विकास के संबंध में सुशासन के महत्त्व के विषय में सभी पणधारियों के बीच जागरुकता उत्पन्न करना था। कार्यशालाओं में शासन प्रथाओं के प्रभावी उदाहरणों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराना था जिनका मानव अधिकारों के संवर्द्धन में प्रभाव पड़ता है तथा सुशासन के अनिवार्य तत्वों पर ध्यान केन्द्रित करना था जिसमें कानून के नियम को प्रोत्साहित करना, सेवा प्रदान करने एवं सरकारी संस्थानों को सुदृढ़ करना, लोक एवं निजी क्षेत्रों में

भागीदारी को बढ़ाना एवं भ्रष्टाचार को कम करना। साथ ही, इससे जुड़े हुए विषयों एवं चुनौतियों की पहचान करना तथा सुशासन एवं विकास की बेहतर प्रथाओं को साझा करने के साथ–साथ आगे की रणनीति भी तैयार करना था। इनके अलावा, इन कार्यशालाओं में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों तथा कमियों को पहचान कर उन्हें दूर करने पर भी विचार किया गया।

2.57 चूंकि सुशासन एवं मानव अधिकार साथ–साथ चलते हैं अतः आयोग न केवल मानव अधिकारों बल्कि सुशासन को भी प्रोत्साहित करता है। इन क्षेत्रीय कार्यशालाओं को आयोजित करने के लिए आयोग का उद्देश्य मानव अधिकारों के प्रति जागरुकता तथा सुशासन स्थापित करने के लिए एक आधार मुहैया कराना था।

व्यवसाय एवं मानव अधिकार पर क्षेत्रीय सम्मेलन

2.58 बिजनिस इंटरप्राइसेस द्वारा मानव अधिकार सिद्धांतों के स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ाने के लिए उद्योग/फेडरेशन/संगठन के साथ आयोग ने बैठकों की एक श्रृंखला का आयोजन किया। आयोग ने व्यवसाय एवं मानव अधिकार संबंधी तीन क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया ये हैं, 17 जनवरी, 2017 को चेन्नई में दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन, 22 फरवरी, 2017 को मुम्बई में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन तथा 2 जून, 2017 को कोलकाता में पूर्व क्षेत्रीय सम्मेलन। इसने अंतिम रूप से विकास का 'स्वआकलन यंत्र' उद्योगों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर इस्तेमाल करने के लिए निष्पादित किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सौंपा गया अनुसंधान अध्ययन

2.59 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने शैक्षिक एवं अनुसंधान संस्थानों तथा नागरिक समाज संगठनों को विभिन्न विषयों पर अनुसंधान अध्ययन का कार्य सौंपा। इन अध्ययनों का विषय था– (i) भारतीय संदर्भ में मानव अधिकारों के सम्मान हेतु कॉरपोरेट दायित्व – भारत में व्यापार इकाइयों में शरणार्थियों के तंत्र संबंधी मानव अधिकार प्रथाओं की दशा पर अनुभवजन्य अध्ययन (ii) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति (iii) लॉ स्कूल के माध्यम से मानव अधिकारों के संरक्षण, संवर्द्धन हेतु चुनौतियां : उत्तर भारत का अध्ययन (iv) हिरासतीय न्याय : उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में मौतों के कारण का अन्वेषण करना (v) आदिवासी समुदायों हेतु स्वास्थ्य प्रणाली एवं गुणवत्ता स्वास्थ्य देख–रेख तक पहुंच हेतु प्रभावित करने वाले तथ्यों की स्थिति का आकलन (vi) सेरोगेट के बदलते आयाम एवं चुनौतियों को समझने के लिए अध्ययन (vii) कृषि संकट एवं किसानों की आत्महत्या – स्थानिक राज्यों का अनुभवजन्य अध्ययन– विषय एवं चिंताएं (viii) भारत में स्कूलों में मानव अधिकार शिक्षा : राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन (ix) मानव सूचकांक रिपोर्ट एवं मानव अधिकार सूचकांक।

पूर्ण अधिवेशन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा की गई मौखिक टिप्पणी

2.60 20–21 सितम्बर, 2016 को जिनेवा, स्विट्ज़रलैण्ड में भारत की तृतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

के विचारण हेतु संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् बैठक में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) श्री जे. एस. कोचर ने प्रतिनिधित्व किया। अधिवेशन के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद् के पूर्ण अधिवेशन में एक मौखिक टिप्पणी दी।

प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएं

राष्ट्रीय

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित किए गए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम

2.61 आयोग ने वर्ष 2016–17 के दौरान मानव अधिकारों एवं संबंधित मुद्दों के 125 संस्थानों के 560 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की जिनमें विभिन्न राज्यों जैसे असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं त्रिपुरा में ब्लॉक पंचायत स्तर एवं नगर पंचायत स्तर के लिए मानव अधिकारों संबंधी एक दिवसीय जागरुकता उन्नयन कार्यक्रम शामिल थे। इनमें से 116 प्रशिक्षण कार्यक्रम 98 संस्थानों, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों, प्रशासनिक एवं पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा गैर सरकारी संगठनों द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किए गए। इसके अलावा, वर्ष 2015–16 के लिए स्वीकृत चार संस्थानों के नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित किए गए। इस प्रकार, कुल 102 संस्थानों द्वारा 125 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अंतर्राष्ट्रीय

2.62 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन.एच.आर.आई.) जो सामान्यतः पेरिस सिद्धांतों के अनुसार राष्ट्रीय संस्थानों के स्तर से संबंधित सिद्धांतों के अनुरूप हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानकों के संवर्द्धन एवं मॉनिटरिंग के प्रभावी कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यद्यपि, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि मॉनिटरिंग निकाय तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार तंत्र के माध्यम से प्रत्येक राज्य को पेरिस सिद्धांतों के अनुपालन में स्वतंत्र एन.एच.आर.आई. के प्रभावी एवं स्वतंत्र गठन को प्रोत्साहित करने के साथ–साथ जहां पर भी यह विद्यमान है उन्हें सुदृढ़ किया जाता है। एन.एच.आर.आई. विभिन्न घटकों के साथ समन्वय को प्रोत्साहित करता है जिनमें संयुक्त राष्ट्र खासतौर पर मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय के अलावा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति/आई.सी.सी., जिसे अब गनहरी के नाम से जाना जाता है तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों का एशिया प्रशांत मंच महत्त्वपूर्ण है।

2.63 समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, जो गनहरी का सदस्य तथा ए.पी.एफ. का संस्थापक सदस्य है, ने आयोग में अनेक बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं तथा विदेशी प्रतिनिधिमण्डल के साथ विचार–विमर्श किया।

राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों (गनहरी) के वैश्विक गठबंधन के साथ समन्वय

2.64 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति को गनहरी नाम दिया गया है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के निकाय का प्रतिनिधित्व करता है जिसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य हेतु गठित किया गया है। यह इस भूमिका का निर्वाह संयुक्त गतिविधियों के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को प्रोत्साहित कर तथा इन मानव अधिकार संस्थानों के बीच समन्वय करके, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करके, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय तथा जहां अपेक्षित हो राष्ट्रीय संस्थानों के गठन हेतु सरकारों को सहायता देने के माध्यम से करता है। यह राष्ट्रीय संस्थानों के गठन एवं सुदृढ़िकरण हेतु कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ये पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप हैं। कुल मिलाकर इसकी सभी गतिविधियां तथा इसके अधिकार क्षेत्र, समिति, कार्यकारी समूह आदि में गनहरी लिंग समानता सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत गनहरी का 'ए' स्टेटस मान्यता प्राप्त सदस्य है जिसको पूर्व में 1999 में मान्यता दी गई थी तथा 2006 एवं 2011 में पुनः मान्यता दी गई थी। दिनांक 14 से 18 नवम्बर, 2016 को मान्यता संबंधी उपसमिति सत्र में गनहरी के साथ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत को पुनः मान्यता दी गई।

गनहरी की 29वीं वार्षिक बैठक

2.65 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, वर्ष 2003 तथा 2007 से 2011 में गनहरी ब्यूरो का सदस्य था। दिनांक 21.03.2016 से 23.03.2016 तक जिनेवा में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन संबंधी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की 29वीं वार्षिक बैठक के प्रतिनिधिमंडल की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने की जिसमें महासचिव एवं संयुक्त सचिव भी उपस्थित थे। महासभा में भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र से गनहरी के एक ब्यूरो सदस्य के रूप में चुना गया। इस प्रकार, चार वर्षों के अंतराल के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत एक बार पुनः गनहरी ब्यूरो का सदस्य बन गया जिसमें वर्ष 2016 में आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू को चुना गया। प्रारम्भिक पूर्ण अधिवेशन में न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'व्यवसाय एवं मानव अधिकार' विषय पर उद्बोधन दिया।

2.66 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत के प्रतिनिधिमण्ड़ल, जिसमें न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, अध्यक्ष तथा डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (का. एवं प्रशा.) शामिल थे, ने 14 जून 2016 को दक्षिणी कोरिया, सियोल में वृद्ध लोगों के मानव अधिकारों पर गनहरी विशेष सत्र में भाग लिया। उन्होंने 15–16 जून 2016 को वृद्ध लोगों के मानव अधिकारों पर ए. एस. ई. एम. विशेषज्ञ मंच में भी भाग लिया। न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने विचार–विमर्श के दौरान कहा कि भारत के संविधान के तहत वृद्ध लोगों के कल्याण को अधिदेशित किया गया है, जो उल्लेख करता है कि "राज्य को अपनी आर्थिक क्षमता एवं विकास की सीमाओं के भीतर वृद्ध लोगों के मामलों में लोक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने के प्रभावी प्रावधान करने चाहिए।"

उन्होंने अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत विधिक प्रावधानों एवं विभिन्न सरकारी नीतियों पर भी प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जनसंख्या में बढ़ोतरी तथा वृद्ध व्यक्तियों को सुरक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, गरिमा, समानता एवं आरामदायक जीवन मुहैया कराने में भारत के समक्ष चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला। अध्यक्ष ने मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से भारत में वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु बेहतर प्रयासों एवं आयोग की पहलों पर भी प्रकाश डाला।

2.67 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष ने वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में रा.मा.आ. आयोग भारत की पहलों पर प्रस्तुति करण दिया। प्रस्तुति करण में, दो अन्य महत्वपूर्ण विषय दिए गए जैसे वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहल तथा सर्वोत्तम रीतियां। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पहलों में वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण एवं कल्याण पर कोर समूह गठित करना, वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय नीति हेतु सरकार के दिए गए सुझाव अनुसंधान को प्रोत्साहन, प्रशिक्षण, सम्मेलन एक माध्यम से जागरुकता फैलाने तथा वृद्ध जनों के अधिकारों संबंधी सूचना के व्यापक पहलुओं हेतु प्रकाशन जारी करना सविस्तार किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत की उपरोक्त बेहतर प्रथाओं के विषय में व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली, नियमित रुप से जन सुनवाई एवं शिविर बैठकों का आयोजन, वित्तीय मुआवजा प्रदान करना, मानव अधीकार समर्थकों हेतु कार्यात्मक फोकल प्वाइंट, स्वतः संज्ञान लेना तथा वृद्दाश्रमों की एक अपीलीय अधिकारणों की स्थापना हेतु निर्देश जारी करना मेडिकल कॉलेजों में जीरोन्टोलॉजी में एमडी पाठ्यक्रम की शुरुआत, विशेष संपर्ककर्ताओं की नियुक्ति तथा आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों पर राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगना शामिल हैं।

2.68 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, श्री एस.सी.सिन्हा, सदस्य तथा डॉ एस.एन. मोहन्ती, महासचिव ने 6.3.2017 से 9.3.2017 तक जिनेवा स्विटजरलैण्ड में गनहरी ब्यूरों बैठक, जानकारी आदान–प्रदान महासभा वार्षिक सम्मेलन, रा.मा. संस्थाओं के राष्ट्रकूट मंडल की एक दिवसीय बैठक तथा यूनीसेफ द्वार राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान एवं बच्चों के अधिकारों पर आयोजित समारोह मे शिरकत की।

2.69 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने 'भारत में वृद्धजनों के अधिकार' विषय पर ढाई मिनट की लघु फिल्म प्रदर्शित की। फिल्म में एक वृद्ध महिला की दुर्दशा को दर्शाया गया है जो बिल्कुल अकेली है जो डरने के बजाए उसके सदमें से चोर को देख कर हंसती है। फिल्म में यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि वृद्ध व्यक्ति को न केवल वित्तीय जरुरतें होती है बल्कि उन्हें परिवार के सदस्यों द्वारा प्यार एवं देख रेख का भी अधिकार होता है, जो उन्हें छोड़ जाते हैं तथा कभी–कभी मिलते हैं।

अन्य अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भागीदारी

2.70 काठमांडु, नेपाल में दिनांक 26–4–2016 से 28–4–2016 खओ एशिया प्रशांत मंच संचार नेटवर्क कार्यशाला में सहायक निदेशक (प्रकाशन) श्री यू.एन.सरकार ने भाग लिया।

2.71 श्रीमती छाया शर्मा, उपमहानिरीक्षक (अन्वेषण) ने 2.5.2016 से 3.5.2016 को बैंकॉक, थाईलैण्ड में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समिति में उठाए गए विषयों के फालोअप हेतु बैठक, पीड़ितों के न्याय प्राप्त करने से पहले, दैरान एवं बाद की पहुंच हेतु रा०मा० संस्थान प्रक्रिया पर राओल वॉलेनबर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एवं ह्यूमेनेलेरियन लॉ द्वारा आयोजित साइड–इवेंट की 29वीं बैठक में भाग लिया।

2.72 श्रीमती सुमेधा द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (अन्वेषण) ने 25.5.2016 से 27.5.2016 तक बेलफास्ट, आयरलैण्ड में ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी अपरोच ऑफ औम्बड्समेन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जो उत्तरी आयरलैण्ड ओम्बर्डमेन तथा उत्तरी आयरलैण्ड मानव अधिकार आयोग द्वार संयुक्त रुप से आयोजित था, में भाग लिया।

2.73 श्री नितिन कुमार, निरीक्षक ने कुआलालंपुर, मलेशिया में, 6.6.2016 से 10.6.2016 तक उत्पीड़न के आरोपों की जांच संबंधी फेस–टू–फेस प्रशिक्षण कार्यशाला, जो रा०मा०संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच ने एसोशिएशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टार्चर तथा उत्पीडितों हेतु अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास परिषदके सहयोग से आयोजित की थी, में भाग लिया।

2.74 श्री संजय कुमार जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक –1 ने 21.6.2016 से 23.6.2016 को ओसलो, नॉर्वे में मृत्युदंड विषय पर आयोजित विश्व कांग्रेस में भाग लिया।

2.75 डॉ. एस.एन. मोहंती, महासचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2.6.2016 से 3.6.2016 को काठमांडू, नेपाल में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के संयुक्त एक्शन के माध्यम से बाल विवाह की समाप्ति हेतु प्रयासों को बढ़ाने संबंधी सम्मेलन मे भाग लिया।

2.76 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष एवं डॉ रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (का० एवं प्रशा०) ने सिओल, कोरिया में 14.6.2016 से 16.62016 तक वृद्ध लोगों के मानव अधिकारों संबंधी गनहरी विशेष सत्र तथा वृद्ध लोगों के मानव अधिकारों संबंधी ए.एस.ई.एम. विशेषज्ञ कोरम में भाग लिया।

2.77 डॉ. संजय दुबे, निदेशक (प्रशासन) ने बैंकॉक, थाइलैण्ड में 26.09.2016 से 30.09.2016 तक एन.एच.आर.आई. के एशिया प्रशांत मंच द्वारा आयोजित फेस टू फेस ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑन ह्यूमन राइट्स एज्युकेशन ब्लैंडेड लर्निंग कोर्स में भाग लिया।

2.78 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष तथा डॉ. एस.एन. मोहंती, महासचिव ने 12.10.2016 से 14. 10.2016 तक बर्लिन, जर्मनी में आयोजित गनहरी ब्यूरो बैठक में भाग लिया।

2.79 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू तथा न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन तथा श्री सुनील अरोड़ा, प्रभारी संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने 26.10.2016 से 27.10.2016 तक बैंकॉक, थाइलैण्ड में राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की 21वीं वार्षिक महासभा में भाग लिया।

2.80 श्री ख्वाजा ए. हफीज़, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) ने 26.11.2016 तथा 27.11.2016 को काबुल, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान इंडिपेंडेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आयोजित मानव अधिकार एवं सस्टेनेबल डवलपमेंट गोल पर सम्मेलन में भाग लिया।

2.81 श्री सी.एस.मावड़ी, सहायक रजिस्ट्रार (विधि) तथा श्री एस. के. गाबा, अनुभाग अधिकारी ने कोलंबो, श्रीलंका में 12.12.2016 से 16.12.2016 तक फेस टू फेस ट्रेनिंग वर्कशॉप ऑफ ब्लैंडेड लर्निंग कोर्स ऑन सेक्सुअल ओरियेंटेशन, जेंडर आइडेंटिटी एण्ड सेक्स कैरेक्टरस्टिक्स में भाग लिया।

2.82 श्री जे. एस. कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) ने 30.01.2017 से 31.01.2017 तक बैंकॉक, थाइलैण्ड में 'कपड़ा उद्योग एवं व्यवसाय तथा मानव अधिकार–अंतराल को कम करना' विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया।

आयोग में विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार-विमर्श

2.83 मिस लीलानी फ़रहा, विशेष संपर्ककर्त्ता, ओ.एच.सी.एच.आर. ऑन एडिक्वेट हाउसिंग ने दिनांक 11.04.2016 को उचित आवास के अधिकार के संवर्द्धन एवं संरक्षण से संबंधित विषयों पर परिक्षण/विचार–विमर्श करने तथा जीवन–यापन के उचित मानक के अधिकार के बीच संबंध ढूंढने, जिसमें आवास एक केंद्रीय पहलू है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया।

2.84 श्रीमती एनी मार्कल, फर्स्ट काउंसलर, हेड ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स, ई.यू. ने 9 मई, 2016 को आयोग के महासचिव डॉ. एस. एन. मोहन्ती के साथ बैठक करने के लिए आयोग का दौरा किया। इस बैठक में ई.यू. पॉलिटिकल काउंसलर से 11 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2.85 न्यायमूर्ति स्टैला अराच अमोको, लॉ डवलपमेंट सेंटर मैनेजमेंट कमैटी, युगांडा के अध्यक्ष वाले 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें लॉ डवलपमेंट सेंटर, युगांडा के उच्चतम न्यायालय से एक न्यायधीश भी शामिल थे, ने 19.10.2016 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का दौरा किया तथा आयोग के कार्यों पर चर्चा करने हेतु अध्यक्ष, सदस्यगण एवं महासचिव से मुलाकात की।

2.86 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बांग्लादेश के सात सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जिसमें मो. नज़रूल इस्लाम, पूर्णकालिक सदस्य, प्रो. मेघना गुहाठाकुरता, मानद सदस्य, श्री इलामुल हक़ चौधरी, मानद सदस्य, प्रो. अख्तर हुसैन, मानद सदस्य, बेगम नूरुन नाहेर ओसमानी, मानद सदस्य, हिरण्मया बराई, सचिव, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, बांग्लादेश, सुश्री लुबना यासिम, यू.एन.डी.पी. से प्रतिनिधि ने 23.11.2016 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत का दौरा किया तथा 21 से 22 नवम्बर, 2016 को अन्य आयोगों का दौरा विभिन्न स्रोतों से विचार एकत्रित करने एवं अनुभव साझा करने के लिए किया। प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत, जिसे वे एशिया पेसिफिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण मानते हैं, के प्रक्रिया एवं व्यवसाय, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, मामलों की सुनवाई, प्रशासनिक प्रक्रियाएं आदि को सीखने के प्रति इच्छा व्यक्त की।

अध्याय-3

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग : संगठन तथा कार्य

3.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर, 1993 को संसद के एक अधिनियम, नामतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के द्वारा हुआ था। इस अधिनियम को अधिनियमित करने का कारण 'मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण एवं संवर्द्धन' था। यह एक ऐसा संस्थान है जो न्यायपालिका का अनुपूरक है और देश में लोगों के सांविधिक रूप से निहित मानव अधिकारों की रक्षा एवं संवर्द्धन में लगा हुआ है।

3.2 अधिनियम के अनुसार 'मानव अधिकार' का अर्थ है 'संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं में सन्निहित और भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय जीवन, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति विशेष की गरिमा संबंधी अधिकार'। "अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाओं" का अर्थ है सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृंतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदाएं; महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय; बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और हर प्रकार के नृजातीय भेदभाव का उन्मूंलन संबंधी अभिसमय। भारत सरकार ने वर्ष 1979 में सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा को स्वीकार किया था। भारत सरकार ने वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति होने वाले हर प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन संबंधी अभिसमय, वर्ष 1991 में बच्चों के अधिकार संबंधी अभिसमय और वर्ष 1968 में हर प्रकार के नृजातीय भेदभाव का उन्मूमलन संबंधी अभिसमय की अभिपुष्टि की। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान उन सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखता है जिनका उल्लेख उपरोक्त संविदाओं में किया गया है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा और आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृंतिक अधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक संविदा में उल्लिखित कई अधिकार भारतीय नागरिकों को उसी समय उपलब्ध हो गए थे जब भारत स्वतंत्र हुआ था क्योंकि यह अधिकार प्रमुख रुप से संविधान के भाग III और भाग IV में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जैसे शीर्ष के तहत दिए गए हैं।

3.3 आयोग को 'स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वायत्तता और व्यापक अधिदेश' उपलब्ध कराना निर्विवादित रूप से मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की सबसे बड़ी ताकत रही है, जो कि पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के गठन और उचित कार्यकरण के लिए आवश्यक है। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकारों के संवर्द्धन और संरक्षण के संबंध में भारत की चिंता का मूर्त रूप है।

3.4 अपने अस्तित्व से लेकर अब तक भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अनुभव ने यह दर्शाया है कि इसकी संरचना, नियुक्ति प्रक्रिया, अन्वेषण संबंधी शक्तियां, कार्यों का व्यापक विस्तार तथा विशेषज्ञ प्रभाग एवं स्टॉफ से संबंधित स्वतंत्रता और मजबूती, सांविधिक अपेक्षताओं द्वारा गारंटीकृत हैं।

संगठन

3.5 आयोग में एक अध्यक्ष, चार पूर्ण कालिक सदस्य तथा चार मनोनीत सदस्य हैं। संविधि में आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए अहर्ताएं निर्धारित की गई हैं।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संगठन

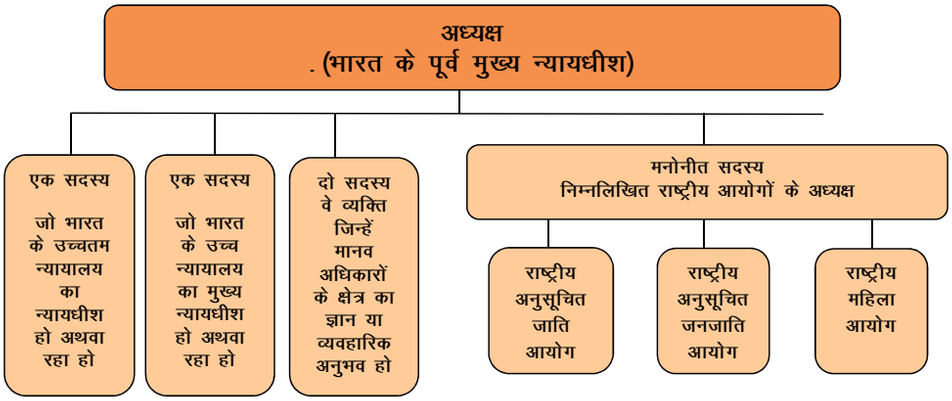

3.6 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, लोकसभा तथा राज्य सभा में विपक्ष के नेता तथा राज्य सभा के उपसभापति से गठित एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन समिति

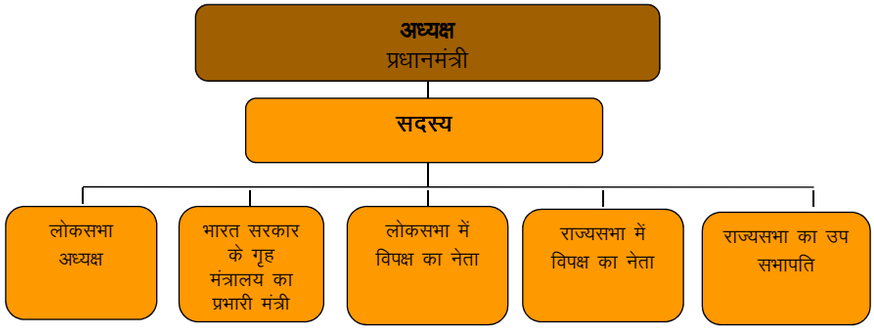

3.7 आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की अर्हताओं से संबंधित सांविधिक अपेक्षाओं के साथ–साथ एक उच्च स्तरीय एवं राजनीतिक रूप से संतुलित समिति द्वारा उनके चयन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की कार्यप्रणाली को एक उच्च स्तरीय स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

3.8 आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी महासचिव होता है जो भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है। आयोग का सचिवालय, महासचिव के सम्पूर्ण दिशानिर्देशों के तहत कार्य करता है।

जांच से संबधित शक्तियां

3.9 आयोग को कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत वे सभी शक्तियां प्राप्त हैं जो सिविल कोर्ट किसी वाद के विचारण के समय अपनाता है, विशेष रूप से गवाहों की उपस्थिति हेतु समन करने तथा हाजिर करने तथा शपथ पर उनकी जांच करने; हलफ़नामे पर साक्ष्य प्राप्त करने; किसी पब्लिक रिकॉर्ड को मांगने अथवा किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से उनकी प्रति मांगने; तथा निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले के संबंध में। उल्लंघन के मामले में आयोग संबद्ध सरकार से उपचारी उपाय करने तथा पीड़ित अथवा मृतक के निकटतम संबंधी को मुआवज़ा देने के लिए कहता है तथा लोक सेवकों को उनके दायित्व एवं बाध्यताओं की भी याद दिलाता है। मामलें के अनुसार यह अभियोजन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करता है अथवा संबद्ध व्यक्ति(यों) के विरुद्ध जो भी उचित कार्यवाही हो करने का निदेश देता है।

3.10 गंभीर मामलों में स्वतः संज्ञान लेना एक ऐसी अन्य महत्वंपूर्ण विशेषता जिसका यह अधिकतम उपयोग करता है, ऐसा यह समाचार–पत्रों तथा मीडिया की रिपोर्टों के आधार पर करता है।

कार्यों का वृहत दायरा

3.11 आयोग का अधिदेश बहुत व्यापक हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 12 में दिए गए आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:–

- स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या किसी न्यायालय के निदेश पर आयोग को प्रस्तुत की गई याचिका पर (1) मानव अधिकारों का अतिक्रमण या दुष्प्रेरण किए जाने की; या (2) ऐसे अतिक्रमण के रोकने में किसी लोकसेवक द्वारा की गई उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना।
- किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही में, जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन का कोई आरोप शामिल है, उस न्यायालय के अनुमोदन से हस्तक्षेप करना।
- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में निहित किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां व्यक्ति उपचार, सुधार या संरक्षण के प्रयोजनों के लिए निरुद्ध या दाखिल किए जाते हैं, वहां के संवासियों के जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने हेतु और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने हेतु वहां का दौरा करना।
- मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उपबंधित रक्षोपायों का पुनर्वलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना।

- आतंकवाद के कारनामे सहित ऐसे कारकों की पुनरीक्षा करना जो मानव अधिकारों के उपभोग में विघ्न डालती हैं और समुचित उपचारी उपायों की सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों से संबंधित संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना।
- समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशनों, मीडिया, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरुकता का संवर्द्धन करना।
- मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों और संस्थानों के प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- ऐसे अन्य कार्य करना, जो मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए इसके द्वारा आवश्यक समझा जाए।

विशेषज्ञ प्रभाग तथा स्टॉफ

3.12 आयोग के पांच प्रभाग हैं, वे हैं – (i) विधि प्रभाग, (ii) अन्वेषण प्रभाग, (iii) नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग, (iv) प्रशिक्षण प्रभाग, तथा (v) प्रशासनिक प्रभाग।

3.13 आयोग का विधि प्रभाग पीड़ित अथवा उसकी तरफ से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतों पर अथवा हिरासतीय मृत्यु, हिरासत में बलात्कार, पुलिस कार्रवाई में मौत के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होने पर दर्ज लगभग 1 लाख मामलों का पंजीकरण तथा निपटारा करता है। प्रभाग को पुलिस/न्यायिक हिरासत में मौत, रक्षा/अर्द्ध सैनिक बलों की हिरासत में मौत के संबंध में भी सूचना प्राप्त होती है। वर्ष 2016–17 के दौरान 91,887 शिकायतें आयोग में प्राप्त हुईं। आयोग में प्राप्त सभी शिकायतों को एक डायरी सं. दी जाती है तथा उसके बाद शिकायत प्रबंधन एवं सूचना प्रणाली (सी.एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर, जिसे विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए बनाया गया है, का प्रयोग करके उनकी छान–बीन की जाती है तथा प्रक्रिया शुरू की जाती है। शिकायत का पंजीकरण करने के पश्चात् उन्हें आयोग के समक्ष उसके निर्देशों के लिए रखा जाता है तथा उसके अनुसार, प्रभाग द्वारा उन मामलों में अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है, जब तक उनका अंतिम रूप से निपटारा नहीं हो जाता। महत्त्वपूर्ण प्रकृति के मामलों को पूर्ण आयोग द्वारा उठाया जाता है तथा पुलिस हिरासत अथवा पुलिस कार्रवाई में मौत से संबंधित मामलों पर खंड पीठों द्वारा विचार किया जाता है। कुछ मामलों पर खुली अदालती सुनवाई में आयोग की बैठकों में विचार किया जाता है। यह प्रभाग लंबित शिकायतों के निपटान में तेजी लाने तथा मानव अधिकार के मुद्दों पर राज्य प्राधिकारियों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से राज्य की राजधानियों में शिविर बैठकों का भी आयोजन करता रहा है। आयोग देश में अनुसूचित जातियों पर होने वाले अत्याचार के संबंध में खुली सुनवाई भी आयोजित कर रहा है ताकि अनुसूचित जातियों के प्रभावित व्यक्तियों से सीधे सम्पर्क स्थापित हो सके। आयोग मानव

अधिकारों की बेहतर सुरक्षा और संवर्द्धन के लिए उसे संदर्भित विभिन्न विधेयकों/ प्रारूप विधानों पर भी अपनी राय/विचार देता है। विधि प्रभाग ने "एनएचआरसी एण्ड एचआरडी" 'बढ़ता समन्वय' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन किया है। इस प्रकाशन को समाज के विभिन्न' वर्गों से उत्साहवर्धक फीडबैक प्राप्त हो रहे हैं। मानव अधिकार संरक्षक जो एचआरडी से सम्पंर्क करते हैं, उनके लिए एचआरडी (i) मोबाइल न. 9810298900, (ii) फैक्स न. 24651334 तथा (iii) ई–मेलः hrd-nhrc@nic-in के जरिए 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं।

3.14 इस प्रभाग का मुख्य अधिकारी रजिस्ट्रार (विधि) है, जिसकी सहायता के लिए प्रजेंटिंग अधिकारी, एक संयुक्त रजिस्ट्रार तथा कई उप रजिस्ट्रार, सहायक रजिस्ट्रार, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालय स्टाफ होते हैं।

3.15 अन्वेषण प्रभाग का मुखिया पुलिस महानिदेशक की श्रेणी का अधिकारी होता है इसमें एक उप–महानिरीक्षक एवं तीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं। प्रत्येक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अन्वेषण अधिकारियों (इसमें उप अधीक्षक एवं निरीक्षक शामिल हैं) के समूह का मुखिया है। अन्वेषण अनुभाग के कार्य बहुमुखी हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

(क) स्थल निरीक्षणः राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की ओर से पूरे देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों का स्थल निरीक्षण तथा उचित कार्यवाही की संस्तुति करता है। अन्वेषण अनुभाग द्वारा किए गए स्थल निरीक्षण से न केवल आयोग के समक्ष सत्य प्रस्तुत होता है बल्कि इससे सभी संबंधितों–शिकायतकर्त्ताओं, लोक सेवकों आदि को एक संदेश भी जाता है। आयोग स्थल निरीक्षण का आदेश विभिन्न लोक प्राधिकारियों को भिन्न–भिन्न मामलों जैसे पुलिस द्वारा अवैध नज़रबन्दी, अतिरिक्त न्यायिक हत्या तथा अस्पतालों में सुविधाओं की कमी जिससे मौतों को रोका जा सकता हो, देता है। स्थल निरीक्षण से आम जनता के बीच विश्वास में बढ़ोतरी होती है तथा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रति उनका विश्वास भी बढ़ता है। अन्वेषण अनुभाग मामलों के मॉनिटरिंग के अलावा मामलों में परामर्श/विश्लेषण, जहां भी किया जाए, अपनी टिप्पणी एवं सुझाव भी देता है।

(ख) अभिरक्षा में मौतः आयोग द्वारा राज्य प्राधिकारियों के लिए जारी दिशा–निर्देश के अनुसार अभिरक्षा (चाहे वह पुलिस अथवा न्यायिक अभिरक्षा हो) में हुई मौत के मामले में आयोग को 24 घण्टे के भीतर सूचित करना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग पुलिस तथा न्यायिक अभिरक्षा में मौत के साथ–साथ पुलिस मुठभेड़ों में हुई मौतों के संबंध में राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनाओं तथा रिपोर्टों का विश्लेषण करता है। अन्वेषण अनुभाग इस प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करके रिपोर्टों का विश्लेषण मानव अधिकारों के उल्लंघन होने का पता लगाने के लिए करता है। अपने विश्लेषण को अधिक व्यवसायिक एवं उचित बनाने की दिशा में अन्वेषण अनुभाग राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के फॉरेंसिक विशेषज्ञों के पैनल की मदद लेता है।

(ग) तथ्य अन्वेषण मामलेः अन्वेषण अनुभाग विभिन्न प्राधिकारियों से मामले में तथ्य अन्वेषण रिपोर्ट जैसा कि आयोग द्वारा निर्देशित हो, की मांग करता है अन्वेषण अनुभाग आयोग को यह बताने में सहायता करने के लिए कि क्या कोई मानव अधिकार उल्लंघन हुआ है अथवा नहीं इन रिपोर्टों

का गहनता से विश्लेषण करता है। ऐसे मामले जहां प्राप्त रिपोर्ट भ्रामक अथवा वास्तविक नहीं है, आयोग इन पर भी स्थल निरीक्षण का आदेश देता है।

(घ) **प्रशिक्षणः** अन्वेषण अनुभाग के अधिकारी मानव अधिकार साक्षरता एवं मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु उपलब्ध सुरक्षा उपायों की जागरुकता फैलाने के लिए जहां भी उन्हें आमंत्रित किया जाता है उन प्रशिक्षण संस्थानों एवं अन्य मंचों में व्याख्यान देते हैं।

(ङ) **रैपिड एक्शन सेलः** वर्ष 2007 से अन्वेषण अनुभाग आयोग में रैपिड एक्शन सेल बनाने के लिए प्रयासरत है। आर.ए.सी. मामलों के तहत अन्वेषण अनुभाग उन मामलों पर विचार करता है जो अतितत्काल प्रकृति के हों जैसे अगले ही दिन बाल विवाह होने की संभावना हो; शिकायतकर्त्ता को यह भय हो कि उसके रिश्तेदार अथवा दोस्त को पुलिस द्वारा उठाकर फर्जी मुठभेड़ में मार दिया जाएगा आदि। समग्र रूप से इस प्रकार के मामले अन्वेषण अनुभाग आयोग द्वारा तत्काल अनुवर्तन हेतु उठाता है। इसमें प्राधिकारियों/शिकायतकर्त्ताओं से तथ्य प्राप्त करने शिकायतकर्त्ता को विभिन्न प्राधिकारियों का संदर्भ देने तथा त्वरित रूप से उनके जवाब भेजने के लिए कहने के लिए उनसे टेलीफोन पर व्यक्तिगत रूप से बात करना भी शामिल है। 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान अन्वेषण अनुभाग ने ऐसे 307 रैपिड एक्शन मामलों का निपटान किया जहां आयोग द्वारा तत्काल हस्तक्षेप उपलब्ध था जिससे न केवल मानव अधिकारों के उल्लंघन की रोकथाम हो सके बल्कि अनेक मामलों में मानव जीवन एवं स्वतंत्रता को खतरा भी था।

(च) **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु वाद–विवाद प्रतियोगिताः** मानव अधिकारों की जागरुकता एवं इनके प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु अन्वेषण अनुभाग नियमित रूप से वर्ष 1996 से प्रतिवर्ष वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करता आ रहा है। यही नहीं वर्ष 2004 से, जैसा कि माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया था, पूरे देश में सी.ए.पी.एफ. की बड़ी संख्या में भागीदारी हेतु अंतिम प्रतियोगिता के लिए रनअप के रूप में ज़ोनवार वाद–विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है। ज़ोनल प्रतियोगिताओं के दौरान चुनी गई टीम को सेमीफाइनल तथा फाइनल राउण्ड के लिए केन्द्र में आयोजित प्रतियोगिता के लिए चुना जाता है। प्रतिवर्ष इसमें अभूतपूर्व प्रतिभागिता एवं वाद–विवाद का सर्वोत्तम स्तर देखने को मिलता है।

(छ) **राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों हेतु वाद–विवाद प्रतियोगिताः** पुलिस आज उनके दायित्वों के निर्वहन में मानव अधिकारों के सिद्धांतों को मानने के लिए कर्त्तव्यबाधित है। मानव अधिकारों के दृष्टिकोण से पुलिस बल में निम्न एवं मध्य स्तर अत्यधिक प्रभावित है क्योंकि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय प्रत्यक्ष रूप आम जनता के संपर्क में आते हैं। वर्ष 2004 से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण अनुभाग द्वारा पुलिस कार्मिकों के बीच मानव अधिकार जागरुकता के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है जिसके लिए राज्य पुलिस बल कार्मिकों के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने हेतु राज्य/संघ शासित क्षेत्र को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्तमान में आयोग राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु ₹15000/– की राशि प्रदान करता है।

(ज) **नज़रबंदी के स्थानों का दौराः** जेलों एवं अन्य संस्थानों जहां लोगों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के उद्देश्य से नज़रबंद अथवा बंद करके रखा जाता है, उनमें जीवन–यापन की दशाओं

से संबंधित बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं। अन्वेषण अनुभाग के जांच अधिकारी जब भी आयोग द्वारा निर्देश दिया जाता है, विभिन्न राज्यों में जेलों एवं अन्य संस्थानों का दौरा करते हैं तथा विशेष आरोपों के संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने के लिए अथवा कैदियों की सामान्य दशाओं अथवा मानव अधिकारों पर आधारित संवासियों की दशाओं जिसपर आयोग द्वारा अनुवर्तन आवश्यक हो, से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

3.16 नीति अनुसंधान, परियोजना तथा कार्यक्रम प्रभाग (पी.आर.पी.एंड.पी.), मानव अधिकारों पर अनुसंधान करता है तथा उनका प्रचार करता है तथा महत्त्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दों पर सम्मेलन, सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करता है। जब कभी भी आयोग, अपनी सुनवाई, कार्रवाईयों या अन्यथा इस निर्णय पर पहुंचता है कि कोई विशेष विषय महत्वपूर्ण है, तो उसे पी.आर.पी. एण्ड पी. प्रभाग द्वारा संचालित किए जाने वाले एक परियोजना/कार्यक्रम में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु प्रचलित नीतियों, कानूनों, संधियों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों की पुनरीक्षा करता है। यह प्रभाग, केन्द्र, राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र के प्राधिकारियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही आयोग की सिफारिशों की मॉनीटरिंग में सहायता करता है। यह प्रभाग, मानव अधिकार साक्षरता के विस्तार तथा मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों के बारे में जागरुकता का प्रसार करने में भी प्रशिक्षण प्रभाग की सहायता करता है। प्रभाग का कार्य संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) तथा संयुक्त सचिव (कार्यक्रम एवं प्रशासन), एक निदेशक/संयुक्त निदेशक, एक वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, अनुसंधान परामर्श, अनुसंधान एसोसिएट, अनुसंधान सहायक तथा अन्य सचिवालय स्टॉफ द्वारा देखा जाता है।

3.17 प्रशिक्षण प्रभाग, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकार साक्षरता का विस्तार करने के लिए उत्तरदायी है। अतः यह प्रभाग मानव अधिकारों के विभिन्न मुद्दों के बारे में राज्य के विभिन्न सरकारी अधिकारियों तथा कार्यकर्त्ताओं तथा राज्य की एजेंसियों, गैर सरकारी अधिकारियों, सिविल सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देता है और उन्हें सुग्राही बनाता है। इसके लिए यह प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों/पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के साथ सहयोग करता है। इसके अलावा यह प्रभाग, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए इन्टर्नशिप प्रोग्राम भी आयोजित करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) होता है जिसकी सहायता के लिए वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रशि.), एक सहायक तथा अन्य सचिवालयीय स्टाफ होता है।

3.18 प्रशासनिक प्रभाग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की स्थापना, प्रशासनिक एवं संबंधित जरूरतों को पूरा करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग कार्मिकों, लेखों, पुस्तकालय तथा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिकारियों तथा स्टाफ के सदस्यों की अन्य जरूरतों को भी पूरा करता है। प्रभाग का अध्यक्ष एक संयुक्त सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन) होता है तथा उसकी सहायता के लिए एक निदेशक/उप सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी तथा अन्य सचिवालयीय स्टॉफ होते हैं।

3.19 प्रशासनिक प्रभाग के तहत मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन यूनिट का कार्य प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की गतिविधियों से संबंधित जानकारी का प्रचार करना है। यह प्रभाग 'मानव अधिकार' नामक एक द्विभाषीय मासिक न्यूजलैटर तथा आयोग के अन्य प्रकाशनों का प्रकाशन करता है। इसके अलावा, यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों तथा अपीलों को भी देखता है।

विशेष बिन्दु

3.20 विशेष प्रतिवेदकों की नियुक्ति तथा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों के गठन द्वारा आयोग की पहुंच में काफी विस्तार हुआ है। आयोग ने अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए पारदर्शी प्रणाली तथा प्रक्रियाएं तैयार की है। आयोग ने विनियम तैयार करते हुए अपने काम–काज के प्रबंधन के लिए प्रक्रियाएं तैयार की हैं।

अध्याय-4

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार

क. आतंकवाद एवं उग्रवाद

4.1 भारत आज आतंकवाद एवं उग्रवाद से लड़ते हुए मानव अधिकारों की रक्षा की भयावह चुनौती का सामना कर रहा है। निर्दोष, निहत्थे एवं अरक्षित लोगों को निशाना बना कर जारी आतंकवाद के भयावह परिदृश्य में मानव अधिकारों की रक्षा का काम और भी चुनौतीपूर्ण हो गया है।

4.2 एक शांत समाज न्याय एवं राज्य के उत्तरदायित्व के खंभों पर टिका होता है। आतंकवाद जैसे विवादित मुद्दे से निपटते समय न्याय की चिंता अत्यिधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। आंतकवाद से जुड़े अधिकांश त्रासदियों में ज्यादातर आम लोगों के अधिकारों का हनन होता है।

4.3 आतंकवादियों एवं नक्सलवादियों की गतिविधियों में बढ़ोतरी से सुरक्षा बलों की भूमिका और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। साथ ही उन्हें घरेलू अशांति को रोकने, महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा जब कभी जरूरत हो कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुलाया जाने लगा है।

4.4 आयोग का यह दृढ़ मत है कि मानव अधिकारों का समुचित पालन करने से शांति एवं सुरक्षा बहाल करने में कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि, शांति एवं सुरक्षा कायम रखने तथा आंतकवाद को पराजित करने की किसी भी सार्थक रणनीति में यह एक आवश्यक घटक है। अतः आतंकवाद विरोधी उपायों का उद्देश्य प्रजातंत्र, विधि का शासन एवं मानव अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे समाज के साथ–साथ संविधान का भी मुख्य मूल्य है।

4.5 आयोग ने समय–समय पर इस बात को दोहराया है कि आतंकवाद एक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जो लोगों को भय से मुक्त रहने के अधिकार को नष्ट कर देता है। आतंकवाद का उद्देश्यों लोकतंत्र के ढ़ांचे को ही खत्म करना है। आज के समय में यह मानवता के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में उभर कर सामने आया है। आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक लड़ाई में भारत महत्वपूर्ण बना हुआ है। यह लगभग 50 वर्षों से आतंकवाद से लड़ता आया है तथा अपनी सफलता एवं असफलता से इसने काफी कुछ सीखा है। आयोग की कोशिश आतंकवाद से लड़ने में सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान करना है। साथ ही, आयोग ने इस बात पर हमेशा बल दिया है कि ऐसा करते समय हमारा दृष्टिकोण मानवीय, तार्किक एवं धर्मनिरपेक्ष हो।

(ख) हिरासत में हिंसा एव प्रताड़ना

4.6 देश में हिरासतीय हिंसा और प्रताड़ना अनियंत्रित रूप से जारी है। यह उन लोक सेवकों, जिनके ऊपर कानून को लागू करने की जिम्मेवारी है, के द्वारा किए जाने वाले ज्यादती के भयावह रूप को प्रस्तुत करता है। आयोग बलात्कार, छेड़–छाड़, यातना, पुलिस हिरासत में फर्जी मुठभेड़ जैसे अपराधों को पीड़ितों के कमजोर एवं मूक वर्गों के मानव अधिकारों की रक्षा करने में व्यवस्थाजनिक असफलता का परिचायक मानता है। इसलिए आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इस तरह के अवैध व्यवहारों को रोका जाए तथा सभी मामलों में मानव गरिमा का सम्माहन हो। पीड़ितों अथवा उनके निकट संबंधी को मुआवजे की सिफारिश के अतिरिक्त आयोग का प्रयास उस माहौल को खत्म करने की दिशा में भी जारी है, जिसमें पुलिसवाले, लॉकअप एवं जेल की चारदिवारी के अंदर, जहां पीड़ित असहाय होता है, "यूनिफार्म" एवं "अधिकार" के आवरण तले मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है।

4.7 आयोग ने इस संबध में विभिन्न दिशानिर्देश जारी किए हैं। ऐसा ही एक दिशानिर्देश यह है कि हिरासत में होने वाली मौत की सूचना 24 घंटे के भीतर आयोग को देनी होती है। हालांकि हिरासत में होने वाली सभी मौतें अपराध अथवा हिरासत में हिंसा अथवा चिकित्सा लापरवाही का परिणाम नहीं हो सकती है, यह महत्त्वपूर्ण है कि बिना गहन जांच तथा जांच रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट, मजिस्ट्रेरियल जांच रिपोर्ट आदि जैसी रिपोर्टों के विश्लेषण के कोई धारणा न बनाई जाए। इसलिए राज्य प्राधिकारियों द्वारा आयोग के दिशानिर्देशों का अनुपालन हिरासत में होने वाली मौतों की घटनाओं पर नियंत्रण रखने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहरहाल यह पाया गया कि कुछ मौतों की सूचना काफी विलंब से की जाती है तथा कई मामलों में संबंधित प्राधिकारियों को सशर्त समन जारी करने के बाद ही आयोग को रिपोर्ट भेजी जाती है।

4.8 वर्ष 2016–17 में जांच प्रभाग ने हिरासत में मौत के कुल 4,851 मामलों का निपटारा किया है, जिनमें न्यायिक हिरासत में मौत के 4,356 मामले तथा पुलिस हिरासत में मौत के 495 मामले शामिल हैं। प्रभाग ने सुरक्षा बलों एवं पुलिस के साथ मुठभेड़ में मौत के 178 मामलों का भी निपटारा किया।

ग. महत्वपूर्ण दृष्टांत मामले

क) हिरासत में मौत

न्यायिक हिरासत

1. *पुलिस थाना केन्द्रीय फरीदाबाद हरियाणा की हिरासत में दिनांक 18.08.2015 को अभियुक्त मदन (23 वर्षीय) की मौत*

   (मामला संख्या 7030/7/3/2015–पी.सी.डी.)

4.9 आयोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 23 वर्षीय मदन नामक व्यक्ति को फरीदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 18.8.2015 को रात्रि 12:40 पर चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के एकदम बाद उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया तथा उसे नज़दीकी बादशाह खान अस्पताल, फरीदाबाद ले जाया गया। जहां प्रातः 4:40 पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

4.10 आयोग ने राज्य प्राधिकारियों से मामले में प्राप्त सभी रिपोर्टों की जांच की जिसमें यह पाया गया कि मदन को दिनांक 18.08.2015 को रात्रि 12:40 पर गिरफ्तार किया गया था। उसे गिरफ्तारी के चार घण्टे के भीतर ही प्रातः 4:40 पर मृत घोषित किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड में गिरफ्तारी का कोई समय नहीं दर्शाया गया। इसके अलावा गिरफ्तारी के तुरन्त बाद उसकी मेडिकल जांच भी नहीं की गई थी। इनक्वैस्ट कार्यवाही के दौरान मृतक के शरीर पर 15 चोटें पाई गई थी तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 11 चोटें पाई गई थीं जो अस्पष्ट थीं। राज़नामचा की प्रति में खुलासा हुआ कि 17.08.2015 को हैड कांस्टेबल संदीप ने मामला अन्वेषण क्र.सं. 13 का रात्रि 10:30 में अपना प्रस्थान दर्ज किया था। मदन की गिरफ्तारी एवं मृत्यु की सूचना दिनांक 18.08.2015 को सांय 3:30, राजनामचा संख्या 3 में दर्ज किया गया था, जो मृत्यु के 11 घण्टे बाद का समय है। मृतक की मां ने आरोप लगाया था कि उनके बेटे को उसकी मौत से 7 दिन पहले मुनिरका बस स्टैण्ड से दिनांक 11.08.2015 को उठाया गया था। मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट के अनुसार पुलिस अधिकारियों के परिवहन के साधन, गिरफ्तारी के समय आदि से संबंधित बयानों में परस्पर विरोधाभास थे। मजिस्ट्रेट के अनुसार, इन बयानों में इस प्रकार के विरोधाभास मौत के बाद के कुछ घण्टों में रिकॉर्ड किए गए जिससे पुलिस के दुराचार को ढकने के लिए जान–बूझकर झूंठी कहानियां गढ़ने का पता चलता है। अतः जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष दिया कि अभियुक्त मदन की मौत पुलिस हिरासत में उसको आई हुई चोटों के कारण हुई। जांच मजिस्ट्रेट के तथ्यों के आधार पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध पुलिस थाना, केन्द्रीय फरीदाबाद में भा.द.सं. की धारा 302/343/34 के तहत दिनांक 13.04.2016 को मामला एफ.आई.आर. संख्या 134/16 दर्ज की गई तथा अपराध शाखा द्वारा जांच की गई थी।

4.11 आयोग को यह जानकर गहरा सदमा लगा कि पुलिसकर्मी जो एक अभियुक्त को चोरी के मामले में ढूंढ रहे थे उन्होंने उसे उठाया तथा किसी की जानकारी के बगैर उसको इतना प्रताड़ित किया कि उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा बताए गए तथ्य चोरी के मामले की जांच के संदर्भ में घटना को छुपाने का स्पष्ट प्रयास था। कोई भी सभ्य कानून हिरासतीय प्रताड़ना की स्वीकृति नहीं देता। पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई प्रताड़ना दर्शाती है कि इस मामले के लिए प्रासंगिक किसी भौतिक साक्ष्य को प्रकाश में लाने की बजाय यंत्रणा देने हेतु विकृत मानसिकता ज़ाहिर हुई। पुलिस अधिकारियों ने सभ्यता की सारी सीमाएं लांघ दी। कथित पुलिस अधिकारी का यह कृत्य मृतक के मानव अधिकरों के घोर उल्लंघन करने के बराबर है। आयोग ने हरियाणा सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए)(आई) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि क्यों न मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार को 5 लाख रुपये आर्थिक राहत की संस्तुति की जाए।

4.12 यह मामला आयोग के विचाराधीन है।

2. *केन्द्रीय जेल, कोटा, राजस्थान में न्यायिक हिरासत में राजू उर्फ राजेन्द्र नामक एक विचाराधीन कैदी की मौत*

   (मामला संख्या 922/20/21/2013–जे.सी.डी.)

4.13 आयोग ने केन्द्रीय जेल, कोटा, राजस्थान की हिरासत में दिनांक 29.04.2013 को राजू उर्फ राजेन्द्र, विचाराधीन कैदी की हिरासतीय मौत की सूचना प्राप्त होने पर महानिदेशक (अन्वेषण) को अपेक्षित तथ्य एकत्रित करने तथा रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

4.14 आयोग ने इसके निदेशों के जवाब में प्राप्त खासतौर पर चिकित्सा जांच रिकॉर्ड, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट पर विचार किया। मृतक को कथित तौर पर पहले जेल अस्पताल में तथा बाद में एम.बी.एस. अस्पताल में पायरिया एवं मलेरिया, जिसमें साइटिक डिप्रैशन एवं सैप्टीसीमिया भी शामिल था, का उपचार कराया गया था। जांच मजिस्ट्रेट के समक्ष डॉक्टर ने बताया कि विसरा एवं हिस्टो पैथोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार मृतक कैदी की मौत का कारण निमोनिया एवं सेप्टीसीमिया था। हालांकि, जांच मजिस्ट्रेट ने मृतक की मौत में कोई संदेह अथवा लापरवाही का प्रश्न नहीं उठाया परन्तु उसके कूल्हों पर 15'10 सेमी के बिस्तरघाव (bedsores) जेल अस्पताल तथा एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा की लापरवाही दर्शाते हैं।

4.15 अतः आयोग ने अपने मेडीकल विशेषज्ञों के पैनल से मृतक को उपचार में हुई किसी प्रकार की लापरवाही की जांच हेतु मेडीकल ऑपिनियन लिया आयोग के पैनल के चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. तेजस्वी एच.पी., असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फॉरेंसिक मेडिसन, पी.जी.आई.एम.ई.आर. तथा डॉक्टर आर. एम. एल. हॉस्पीटल, नई दिल्ली ने राय दी थी कि अटॉप्सी के दौरान मृतक पर 15'10 सेमी के बिस्तरघाव (इमकेवतमे) थे जो कि दूषित होकर मवाद में बदल गए। मृत्यु का कारण निमोनिया एवं सेप्टीसीमिया बताया गया। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रेशर अल्सर दर्दनाक होता है जो उचित नर्सिंग एवं चिकित्सा देख–रेख मुहैया कराने में असफलता होने के परिणामस्वरूप होता है। अतः जेल अस्पताल तथा एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा की ओर से लापरवाही हुई है क्योंकि प्रेशरसोर की ज्यादातर रोकथाम की जा सकती है तथा इनके बढ़ जाने से रोगी की निदानीय दशा में प्रतिकूल असर हुआ जिससे उसकी मौत हो गई।

4.16 चिकित्सा विशेषज्ञ की इस राय को ध्यान में रखते हुए यह स्थापित हुआ कि जेल अस्पताल एवं एम.बी.एस. अस्पताल, कोटा की ओर से मृतक कैदी के जीवन के अधिकार, जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्याभूत है, का उल्लंघन उचित नर्सिंग एवं चिकित्सा देख–रेख मुहैया नहीं करवाकर लापरवाही हुई। अतः आयोग ने मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि राजू उर्फ राजेन्द्र, मृतक विचाराधीन कैदी के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए उसके निकटतम रिश्तेदार को वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.17 नोटिस के जवाब में संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार ने दिनांक 20.03.2015 की रिपोर्ट के माध्यम से इस आधार पर मुआवजे की स्वीकृति का विरोध किया कि मृतक (कैदी) को सर्वोत्तम उपलब्ध उपचार मुहैया कराया गया था जिसकी मौत निमोनिया/सेप्टीसीमिया के कारण हुई तथा यह एक प्राकृतिक मौत थी तथा जेल प्रशासन द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई थी।

4.18 आयोग ने दिनांक 11.07.2016 को संयुक्त सचिव, राजस्थान सरकार की रिपोर्ट पर विचार किया तथा टिप्पणी की कि जांच मजिस्ट्रेट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि मृतक अटॉप्सी के दौरान 15*10 सेमी के बिस्तरघाव (bedsore) मवाद सहित दूषित पाया गया था। यह स्वाभाविक है कि प्रेशर अल्सर दर्दनाक होता है जो उचित नर्सिंग एवं चिकित्सा देख–रेख मुहैया कराने में असफलता होने के परिणामस्वरूप होता है। अतः जेल अस्पताल तथा एम. बी. एस. अस्पताल, कोटा की ओर से हुई

लापरवाही को नज़रंदाज नहीं किया जा सकता है। अतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत मृतक कैदी के निकटतम रिश्तेदार वित्तीय राहत के पात्र हैं।

4.19 आयोग ने अतः राजस्थान सरकार से मृतक राजू उर्फ राजेन्द्र के मानव अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में उसके नज़दीकी रिश्तेदार को ₹ 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) के वित्तीय मुआवज़े की संस्तुति की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3. भोनगीर, आंध्रप्रदेश की उप–जेल में न्यायिक हिरासत में विचाराधीन कैदी की मौत

(मामला सं० 403/1/14/09–10 जेसीडी)

4.20 यह मामला उप–जेल, भोनगीर, आंध्रप्रदेश की न्यायिक हिरासत में दिनांक 4.9.2019 को 25 वर्षीय गौरा सिद्दुलु की मौत से संबंधित है। आयोग के निर्देशों को अनुपालन में प्राधिकारियों ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इनक्वेस्ट रिपोर्ट में किसी प्रकार की बाहरी चोट का पता नहीं चला। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में संकेत था (i) खोपड़ीके बाईं ओर 4x3 सेमी. दबाव का निशान था, जो लाल रंग का था (ii) श्वास नली के बाई ओर 3ग3 सेमी. का दबाव था, जो लाल रंग का था (iii) आंतरिक जांच पर पेट में दो जगह 6ग9 सेमी. तथा 2.9 से 3 सेमी. के दबाव का निशान था तथा पेट की दीवार लाल एवं काले रंग की थी। (iv) ग्रेटर ओमेंटम में 15ग6 सेमी. का दबाव था जो काले रंग का था। मौत का कारण "कार्डियो मायोपैथी से तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम" होना बताया गया था।

4.21 भोनगीर, नालगोडा जिले के राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वार मजिस्ट्रेटी जांच की गई थी, जिसने उल्लेख किया था कि दिनांक 4.2.2019 को कैदी ने सांस लेने में परेशानी की शिकायत की थी। उसे सरकारी अस्पताल, भोनगीर में भर्ती कराया गया तथा बाद में उसे औस्मानिया सरकारी अस्पताल, हैदराबाद को रैफर किया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी तथा माँ ने बताया कि मौत से एक दिन पहले मृतक का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक था तथा उसकी मौत यादगिरी गुट्ता, सीआई पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के कारण हुई। हालांकि जांच अधिकारी ने मृतक की माँ एवं पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार कर दिया तथा मृतक की मौत में किसी प्रकार की बेईमानी नहीं पाई। यह निष्कर्ष दिया गया था कि मृतक की मौत "कार्डियों मायोपैथी सिंड्रोम से तीव्र श्वसन संकट" के कारण हुई। तथापि परिवार की आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए उन्हें मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को वित्तीय राहत के रुप रु. 2,00,000/– (दो लाख रुपये मात्र) की स्वीकृति करने की संस्तुति की गई।

4.22 आयोग के 15.3.14 के अनुपालन में, आयोग के फारेंसिक विशेषज्ञ पैनल के डॉ. आदर्श कुमार, सहायक प्रोफेसर फॉरेंसिक विभाग एम्स द्वारा चिकित्सा रिकॉर्ड की चाँच की गई थी, जिन्होंने निष्कर्ष में बताया था कि मौत का कारण डॉक्टरों की राय में "कार्डियों मायोपैथी सिड्रोम से तीव्र श्वसन संकट" भ्रामक लगता है। घटना क्रम (तीव्र प्रकृति) तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों पर विचार कर तथा साथ ही साथ पोस्ट मार्टम जाँच प्रक्रिया की वीडियो सीडी को देखकर मौत का कारण "आघात एवं नकसीर" के कारण महत्त्वपूर्ण अंगों में अनेक जख्म होना है जैसा कि वर्णित है, जो मूलतः दर्दनाक है तथा बीमारी के चलने के कारण है। 'इस प्रकार की चोटें सामान्यतः किसी चीज द्वारा पेट पर

जोर से प्रहार करने पर होती है। पेट एवं वपा पर चोट, जैसा की वर्णित है गहरी है, तथा पेट पर तेज आघात होना दर्शाता है'। आयोग ने 31–7–2011 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के फॉरेंसिंक विशेषज्ञों के पैनल की टिप्पणियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, नालगोण्डा से उनकी टिप्पणियाँ प्राप्त करने का निर्देश दिया। जिला मजिस्ट्रेट, नालगोण्डा ने 22–10–2014 की रिपोर्ट द्वारा बताया कि –चोट सं० 1. खोपड़ी में दबाव केवल बाहरी था तथा दिमाग के महत्त्वपूर्ण अंग पर आंतरिक चोट नहीं थी। चोट सं० 2 : श्वासनली से जुड़ी मांसपेशी में कोई आंतरिक चोट नहीं थी। चोट सं०3: पेट की दीवार पर दो चोटों से कोई आंतरिक चोट जैसे पेट, आंतरिक जिगर जैसे महत्त्वपूर्ण अंग पर चोट नहीं थी, जैसा कि वहां कोई नकसीरियतरल पदार्थ पेट झिल्ली पर एकत्रित नहीं पाया गया था। चोट सं० 4: वपा पर दबाव का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि पेट के अंदर किसी प्रकार का रक्त स्राव नहीं था। उक्त तथ्यों के विरोधाभास में हृदय बढ़ा हुआ 150 मि०ली० हृदय झिल्ली तरल पदार्थ सहित, कैविटी में द्रव के जमाव की नैदानिक अभिव्यक्ति तथा हिस्टो पैथोलॉजिकल जाँच मौत का कारण था जो कार्डियो मायोपैथी एवं आघात एवं नकसीर जिससे महत्तवपूर्ण अंगों को अनेक चोटें हुई, जैसी गंभीर हृदय की समस्या के कारण तीव्र श्वसन संबंधी सिंड्रोम था।

4.23 आयोग ने दिनांक 07.03.2015 को टिप्पणी दी कि आयोग के फॉरेंसिक विशेषज्ञों के पैनल की रिपोर्ट तथा जिला मजिस्ट्रेट, नालगोंडा द्वारा गठित डॉक्टरों की टीम द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में विरोधाभास था तथा आयोग के फॉरेंसिक विशेषज्ञों के पैनल की टिप्पणियां मांगी गई। डॉ. आदर्श कुमार, सहायक प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसन, ऐम्स, नई दिल्ली ने अपनी राय में बताया कि पी.एम.आर. में केवल बढ़े हुए हृदय की उपस्थिति बताई गई थी तथा हृदय के वजन तथा विभिन्न वॉल की मोटाई के विषय में नहीं बताया गया था तथा कार्डियोमायोपैथी से मौत के कारण की पुष्टि करने वाले अन्य तथ्यों के विषय में नहीं बताया गया था। इसके अलावा मृतक एक पच्चीस वर्षीय युवा था तथा जिसे पूर्व में हृदय संबंधी कोई बीमारी भी नहीं थी। उसे गंभीर हृदय की बीमारी होने का कोई प्रमाण भी नहीं है। इसके प्रतिकूल उसके आंतरिक अंगों जैसे पेट में 6'9 सेमी तथा 2.9'3 सेमी के दो दबाव लाल काले रंग के तथा कॉफी रंग का तरल पदार्थ भी था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि आंतरिक झिल्ली पर घंभीर चोट के कारण रक्त जमाव हो गया था। ग्रेटर ऑमेंटम में 15.5 सेमी का दबाव लाल काले रंग का था जो पुनः गंभीर चोट होना दर्शाता है। इसके अलावा, छाती की कैविटी में लाल भूरे रंग का 200 मिलिलीटर का तरल पदार्थ था जो कि और कुछ नहीं बल्कि रक्त था। ब्लड स्टेन फ्रोथ के कारण कड़े फैंफड़ों द्वारा आया था। ये सभी तथ्य जिन पर सच्चाई से विचार किया जाए तो इस बात का संकेत करते हैं कि "मौत आघात एवं नकसीर जिसके कारण अनेक आंतरिक चोटें आई, जो किसी वस्तु से पेट में ज़ोरदार प्रहार करने पर आई थी, के कारण हुई" इस प्रकार डॉक्टर, जिसने अटॉप्सी की, के साथ–साथ डॉ. देवराज, सहायक प्रोफेसर, फॉरेंसिक मेडिसन का मौत के कारण के संबंध में दी गई टिप्पणी गलत तथा असंगत, तर्कहीन मानी जाए, खासतौर पर, इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कि मृतक 25 वर्षीय स्वस्थ व्यक्ति था जिसका पूर्व में हृदय रोग का कोई इतिहास नहीं था। यह हिरासत में उत्पीड़न का एक ठेठ मामला था जिसे उन डॉक्टरों द्वारा व्याख्या करना जिन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता न हो, बेहद कठिन था।

4.24 आयोग ने 17.09.2015 को इसके फॉरेंसिक विशेषज्ञ पैनल द्वारा दी गई राय पर विचार किया। इसके पैनल पर चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के आधार पर इसका यह मानना था कि राज्य हिरासत

में कैदी को संरक्षण देने में असफल रहा अतः वह स्पष्ट रूप से इसका उत्तरदायी है। आयोग ने अतः पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए)(आई) के तहत मुख्य सचिव, आंध्रप्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा कि मृतक विचाराधीन कैदी गौरासिद्धुलुंग के मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु उसके नज़दीकी रिश्तेदार को वित्तीय मुआवज़े की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.25 महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, तेलंगाना राज्य ने दिनांक 04.05.2016 के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि विचाराधीन कैदी गौरा सिद्धुलुंग की मौत 'एक्यूट रेस्पिरेटरि डिस्ट्रैस सिंड्रॉम फ्रॉम कार्डियोमायोपैथी' के कारण हुई, जो एक प्राकृतिक मौत थी तथा जेल प्रशासन की ओर से उक्त मृतक कैदी को निरन्तर चिकित्सा उपचार मुहैया कराने में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई थी। अतः मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार को किसी प्रकार के मुआवज़े का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि, यह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्राधिकारियों के निर्णय एवं क्षेत्राधिकार पर छोड़ा गया था कि वे मृतक कैदी के नज़दीकी रिश्तेदार को वित्तीय मुआवजे के भुगतान की संस्तुति करें।

4.26 आयोग ने 29.06.2016 को मामले पर दोबारा विचार किया तथा टिप्पणी की कि महानिदेशक, जेल, तेलंगाना सरकार द्वारा दिया गया उत्तर संतोषप्रद नहीं था क्योंकि उन्होने मृतक के शरीर पर पाई गई चोटों का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसे ध्यान में रखते हुए तथा चिकित्सा विशेषज्ञ की राय पर विचार करते हुए आयोग ने यह माना कि यह एक हिरासतीय प्रताड़ना का मामला है तथा पीड़ित गौरा सिद्धुलुंग के मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। अतः मृतक विचाराधीन कैदी गौरा सिद्धुलुंग के नज़दीकी रिश्तेदार मुआवज़े के पात्र हैं। आयोग ने अतः तेलंगाना सरकार द्वारा मृतक विचाराधीन कैदी गौरा सिद्धुलुंग के नज़दीकी रिश्तेदार को ₹3,00,000/– की राशि की संस्तुति की। चूंकि भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी। अतः आयोग द्वारा मामला बंद कर दिया गया।

4. समय पर उचित चिकित्सा देख–रेख नहीं मिलने के कारण केन्द्रीय जेल संख्या 1, तिहाड़, नई दिल्ली में एक विचाराधीन कैदी की मौत

मामला संख्या 2632/30/1/2012–जे.सी.डी.

4.27 आयोग को अधीक्षक, केन्द्रीय जेल संख्या 1, तिहाड़, नई दिल्ली से 49 वर्षीय एक विचाराधीन कैदी सुशील कुमार पुत्र श्री अमर सिंह की उनकी हिरासत में मौत के संबंध में सूचना प्राप्त हुई।

4.28 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे पता चला कि विचाराधीन कैदी को 28.03.2012 को भा.द.सं. की धारा 279/304ए के तहत एक मामले के संबंध में जेल में बंद किया गया था। दिनांक 30.03.2012 को वह जेल डिस्पेंसरी में गया तथा भूख न लगने एवं कमज़ोरी के लिए उसका इलाज़ किया गया। दिनांक 03.04.2012 को उसे फिर से उपचार दिया गया तथा उसे जेल में विजिटिंग चिकित्सा विशेषज्ञ से रिव्यू करने के लिए सलाह दी गई परन्तु वह नहीं गया। दिनांक 09.04.2012 को जब वह दोबारा कमज़ोरी की शिकायत सहित आया तो उसे आवश्यक उपचार देने के बाद एल.एन.जे.पी. अस्पताल में उपचार हेतु भेजा गया जहां उसे डॉक्टर द्वारा मृत लाया गया घोषित किया गया। पोस्टमार्टम जांच रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर कोई ताजा चोट होना नहीं पाया गया तथा चूंकि

मौत का कारण स्पष्ट नहीं था अतः विसरा सुरक्षित रख लिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, विसरा की एफ.एस.एल. रिपोर्ट तथा हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट पर विचार करने के बाद डॉक्टरों के बोर्ड ने राय दी कि मौत का कारण द्विपक्षीय फुफ्फुसीय तपेदिक था जो कि मौत का प्राकृतिक कारण था। मजिस्ट्रेटी जांच के दौरान जांच मजिस्ट्रेट ने निष्कर्ष दिया था कि मृतक को आपातकालीन चिकित्सा उपचार देने में करीब 5 घण्टों का अंतराल था। यह जेल प्रशासन, केन्द्रीय जेल संख्या 1, तिहाड़ की ओर से बेरहम एवं लापरवाह व्यवहार के कारण हुआ जिसमें पहले दो घण्टे प्रातः 8 बजे से 10 बजे जेल अधिकारियों की ओर से लापरवाही के कारण खत्म हो गए। जेल अधीक्षक ने यह कहकर कि मृतक को प्रातः 7:55 पर 09.04.2012 की डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया था, गुमराह किया, जो कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विरुद्ध था। यह तथ्य प्रथम दृष्टया केन्द्रीय जेल संख्या 1, तिहाड़ के जेल अधिकारियों की ओर से ड्यूटी में लापरवाही एवं दोष प्रकट करता है।

4.29 आयोग ने रिकॉर्ड में दी गई सामग्री पर विचार कर टिप्पणी दी कि मजिस्ट्रेटी जांच के तथ्य कि विचाराधीन कैदी सुशील कुमार को चिकित्सा उपचार मुहैया कराने में जेल प्रशासन की लापरवाही है, जिससे मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ तथा राज्य इसके लिए जिम्मेदार है, को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की। आयोग ने अतः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत तीन लाख रुपये की वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.30 महानिदेशक (जेल), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को मजिस्ट्रेटी जांच के तथ्यों के आधार पर की गई कार्यवाही प्रस्तुत करने का निदेश दिया। उत्तर में विधि अधिकारी, जेल, दिल्ली से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जेल अधिकारियों की लापरवाही के कारण मृतक कैदी को उचित एवं यथासमय उपचार देने में देरी होने से इंकार किया। अन्य कारण जैसे उचित एम्बुलेंस एवं समय पर स्ट्रैचर तथा डी.ए.पी. एस्कॉट्स आदि की उपलब्धता आरोपित किए गए थे। इसके अलावा, यह भी बताया गया था कि रोगी को केन्द्रीय जेल से एल.एन.जे.पी. अस्पताल में स्थानान्तरण के दौरान अचानक रोगी की हृदयगति रुक गई तथा साथ आए डॉक्टर ने सी.पी.आर. शुरू कर दिया था तथा रोगी को एम्बुलेंस में उपलब्ध वेंटिलेशन एवं एट्रोपाइन एवं एड्रेनलाइन के इंजैक्शन दिए गए थे परन्तु उसे बचाया नहीं जा सका तथा उसे एल.एन.जे.पी. अस्पताल में मृत लाया गया घोषित किया गया था।

4.31 आयोग ने रिपोर्ट पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा टिप्पणी दी कि रोगी को आपातकालीन उपचार हेतु संबद्ध अस्पताल में स्थानान्तरण में देरी हुई थी। बोर्ड ऑफ डॉक्टर द्वारा दिया गया मौत का कारण द्विपक्षीय फुफ्फुसीय तपेदिक बताया गया था। जांच मजिस्ट्रेट ने अपनी मजिस्ट्रेटी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से बताया था कि जेल अधिकारियों की ओर से उनकी ड्यूटी में लापरवाही एवं दोष था। इसमें निःसंदेह विचाराधीन कैदी को उचित एवं समय पर इलाज़ का घोर उल्लंघन हुआ था। केवल इसलिए कि कैदी एक विचाराधीन के तौर पर जेल में बंद है उसे मनुष्य नहीं माना जाए। वर्तमान मामले में उसके मानव अधिकारों का उल्लंघन राज्य के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ अतः राज्य की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिलक्षित हाती है। अतः मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को विचाराधीन कैदी सुशील के नज़दीकी रिश्तेदार को तीन लाख रुपये के मुआवज़े का भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

4.32 अधीक्षक, जेल मुख्यालय, तिहाड़, जनकपुरी, नई दिल्ली चूंकि मृतक की पत्नी श्रीमती अनीता तथा पुत्रों अर्थात् सन्नी, अजय, विजय को प्रत्येक को ₹75,000/– की राशि का भुगतान साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट भेज दी थी। अतः आयोग ने 07.02.2017 की कार्यवाही द्वारा मामले को बंद कर दिया।

ख) विधिविरूद्ध गिरफ्तारी, गैर-कानूनी नज़रबंदी तथा प्रताड़ना

5 मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के थाना हरिहरपारा द्वारा सफ़ीयुज्ज़मान सरकार नामक व्यक्ति की गैरकानूनी नज़रबंदी तथा पैसे की जबरन वसूली

(मामला संख्या 1066/25/13/2014)

4.33 मानवाधिकार कार्यकर्ता कीर्ती रॉय ने अपनी दिनांक 25.06.2014 की शिकायत में हरिहरपारा पुलिस स्टेशन की पुलिस द्वारा सफ़ीयुज्ज़मान सरकार नामक व्यक्ति की गैरकानूनी नज़रबंदी तथा पैसे की जबरन वसूली का आरोप लगाया।

4.34 आयोग के निदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, मुर्शिदाबाद से 28.11.2014 की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें पैसे की जबरन वसूली के आरोप से हालांकि इंकार किया गया। साथ ही, यह उल्लेख था कि दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई थी। आयोग ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री एवं अन्य तथ्यों तथा मामले की परिस्थितियों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा यह टिप्पणी दी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डी.के.बसु मामले में पुलिस अधिकारियों के आचरण को विनियमित करने वाले सिद्धांत स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। पुलिस एक अनुशासन सेवा है तथा इसकी ओर से किसी प्रकार की लापरवाही के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही होनी चाहिए जिसका कि इस मामले में भी पालन किया जाए। इसके बावजूद भी पुलिस अधीक्षक ने आरोपों से इंकार किया, इसके पहले और बाद के व्यवहार से यह स्थापित होता है कि पीड़ित को अवैध पुलिस कार्यवाही का सामना करना पड़ा जिससे पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ।

4.35 इन परिस्थितियों में मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार को आयोग द्वारा दिनांक 13.07.2016 को पी.एच.आर.अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए)(आई) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर कहा गया कि पीड़ित को छः सप्ताह के भीतर 25 हजार रुपये के भुगतान की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.36 मामला आयोग के विचाराधीन है।

6. पुलिस स्टेशन में 8 दिनों तक शिकायतकर्त्ता के पुत्र राजीव उर्फ गुड्डू निवासी गांव यकाबगढ़ी, धनौरा पुलिस स्टेशन, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश की अवैध नज़रबंदी तथा प्रताड़ना

(मामला संख्या 12111/24/41/2012)

4.37 इस मामले में शिकायतकर्त्ता श्री चंद्रपाल सिंह सुपुत्र श्री दुलीसिंह निवासी गांव यकाबगढ़ी, धनौरा पुलिस स्टेशन, ज्योतिबा फुले नगर, उत्तर प्रदेश ने 25.02.2012 को पुलिस स्टेशन में 8 दिनों तक उनके पुत्र राजीव उर्फ गुड्डू की अवैध नज़रबंदी एवं प्रताड़ना के संबंध में पुलिस की लापरवाही तथा उसकी रिहाई के लिए 5 लाख रुपये की गैरकानूनी मांग का आरोप लगाया।

4.38 पुलिस अधीक्षक, अमरोहा से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके अनुसार यह साफ था कि पुलिस द्वारा राजीव की अवैध नज़रबंदी के विषय में कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था। तथापि, यह स्थापित हुआ था कि राजीव को 17.02.2012 से 29.02.2012 के बीच पुलिस स्टेशन में बुलाया गया था परन्तु राजीव को बुलाने के लिए दैनिक डायरी में कोई तर्क नहीं दिया गया था। आयोग का मानना था कि यह पीड़ित राजीव के मानव अधिकारों के उल्लंघन का मामला था। आयोग ने तदनुसार, पी. एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि पीड़ित को क्यों न मुआवज़े की संस्तुति की जाए।

4.39 जवाब में संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 03.03.2016 की रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, अमरोहा की दिनांक 09.11.2015 की रिपोर्ट सहित भेजी जिसके अनुसार राजीव को 17.02.2012 से 29. 02.2012 तक पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए लाया गया था परन्तु इस संबंध में कोई दैनिक डायरी प्रविष्टि नहीं की गई थी। दिनांक 29.02.2012 को एस.एच.ओ., रजबपुर ने पुलिस थाना, रजबपुर में धारा 302 के तहत मामला अपराध संख्या 62/2012 में राजीव का बयान रिकॉर्ड किया जिसका उल्लंख दैनिक डायरी प्रविष्टि संख्या 31 में था। जांच अधिकारी ने पाया कि तत्कालीन रजबपुर एस.एच.ओ. श्री सुमन कुमार तथा हैडकांस्टेबल श्री कमल नारायण झा आंशिक रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी.के.बसु मामले में दिए गए सिद्धांतों का उल्लंघन करने के दोषी थे। उक्त पुलिस अधिकारियों की इस लापरवाही के लिए उन्हें बहुत फटकार लगाई गई तथा उनके व्यक्तिगत रिकॉर्ड में प्रविष्टि की गई। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि क्योंकि दोषी पुलिसकर्मियों को फटकार लगा दी गई थी आयोग पीड़ित राजीव को अंतरिम राहत देने हेतु कारण बताओ नोटिस पर पुनः विचार करे।

4.40 आयोग ने 24.03.2017 को मामले पर पुनः विचार किया तथा टिप्पणी की कि संयुक्त सचिव, गृह की रिपोर्ट में राजीव की 17.02.2012 से 29.02.2012 तक अवैध नज़रबंदी की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों का उल्लंघन करने के लिए दो पुलिसकर्मियों को दोषी पाया गया तथा फटकार लगाई गई। अतः आयोग का यह मानना था कि पुलिस सेवकों द्वारा राजीव के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था अतः आयोग ने पीड़ित राजीव को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत ₹50,000/– की राशि का भुगतान करने की संस्तुति की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

ग) पुलिस की मनमानी

7. पुलिस की पिटाई से मोहल्ला पोखरा बसेरी, जिला धौलपुर, राजस्थान निवासी 54 वर्षीय प्रेम गिरि की मौत

(मामला संख्या 506/20/12/2014)

4.41 आयोग को दिनांक 10.03.2014 को मानव अधिकार कार्यकर्त्ता श्री आर.एच.बंसल से शिकायत प्राप्त हुई थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि दिनांक 07.03.2014 को पुलिस की पिटाई से मोहल्ला पोखरा बसेरी, जिला धौलपुर, राजस्थान निवासी 54 वर्षीय प्रेम गिरि की मौत हो गई थी। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक, धौलपुर ने रिपोर्ट दी थी कि घटना के समय दिनांक 03.03.2014 को ए.एस.आई. महेश यादव, जो उस समय ड्यूटी पर था, ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी के रूप में

प्रेम गिरि के घर में प्रवेश किया। यह माना गया था कि मृतक के घरवालों को कोई चोट नहीं आई थी। उस समय मृतक के पुत्र की शिकायत पर ए.एस.आई. महेश यादव एवं अन्य के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 302/143 के तहत मामला अपराध संख्या 94/14 दर्ज किया गया था। कथित मामले की जांच के बाद पुलिसकर्मियों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हुए थे। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने ए.एस.आई. महेश यादव एवं कुछ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध दण्ड संहिता की धारा 173 (8) के तहत मामले में आगे जांच करने का निर्देश दिया था। मृतक के पुत्र की दिनांक 07.03.2014 की शिकायत में दिए गए तथ्यों के अनुसार उसका भाई राजेन्द्र गिरि दिनांक 03.03.2014 को अपहरण हो गया था और उसके पिता प्रेम गिरि चिंतित थे इसलिए वह उसको छुड़ाने के लिए गया था। दिनांक 07.03.2014 को ए.एस.आई. महेश यादव तथा नामजद पुलिसकर्मी प्रेम गिरि के घर में घुस आए तथा उसके एवं उसकी पत्नी की पिटाई की जिसके कारण प्रेम गिरि की मौत हो गई। पीड़ित के अपहरण में नामजद व्यक्तियों के साथ अपराध में संलिप्त होने का मृतक पर शक था।

4.42 आयोग ने मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा टिप्पणी दी कि ए.एस.आई. महेश यादव एवं उनके स्टाफ कानून के रखवालेके रुप में कार्य नहीं किया बल्कि दरिंदे की तरह पेश आए जिन्हें राज्य ने जिसको चाहे हत्याकरने के लिए शस्त्र दिए हुए हैं। संबद्ध पुलिस कर्मियों का कृत्य निःसन्देह निदंनीय है क्योंकि पुलिस कार्रवाई के बहाने उन्होंने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। उनका कृत्य घोर लापरवाही भरा था तथा मृतक के मानक अधिकारों के उल्लंघन के बराबर था, जिसकेलिए राज्य परोक्ष तौर पर उत्तरदायी है। आयोग ने राजस्थान सरकार को पीएचआर अधिनियम 1993 की धारा 18(ए) (1) के तहत कारण बताओंननोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को 5 लाख रुपये वित्तीय मुआवजे की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.43 मामला अभी आयोग के विचाराधीन है।

8. पुलिस स्टेशन शंभुगंज, भागलपुर, बिहार के प्रभारी द्वारा गौतम कुमार को शस्त्र अधिनियम के मामले में झूठा फंसाया जाना (मामला सं. 4499/4/3/2014)

4.44 यह मामला आयोग को श्री अनिल कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बांका, भागलपुर, बिहार द्वारा रैफर किया गया था। मजिस्ट्रेट की टिप्पणी थी कि श्री गौतम कुमार सिंह को एक खराब बंदूक, जो उसने थाना मालखाना के कबाड़ से ली थी, के आधार पर शस्त्र अधिनियम के मामले में झूठा फंसाया था। मजिस्ट्रेट ने यह भी उल्लेख किया था कि :–

"अभियुक्त लगभग 7 महीने तक अर्थात 25.10.2007 से 17.5.2008 तक झूठे मामले में फंसाने के कारण जेल में पड़ा रहा, जो कि उसके संवैधानिक अधिकार एवं मानव अधिकार का उल्लंघन था।"

4.45 मामले का तथ्य यह है कि तत्कालीन प्रभारी, थाना शंभुगंज ने शस्त्र अधिनियम की धारा 25 एवं 26 के तहत अ० सं० 145/2007 दर्ज किया था जिसमें उल्लेख था कि वह अपने स्टाफ के साथ अं० सं० 144/2007 की जाँच के सिलसिले में 25.10.2007 को लगभग 5 बजे शाम को गांव कारसोप गया था। जब वह राजेन्द्र सिंह के घर दो स्वतंत्र गवाहों जय किशोर ठाकुर एवं सुनील कुमार सिंह के

साथ के साथ दाखिल हतुआ, तो एक लड़का घर से बाहर भागा। पुलिस ने उसका पीछा किया तथा उसे पकड़ लिया। उस लड़के, जिसे दो स्वतंत्र गवाहों द्वारा गौतम कुमार सिंह के रुप में पहचाना था, से उन्होंने एक देसी कट्टा बरामद किया।

4.46 पुलिस थाना शम्भुगंज अपराध संख्या 145/2007 मामले में जाँच पूरी करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दायर किया। मामले पर श्री सुनील कुमार ठाकुर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचार किया गया। अभियुक्त को इस आधार पर कि मामला झूठे फंसाए जाने का था, दिनांक 19.2.2014 को रिहा कर दिया गया था।

4.47 राज्य ने मजिस्ट्रेट के निर्णय के विरुद्ध अपील की जिसे 27.1.2015 को सत्र न्याधीश द्वारा दाखिल किया गया। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर हालांकि अपीलीय कोर्ट से स्टे नहीं मिला।

4.48 आयोग ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा 19.7.2014 के निर्णय का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया, जिस ने टिप्पणी की थी कि एफ.आई.आर. के अनुसार संजय कुमार पाण्डे, सब इंस्पेक्टर ने अभियुक्त गौतम कुमार सिंह से 24.10.2007 को लगभग 5 बजे शाम को एक अवैध शस्त्र गाँव कारसोप में बरामद किया था जहाँ अपराध संख्या 144/2007 की जाँच के संबंध में गया था, जब कि अपराध संख्या 144/2007 की केस डायरी से पता चला कि उस दिन सब इंस्पेक्टर संजय कुमार पाण्डेय शम्भुगंज बाजार में शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक था, इस प्रकार अवैध शस्त्र बरामद करने की कहानी झूठी है क्योंकि, वह एक ही समय में दो अलग–अलग स्थानोंपर उपस्थित नहीं हो सकता। मजिस्ट्रेट ने यह भी नोट किया कि कट्टा जब न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो वह बेहद ही खराब दशा में था। उस के फायरिंग बैरल को रस्सी से बांधा हुआ था, उसका ट्रिगर पूर्ण रुप से हिला हुआ था तथा एक तार के साथ बांधा हुआ था। बैरल को गोली दागने वाले स्ट्राइकर का बोल्ट गायब था। अतः कट्टा काम करने की दशा में नहीं था। मजिस्ट्रेट ने सार्जेंट मेजर उमेश कुमार, जिस ने बरामद बंदूक की जाँच की थी, के बयान पर भी चर्चा की। उन्होंने नोट किया कि गवाह ने हथियार से गोली चला कर नहीं देखी थी तथा इसके तथ्यों को जाने बगैर राय दी थी। उनका यह भी मानना था कि दो स्वतंत्र गवाह जो कि कथित बरामदगी के गवाह थे, न्यायालय में अभियोजन का समर्थन करने से इन्कार कर दिया। उन दोनों ने कहा कि उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया था तथा पुलिस स्टेशन में बरामदगी मीमो पर उनके हस्ताक्षर लिए गये थे। इन टिप्पणियों के साथ मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त को रिहा कर दिया गया था।

4.49 आयोग ने अपनी 31.8.2015 की कार्यवाही में टिप्पणी की कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बांका ने अभियुक्त को रिहा करते समय अपने निर्णय के ठोस एवं सही कारण दिए थे। निःसंदेह मजिस्ट्रेट के निर्णय से अपील लंबित है, परन्तु अपील लंबित होने से आयोग की जांच की कार्यवाही बाधित नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त क्योंकि दिए गए निर्णय पर अपीलीय न्यायालय ने स्टे नहीं दिया। मामले के सभी तथ्यों पर विचार करते हुए आयोग ने टिप्पणी की कि गौतम कुमार सिंह को प्रथम दृष्टया आपराधिक मामले में झूठा फंसाया गया था। यह मामला और भी गंभीर बन गया क्योंकि पीड़ित का

कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। आयोग ने अतः बिहार सरकार को कारण बताओं नोटिस जारीकर पूछा कि गौतम कुमार सिंह को पीएचआरए, 1993 की धारा 18 के तहत वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.50 क्योंकि नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था अतः मुख्य सचिव को 5.2.2015 को एक अनुस्मारक भेजा गया था। उस अनुस्मारक में मुख्य सचिव, बिहार सरकार को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि वे अपनी रिपोर्ट 26–2–2016 अथवा उससे पहले भेजें तथा यदि किसी कारण वर्ष उपरोक्त तिथि के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होता हैं तो आयोग यह मान लेगा कि इस मामले में बिहार सरकार को कुछ नहीं कहना है।

4.51 इस मामले को पटना, बिहार में 22.4.2016 को आयोग कि शिविर बैठक में उठाया गया था तथा प्रमुख सचिव (गृह), बिहार सरकार ने दोहराया था कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध राज्य ने पहले ही अपील दर्ज की है तथा अयोग को जिला न्यायधीश के समक्ष लंबित अपील के परिणाम के लिए इंतजार करना चाहिए। आयोग द्वारा पहले ही इस आग्रह पर विचार किया गया था तथा इसने 31.8.2015 के आदेश द्वारा राज्य सरकार के आग्रह को अस्वीकार कर दिया था। आयोग ने अतः निम्नलिखित टिप्पणी एवं निर्देश दियाः–

> *"चूंकि हमारा यह मत है कि झूठे मामले में फंसाए जाने से व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है, हम यह मानते हैं कि पीड़ित को उचित मुआवजे के भुगतान की आवश्यकता है। तदनुसार हम राज्य सरकार द्वारा 4 सप्ताह के भीतर पीड़ित गौतम कुमार सिंह को मुआवजे के रुप में 1 लाख रुपये के भुगतान की संस्तुति करते हैं। मुख्य सचिव, बिहार सरकार 2 सप्ताह के भीतर भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। तत्पश्चात 6 सप्ताह के बाद इसे प्रस्तुत करें।"*

4.52 आयोग के निर्देश के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, बांका ने 3.11.2016 के पत्र द्वारा पीड़ित गौतम कुमार सिंह को 1.10.2016 को किए गए 1,00,000/– रुपये के मुआवजे के भुगतान की रसीद की प्रति अग्रेषित की।

4.53 आयोग की संस्तुतियों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए 30.12.2016 को मामला बंद कर दिया गया था।

(घ) पुलिस गोलीबारी एवं मुठभेड़

9. अमृतसर, पंजाब में नशीले पदार्थ विरोधी प्रकोष्ठ द्वारा मुखजीत सिंह को फर्जी मुठभेड़ (मामला संख्या 673/19/1/2015–ई.डी)

4.54 आयोग को पुलिस आयुक्त, अमृतसर, पंजाब से 17.6.2015 को मुखजीत सिंह उर्फ मुखा, सुपुत्र श्री मुल्तान सिंह का नशीले पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ, अमृतसर के साथ 16.6.2015 को मुठभेड़ में हुई मौत

के विषय में सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के अनुसार मृतक ने पुलिस दल पर गोली चलाई थी तथा इसके बदले में पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में गोली चला चलाई जिसके कारण मुखजीत सिंह की मौत हो गई।

4.55 आयोग ने राज्य प्राधिकारियों द्वारा घटना के संबंध में दी गई सभी संगत रिपोर्टों की जाँच की। पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में 30 असामान्य चोटों के साथ मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों पर विभिन्न हड्डियाँ टूटने के साथ–साथ कई जख्म भी थे। मृतक की मौत का कारण रिपोर्ट में हृदय, फेफड़े एवं जिगर में चोटें लगना था।

4.56 एस.डी.एम. द्वारा की गई मजिस्ट्रेटी जाँच में निष्कर्ष था कि मुठभेड़ वास्तविक थी। जाँच अधिकारी के अनुसार पुलिस ने जग्गु नामक व्यक्ति को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था, परन्तु जब मुखजीत की कार को रोकागया तो उसने अपनी गिरफ्तारी के शक में अचानक पुलिस दल पर गोलियां चला दी तथा पुलिस द्वारा इसके बदले में चलाई गई गोलीके कारण उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मृतक मुखजीत सिंह को गलती से जग्गू मान लिया गया था तथा पीड़ित ने भी यही सोचा कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई थी। इस अस्मंजस में दोनों ओर से गोलीबारी हुई जिसमें मृतक को गोली से चोटें लगी तथा बाद में इस कारण उसकी मौत हो गई।

4.57 विशेष अन्वेषण दल ने रिपोर्ट के अनुसार घटना 6.46 बजे शाम को घटित हुई। पुलिस दल ने जल्द बाजी में आई–20 कार को चलाने वाले व्यक्ति की पहचान करने का कोई प्रयास किये बिना ही कार्रवाई की इससे मृतक द्वारा गोली चलाने की संभावना से इन्कार किया जाताहै। इसके अलावा यह खुलासा भी हुआ था कि पुलिस दल को कोई ऐसा खतरा नहीं था कि पूरा दल कथित कार पर गोलियाँ चलाने के लिए विवश हो जाए। अतः एस.आई.टी. के अनुसार तथाकथित मुठभेड़ फर्जी थी तथा दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

4.58 आयोग ने मामले पर विचार कर अपनी दिनांक 30.11.2016 की कार्रवाई के द्वारा निम्नलिखित टिप्पणी एवं निर्देश दियाः–

> *"कानून के तहत किसी को भी दूसरे का जीवन समाप्त करने का निसंदेह ही कोई अधिकार नहीं है चाहे वह पुलिस ही क्यों न हो। पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की मौत सदोष मानव हत्या के बराबर है जब तक यह स्थापित न हो जाए कि कानून के अनुसार मौत का कारण अपराध नहीं था। यदि एक पुलिस अधिकारी किसी को मुठभेड़ में मारता है तो उसे यह अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि मौत का कारण निजी रक्षा के अधिकार का वैध उपयोग किया गया अथवा किसी व्यक्ति को अपराध के लिए गिरफ्तार अथवा आजीवन कारावास देते समय समय बल का प्रयोग करने से उसकी मौत हुई है। रिकॉर्ड के अनुसार, विशेष अन्वेषण बल ने निष्कर्ष दिया था कि यह एक फर्जी मुठभेड़ थी तथा मुठभेड़ दल के सभी पुलिसकर्मी मृतक की मौत के लिए जिम्मेदार थे, पुलिसकर्मियों का यह कृत्य मृतक के मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन के बराबर है।*

आयोग ने पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए)(1) के अनुसार पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार को पांच लाख रुपये वित्तीय मुआवज़ा क्यों न संस्तुत किया जाए।"

4.59 मामला आयोग के विचाराधीन है।

10. हजारीबाग जिला, झारखण्ड के गांव पगेर में पुलिस गोलीबारी में कसार महतो नामक व्यक्ति की मौत तथा चार अन्य गंभीर रूप से घायल

(मामला संख्या 947/34/11/2013)

4.60 आयोग को हजारीबाग जिले के पगेर गांव में पुलिस गोलीबारी की घटना के विषय में पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग से एक सूचना प्राप्त हुई जिसके अनुसार, कसार महतो नामक व्यक्ति की मौत तथा चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सूचना में बताया गया था कि 23.07.2013 को पगेर गांव में एन.टी.पी.सी. के साइट ऑफिस में निर्माणकार्य सब–कॉन्ट्रैक्टर, प्रदीप कुमार सिंह द्वारा आरम्भ किया गया था। इस बीच श्री कमलनाथ मेहता साइट पर पहुंचे तथा निर्माण कार्य का विरोध किया जिसके कारण प्रदीप कुमार तथा कमलनाथ महतो के बीच झगड़ा हुआ झगड़े के दौरान विकास (प्रदीप कुमार का पुत्र) ने कमलनाथ महतो के सर पर वार किया। यह सूचना श्री कमलनाथ द्वारा गांववालों को दी गई तथा उस स्थल पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। श्री प्रदीप कुमार ने घटना के विषय में पुलिस स्टेशन में जानकारी दी। उस सूचना पर पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा गांववालों ने विकास को पीटना शुरू कर दिया जो साइट के नज़दीक एक घर में घुस गया। जब पुलिसकर्मी उसे बचाने का प्रयास कर रहे थे तब गांववालों ने पुलिसकर्मियों पर पत्थर मारने शुरू कर दिए जिसके कारण एक कांस्टेबल जख्मी हो गया। कांस्टेबल ने आत्मरक्षा में अपनी सरकारी ड्यूटी हथियार से एक राउण्ड गोली चलाई परन्तु स्थिति पर नियंत्रण नहीं हो सका तथा उसने आत्मरक्षा में कुल सात राउण्ड गोली चलाईं। इस गोलीबारी में श्री कसार महतो नामक एक 55 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई जबकि राहुल महतो, नन्हू महतो, मखान वर्मा तथा रमेश महतो जख्मी हो गए। इस गोलीबारी में संलिप्त पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। आयोग के अन्वेषण अनुभाग ने यह निष्कर्ष दिया कि फाइल का विश्लेषण करने से पता चला कि पुलिस गोलीबारी एवं बल के अत्यधिक प्रयोग के कारण कसार महतो नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। विभागीय कार्रवाई में इस घटना में पुलिसकर्मी दोषी/लापरवाह पाए गए तथा उनके विरुद्ध पहले भी कार्रवाई की जा चुकी थी।

4.61 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए) के तहत आयोग ने झारखण्ड सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के नज़दीकी रिश्तेदार तथा घायल व्यक्तियों को वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए। चूंकि, राज्य सरकार द्वारा कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था अतः आयोग ने 19.10.2016 को झारखण्ड सरकार से मृतक कसार महतो के नज़दीकी रिश्तेदार को तीन लाख रुपये तथा घायलों में से प्रत्येक व्यक्ति को एक–एक लाख रुपये के मुआवज़े की संस्तुति की। राज्य सरकार से भुगतान का साक्ष्य अभी प्रतीक्षित है।

ङ) जेल में अत्याचार

11. जिला जेल मऊ, उत्तर प्रदेश में सहकैदी द्वारा एक हमले में एक कैदी को गंभीर चोटें (मामला संख्या 20338/24/53/2013)

4.62 श्री राकेश वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष जय हिंद एंटी करप्शन, पानीपत, हरियाणा ने 27.10.2013 को अमर उजाला समाचार–पत्र दिनांक 26.12.2012 की समाचार कतरन संलग्न की थी जिसमें यह उल्लेख था कि एक कैदी पर जिला जेल मऊ, उत्तर प्रदेश में बंद अभियुक्त व्यक्तियों के समूह ने हमला कर दिया जिससे उसके गर्दन पर गंभीर चोटें आईं तथा जेल प्रशासन इस घटना की रोकथाम में असफल रहा।

4.63 आयोग ने 12.06.2013 को संज्ञान लिया तथा उपमहानिरीक्षक, जेल प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से 07.03.2014 को एक रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उल्लेख था कि उपमहानिरीक्षक, जेल, गोरखपुर को जांच का कार्य सौंपा गया था जिन्होंने निष्कर्ष दिया था कि नज़रबंद राधेश्याम तिवारी जिला जेल, मऊ, उत्तर प्रदेश के अस्पताल की गैलरी में बेहोश पाया गया था। उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए थे नज़रबंद राधेश्याम तिवारी ने अपने बयान में सूचना दी कि उसे अस्पताल की लॉबी में ले जाया गया था जहां अन्य नज़रबंद अजीत चौबे तथा राधे ने उसे पकड़ा तथा एक रस्सी से उसका गला घोंटने का प्रयास किया जिसके कारण वह बेहोश होकर गिर गया। उसे जिला अस्पताल, मऊ में स्थानान्तरित किया गया जहां नौ दिनों के बाद उसकी सेहत में सुधार हुआ। थाना सराय, लखानसी, जिला मऊ में भा.द.सं. की धारा 323/504/506 के तहत अपराध संख्या 417/12, इस घटना के संबंध में दर्ज किया गया था। उप महानिरीक्षक, जेल गोरखपुर ने वार्डन बिहारी राम, धर्मनाथ यादव, मोतीचन्द्र गुप्ता, उपजेलर ओमप्रकाश तथा जेलर रामजीत सिंह को इस घटना में दोषी पाया था। जेलर रामजीत सिंह 30.03.2013 को सेवानिवृत्त हो गया था तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी।

4.64 दिनांक 20.03.2014 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला जेल आज़मगढ़ ने आयोग को सूचित किया कि वार्डन बिहारी राम को निलम्बित किया गया था तथा उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्तुत की गई थी। सजा के रूप में उसके एक इंक्रीमेंट को छः महीनों के लिए रोक दिया गया था। वार्डन मोतीचन्द्र गुप्ता को भी दोषी पाया गया तथा फटकार लगाई गई थी।

4.65 आयोग ने मामले पर 04.09.2014 को विचार किया तथा टिप्पणी की कि अपर महानिदेशक, जेल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट था कि जेल के अधिकारी जेल में नज़रबंद राधेश्याम तिवारी का संरक्षण करने में असफल रहे तथा उन्हें विभागीय तौर पर दण्ड दिया गया था। अतः यह नज़रबंद राधेश्याम तिवारी के मानव अधिकारों के उल्लंघन का स्पष्ट मामला है। तदनुसार, आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को पी.एच.आर.ए, 1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर यह पूछा कि पीड़ित राधेश्याम तिवारी को अंतरिम राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.66 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अवर सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.06.2016 के पत्र द्वारा उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), जेल प्रशासन एवं सुधारात्मक सेवाएं का जवाब अग्रेषित किया। रिपोर्ट में बताया गया था कि इस घटना में उपमहानिरीक्षक की जांच में श्री राम बिहारी, मोतीचन्द्र गुप्ता, धर्मनाथ यादव तथा रामजीत सिंह सभी जेलकर्मी दोषी पाए गए थे। उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी तथा उन्हें तदनुसार दण्डित किया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि चूंकि दोषी जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कार्य के लिए दण्डित किया जा चुका है अतः पीड़ित नज़रबंद राधेश्याम तिवारी को मुआवज़े का भुगतान करने का कोई औचित्य नहीं है।

4.67 आयोग ने 07.10.2016 को रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा टिप्पणी की कि हिरासत में बंद व्यक्ति कानून की प्रक्रिया के कारण अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तथापि, राज्य द्वारा हिरासत में उसे संरक्षण दिया जाना चाहिए। इस मामले में कैदी राधेश्याम तिवारी को उसके ही सहकैदियों द्वारा गला घोंटा गया था उसके हाथ–पैर रस्सी से बंधे हुए पाए गए थे। उसकी सेहत में इस घटना 9 दिनों के बाद अस्पताल में सुधार हुआ था तथा उपरोक्त घटना के लिए 4 जेल अधिकारियों/कर्मचारियों को दोषी पाया गया था तथा उन्हें दण्डित किया गया था। अतः यह पूर्णतः स्पष्ट है कि जेलकर्मी जेल में कैदी राधेश्याम तिवारी के शरीर की रक्षा करने में असफल रहे। जेल में उसके जीवन के अधिकार के रूप में मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अतः राज्य सरकार इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के कृत्य के लिए पूर्णतः जिम्मेदार है अतः आयोग का मानना है कि नज़रबंद राधेश्याम तिवारी को जेल में उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। आयोग ने अतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (ए)(1) के तहत कैदी राधेश्याम तिवारी को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु 50 हजार रुपये के भुगतान की संस्तुति की। इस संबंध में, अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

च) इलैक्ट्रोक्यूशन (करंट लगने से हुई मौत) के मामले

12. जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश में बिजली का करंट लगने के कारण एक 55 वर्षीय महिला की मौत

(मामला संख्या 22027/24/39/2013)

4.68 आयोग ने 'जनसंदेश टाइम्स' दिनांक 24.05.2013 में प्रकाशित "हाईटेंशन तार की चपेट में आने से विवाहिता की मौत" शीर्षक से एक समाचार मद पर स्वतः संज्ञान लिया। समाचार के अनुसार, एक 55 वर्षीय महिला ज़ाहिदा बेगम सुबह–सुबह शौच के लिए अपने घर के पास के मैदान में गई जहां 11केवी की ऊपर लगी तार टूटकर उसके खेत में गिर गई थी। चूंकि, उस समय अंधेरा था तो वह महिला उस तार को देख नहीं पाई तथा उस पर चढ़ गई। उसे करंट लग गया तथा तत्काल ही उसकी मौत हो गई।

4.69 आयोग में सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से रिपोर्ट मांगी।

4.70 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाप्रबंधक, उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 11.10.2013 के पत्र में स्पष्टीकरण दिया था कि तेज़ हवा के कारण ट्रांसमिसन लाइट टूट गई थी। यह भी बताया गया था कि न तो कोई एफ.आई.आर. दर्ज की गई और न ही पोस्टमार्टम किया गया था।

4.71 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 161 (2) के तहत निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा जांच की गई थी जिसमें पाया गया कि भारतीय विद्युत नियम के नियम 29 एवं नियम 91 के उल्लंघन के कारण यह घटना घटित हुई। यह माना गया था कि इसमें कमज़ोर कण्डक्टर पाया गया था तथा फीडर के ओ. सी.बी. का यदि उचित रख–रखाव किया जाता तो इस घटना को टाला जा सकता था। इस घटना के लिए विद्युत उपस्टेशन के प्रचालक को जिम्मेदार ठहराया गया तथा जांच अधिकारी द्वारा मृतक महिला के पति को उचित मुआवज़े की भी संस्तुति की गई।

4.72 निदेशक, विद्युत सुरक्षा की जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आयोग ने माना कि विद्युत दुर्घटना जिसमें ज़ाहिदा बेगम की जान चली गई, विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण घटित हुई अतः आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक ज़ाहिदा बेगम के नज़दीकी रिश्तेदार को उचित वित्तीय राहत की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.73 कारण बताओ नोटिस के जवाब में विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परिवार के सदस्यों ने विद्युत वितरण अनुभाग दो, जोनपुर को कोई शिकायत नहीं की थी, न ही कोई पोस्टमार्टम किया गया था तथा मुआवज़े के लिए कोई दावा भी नहीं किया गया था, यह संभव नहीं है कि इस मामले में मुआवज़े के भुगतान हेतु कार्रवाई प्रारम्भ की जाए। उसने मृतक के पति के बयान का भी हवाला दिया।

4.74 आयोग ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री एवं मृतक के पति के बयान पर विचार करके टिप्पणी दी कि मृतक के पति ने अपने बयान में यह उल्लेख किया था कि उसकी पत्नी ज़ाहिदा बेगम ने टूटे हुए बिजली के तार को गलती से छू लिया था तथा उसकी तत्काल मौत हो गई थी। आयोग ने रिपोर्ट में कोई गुण नहीं पाया कि कोई पोस्टमार्टम नहीं किया गया था तथा कोई दावा नहीं किया गया था। इसलिए मुआवज़ा देय नहीं है। आयोग ने यह टिप्पणी भी की कि निदेशक, विद्युत सुरक्षा द्वारा विद्युत अधिनियम के तहत जांच में निष्कर्ष था कि विद्युत आपूर्ति व्यवस्था के रख–रखाव हेतु जिम्मेदार लोक सेवक द्वारा भारतीय विद्युत नियम के नियम 29 एवं नियम 91 का उल्लंघन करने के कारण यह घटना घटित हुई थी। अतः आयोग ने 04.04.2016 की कार्यवाही द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से मृतक ज़ाहिदा बेगम के नज़दीकी रिश्तेदार को अंतरिम राहत के रूप में एक लाख रुपये के भुगतान की संस्तुति की।

4.75 आयोग के निदेशों के अनुपालन में, मुख्य अभियंता (वितरण), वाराणसी ज़ोन ने 19.12.2016 के पत्र द्वारा सूचित किया कि मृतक के पति को चेक संख्या "029686" दिनांक 18.12.2016 के माध्यम से एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था। आयोग ने 03.01.2017 को मामला बंद कर दिया।

13. तरणतारण, पंजाब के गांव घटियाला में बिजली का करंट लगने के कारण चार व्यक्तियों की मौत तथा छः अन्य जख्मी

(मामला संख्या 304/19/19/2014)

4.76 दिनांक 30.03.2014 की शिकायत के अनुसार, गांव घटियाला, तरणतारण, पंजाब में 11केवी की बिजली के तार के संपर्क में आने के कारण घटनास्थल पर तत्काल चार व्यक्तियों की मौत एवं छः अन्य जख्मी हो गए थे। यह घटना विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

4.77 आयोग द्वारा जांच के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरणतारण ने बताया था कि मामले की जांच उप–पुलिस अधीक्षक, उपमंडल भिखिविंड के माध्यम से की गई थी। जांच के दौरान यह पता चला कि 30.03.2014 को गांव सभरा के लोग बाबा शेरशाह वली तीर्थस्थल से प्रार्थना करके ट्रक पर वापस आ रहे थे। कुछ यात्री टूलबॉक्स पर बैठे हुए थे जब ट्रक ड्राइवर ट्रक को पीछे कर रहा था, एक गांववाला शिंदा सिंह जो टूल बॉक्स पर बैठा हुआ था अचानक ऊपर लगी बिजली के तारों के संपर्क में आ गया। विद्युत करंट द्वारा टूलबॉक्स पर बैठे सभी व्यक्ति उसकी चपेट में आ गए। शिंदा सिंह, रोशन सिंह, हरपाल सिंह तथा निशान सिंह की सरकारी अस्पताल में मौत हो गई तथा छः अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से झुलस गए थे।

4.78 उपायुक्त, तरणतारण ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि चार व्यक्तियों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी तथा छः अन्य व्यक्ति जख्मी हो गए थे। सभी प्रभावित व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री, पंजाब ने पांच लाख पचास हज़ार अर्थात् मृतकों के नज़दीकी रिश्तेदारों में से प्रत्येक को एक लाख तथा छः जख्मी व्यक्तियों में से प्रत्येक को 25 हजार रुपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी थी। मुख्य विद्युत निरीक्षक, पंजाब सरकार जिन्होंने घटना की जांच की थी, से प्राप्त अन्य रिपोर्ट के अनुसार, 11केवी लाइन की वर्टिकल क्लीयरेंस नियमों के तहत नहीं की गई थी। यह लाइन ढीली थी तथा इस 11केवी लाइन के नीचे कोई गार्डिंग भी नहीं की गई थी। यह भी उल्लेख था कि 11केवी की ढीली लाइन इस घटना का कारण थी। यह निष्कर्ष दिया गया था कि इस दुर्घटना को टाला जा सकता था, यदि सप्लायर द्वारा ठीक से निर्माण किया हुआ होता तथा इसको सुरक्षित तरीके से स्थापित किया गया होता। ऐसा नहीं करके आपूर्तिकर्ता द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विनियम, 2010 के विनियम 58 एवं 70 के उपबंधों का उल्लंघन किया गया था।

4.79 उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार करके आयोग का यह मत था कि यह मृतक व्यक्तियों एवं जख्मी व्यक्तियों के मानव अधिकारों के हनन का मामला है। जैसा कि रिपोर्ट किया गया था मृतक व्यक्तियों के नज़दीकी रिश्तेदारों में से प्रत्येक को एक लाख रुपये तथा छः जख्मी व्यक्तियों में से प्रत्येक को पच्चीस हज़ार रुपये का भुगतान किया गया था। आयोग की राय में मृतकों के रिश्तेदारों को किए गए भुगतान की राशि पर्याप्त नहीं थी। आयोग ने पी.एच.आर.ए.,1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा था कि मृतकों, जिन्होंने विद्युत विभाग

की लापरवाही के कारण अपनी जान गंवाई, के नज़दीकी रिश्तेदारों को अतिरिक्त मुआवज़े की संस्तुति क्यों न की जाए।

4.80 चूंकि राज्य सरकार द्वारा कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था। आयोग ने 23.01.2017 को पंजाब सरकार के मुख्य सचिव को मृतक के रिश्तेदारों में से प्रत्येक को एक लाख रुपये की अतिरिक्त मुआवज़े की संस्तुति की। इस मामले में भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित है।

छ) प्रदूषण एवं पर्यावरण मामले

14. गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गांव अभिनैनिगुंटापलम में अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के आवासीय क्षेत्र में करोली प्लास्टिक बोतल उत्पादन उद्योग के कारण कथित प्रदूषण

(मामला संख्या 1046/1/6/2016)

4.81 शिकायतकर्त्ता ने आरोप लगाया था कि गुंटूर, आंध्र प्रदेश के गांव अभिनैनिगुंटापलम में अनुसूचित जाति से संबंधित लोगों के आवासीय क्षेत्र में करोली प्लास्टिक बोतल उत्पादन उद्योग के कारण कथित प्रदूषण के कारण यहां के निवासियों के जीवन एवं स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

4.82 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12.01.2017 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उल्लेख था कि मैसर्स कारोली प्लास्टिक उद्योग विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक के सामानों का उत्पादन करता है इसकी गतिविधियों को उद्योगों के वर्गीकरण हेतु सी.पी.सी.बी. के अनुसार, हरित श्रेणी के तहत रखा गया है जिसका जल एवं वायु अधिनियम की शर्तों के अनुसार कम प्रदूषण करता है। बोर्ड ने आवश्यक शर्तें निर्धारित करके 18.09.2014 को इस उद्योग को स्थापित करने हेतु स्वीकृति जारी की थी। ए.पी.पी.सी.बी. की स्वीकृति केवल प्रदूषण नियंत्रण दृष्टिकोण से जारी की गई थी। उनके द्वारा जोनिंग तथा अन्य विनियमों पर विचार नहीं किया गया था। उद्योग ने 31.10.2016 तक की अवधि के लिए स्वीकृति प्राप्त की थी जिसका बाद में 31.10.2026 तक के लिए नवीनीकरण कर दिया गया था। मामला आयोग के विचाराधीन है।

15. लुधियाना, पंजाब में सतलुज नदी दूषित होने के कारण स्वास्थ्य जोखिम

(मामला संख्या 430/19/10/2016)

4.83 आयोग को रोहित सभरवाल, अध्यक्ष, काउंसिल ऑफ आर.टी.आई. एक्टिविस्ट, लुधियाना, पंजाब से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें यह उल्लेख था कि सतलुज नदी के दूषित होने के कारण आम जनता के जीवन एवं स्वास्थ्य को खतरा है। यह भी बताया गया था कि पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा नगरनिगम लुधियाना, के काम के प्रति उदासीन रवैये से लोग सतलुज नदी का दूषित/प्रदूषित पानी का इस्तेमाल करने के लिए मज़बूर हैं, जिसके कारण वे विभिन्न संक्रामक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं।

4.84 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में नगरनिगम, लुधियाना एवं विज्ञान, आद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग तथा पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से रिपोर्टें प्राप्त हुंई जिनमें उल्लेख था कि पंजाब सरकार/ प्रदूषण कंट्रॉल बोर्ड द्वारा राज्य के निवासियों की समस्याओं का हल करने तथा पंजाब राज्य में सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित कराने के लिए इमानदारी से प्रयास किए गए।

4.85 आयोग ने रिपोर्टों पर विचार किया तथा शिकायतकर्त्ता को इस पर टिप्पणी देने को कहा। प्राप्त टिप्पणी आयोग के विचाराधीन है।

16. *दक्षिणी दिल्ली में रिंग रोड़ पर एन.बी.सी.सी. द्वारा की जाने वाली निर्माण गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय प्रदूषण*

(मामला संख्या 6310/30/8/2016)

4.86 आयोग को प्रो. अल्का क्षेत्रीय, पूर्व सांसद, राज्यसभा से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने एन.बी.सी.सी. द्वारा रिंग रोड़, दक्षिणी दिल्ली जहां बहुमंजली भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है, की निर्माण गतिविधियों के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के विषय में चिंता व्यक्त की थी। निर्माणाधीन फ्लैट सरकारी अधिकारियों को आवंटन के साथ–साथ आम जनता को लीज़ आधार पर आवंटित किए जाएंगे।

4.87 शिकायतकर्त्ता ने उल्लेख किया है कि प्रस्तावित निर्माण हेतु लगभग 2,38,000 पेड़ों को काटा जाएगा तथा इस क्षेत्र में प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ जाएगा।

4.88 आयोग ने अपनी 30.11.2016 की कार्रवाई द्वारा शिकायत पर संज्ञान लिया तथा सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से रिपोर्ट मांगी, जो प्रतीक्षित है। इसके बाद, 21.04.2017 एवं 25.09.2017 को अनुस्मारक भी भेजे गए थे। मामला आयोग के विचाराधीन है।

ज) अन्य महत्त्वपूर्ण मामले

17. *कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक छात्रा की मौत*

(मामला संख्या 9036/24/56/2015)

4.89 श्री आर.के.शर्मा, मानव अधिकार कार्यकर्ता, हरिद्वार, उत्तराखण्ड ने 19.02.2015 को ई–मेल द्वारा एक शिकायत भेजी जिसमें आरोप था कि स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के कारण कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के छात्रावास में मनीषा नामक एक छात्रा की मौत हो गई तथा अन्य 12 छात्राओं ने छात्रावास छोड़ दिया।

4.90 आयोग के निदेशों के अनुपालन में ए.डी.एम., मुरादाबाद ने 16.03.2016 के पत्र द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, मुरादाबाद तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद की रिपोर्टें अग्रेषित कीं। जिला शिक्षा

अधिकारी की जांच रिपोर्ट से पता चला कि प्रश्नगत विद्यालय सरकार के निदेशानुसार एक गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाया जा रहा था। दिनांक 13.11.2014 को रात्रि 11:00 बजे कक्षा 6 की छात्रा मनीषा ने पेट में दर्द की शिकायत की। उसने कोई पाउडर खा लिया था जो उसके साथ था। उसका दर्द कुछ समय के लिए कम हो गया था परन्तु प्रातः 1:30 पर उसने दोबारा पेट दर्द की शिकायत की। उसकी गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक स्थानीय डॉक्टर को बुलाया गया जिसने चेकअप के बाद कोई दवा देने से इंकार कर दिया। स्कूल टीचर ने जिला मजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के कार्यालय में एक एम्बुलेंस हेतु संपर्क किया परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के आश्वासन के बावजूद भी कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंची। तब प्रातः 4 बजे स्थानीय पुलिस पहुंची परन्तु तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि उसके मासिक चेकअप के दौरान स्थानीय पी.एच.सी. डॉक्टर ने बताया था कि पीड़ित लड़की एनीमिया से ग्रस्त थी परन्तु उसके बाद किसी प्रकार की अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। जांच रिपोर्ट में निष्कर्ष था कि मृतक लड़की की मौत बीमारी के कारण हुई न कि विभाग की लापरवाही के कारण। इसी प्रकार की जांच रिपोर्ट सर्कल अधिकारी ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद द्वारा प्रस्तुत की गई थी, निष्कर्ष दिया गया था कि मृतक लड़की के पिता ने स्कूल कर्मचारियों के विरुद्ध उनकी बेटी की मौत के संबंध में शिकायत की थी। अतः रिपोर्ट में उल्लेख था कि आर.के.शर्मा द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है।

4.91 आयोग में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार किया तथा रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए निर्णय दिया कि पीड़ित को समय से उपचार देकर उसका जीवन बचाया जा सकता था। जिला प्रशासन मुरादाबाद के कर्मचारियों द्वारा पीड़ित को समय पर एवं प्रभावी उपचार में लापरवाही उसके मानव अधिकारों के घोर हनन के बराबर है।

4.92 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार को पी.एच.आर.एक्ट, 1993 की धारा 18(ए)(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक के नज़दीकी रिश्तेदारों को एक लाख रुपये की वित्तीय मुआवज़े की संस्तुति क्यों न की जाए। मामला आयोग के विचाराधीन है।

18. *केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनके राष्ट्रीय खेल समारोह में भाग लेने के लिए बिना रिजर्वेशन के स्लीपर क्लास कम्पार्टमेंट में भेड़–बकरियों की तरह बड़ी संख्या में छात्रों को यात्रा कराई गई।*

(मामला संख्या 7298/30/3/2014)

4.93 आयोग को विवेक पाण्डे से एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली के प्राधिकारियों द्वारा स्कूली छात्रा के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ, इसमें उल्लेख था कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय खेल समारोह में भाग लेने के लिए देश भर से अहमदाबाद के लिए 10 से 18 वर्ष की आयुवर्ग की छात्राओं को लाया गया था। छात्राओं को बड़ी संख्या में रेल द्वारा दिल्ली से अहमदाबाद बिना रिजर्वेशन के स्लीपर क्लास कम्पार्टमेंट में भेड़–बकरियों की तरह भरकर भेजा गया था। शिक्षकों को भी इसी प्रकार की दुर्दशा का सामना करना पड़ा था तथा

अहमदाबाद पहुंचने के लिए रेल में बहुत संघर्ष करना पड़ा था। छात्राएं अपने–अपने स्थानों पर लौटने को तैयार थीं तथा उनके वापसी के टिकट भी कन्फर्म रिजर्वेशन के बिना थे। पीड़ित अभिभावकों ने संबद्ध प्राधिकारियों से संपर्क किया परन्तु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। छात्राओं की सकुशल वापसी हेतु संबद्ध प्राधिकारियों को निदेश देने के लिए प्रार्थना की गई थी।

4.94 आयोग ने मामले पर विचार कर पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत 24.06.2015 को सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि छात्राओं तथा उनके साथ गए शिक्षकों, गुरुग्राम क्षेत्र, राजोकरी क्लस्टर एवं हिसार क्लस्टर, जिन्हें रेल में भीड़ में सामान्य कोच में बिना रिजर्वेशन के यात्रा करनी पड़ी थी, में से प्रत्येक को पांच हज़ार रुपये की राशि क्यों न संस्तुत की जाए।

4.95 आयोग के निदेशों के अनुपालन में, संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण), केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली ने 28.07.2015 के पत्र द्वारा यह बताया कि कुल मिलाकर 4734 छात्रों एवं साथी शिक्षकों ने देश के विभिन्न भागों से अहमदाबाद के लिए यात्रा की थी। यात्रा के प्रस्थान के लिए सभी सीटें कंफर्म थीं तथा वापसी यात्रा की 540 टिकटें कंफर्म नहीं थीं। गुरुग्राम क्षेत्र से चार छात्राएं एवं एक शिक्षक, जिनकी टिकटें वेटिंग में थीं, ने भी रेल से यात्रा की थी। इन छात्राओं को मूल रूप से अहमदाबाद में राष्ट्रीय समारोह में हिस्सा लेने के लिए नहीं चुना गया था तथा उनके टिकट भी आखिरी समय पर बुक किए गए थे। राजोकरी क्लस्टर में 42 छात्राओं एवं शिक्षकों में कंफर्म रिजर्वेशन से यात्रा की थी। शेष 82 छात्राओं एवं शिक्षकों के लिए रेल प्राधिकारियों ने 90 सीट वाली एक अलग बोगी जोड़ दी थी तथा सभी छात्राओं को सोने के लिए थोड़ा स्थान मिल गया था। इस प्रकार का छोटा सा सामन्जस्य छात्राओं के लिए सीखने का एक हिस्सा था। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा उनके हुनर को प्रोत्साहित करने को देखा जाना चाहिए तथा छोटी–मोटी कमी को नज़रंदाज किया जाना चाहिए। हिसार क्लस्टर से 21 छात्राएं एवं चार शिक्षकों का रेल रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हो पाया था तथा उन्होंने वोल्वो बस से यात्रा की थी। यद्यपि, बस रास्ते में खराब हो गई थी तथा उनकी यात्रा में देरी हुई थी। हिसार क्लस्टर से अन्य 12 छात्राएं एवं दो शिक्षकों ने हरिद्वार मेल द्वारा रिजर्वेशन के बिना यात्रा की तथा सहयात्रियों की सहायता से दिल्ली पहुंचे। यह भी उल्लेख था कि संबद्ध लीडर की तरफ से दायित्व में लापरवाही हुई थी जो अपना दायित्व अपेक्षा के अनुसार पूरा नहीं कर पाया। उसे पूरे समूह को यात्रा की योजना बतानी चाहिए थी तथा शिक्षकों का मार्गदर्शन करना चाहिए था न कि उसके बजाय बिना रिजर्वेशन कंफर्म किए उन्हें अपनी यात्रा करने के लिए छोड़ना चाहिए था। अतः संबद्ध लीडर गुरूग्राम क्षेत्र को उसके कर्त्तव्य के निर्वहन में लापरवाही करने के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई थी।

4.96 आयोग के निदेशों के अनुपालन में कार्यकारी निदेशक, पैसेंजर मार्केटिंग, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने अपने पत्र दिनांक 19.10.2015 के द्वारा अपनी रिपोर्ट भेजी जिसमें उल्लेख था कि 13.10.2014 से 18.10.2014 तक अहमदाबाद में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों एवं शिक्षकों का बहुत बड़ा समूह था। जिनके

लिए एडवांस में यात्रा की योजना नहीं बनाई गई थी। इनमें से अधिकतर के पास वेटिंग वाली टिकट थी तथा अंतिम समय में दिनांक 18.10.2014 को केन्द्रीय विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा वेटिंग वाली टिकटों के लिए उनके शिक्षकों एवं छात्रों को विभिन्न दिशाओं से यात्रा करने के लिए रिजर्वेशन कंफर्म करने का आग्रह किया गया था। रेलवे के अहमदाबाद मंडल ने कुछ इंतजाम शिक्षकों एवं छात्रों के सुरक्षित एवं आरामदेय यात्रा करने के लिए सुनिश्चित किए थे। यह उल्लेख था कि किसी अतिरिक्त कोच को जोड़ने का कार्य नहीं किया गया था क्योंकि आश्रम एक्सप्रेस अपनी स्वीकृत अधिकतम क्षमता के कोच लगा चुकी थी तथा छात्रों एवं शिक्षकों को जनरल कोच में ही यात्रा करने का एक विकल्प रह गया था। उन्हें सभी ट्रेनों में इमरजेंसी कोटा आवंटित करने के संबंध में प्राथमिकता दी गई थी। भारतीय रेलवे एडवांस रिजर्वेशन अवधि के दौरान बल्क बुकिंग का प्रावधान करता है तथा पूरे टैरिफ रेट पर पूरे कोच की बुकिंग का भी प्रावधान करता है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने बल्क बुकिंग अथवा एडवांस में एफ.टी.आर. किया था। रेलवे द्वारा उनके लिए उपयुक्त इंतजाम किए जाने चाहिए थे। अक्टूबर में छुट्टियों का सीजन होने के कारण सभी ट्रेनों में बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट थी जिसमें 10 प्रतिशत से भी अधिक भर चुकी थी। रेलवे को इंतजाम के लिए बहुत कम समय का नोटिस दिए जाने के बावजूद भी अहमदाबाद डिवीजन ने छात्राओं की बड़ी संख्या में यात्रा हेतु अधिकतम संभव सहायता दी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन साबरमती द्वारा रेलवे प्राधिकरण को 18.10.2014 भेजा गया आग्रह–पत्र इसके साथ संलग्न किया गया था।

4.97 आयोग ने मामले पर विचार किया तथा सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस तथा बाद में 16.09.2015 को अनुस्मारक–पत्र भी जारी किया। हालांकि, कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ था।

4.98 उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन करने से पता चला कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय खेल समारोह में छात्राओं एवं साथी शिक्षकों की देख–रेख करने में असफल रहा था। यात्रा की योजना उचित तरीके से नहीं तैयार की गई थी तथा गुरुग्राम क्षेत्र से पांच छात्राएं एवं साथी शिक्षक, राजोकरी क्लस्टर से 82 छात्राएं एवं साथी शिक्षक तथा हिसार क्लस्टर से 39 छात्राएं एवं साथी शिक्षक (कुल मिलाकर 126 छात्राएं एवं साथी शिक्षक) को केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय खेल समारोह में आने–जाने की यात्रा करने के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा यह भी माना गया था कि कंटीजेंट लीडर की ओर से ड्यूटी में लापरवाही हुई थी जिसमें अपने कर्त्तव्य का निर्वाह, जैसा कि अपेक्षित था, नहीं किया तथा गुरुग्राम क्षेत्र की कंटीजेंट लीडर के विरुद्ध ड्यूटी में लापरवाही हेतु कार्रवाई करने का प्रस्ताव किया गया था। अतः राज्य अभिकरण की ओर से ड्यूटी में लापरवाही के कारण 126 छात्राओं एवं साथी शिक्षकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। आयोग ने इस प्रकार के मानव अधिकार उल्लंघन को गंभीरता से लिया।

4.99 आयोग ने अतः गुरुग्राम क्षेत्र से 5 छात्राएं एवं साथी शिक्षक, राजोकरी क्लस्टर से 82 छात्राएं एवं साथी शिक्षक तथा हिसार क्लस्टर से 39 छात्राएं एवं साथी शिक्षक (कुल मिलाकर 126 छात्राएं एवं

साथी शिक्षक), में से प्रत्येक को 5 हजार रुपये, जिन्हें इस प्रकरण में परेशानी उठानी पड़ी थी, को भारत सरकार द्वारा पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत अंतरिम राहत के रूप में वित्तीय मुआवज़ा देने की संस्तुति की थी।

4.100 अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी तथा मामला बंद कर दिया गया था।

19. जिला जेल, भागलपुर, बिहार में चार मौत की सजा के आरोपियों की दया याचिका की प्रक्रिया में देरी।

(मामला संख्या 684/4/5/2014)

4.101 श्री सुहास चकमा, निदेशक, ऐशियन सेंटर फोर ह्यूमन राइट्स ने 06.02.2014 की अपनी शिकायत के द्वारा जिला जेल, भागलपुर, बिहार में चार मौत की सजा के आरोपियों कृष्णा मोची, नन्हे लाल मोची, वीरकुएर पासवान तथा धर्मेंद्र सिंह उर्फ धारू सिंह की दया याचिका की प्रक्रिया में देरी के विषय में आयोग का ध्यान आकर्षित किया। शिकायतकर्त्ता के अनुसार, जेल प्राधिकारियों ने दावा किया था कि उन्होंने 03.03.2003 को भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका अग्रेषित कर दी थी, परन्तु "1981 से दया याचिका मामलों" की सूची जो गृह मंत्रालय द्वारा मुहैया कराई गई थी तथा भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त की गई थी उसमें कृष्णा मोची एवं अन्य के नाम नहीं थे। जिससे की स्पष्ट होता है कि उनकी याचिका गुम हो गई थी। शिकायकर्त्ता ने आयोग का ध्यान उच्चतम न्यायालय के एतिहासिक निर्णय शत्रुघन चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य {(रिट याचिका संख्या 55/2015) (2014) 2 एस.सी.सी. (अप.) 1} मामले में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिकाओं में निर्णय देने में देरी के आधार पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था, की ओर भी दिलाया। इन मामलों में देरी की अवधि 5 से 12 वर्ष थी। शिकायतकर्त्ता ने अतः शीर्ष न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में चारों आरोपियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए आयोग के हस्तक्षेप का अनुरोध किया।

4.102 आयोग ने न केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा शत्रुघन चौहान एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य {(रिट याचिका संख्या 55/2015) (2014) 2 एस.सी.सी. (अप.) 1} बल्कि अजय कुमार पाल बनाम भारत संघ, 2015 2 एस.सी.सी. (अप.) 2 के मामले में दिए गए निर्णय की भी जांच की जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिकाओं में निर्णय देने में देरी के आधार पर मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था।

4.103 आयोग ने अपनी 22.08.2016 की कार्रवाई के द्वारा यह राय प्रकट की कि उपरोक्त दोनों निर्णयों के आधार पर चारों मौत की सजा के आरोपियों जिन्होंने अपनी दया याचिका दायर की थी, 12 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद उनका मामला उनको दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए मज़बूत है तदनुसार, आयोग ने भारत सरकार से उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों निर्णयों के आलोक में दया याचिकाओं पर त्वरित निर्णय लेने की संस्तुति की।

4.104 गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने आयोग को सूचित किया था कि भारत के राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 01.01.2017 को उपरोक्त आरोपियों की मौत की सजा को आजीवन कारावास में इस शर्त के साथ बदल दिया था कि कैदी अपना पूरा जीवन जेल में ही रहेंगे तथा किसी प्राधिकरण द्वारा उनके आजीवन कारावास में कोई कटौती नहीं की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया था कि राष्ट्रपति के निर्णय से बिहार सरकार को भी अवगत करा दिया गया था।

4.105 उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका का निपटान कर दिया गया था अतः आयोग ने इस मामले को लंबित रखना आवश्यक नहीं समझा तथा मामले को बंद कर दिया।

20. जिला बक्सा, असम के गांव नोनके खाराबारी में वन अधिकारियों एवं एन.डी.एफ.बी. कैडर के संघर्ष में 36 गांववालों की मौत

(मामला संख्या 215/3/11/2014)

4.106 आयोग ने इंडियन एक्सप्रेस दिनांक 05.05.2014 के समाचार–पत्र में "असम हिंसा : बचे हुए लोगों द्वारा शिकायत करने के बाद वन विभाग के 6 कर्मचारी हिरासत में" शीर्षक से प्रकाशित प्रेस रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया। प्रेस रिपोर्ट के अनुसार, असम पुलिस की सी.आई.डी. टीम खाराबारी घटना में मारे गए लोगों की जांच हेतु बक्सा जिले में उन गांव में गए थे जहां 20 व्यक्तियों की मौत हुई थी। रिपोर्ट में उल्लेख था कि कोकराझार तथा बक्सा में 1 एवं 2 मई, 2014 को हुई घटना के संबंध में 5 मामले दर्ज किए गए थे। रिपोर्टानुसार, कुछ बचे हुए व्यक्तियों में से विशेष रूप से शिकायत की गई थी कि जब गांव वाले खागराबारी वन बीट अधिकारी के पास दौड़ते हुए गए क्योंकि उनपर सशस्त्र बदमाशों ने हमला किया था, वनकर्मी उनकी सहायता करने के बजाय उनपर ही गोलियां चलाने लगे तथा कुछ के घरों में आग लगा दी।

4.107 आयोग ने मुख्य सचिव, असम सरकार तथा पुलिस महानिदेशक, असम से रिपोर्टें मांगी।

4.108 आयोग के निदेशों के अनुपालन में जिला कोकराझार के पुलिस अधीक्षक के साथ–साथ जिला बक्सा के पुलिस अधीक्षक से रिपोर्टें प्राप्त हुईं। पुलिस अधीक्षक, कोकराझार ने बताया था कि 01.05.2014 को 20–25 अज्ञात बोडो युवक जिनपर एन.डी.एफ.बी. को सहायता देने का शक था शस्त्र एवं मारक हथियारों सहित गांव बालापारा पार्ट–1 में घुस आए थे तथा गांव वालों पर अंधाधुध फायरिंग की थी। इस घटना में 7 व्यक्तियों की मौत हो गई थी जबकि 3 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। थाना गोसांई गांव में शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के साथ भा.द.सं. की धारा 448/457/302/307/326/324/427/34 के तहत दिनांक 02.05.2014 को मामला एफ.आई.आर. संख्या 155/2014 दर्ज की गई थी जिसे विशेष कार्यबल (एस.टी.एफ.), असम द्वारा जांच की गई थी।

4.109 पुलिस अधीक्षक, जिला बक्सा ने बताया था कि 02.05.2014 को 40–50 अज्ञात कैडर जिन्हें

प्रतिबंधित एन.डी.एफ.बी. से संबंधित होने का शक था, शस्त्रों एवं मारक हथियारों से गांववालों पर हमला किया था। यह सूचना प्राप्त होने पर पुलिस घटनास्थल पर गई तथा उस समय उन्होंने 18 शव बरामद किए। 4 व्यक्ति घायल थे तथा 2 गुमशुदा थे। घटना के बाद थाना गोबर्धना में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 10/13, शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1–ए)/27 तथा भा.द.सं. की धारा 120(बी)/12/123/147/307/436/302 के तहत दिनांक 03.05.2014 को मामला एफ.आई.आर. संख्या 64/14 दर्ज की गई थी।

4.110 आयोग को अपर सचिव (गृह एवं राजनीति) विभाग, असम सरकार ने अपने पत्र 03.03.2016 द्वारा यह भी सूचित किया था कि एफ.आई.आर. संख्या 64/2014 के संबंध में 13 वन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। यह भी सूचित किया गया था कि दोनों एफ.आई.आर. 155/14 तथा 64/2014 के मामलों को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण को आगे की जांच हेतु सौंप दिया गया था।

4.111 आयोग को इसी प्रकार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने भी सूचित किया था कि जांच के बाद दोनों मामलों में आरोप–पत्र दाखिल किए गए थे। यह भी बताया गया था कि गांव नोनके खाराबारी, थाना गोबर्धना, जिला बक्सा के 36 गांववाले 02.05.2014 को वन अधिकारियों के एन.डी.एफ.बी. कैडरों से हुए कथित संघर्ष में मारे गए थे। एफ.आई.आर. संख्या 64/2014(आर.सी.–02/2014एन.आई.ए.–गुव.) में आरोप–पत्र के अनुसार चार वनकर्मियों नामतः (1) रोजेन बोरो (2) जयंता बोरो (3) निज्वम बासुमतारी (4) मल्लाजीत खेरकाटरे की संलिप्तता स्थापित हुई थी।

4.112 आयोग ने रिपोर्टों पर विचार करके इस घटना पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी कि वनकर्मियों ने एन.डी.एफ.बी. कैडरों के साथ संघर्ष में नौनके खाराबारी, जिला बक्सा में 36 गांववालों की हत्या कर दी थी, इसमें अपनी 06.01.2017 की कार्यवाही में अन्य बातों के साथ–साथ यह टिप्पणी एवं निर्देश दिया कि 36 निर्दोश गांववालों के नज़दीकी रिश्तेदार असम राज्य से अंतरिम वित्तीय राहत के पात्र हैं। आयोग ने अतः मुख्य सचिव, असम सरकार को पी.एच.आर.ए. 1993 की धारा 18 (1)(ए) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि 36 गांववालों जिन्होंने एन.डी.एफ.बी. कैडर के साथ वनकर्मियों के संघर्ष में अपनी जान गंवाई थी, के निकटतम रिश्तेदारों में से प्रत्येक को पांच लाख रुपये तथा चार घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक को एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय राहत क्यों न संस्तुत की जाए। मृतक व्यक्तियों के साथ–साथ चार घायल व्यक्तियों की सूची भी असम सरकार को मुहैया करवा दी गई थी। मुख्य सचिव, असम सरकार को दो गुमशुदा व्यक्तियों नामतः सहिनूर इस्लाम (9 वर्ष), पुत्र रमज़ान अली तथा राशिदुल इस्लाम (5 वर्ष), पुत्र अज़ीमुद्दीन को ढूंढने के लिए सभी प्रयास करने का भी निदेश दिया गया था।

4.113 महानिदेशक, राष्ट्रीय जाँच ऐजेंसी को भी मामला सं. 64/2014 (आर सी–02/2014 एन आई ए–III) की प्रगाति के बारे में आयोग को अवगत कराते रहने का निदेश दिया गया।

4.114 आयुक्त और सचिव (पर्यावरण और वन), असम सरकार को भी चारों वन अधिकारियों, जिन्हें

राष्ट्रीय जाँच ऐजेंसी द्वारा आरोप पत्र दिया गया था, के खिलाफ आरंभ की गई विभागीय कार्रवाई के संबंध में चार सप्ताह के भीतर आयोग को सूचित करने का निर्देश दिया।

4.115 मुख्य सचिव, असम सरकार, प्रधान सचिव (वन), असम सरकार और महानिदेशक, राष्ट्रीय जाँच एजेंसी की ओर से कोई जवाब अभी प्राप्त नहीं हुआ है और मामला आयोग के विचारधीन है।

21. चान्हों, रांची जिला, झारखण्ड के राजकीय स्कूल में एक अध्यापक द्वारा कथित रुप से पीटे जाने के कारण आठ वर्षीय छात्र की मृत्यु

(मामला सं. 122/34/16/2014)

4.116 आयोग ने दिनांक 04.02.2014 को अंग्रेजी दैनिक इंण्डियन एक्सप्रेस में "अध्यापक द्वारा 'पिटाई' किए जाने के बाद आठ वर्षीय छात्र की मृत्यु" शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार चान्हों, जिला रांची, झारखण्ड के राजकीय स्कूल में कक्षा–I के छात्र सुजित मुंडा की मृत्यु 02.02.2014 को संदिग्ध आंतरिक चोटों के कारण हुई। स्कूल के अध्यापक ने कथित रुप से लकड़ी के डंडे से लड़के की पिटाई की थी। तत्पश्चात, आयोग को इसी मामले पर तीन और शिकायतें प्राप्त हुईं।

4.117 आयोग के निदेशों के अनुसरण में, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रांची से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें घटना की पुष्टि की गई थी और कहा गया था कि आईपीसी की धारा 304, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 23 और बच्चों को निः शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 17(1) के तहत सरकारी मिडिल स्कूल, बारहे(रांची) के हेडमास्टर अर्शद हुसैन, पुत्र मोहम्मद कासिम के खिलाफ एफआईआर सं. 11/2014 दर्ज की गई थी। मामले की जांच की गई और आरोप सही पाए गए। तदनुसार, जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की सिफारिश की, जिसे सक्षम अधिकारियों द्वारा अनुमोदित किया गया था। रिपोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला भी दिया गया और बताया गया कि मौत पिटाई के कारण नहीं अपितु फेफड़े की बीमारी के कारण हुई थी। आयोग ने 27.01.2014 को रांची के उपायुक्त से भी एक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार आरोपी हेडमास्टर को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया था।

4.118 रिपोर्टों पर विचार करते हुए, आयोग ने दिनांक 07.12.2015 की अपनी कार्यवाही में पाया कि उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि एक आठ वर्षीय लड़के को शारीरिक दंड दिया गया था। यह और कुछ नहीं बल्कि एक लोक सेवक द्वारा बच्चे के मानवाधिकारों का उल्लंघन था, जिसके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था और उसे निलंबित कर दिया गया था। इसलिए, राज्य, मृतक बच्चे के परिजनों को पर्याप्त रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए जिम्मेदार है। इसलिए, आयोग ने झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम,1993 की धारा 18 के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा मृतक बच्चे के निकटतम परिजनों को मुआवजे के तौर पर ₹ 1,00,000/– (एक लाख रुपए मात्र) के भुगतान की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.119 कारण बताओ नोटिस के जवाब में, संयुक्त सचिव, गृह, जेल और आपदा प्रबंधन, झारखंड सरकार

ने आयोग को सूचित किया कि राज्य सरकार ने मृतक छात्र सुजीत मुंडा के निकटतम परिजनों को आर्थिक राहत के रूप में ₹1,00,000/– (एक लाख रुपए मात्र) की मुआवजा राशि के भुगतान की सिफारिश पर सहमति जताई है।

4.120 यह मामला 07.09.2016 को रांची में आयोग की शिविर बैठक दौरान उठाया गया था। चूंकि राज्य सरकार ने मृतक बच्चे के निकटतम परिजनों को मुआवजे के रूप में ₹1,00,000/– (एक लाख रुपए मात्र) की मुआवजा राशि के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत किया था, अतः मामला बंद कर दिया गया।

22. देलांगा रेलवे स्टेशन, ओडिशा के पास जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जीआरपीएफ/आरपीएफ पुलिस द्वारा एक रेलवे यात्री पर क्रूरतापूर्ण हमला

(मामला सं. 2430/18/12/2014)

4.121 दिनांक 02.06.2014 को ओडिया दैनिक 'धरती' में प्रकाशित समाचार के आधार पर, एक आरटीआई कार्यकर्ता, शिकायतकर्ता जयंत कुमार दास ने 03.06.2014 की अपनी याचिका में आरोप लगाया गया था कि 02.06.2014 को देलांगा रेलवे स्टेशन, ओडिशा के पास जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर जीआरपीएफ/ आर.पी.एफ. पुलिस द्वारा एक रेलवे यात्री डॉ. देब प्रसाद पटनायक पर बेरहमी से हमला किया गया था, जबकि वह एक वैध टिकट लेकर यात्रा कर रहा था। जब पीड़ित ने जीआरपी पुलिस द्वारा मांगे गया जुर्माना देने के लिए मना किया तो उन्होंने गंदी भाषा में गाली गलौच देना शुरू कर दिया। जब पीड़ित ने आपत्ति जताई, तो पुलिस उग्र हो गई और पीड़ित को निर्दयता से पीटा गया। डॉ. पटनायक ने पुरी पहुंचने के बाद अस्पताल में उपचार करवाया और जीआरपी पीएस, पुरी में एक लिखित शिकायत दर्ज कारवाई, लेकिन उन्होंने इसे दर्ज नहीं किया और पीड़ित को समझौता करने के लिए दबाव डाला। शिकायतकर्ता ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

4.122 आयोग के दिनांक 12.06.2014 के निदेशानुसार , पुलिस अधीक्षक, रेलवे, कटक, ने सूचित किया कि पीड़ित डॉ. देब प्रसाद पटनायक की रिपोर्ट पर जीआरओपी, पुरी में 02.06.2014 को आईपीसी की धारा 341/323/294/307/506 के तहत मामला क्रमांक 34 दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, यह पता चला कि होम गार्ड सुभाष च. प्रधान और विश्वजीत मोहंती पुरी–हावड़ा जगन्नाथ एक्सप्रेस ट्रेन में पुरी रेलवे स्टेशन से खुर्दा रोड रेलवे स्टेशन से ड्यूटी पर थे। देलांगा रेलवे स्टेशन के बाद होम गार्ड सुभाष च. प्रधान ने पीड़ित को अपना टिकट दिखाने के लिए कहा, जो लगभग खाली स्लीपर कोच में यात्रा कर रहा था। जब उन्होंने टिकट दिखाने से मना कर दिया, तो गरमा गरमी का माहौल हो गया। नतीजतन, पीड़ित पर लाठी से हमला किया गया । होम गार्ड ने भी उसके साथ गंदी भाषा में बात की। पीड़ित की मेडिकल जांच की गई थी। एमएलसी में डॉक्टर कों चार चोटें लगी हुई मिली। चोटें हल्की थीं। घटना के समय पीड़ित के पास वैध टिकट नहीं था। रिपोर्ट से यह निष्कर्ष निकाला गया कि मामले की जांच ओपीएस, डीएसआरपी, खुर्दा रोड जोन द्वारा की गई, जिसने पाया कि आरोपी होम गार्ड सुभाष च. के खिलाफ आईपीसी की धारा 341/323/294/307/506 के तहत एक सही मामला था और आईपीसी की धारा 307/506 के तहत साक्ष्य की पुष्टि नहीं की जा सकती। चूंकि

आरोपी होम गार्ड सुभाष च. प्रधान के खिलाफ सबूत थे। उन्हें जांच अधिकारी ने उसे गिरफ्तार कर लिया और अदालत भेज दिया।

4.123 आयोग ने 15.10.2015 को मामले पर विचार किया और कहा कि हावड़ा–पुरी जगन्नाथ पैसेंजर ट्रेन के स्लीपर कोच में यात्रा करने वाले यात्री डॉ. देब प्रसाद पटनायक पर होम गार्ड सुभाष च., जो ट्रेन में ड्यूटी पर था, ने लाठी से क्रूरतापूर्वक हमला किया था जिससे पीड़ित के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चोटें आईं। पीड़ित को लोक सेवक ने गंदी भाषा में गाली गलौच भी की थी इसलिए, पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, जिसके लिए रेलवे परोक्ष तौर पर उत्तरदायी था। इसलिए, आयोग ने अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली को मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (प) के तहत छह सप्ताह के भीतर कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि आयोग द्वारा डॉ. देब प्रसाद पटनायक को आर्थिक राहत की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए।

4.124 आयोग के निदेशों के अनुसरण में, उप निदेशक/एसईसी (अपराध), रेलवे बोर्ड ने सूचित किया कि आरोपी होम गार्ड, जिसके खिलाफ ओडिशा राज्य की सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया था, वह ओडिशा राज्य पुलिस के अंतर्गत काम करता है।

4.125 आयोग ने 07.11.2016 की कार्यवाही के दौरान अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, नई दिल्ली को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का स्मरण किया और मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को मानव अधिकार अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (प) के तहत कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया कि लोक सेवक द्वारा पीड़ित डॉ. देब प्रसाद पटनायक को उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) के मुआवज़े का अनुमोदन क्यों नहीं किया जाना चाहिए?

4.126 आयोग ने भुवनेश्वर में 09.01.2017 को अपनी शिविर बैठक में इस मामले को उठाया और निसंदेह यह माना कि अभियुक्त होम गार्ड के खिलाफ कार्रवाई की गई थी और उसे चार्जशीट दी गई थी। यह स्थापित किया गया था कि अभियुक्त होम गार्ड ने अपने कर्तव्यों के चार्टर का उल्लंघन किया और पीड़ित के मानव अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसलिए, आयोग ने ओडिशा सरकार को लोक सेवक द्वारा पीड़ित डॉ. देब प्रसाद पटनायक को उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए 50,000/– रुपये (पचास हजार रुपये मात्र) का आर्थिक मुआवजा देने की सिफारिश की। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

23. क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे, महाराष्ट्र में एक अन्य रोगी द्वारा दो रोगियों की हत्या (मामला सं. 3143/13/23/2013)

4.127 आयोग को डॉ. सुभाष महापात्रा, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट कम्युनिकेशन से दिनांक 20.11.2013 की एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 20.11.2013 की रात को क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, यरवदा, पुणे, महाराष्ट्र में पदार्थ प्रेरित मनोविकृति से ग्रस्त एक अन्य रोगी दीपक सुरवसे ने उन दो रोगियों, पांडुरंग लैंद और शमसुद्दीन सवाजी भन्वाडिया की हत्या कर दी, जिनका

अस्पताल के पुरुष अवलोकन वार्ड में सिजोफ्रेनिया का इलाज चल रहा था। यह आरोप लगाया गया था कि उस रात तीन कर्मचारी वार्ड के बाहर तैनात थे और एक मनोचिकित्सक तथा एक मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी पर थे लेकिन किसी ने भी रोगियों के बीच हो रही लड़ाई में न तो बीच बचाव किया और न ही पुलिस को मदद के लिए बुलाया।

4.128 आयोग ने 27.12.2013 को मामले का संज्ञान लिया और उप सचिव, महाराष्ट्र सरकार, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, मुंबई, अधीक्षक, क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल येरवदा, पुणे और पुलिस उपायुक्त, येरवदा, पुणे शहर से रिपोर्ट प्राप्त की। आयोग ने 03.03.2016 को रिपोर्टों पर विचार करते हुए पाया कि ऐसी घटना घटित हुई थी और मानसिक रूप से बीमार रोगी अभियुक्त दीपक सुरवस ने अस्पताल में भर्ती अन्य दो मरीजों की हत्या कर दी थी। उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था, हालांकि, आरोपी की मानसिक बीमारी के कारण पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। मामले की जांच चल रही थी। इसके अलावा, क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, पुणे ने एक विस्तृत कृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें कहा गया था कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सभी संभावित प्रयास किए गए हैं। कृत कार्रवाई रिपोर्ट निम्नानुसार हैः –

(i) अस्पताल के सभी वार्डों में रात्रि ड्यूटी में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की गई है।

(ii) एक मनोचिकित्सक और एक मेडिकल ऑफिसर सभी वार्डों में प्रत्येक रात्रि को दौरा करते हैं और मानसिक रूप से बीमार रोगियों के व्यवहार और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के कामकाज पर व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करते हैं।

(iii) मनोचिकित्सक / चिकित्सा अधिकारी वार्डों के हिंसक मरीजों की पहचान करते हैं और ऐसे मरीजों को अलग कमरे में रखने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाते हैं और ऐसे रोगियों को रासायनिक प्रतिरोधों की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) अस्पताल के सभी वार्डों और विभिन्न विभागों में इंटरकॉम सुविधाएं उपलब्ध कराना।

(v) सभी वार्डों में सीसी टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं और यह प्रक्रिया शीघ्र ही पूरी कर ली जाएगी।

4.129 आयोग ने रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा टिप्पणी की कि मानसिक अस्पताल में दो रोगियों की मौत जबकि तीन अटेंडेंट ड्यूटी पर थे, जो सभी प्रथम दृष्टया घटना की रोकथाम करने में असफल रहे, यह दर्शाता है कि अस्पताल स्टाफ परोक्ष रूप से लापरवाह था। इस लापरवाही के लिए, जिससे मृतक के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ, महाराष्ट्र राज्य पूरी तरह से उत्तरदायी है तथा आयोग ने मुख्य सचिव, महाराष्ट्र सरकार को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18(ए)(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि दोनों पीड़ितों के नज़दीकी रिश्तेदारों में से प्रत्येक को एक लाख रुपये का मुआवज़ा आठ सप्ताह के भीतर क्यों न संस्तुत किया जाए।

4.130 आयोग के निदेशों के अनुपालन में संयुक्त सचिव, महाराष्ट्र सरकार, लोक स्वास्थ्य विभाग, मुम्बई ने दिनांक 18.11.2016 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह उल्लेख था कि उस दुर्भाग्यपुर्ण रात में तीन अटेंडेंट ड्यूटी पर थे उन्हें निलंबित कर दिया गया था तथा उनके साथ–साथ मानसिक अस्पताल के

चिकित्सा अधीक्षक को भी निलंबित कर उनके विरुद्ध विभागीय जांच शुरू की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी स्तर पर विभागीय जांच लम्बित थी तथा पुलिस विभाग मामले में अन्वेषण कर रहा था। अतः यह उचित होगा यदि जांच के तथ्य प्राप्त करने के बाद मामले में मुआवज़े के विषय में निर्णय लिया जाए।

4.131 आयोग ने 25.01.2017 को रिकॉर्ड का अवलोकन किया तथा टिप्पणी की कि क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल, येरवाड़ा, पुणे के दो संवासियों/रोगियों की मौत वार्ड में एक अन्य संवासी के हमले के कारण हुई थी तथा वहां दैनिक मज़दूरी करने वाले 3 अटेंडेंट वार्ड के बाहर मौजूद थे जिन्होंने हिंसक रोगी को नहीं बचाया और न ही उन्होंने पुलिस से किसी प्रकार की सहायता ही मांगी। प्रथम दृष्टया पुलिस प्राधिकारी अस्पताल के दोनों संवासियों के जीवन की रक्षा करने में लापरवाह पाए गए। क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल में संवासियों का संरक्षण लोक सेवकों द्वारा किया जाना चाहिए जिनकी अभिरक्षा का कार्य उन्हें सौंपा गया हो। परन्तु, लोक सेवक अस्पताल के संवासियों के जीवन की रक्षा करने में असफल रहे अतः राज्य सरकार दोनों संवासियों की मौत के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। आयोग ने अतः 03.03.2016 की अपनी कार्यवाही में लिए गए निदेश को दोहराया तथा पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत अस्पताल के दोनों मृतक संवासियों में से प्रत्येक के नज़दीकी रिश्तेदार को एक लाख रुपये के अंतरिम मुआवजे के भुगतान की संस्तुति की। अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

24. मौर्या एक्सप्रेस में हाथिदाह रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जिला पटना, बिहार में हुई डकैती में दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या तथा चार अन्य जख्मी।

(मामला संख्या 3380/4/26/2014)

4.132 श्री आर.एच.बंसल, मानव अधिकार कार्यकर्त्ता द्वारा की गई शिकायत से मौर्या एक्सप्रेस में हाथिदाह रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जिला पटना, बिहार हुई डकैती में दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या तथा चार अन्य जख्मी होने के विषय में पता चला था। शिकायतकर्त्ता के अनुसार, यह घटना सुरक्षा इंतजामों में हुई लापरवाही के कारण घटित हुई थी।

4.133 इस घटना की पुष्टि उपनिदेशक, सुरक्षा (अपराध), रेलवे बोर्ड तथा पुलिस अधीक्षक, रेलवे, पटना से क्रमशः 20.11.2014 एवं 14.11.2014 की रिपोर्टों से हुई थी। हालांकि, इन रिपोर्टों में बताया गया था कि डकैतों द्वारा दो व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी तथा कोई यात्री घायल नहीं हुआ था। इस घटना के संबंध में रेलवे पुलिस थाना, मोकामा में भा.द.सं. की धारा 302/394/34 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत 17.08.2014 को एफ.आई.आर. संख्या 24/14 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान बस आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था तथा जांच पूरी होने के बाद न्यायालय में भा.द.सं. की धारा 396 के तहत 12.11.2014 को आरोप–पत्र दाखिल किया गया था। इस घटना के बाद जी.आर.पी. के एस्कॉर्ट पार्टी के सदस्यों को निलंबित किया गया था तथा उनके छः महीने की वेतन वृद्धि रोकने की सजा दी गई थी।

4.134 मामले के इन तथ्यों पर विचार कर आयोग ने पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए)(1) के

तहत ए.एस.सी./सुरक्षा (अपराध), रेलवे बोर्ड के माध्यम से अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को 13.01.2017 के पत्र द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह उल्लेख किया गया था कि यह घटना रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 123/सी(2) के तहत "दुर्भाग्यपूर्ण घटना" की परिभाषा के अन्तर्गत आती है तथा प्रत्येक यात्री की मौत के लिए अधिकतम 4 लाख रुपये के मुआवज़े का प्रावधान है। पीड़ितों के आश्रितों से रेलवे दावा अधिकरण के समक्ष रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 109 एवं 125 के तहत दावा आवेदन फाइल करने की अपेक्षा की जाती है अतः आयोग इस मामले को रेलवे दावा अधिकरण को निर्णयादेश एवं मुआवज़े हेतु प्रेषित करना चाहिए।

4.135 कारण बताओ नोटिस के जवाब पर आयोग ने विचार किया मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (1)(डी) के अनुसार "मानव अधिकार" के अर्थ में "जीवन का अधिकार" शामिल है। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के ऐसे उल्लंधन को रोकने में हुई लापरवाही का संज्ञान लिया जाना चाहिए तथा आयोग द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए। अधिनियम की धारा 18 (ए)(1) के अनुसार, अगर आयोग को जांच से लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने में लापरवाही का पता चलता है तो आयोग संबद्ध सरकार अथवा प्रधिकरण से मुआवज़े के भुगतान अथवा शिकायतकर्त्ता को हुए नुकसान अथवा पीड़ित अथवा उसके परिवार के सदस्यों को, जैसा भी आवश्यक हो, संस्तुति कर सकता है।

4.136 इस मामले में आयोग ने जांच के बाद पाया कि मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ था क्योंकि एस्कॉर्ट पार्टी जो उस वक्त ट्रेन में मौजूद थी उसने घटना को रोकने में अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरती थी। उन्हें पहले ही विभागात्मक तौर पर इस लापरवाही हेतु दण्डित किया गया था। अतः आयोग दोनों पीड़ितों के नज़दीकी रिश्तेदारों को रेलवे अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार उचित मुआवज़ा देने के लिए रेलवे बोर्ड को रैफर कर सकता है। अतः रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया बचाव रद्द किया जाता है।

4.137 मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा रेलवे अधिनियम के तहत देय चार लाख रुपये की अधिकतम सीमा को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 09.02.2017 को अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार को दोनों मृतकों में से प्रत्येक के नज़दीकी रिश्तेदार को चार लाख रुपये के मुआवज़े की संस्तुति की।

घ. कारागारों में हालात

क. कारागारों के दौरे

4.138 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (सी) के अनुसार आयोग द्वारा "राज्य सरकार के नियन्त्रण में किसी कारागार अथवा ऐसे अन्य संस्थान, जहां व्यक्तियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के लिए नजरबंद किया जाता है या रखा जाता है, वहां रहने वालों के रहन–सहन की परिस्थितियों के अध्ययन के लिए और उस सम्बन्ध में सरकार को सिफारिशें करने के लिए देश की

विभिन्न जेलों का दौरा किया जा सकता है।" तदनुसार, नियुक्त किए गए विशेष रिपोर्टरों सहित आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरे वर्ष देश के विभिन्न कारागारों और अन्य सुधारगृहों का दौरा किया जाता है ताकि वहां पर विद्यमान दशाओं को देखने के बाद सुझाव/संस्तुतियां की जा सकें। आयोग के सदस्य एवं वरिष्ठ अधिकारी समय–समय पर जेल दशाओं तथा कैदियों से संबंधित अन्य विषयों की संवीक्षा करने के लिए दौरा करते हैं।

4.139 दिनांक 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नियुक्त विशेष संपर्ककर्त्ताओं द्वारा कारागारों और अन्य सुधार संस्थानों के किए गए दौरों का विवरण निम्नानुसार था:

क्र.सं.	कारागार/संस्थान का नाम	दौरे की तारीख	जिसके द्वारा दौरा किया गया
1.	महाराष्ट्र के सूखा पीड़ित क्षेत्र, औरंगाबाद, जालना, बीड़ तथा अहमदनगर जिले	15–21 मई, 2016	श्रीमती एस. जलजा
2.	महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जालना, बीड़ तथा अहमदनगर जिले (मानव अधिकार दशाएं)	15–21 मई, 2016	श्रीमती एस. जलजा
3.	राजकीय केन्द्रीय जेल एवं महिला जेल, कन्नूर	22 जुलाई, 2016	श्री जैकब पुन्नूस
4.	राजकीय केन्द्रीय जेल, केन्द्रीय महिला जेल एवं राजकीय प्रत्यासा भवन, त्रिसूर, केरल	28–29 जुलाई, 2016	श्री जैकब पुन्नूस
5.	ऑल वीमन पुलिस स्टेशन, मदुरई, तमिलनाडु	30 अगस्त, 2016	श्री जैकब पुन्नूस
6.	जिला जेल, सिमडेगा तथा लोहाडागा, झारखण्ड	5–6 सितम्बर, 2016	श्रीमती एस. जलजा
7.	यरवाडा जेल, पुणे, महाराष्ट्र	1 अक्टूबर, 2016	डॉ. एस.एन.मोहंती
8.	छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर जिले (बंधुआ/बाल मज़दूरी) (बकारकुड़ा, बिनहूरी, मुरलीडीह तथा कोर्टमिसोनुर गांव)	7 से 12 नवम्बर, 2016	डॉ. अशोक साहू
9.	गुजरात में वड़ोदरा, भरूच, सूरत तथा डांग जेलें	14–19 नवम्बर, 2016	श्रीमती एस. जलजा
10.	झारखण्ड में रांची, गुमला एवं खुंटी जिलों में (बंधुआ/बाल मज़दूरी के संबंध में गुरुकुलैण्ड, नारी निकेतन तथा गांव दूमरडीह, टुकूटोली तथा सीलम के दो संस्थानों के दौरे किए गए।	18–24 दिसम्बर, 2016	डॉ. अशोक साहू
11.	ओड़िशा के भुवनेश्वर, गंजम तथा कालामंडी जिलों (बंधुआ/बाल मज़दूरी) गंजम जिले में रघुनाथपुर स्थित आवासीय विद्यालय, गांव सुकण्डे, कनामाना, बालीपदा, उपारपदा	15–23 जनवरी, 2017	डॉ. अशोक साहू

12.	अरुणाचल प्रदेश के तेजू, लोहित जिले (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोइलैण्ड गांव, चंगलिआंग गांव, पेयजल आपूर्ति योजना, ऑक्सीलरी लाइन कॉरपोरेशन, आंगनवाड़ी केन्द्र तथा तनखाकसौचाई मेमोरियल गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, तेजू)	29 जनवरी से 3 फरवरी, 2017	श्री अनिल प्रधान
13.	बिहार के पटना, भोजपुर तथा सारन जिले (बंधुआ/बाल मज़दूरी) {डेचनाबल तथा बलवाहीटोटा गांव, जिला पंजीकरण एवं परामर्श केन्द्र तथा बाल गृह (छात्र), छपरा}	7–11 फरवरी, 2017	डॉ. अशोक साहू
14.	बालासोर जिला जेल, ओड़िशा	1–2 मार्च, 2017	श्री दामोदर षड़ंगी
15.	राजस्थान के बांरा एवं कोटा जिले (इकलैरा डांडा बंधुआ मज़दूर पुर्नवास कॉलोनी, जनजाति बालिका आवास विद्यालय, किशनगंज तथा मंगरोल, कोटा एवं जगपुरा में ईंट के भट्टों का दौरा)	17 मार्च, 2017	श्री जी.बी.पाण्डा
16.	मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर एवं खण्डावा जिले (बंधुआ/बाल मज़दूरी)(इंदौर के विजयनगर एवं सराफा, राजकीय बाल संरक्षण आश्रम तथा बालसखा आश्रम गृह, इंदौर तथा खांडवा)	19–25 मार्च, 2017	डॉ. अशोक साहू
17.	जिला जेल, मेरठ	23 मार्च, 2017	श्री सुनील कृष्णा
18.	केन्द्रीय एवं जिला जेल बरेली	28 मार्च, 2017	श्री सुनील कृष्णा

4.140 सदस्य, विशेष संपर्ककर्त्ताओं तथा अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टें अध्यक्ष अथवा पूर्ण आयोग के समक्ष रखी गई थी तथा उन पर दिए गए निदेशों को अनुपालन हेतु संबद्ध राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया था।

ङ कारागार सुधार

क. कारागार सुधारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का अनुवर्तन

4.141 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने नई दिल्ली में 13–14 नवम्बर, 2014 को कारागार सुधारों पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन का उद्देश्य आयोग द्वारा 15 अप्रैल, 2011 को इसी विषय पर पहले आयोजित सम्मेलन में दी गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन करना तथा इस बात पर चर्चा करना था कि मानव अधिकार परिप्रेक्ष्य से कैदियों की दशा एवं जेल प्रशासन में सुधार लाने के लिए कौन–कौन से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इस सम्मेलन में की गई संस्तुतियों को सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को की गई कार्यवाही रिपोर्ट हेतु भेजा गया था। सम्मेलन की संस्तुतियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

4.142 सभी राज्यों से, केवल उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान एवं राष्ट्रीय राजधानी

लक्षद्वीप को छोड़कर, की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। शेष राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को की गई कार्रवाई रिपोर्ट हेतु अनुस्मारक भेजे गए थे। आयोग ने की गई कार्रवाई रिपोर्टों के विश्लेषण पर कार्य किया।

च. विचाराधीन कैदियों पर अध्ययन

4.143 आयोग ने फरवरी, 2015 में उत्तर प्रदेश राज्य एवं सेंटर फॉर इक्विटि स्टडीज़ हेतु विचाराधीन कैदियों पर अध्ययन के एक पायलेट प्रोजेक्ट की शुरूआत की। इस अध्ययन का उद्देश्य विचाराधीन कैदियों के सामाजिक जनसांख्यिकीय रूपरेखा जिसमें आयु, लिंग, धर्म, सामाजिक श्रेणी, आवास तथा शिक्षा भी शामिल है, का अध्ययन करने के साथ–साथ यह जानना भी था कि उन पर किस अपराध का आरोप लगाया गया है।

4.144 सी.ई.एस. द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट पर आयोग द्वारा 03.03.2017 को विचार किया गया तथा सचिवालय को जांच करने तथा उन संस्तुतियों की सूची बनाने जो व्यवहारिक, संभव तथा तर्कसंगत हों। संस्तुतियों को प्राधिकारियों, जिन्हें वे भेजी जानी हैं अर्थात् राज्य सरकार, राज्य पुलिस, न्यायपालिका तथा जेल विभाग द्वारा सूचीबद्ध करके मांगी जाएंगी। यह अभी आयोग के विचाराधीन है।

छ. हिरासतीय न्याय- उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में मौतों के कारण के संबंध में अन्वेषण

4.145 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा नोडल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ह्यूमन राइट्स एज्युकेशन, स्कूल ऑफ लॉ, राइट्स एण्ड कॉस्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, टी.आई.एस.एस., मुम्बई के सहयोग से "हिरासतीय न्याय– उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में मौतों के कारण के संबंध में अन्वेषण" विषय पर अनुसंधान अध्ययन किया जा रहा है। यह अध्ययन जेलों में मौतों के पैटर्न एवं प्रकृति के कारण तथा उनके अंतरसंबंधों की पहचान करने का प्रयास करने में सहायता करेगा। यह विद्यमान जेल स्वास्थ्य देख–रेख व्यवस्था की प्रभावोत्पादकता की भी जांच करेगा। यह अध्ययन चार राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु में किया जाएगा क्योंकि इन राज्यों में अन्य राज्यों की तुलना में जेल में मौतों की दर सर्वोच्च रिकॉर्ड की गई है। इस अध्ययन की अवधि 13 महीने की होगी।

4.146 इस अध्ययन के तथ्य सरकार का ध्यान जेल स्वास्थ्य देख–रेख व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता तथा प्रत्येक मौत के लिए जिम्मेदार प्रभावी व्यवस्था हेतु समर्थन की ओर दिलाएगा।

अध्याय-5

विस्तार क्षेत्र

5.1 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत द्वारा समय के साथ–साथ नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ सामाजिक एवं आर्थिक न्याय से सम्बन्धित मामलों पर नजर रखने के लिए एक कड़े निगरानी तन्त्र विकसित किए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछेक तन्त्र, आयोग को पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 द्वारा दिए गए अधिदेश के आधार पर विकसित किए गए हैं जबकि कुछ अन्य का विकास मानवाधिकारों के संरक्षण, निगरानी और संवर्द्धन के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत समझौतों एवं विशेष प्रक्रियाओं के अनुसार किया गया है। आयोग द्वारा तैयार किए गए मुख्यं तन्त्रों में अनेक प्रकार के मानवाधिकार मुद्दों पर पूर्ण आायोग एवं सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें, कैम्प बैठकों और खुली सुनवाई, विशेष संवाददाताओं की मदद लेना और कोर एवं विशेषज्ञ समूह की स्थापना करना शामिल है।

क. आयोग की बैठकें

5.2 पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान पूर्ण आयोग द्वारा 36 बैठकों में मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर विचार–विमर्श किया गया और 566 मामलों के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त, दो संभागीय पीठों ने 91 बैठकों में 1595 मामलों पर विचार किया। आयोग की जनसुनवाई की 03 बैठकों में कश्मीरी विस्थापितों के 24 मामलों की सुनवाई आयोग के खुले न्यायालय में की गई।

ख. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शिविर बैठकें

5.3 लम्बित शिकायतों के शीघ्र निपटान और संवेदनशील मानवाधिकार मुद्दों पर राज्य पदाधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए, आयोग द्वारा राज्यों की राजधानियों में शिविर बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। पुनरीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आयोग ने बिहार, झारखण्ड एवं ओड़िशा में शिविर बैठकों का आयोजन किया। आयोग ने इन शिविर बैठकों में पूर्ण आयोग की बैठकों में 51 मामलों तथा खण्डपीठ में 28 मामलों पर विचार किया।

ग. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुसूचित जातियों के विरूद्ध अत्याचार पर जन सुनवाई

5.4 समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग ने पटना, बिहार में 67 मामले (21 अप्रैल, 2017), रांची, झारखण्ड 69 मामले (7 सितम्बर, 2017), पुदुचेरी 17 मामले (16 दिसम्बर, 2017), भुवनेश्वर, ओड़िशा 107 मामले (9 जनवरी, 2017) तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह 10 मामले (19 जनवरी, 2017) को अपनी जनसुनवाई में कुल 270 मामलों पर विचार किया।

वर्ष 2016–17 के दौरान शिविर बैठकों/जनसुनवाइयों का विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	तिथि	मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	संस्तुत की गई मुआवज़े की राशि
1.	बिहार	21–23 अप्रैल, 2016	88	36	1,00,000
2.	झारखण्ड	7–8 सितम्बर, 2016	91	34	3,25,000
3.	पुदुचेरी	16 दिसम्बर, 2016	17	9	शून्य
4.	ओड़िशा	9–11 जनवरी, 2017	138	62	27,75,000
कुल			334	141	32,00,000

घ. सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठक

5.5 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत द्वारा समाज के अत्यंत संवेदनशील वर्गों के विचारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए पी.एच.आर. अधिनियम की धारा 3(3) में यह उल्लेख किया गया है कि पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खंड (ख) से (ञ) में विनिर्दिष्ट कार्यों का निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यवत्त माना जाएगा :

क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष;

ख) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष;

ग) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष;

घ) राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष;

5.6 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ मिलकर उपर्युक्त सभी द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सांविधिक पूर्ण आयोग का गठन करेंगे और इनकी बैठकें नियमित अंतरालों पर होंगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत द्वारा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) के अध्यक्ष को अपनी सभी सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकों में 'विशेष आमंत्रित' के रूप में आमंत्रित किया जाएगा चूंकि एन.सी.पी.सी.आर. पर बच्चों के अधिकारों से संबंधित सभी मुद्दों की अत्यधिक जिम्मेदारी है।

5.7 सांविधिक पूर्ण आयोग की बैठकें नियमित रूप से सामान्य चिंता के विषयों पर चर्चा करना तथा आयोग के सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए आयोजित की जाती हैं। सांविधिक पूर्ण आयोग की अंतिम बैठक 03.02.2015 को आयोजित की गई थी। एस.एफ.सी. की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति के.जी.बालाकृष्णन द्वारा की गई तथा इस बैठक में शामिल थे– न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसेफ, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेशन तथा श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग; श्री नसीम अहमद, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग; श्री पी. एल. पूनिया, अध्यक्ष,

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग; तथा श्री रवि ठाकुर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्री वी. एस. ओबराय ने विशेष आमंत्रित के रूप में बैठक में भाग लिया।

5.8 बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा की गई जिसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के शिकायत प्रबंधन सूचना प्रणाली को अन्य राष्ट्रीय आयोगों के साथ इंटरलिंक करना, राष्ट्रीय आयोगों की स्वतंत्रता एवं स्वायत्तता, सभी राष्ट्रीय आयोगों के लिए मूलभूत संरचना एवं संसाधनों की उपलब्धता उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हो ताकि सभी सदस्य आयोगों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तिमाही/अर्द्धवार्षिक बैठकों को करने के लिए प्रावधान को पूरा किया जा सके। इसके साथ–साथ, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग–विशेष आमंत्रित भी शामिल था।

5.9 सांविधिक पूर्ण आयोग ने इसके सदस्य आयोगों के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारियों/मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की आवधिक बैठकें आयोजित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी जिसमें राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग विशेष आमंत्रित भी शामिल हैं।

ड. विशेष संपर्ककर्त्ता

5.10 आयोग के विशेष संपर्ककर्त्ता मानवाधिकारों के विशेषज्ञ होते हैं जिन्हें क्षेत्र विशेष अथवा राज्य विशेष संबंधी मानवाधिकार मुद्दों पर रिपोर्ट और परामर्श देने के निर्देश देते हुए विशेष रूप से नियुक्त किया जाता है। विशेष संपर्ककर्त्ताओं की व्यवस्था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तंत्र का एक केंद्रीय घटक है और इसमें सभी सिविल, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे सभी मानव अधिकार आते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी, दिव्यांगता इत्यादि जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी कवर किया जाता है और अपने अथवा अन्य लोगों के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से प्रतितोष पाने की दृष्टि से लोगों में पी.एच.आर. अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता का प्रसार किया जाता है। विशेष संपर्ककर्त्ता वे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं जो सेवानिवृत्ति से पहले भारत सरकार के सचिवों अथवा पुलिस महानिदेशकों के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके होते हैं अथवा जिन्होंने मानव अधिकारों से संबंधित क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा की होती है। विशेष रिपोर्टरों की स्कीम के संबंध में एक प्रति राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वेबसाइट http://www.nhrc.nic.in/ Documents/Scheme And Guidelines for Engagement of Special Rappoteurs 05 01 2016-pdf पर उपलब्ध है।

5.11 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विशेष रिपोर्टरों की स्थिति निम्नानुसार थी:–

ज़ोनल विशेष संपर्ककर्त्ता

क्र.सं.	कवर किया जाने वाला जोन/क्षेत्र	विशेष रिपोर्टर का नाम
1.	उत्तरी जोन– I (पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और उत्तराखंड)	श्री ए. के. जैन, आइ.ए.एस. (सेवानिवृत्त) जन्मतिथि– 27.12.1949 (68 वर्ष)
2.	उत्तरी जोन– II (उत्तर प्रदेश)	श्री सुनील कृ ण, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) जन्मतिथि– 27.06.1952 (65 वर्ष)
3.	पश्चिमी क्षेत्र (महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव)	श्रीमती एस.जलजा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्ता) (दिनांक 01.04.2017 से, इससे पूर्व मध्य ज़ोन–2 को देख रहीं थीं) जन्मतिथि– 16.10.1950 (67 वर्ष)
4.	मध्य जोन –I (मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान)	श्री गोपो बिहारी पांडा जन्मतिथि– 15.06.1952 (65 वर्ष)
5.	मध्य जोन –II (बिहार और झारखंड) डॉ. विनोद अग्रवाल, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	जन्मतिथि– 20.10.1956 (61 वर्ष)
6.	पूर्वी जोन – I (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)	श्री दामोदर सारंगी, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) जन्मतिथि– 01.01.1948 (दिसम्बर, 2017 में 70 व र्)
7.	दक्षिणी जोन – I (तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं लक्षद्वीप)	श्री जैकब पुन्नोस, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) जन्मतिथि– 12.08.1952 (65 वर्ष)
8.	दक्षिणी जोन – II (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक)	ले. जनरल (सेवानिवृत्त) पी. जी. कामथ जन्मतिथि– 13.03.1953 (64 वर्ष)
9.	पूर्वोत्तर जोन– I (नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा)	श्री सुधीर कुमार, पूर्व सदस्य, कैट जन्मतिथि– 16.11.1951 (66 वर्ष)
10.	पूर्वोत्तर जोन– II (असम, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश)	श्री अनिल प्रधान, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) जन्मतिथि– 03.07.1951 (66 वर्ष)

विषयक विशेष संपर्ककर्त्ता

क्र. सं.	विषय	विशेष रिपोर्टर का नाम
1.	दिव्यांगता	श्री पी. के. पिंचा जन्मतिथि– 01.10.1951 (66 वर्ष)
2.	बंधुआ मज़दूरी/बाल मज़दूरी/प्रवासी मज़दूरी	डॉ. अशोक साहू, आई.ई.एस. (सेवानिवृत्त) जन्मतिथि– 12.07.1953 (64 वर्ष)

विशेष मॉनीटर

क्र. सं.	विषय	विशेष मॉनीटर का नाम
1.	सांप्रदायिक दंगे एवं अल्पसंख्यक	श्री हर्ष मंदर
2.	जेल	सुश्री माज़ा दारूवाला

च. कोर एवं विशेषज्ञ समूह

5.12 कोर एवं विशेषज्ञ समूह में प्रख्यात व्यक्ति अथवा विषय के विशेषज्ञ अथवा आयोग द्वारा अपेक्षित क्षेत्र चाहे वह स्वास्थ्य हो, मानसिक स्वास्थ्य हो, दिव्यांगता हो, बंधुआ मजदूरी इत्यादि के क्षेत्र में कार्य कर चुके सरकार अथवा तकनीकी संस्थानों अथवा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। ये समूह अपनी विशेषज्ञता के अनुसार आयोग को विशिष्ट परामर्श देते हैं। वर्ष 2016–2017 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कार्यरत कुछेक महत्वपूर्ण कोर एवं विशेषज्ञ समूहों का विवरण नीचे दिया गया है:

- स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह
- मानसिक स्वास्थ्य पर कोर परामर्शी समूह
- दिव्यांगता पर कोर परामर्शी समूह
- गैर सरकारी संगठनों के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- अधिवक्ताओं के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- भोजन के अधिकार के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- वृद्ध व्यक्तियों के संरक्षण और कल्याण के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- बंधुआ मजदूरी के संबंध में कोर परामर्शी समूह
- सिलिकोसिस पर विशेषज्ञ समूह
- आपात चिकित्सा देख–रेख पर विशेषज्ञ समूह
- महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार पर विशेषज्ञ समूह

5.13 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा कोर एवं विशेषज्ञ समूहों की बैठकें आवश्यकता पड़ने पर आवधिक रूप से नियमित अंतरालों पर आयोग में बुलाई जाती है। पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान कोर एवं विशेषज्ञ समूह की आयोग में आयोजित कुछेक बैठकों, जिनमें इन मुद्दों का उठाया गया, का ब्यौरा वार्षिक रिपोर्ट के अनुवर्ती अध्यायों में दिया गया है।

गैर सरकारी संगठनों के कोर ग्रुप की बैठक

5.14 मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(1) के अनुसरण में आयोग द्वारा अपने गठन से ही गैर सरकारी संगठनों और मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा दिया जाता रहा है। आयोग द्वारा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता के क्षेत्र में आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों, परियोजनाओं इत्यादि में प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों को सहयोजित किया जाता है और भागीदार बनाया जाता है। चूंकि मानव अधिकार जागरुकता मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में एक महत्त्वपूर्ण घटक है अतः गैर सरकारी संगठनों के साथ चर्चा को बढ़ाने के लिए हमेशा अत्यधिक संभावनाएं रहती हैं।

5.15 गैर–सरकारी संगठनों और सभ्य समाज के संगठनों से विचार–विमर्श करने के लिए आयोग ने 17 जुलाई, 2001 को गैर सरकारी संगठनों के एक कोर ग्रुप का गठन किया। पिछली बार इस समूह का गठन 16 सितम्बर, 2011 में किया गया और इसमें 11 सदस्यों को शामिल किया गया। गैर सरकारी संगठनों के कोर समूह को पुनः स्थापित करने का मामला आयोग के दोबारा विचाराधीन है ताकि देशभर से मानव अधिकारों के विभिन्न क्षेत्रों से विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों से व्यापक प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

जेल अधिनियम, 1894 के संशोधन पर समिति

5.16 जेल सुधार, 2014 पर राष्ट्रीय सम्मेलन की संस्तुतियों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने श्री संजय कुमार (आई.ए.एस.), प्रमुख सचिव, गृह (जेल), पंजाब सरकार की अध्यक्षता में जेल सुधार अधिनियम, 1894 के संशोधन हेतु सुझाव के लिए 18 मार्च, 2015 को विशेषज्ञ समिति गठित की ताकि इसे मानव अधिकार मानदण्डों, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों तथा भारत पर बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों/प्रसंविदाओं के साथ सामंजस्य किया जा सके। जेल अधिनियम, 1894 के संशोधन के संबंध में समिति की तीसरी बैठक 12.07.2016 को आयोग में आयोजित की गई थी। समिति के अध्यक्ष द्वारा मसौदा संशोधन समिति के सदस्यों /आम जनता के लिए उनकी राय/सुझावों हेतु वेबसाइट के माध्यम से भेजा गया था।

5.17 समिति के सदस्यों द्वारा दिए गए निष्कर्ष/सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई तथा समिति के अध्यक्ष को इन सब को समाहित करके आयोग के अवलोकन हेतु अंतिम मसौदा प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। समिति के अध्यक्ष द्वारा अभी अंतिम मसौदा प्रस्तुत किया जाना है।

अध्याय-6

स्वास्थ्य का अधिकार

आर्थिक विकास को अपने आप में अंत मानना समझदारी नहीं है।
विकास हमेशा हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और स्वतंत्रता का
आनन्द लेने के साथ संबंधित होना चाहिए"

–प्रो. अमर्त्य सेन

6.1 भारत स्वच्छ जल, भोजन, आवास, रोजगार एवं शिक्षा, जो मूलभूत अधिकार है, की कमी के कारण बीमारियों के असंगत बोझ को सह रहा है। चिकित्सा जर्नल 'दि लैंसेट' में प्रकाशित 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिज़ीज स्टडी' (जी.बी.डी.), 2015 के अनुसार, भारत स्वास्थ्य देख–रेख सूचकांक पर 195 देशों में से निराशाजनक रूप से 154वें स्थान पर था। इस संदर्भ में, स्वास्थ्य सेवाओं के प्रावधान भारत सरकार तथा राज्य सरकारों का अत्यधिक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी दायित्व है। आज़ादी के बाद की अवधि में भारत में अनेक समितियां गठित की गईं (भोरे समिति, 1946, मुदलियर समिति, 1962) जिन्होंने "स्वास्थ्य के अधिकार" को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जोड़ दिया था ताकि भारतीय लोगों के लिए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के उच्च मानक सुनिश्चित हो सकें। हाल ही में केन्द्र ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 को मंजूरी दी है, जो समयबद्ध तरीके से जी.डी.पी. के 2.5 प्रतिशत लोक स्वास्थ्य पर खर्च करने का वादा तथा सभी भारतीय नागरिकों को स्वास्थ्य देख–रेख सेवाएं, खासतौर पर वंचितों को स्वास्थ्य देख–रेख सुविधाएं देने की गारंटी देता है। इस नीति के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य 2025 तक पांच वर्ष के अंतर्गत मृत्युदर अनुपात जो अभी 23 है को कम करने, 2020 तक मातृ मृत्युदर अनुपात जो अभी 100 के स्तर पर है को कम करने तथा 2019 तक शिशु मृत्युदर अनुपात को 28 करने जैसे आशावान लक्ष्य पर कार्य करना।

6.2 यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। जीवन के मौलिक अधिकार जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लेख है प्रत्येक नागरिक के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार के एक अनिवार्य अंग के रूप में माना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 38, 39ई, 42, 47 एवं 48ए में भाग 4 (निदेशात्मक सिद्धांत) में दिए गए सांवैधानिक निदेशों द्वारा राज्य का दायित्व है कि वह इन अधिकारों के निर्माण एवं

अच्छे स्वास्थ्य की दशाओं का कायम रखे। स्वास्थ्य के अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधियों एवं घोषणाओं द्वारा गारंटित किया गया है जिसमें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (अनुच्छेद 25), आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा (अनुच्छेद 12), सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (अनुच्छेद 5), महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर अभिसमय (अनुच्छेद 12 एवं 14) तथा दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर अभिसमय (अनुच्छेद 25)। इन सभी अभिसमयों को भारत सरकार द्वारा समर्थित किया गया है।

6.3 चूंकि आयोग अक्टूबर, 1993 में अस्तित्व में आया था, यह स्वास्थ्य के अधिकार के विषय पर इस उद्देश्य के साथ मॉनीटरिंग कर रहा है कि देशभर के लोगों को सुगम, सरल एवं किफायती तथा बिना किसी भेदभाव के उत्तम गुणवत्ता की सभी स्वास्थ्य सेवाएं एवं सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं, विशेष तौर पर, उन लोगों के लिए जो गरीब एवं कमज़ोर हैं। इस अध्याय में आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान स्वास्थ्य के अधिकार पर किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला गया था।

क. सिलिकोसिस

6.4 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा स्थानिक राज्यों जैसे गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में दी गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ–साथ सिलिकोसिस के विषय पर इन राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की समीक्षा के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा विज्ञान भवन, एनैक्सी, नई दिल्ली में 22 जुलाई 2016 को सिलिकोसिस पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं श्रम मंत्रालय/विभागों से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ–साथ विभिन्न राज्य सरकारों, जो 'स्थानिक' श्रेणी के अंर्तगत आते हैं, के साथ ही सिलिकोसिस के क्षेत्र में कार्यरत गैर–सरकारी एवं नागरिक समाज प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

6.5 सम्मेलन में निम्नलिखित 2 प्रमुख थीम पर विचार–विमर्श किया गयाः–

सत्र–I: सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करना;

सत्र–II: स्थानिक राज्यों की समीक्षा;

6.6 उपरोक्त विषयगत सत्रों में हुई चर्चा के आधार पर सम्मेलन में निम्नलिखित संस्तुतियां की गईं:–

i. केन्द्र एवं सभी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पूर्व में की गई सभी संस्तुतियों का कार्यान्वयन।

ii. सिलिकोसिस की समस्या पर कार्य करने के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ाया जाना चाहिए तथा इसमें निवारक, उपचारी, पुर्नवासात्मक एवं प्रतिपूरक, सभी को समाहित किया जाना चाहिए। हालांकि, सबसे अधिक ज़ोर निवारण पर अपेक्षित है।

iii. संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा सभी एहतियाती उपायों, जिसमें सिलिकोसिस प्रबल उद्योगों के मज़दूरों द्वारा सुरक्षात्मक उपकरण पहनना शामिल है, का कड़ाई से पालन।

iv. स्थानिक राज्यों को उनके राज्यों में सिलिकोसिस रोगियों की संख्या, उपचार किए जाने वाले रोगियों की संख्या, पुनर्वास, सिलिकोसिस के कारण हुई मौतों की संख्या, मुआवज़े का भुगतान आदि की दृष्टि से पूर्ण मैपिंग किए जाने की आवश्यकता है। इससे उन्हें इस समस्या की पूरी रूपरेखा तथा इसके उन्मूलन हेतु प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने में सहायता मिलेगी।

v. सभी संबंधित उद्योगों को सिलिका/धूल के कम–से–कम संपर्क में आने के लिए आवश्यक उपकरण मुहैया कराने जैसी तकनीक के इस्तेमाल की आवश्यकता है।

vi. सिलिकोसिस के निवारण, प्रबंधन एवं पुनर्वास के लिए कार्य करने में निजी क्षेत्र को भी संलिप्त करने की आवश्यकता है।

vii. सभी पणधारियों, विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों, जिला स्तर के सिविल सेवकों तथा स्थानिक राज्यों के ज़मीनी स्तर पर कार्यरत डॉक्टरों के बीच जागरुकता उत्पन्न करना एवं प्रसार करना।

viii. सिलिकोसिस प्रबल व्यवसायों के मालिकों एवं कर्मचारियों हेतु जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित करने की आवश्यकता है।

ix. भारत सरकार को सिलिकोसिस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना चाहिए अथवा सिलिकोसिस की बीमारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लाना चाहिए। चूंकि, पी.एच.सी. अथवा सी.एस.सी. स्तर पर उपचार सुविधाएं हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती अतः सभी सिलिकोसिस रोगियों को उनके उपचार हेतु कैशलैस हैल्थ इंश्योरेंस कवर/लाइफ इंश्योरेंस कवर मुहैया कराना चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा इससे संबंधित यात्रा एवं प्रीमियम का भुगतान किए जाने की आवश्यकता है।

x. सिलिकोसिस मामलों के निदान हेतु देशभर में सरल एवं समान प्रारूप करने की आवश्यकता है।

xi. सिलिकोसिस पर राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। यह सर्वेक्षण प्रभावित राज्यों के नोडल मंत्रालय के साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों द्वारा किए जा सकते हैं। इससे इस विषय को गहराई से जानने तथा सिलिकोसिस की समस्या के निदान हेतु बेहतर रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी।

xii. एक "केन्द्रीय कल्याण कोष" विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा सिलिकोसिस से प्रभावित सभी व्यक्तियों चाहे वे किसी भी प्रकृति एवं स्थान पर कार्य करते हों, को राहत प्रदान की जा सके।

xiii. भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सभी सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी मौत के बाद उनके संबंधित परिवारों को मानक पेंशन योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्हें बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल करने के लिए अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें।

xiv. इसके अलावा, उन बच्चों जिन्होंने अपने एक या दोनों अभिभावकों को सिलिकोसिस के कारण खो दिया हो, उन्हें मासिक शिक्षा भत्ता तथा निर्वाह भत्ता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार, अन्य व्यवसायों में प्रत्येक मृतक व्यक्ति की विधवा का पुनर्वास किए जाने की भी आवश्यकता है।

xv. वैकल्पिक रोजगार पर भी जोर दिया जा सकता है ताकि गांव के सभी निवासी समान रोजगार के माध्यम से सिलिकोसिस की चपेट में न आएं तथा "विधवाओं का गांव" जैसी स्थिति उत्पन्न न हो।

xvi. सिलिकोसिस के कारण यदि मौत होती है तो मृतक के परिवार को अपील तथा पोस्टमार्टम हेतु स्वीकृति दी जानी चाहिए।

ख. स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह

6.7 स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह की बैठक 06 मई, 2016 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, श्री एस. सी. सिन्हा द्वारा की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा लोक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने पर चर्चा करना था। चर्चा के बाद कोर समूह ने निम्नलिखित संस्तुतियां कीं:–

i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंदाज़ में सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। एन.एच.एम. के तहत दी जाने वाली राशि समय पर तथा पर्याप्त होने की आवश्यकता है। सभी राज्यों को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स कंट्रौल कार्यक्रम, राष्ट्र वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

ii. भारत सरकार को गरीबों के लिए लोक स्वास्थ्य योजना के तहत अनिवार्य दवाएं निःशुल्क मुहैया करानी चाहिए। अन्य दवाएं भी किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

iii. वे राज्य, जिन्होंने क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट को अब तक अंगीकृत नहीं किया, उन्हें भी इस अधिनियम को अपनाने की आवश्यकता है।

6.8 स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह की एक अन्य बैठक 31 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी जिसमें "रोगियों के अधिकारों पर चार्टर तथा स्वास्थ्य देख–रेख को एक पात्रता बनाना" को तैयार करने के लिए दो उपसमितियां गठित करने का निर्णय लिया गया था।

ग. जनजातीय समुदायों हेतु स्वास्थ्य वितरण योजना की स्थिति तथा गुणवत्ता स्वास्थ्य की पहुंच निर्धारित करने वाले कारकों के आकलन संबंधी अनुसंधान अध्ययन

6.9 जनजातीय समुदायों हेतु स्वास्थ्य वितरण योजना की स्थिति तथा गुणवत्ता स्वास्थ्य की पहुंच निर्धारित करने वाले कारकों के आकलन संबंधी अनुसंधान अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सामा–रिसोर्स ग्रुप फॉर वीमन एण्ड हैल्थ, नई दिल्ली के सहयोग से किया गया था। यह अध्ययन झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं ओड़िशा राज्यों में जनजातीय जनसंख्या के लिए उपलब्धता एवं प्रयोग किए जाने के दृष्टिकोण से विद्यमान स्वास्थ्य वितरण योजना की स्थिति को जानने में सक्षम करेगा। इस अध्ययन के उद्देश्य हैं– अध्ययन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के बीच लोक स्वास्थ्य देख–रेख की उपयोगिता

की वर्तमान स्थिति तथा स्वास्थ्य देख–रेख की पहुंच हेतु सामना की जाने वाली कठिनाइयों को जानने तथा अध्ययन क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों एवं अन्य जनसंख्या के बीच लोक स्वास्थ्य देख–रेख की पहुंच के लिए भिन्नता का पता लगाने तथा उनके कारणों को जानने में सहायता करेगा। यह अध्ययन 12 महीनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाना है।

6.10 सिलिकोसिस से प्रभावित मज़दूरों एवं उनके परिवारों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के उन्मूलन हेतु निवारक, उपचारी, प्रतिपूरक एवं पुनर्वासात्मक उपायों के संबंध में सुझाव प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य श्री एस.सी.सिन्हा की अध्यक्षता में सिलिकोसिस संबंधी विशेषज्ञों के साथ बैठकों का सिलसिला चला। इन सुझावों का बाद में संस्तुतियों के रूप में मसौदा तैयार किया जाएगा जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जिस पर संबद्ध सरकारों/प्राधिकरणों हेतु आवश्यक निर्देश देते समय विचार किया जाएगा।

घ. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निपटाए गए स्वास्थ्य संबंधी दृष्टांत स्वरूप मामले

1. *सरकारी उम्मेद अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान के बच्चों के वार्ड में चींटीयों द्वारा 9 दिन के बच्चे की दांई आंख का खाया जाना*

   (मामला संख्या 882/20/19/2013)

6.11 श्री आर. एच. बंसल, मानव अधिकार कार्यकर्त्ता द्वारा उनकी 15.04.2013 की शिकायत में यह उल्लेख था कि सरकारी उम्मेद अस्पताल, जोधपुर, राजस्थान के बच्चों के वार्ड में चींटीयों द्वारा 9 दिन के बच्चे की दांई आंख खाई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि अस्पताल की लापरवाही के कारण यह घटना घटित हुई। प्रश्नगत मामले को दैनिक भास्कर, दिनांक 12.04.2014 में भी प्रकाशित किया गया था।

6.12 आयोग के निदेशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अन्वेषण अनुभाग के अधिकारियों का एक दल ने अस्पताल का दौरा किया तथा पीड़ित बच्चे के अभिभावकों एवं अन्य संगत गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए। उन्होंने आयोग के फॉरेंसिक विशेषज्ञ पैनल से भी राय ली।

6.13 आयोग ने तथ्यों एवं परिस्थितियों पर ध्यानपूर्वक विचार एवं रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का संज्ञान लिया। इसके अवलोकन से पता चला कि नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए एक विशेष चिकित्सा प्रक्रिया होती है जिसका वर्तमान मामले में अनुपालन नहीं किया गया था। इसके अलावा, आयोग के फॉरेंसिक विशेषज्ञ पैनल ने अपनी जांच में अस्पताल प्राधिकारियों के विरुद्ध गंभीर चिकित्सा लापरवाही का मामला होना बताया था। अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा नवजात शिशु के प्रति दिखाई गई लापरवाही पीड़ित के मानव अधिकारों के हनन के बराबर है अतः आयोग ने राजस्थान सरकार को पी.एच.आर. अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि पीड़ित के परिवार को एक लाख रुपये का वित्तीय मुआवज़ा क्यों न संस्तुत किया जाए।

6.14 मामला आयोग के विचाराधीन है।

2. *सरकारी अस्पताल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में चूहों द्वारा काटे जाने के कारण वेंटिलेटर में रखे शिशु की मौत*

(मामला संख्या 1051/1/6/2015)

6.15 आयोग ने 27.08.2015 को पंजाब केसरी, हिंदी समाचार–पत्र में "वेंटिलेटर पर रखे बच्चे को चूहों ने कुतर कर मार डाला" शीर्षक से प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान की कार्रवाई की। यह घटना जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में सरकारी अस्पताल में घटित हुई जिसमें एक 10 दिनों से वेंटिलेटर में रखे बच्चे को चूहों द्वारा दो बार काटा गया था जिससे अत्यधिक रक्त स्राव होने के कारण उसकी मौत हो गई। रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे का ऑपरेशन किया गया था तथा उसे जीवनरक्षक उपाय के रूप में पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में वेंटिलेटर पर रखा गया था।

6.16 अधीक्षक, सरकारी अस्पताल, गुंटूर ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें लक्ष्मी नामक बच्चे को चूहों द्वारा काटने एवं उसकी मौत की घटना की पुष्टि की गई थी। यह बताया गया था कि बच्चे के बांए हाथ पर चूहों द्वारा खरोंच/काटने की पहली घटना 24.08.2015 को हुई थी, जिसके तुरंत बाद निवारक उपाय किए गए थे। दुर्भाग्य से 26.08.2015 को दोबारा बच्चे को चूहों द्वारा कनपटी के पास एवं ऊपरी छाती पर काटा गया था। बच्चे की मौत दूसरी बार चूहों द्वारा काटे जाने अर्थात् 26.08.2015 को उसी दिन 02:45 बजे हो गई थी।

6.17 वरिष्ठ प्रोफेसरों की समिति जिन्होंने इस मामले में विभागीय कार्रवाई की थी, ने निष्कर्ष दिया कि बच्चे की मृत्यु कई जन्मजात विसंगतियों तथा सांस लेने में दिक्कत के कारण हुई तथा चूहों के काटने से बच्चे की मौत नहीं हो सकती। इसके अलावा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, बच्चे की मौत "सेप्टिसीमिया के कारण आघात" के साथ–साथ दांतों से काटने से हुई कई चोटों के कारण हुई। हालांकि, एक ओर समिति ने यह भी संस्तुति की कि अस्पताल में स्वच्छता की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए तथा प्रत्येक वार्ड में स्टाफ नर्सों की पर्याप्त संख्या होनी चाहिए। इसके अलावा, अधीक्षक सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि चैतन्य ज्योति वेलफेयर सोसायटी, विजयवाड़ा द्वारा स्वच्छता एवं सुरक्षा सेवाओं के अनुबंध को उनकी ओर से स्वच्छता में हुई लापरवाही के कारण रद्द कर दिया गया था तथा अस्पताल के स्वच्छता निरीक्षक को भी निलंबित कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि अस्पताल में स्वच्छता में सुधार तथा चूहों के आतंक से निपटने के लिए कदम उठाए गए थे।

6.18 उपरोक्त सभी तथ्यों का एक समग्र आकलन देखते हुए आयोग का एक ठोस निष्कर्ष यह था कि स्वच्छता की रख–रखाव के मामले में घोर लापरवाही के साथ–साथ बच्चा, जिसे पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट में वेंटिलेटर पर रखा गया था, की उचित देख–रेख में भी लापरवाही हुई थी। इस लापरवाही के परिणामस्वरूप बच्चे को बार–बार चूहों ने काटा जिसकी दूसरी बार चूहों के काटने के कारण उसी

समय पर मौत हो गई थी। आयोग ने मौत के वास्तविक कारण पर कोई राय व्यक्त नहीं की परन्तु यह टिप्पणी की कि अस्पताल प्राधिकारी/इसके एजेंट/कॉन्ट्रेक्टर इस मामले में घोर लापरवाह रहे हैं जिसके कारण मृत बच्चे और उसके अभिभावकों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ। अतः आयोग ने कहा कि राज्य मृतक बच्चे के मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु उसके नज़दीकी रिश्तेदार को मुआवज़े का भुगतान करने का उत्तरदायी है। आयोग ने तदनुसार मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को पी.एच. आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतक बच्चे के नज़दीकी रिश्तेदार को मुआवज़े के रूप में एक लाख रुपये की संस्तुति क्यों न की जाए।

6.19 चूंकि, मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से कारण बताओ नोटिस का अनुस्मारक देने के बावजूद भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ अतः आयोग ने 05.12.2016 को आंध्र प्रदेश सरकार को संस्तुति की कि वे मृतक बच्चे के नज़दीकी रिश्तेदार को वित्तीय मुआवज़े के रूप में एक लाख रुपये का भुगतान करें। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

3. *संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में जिला महिला अस्पताल की महिला सर्जन एवं स्टाफ द्वारा गर्भवती महिला को वापस भेज देना*

   (मामला संख्या 41931/24/65/2014)

6.20 आयोग को 20.10.2014 के हिंदी समाचार–पत्र "डेली न्यूज" में "अस्पताल से भगाई गई महिला ने सड़क पर बच्चे को दिया जन्म" शीर्षक से प्रकाशित विचलित कर देने वाली प्रेस रिपोर्ट का संज्ञान लिया। समाचार रिपोर्ट के अनुसार, 19.10.2014 को संत कबीर नगर के जिला महिला अस्पताल द्वारा एक गर्भवती महिला को इसलिए वापस भेज दिया गया क्योंकि उसने सर्जरी हेतु चार हजार रुपये का भुगतान करने में असमर्थता जताई थी। इसके बाद, गूंगी एवं बहरी महिला किस्मती देवी पत्नी श्री रामलखन ने सड़क पर ही एक बच्ची को जन्म दिया।

6.21 आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया तथा उसके निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सूचित किया गया था कि मामले की जांच मुख्य चिकित्सा अधिकारी संत कबीर नगर तथा वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. वाई. पी. सिंह की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय समिति द्वारा की गई थी।

6.22 समिति का तथ्यान्वेषण था कि पीड़ित को उसके साथियों द्वारा ही अस्पताल से चिकित्सा सलाह के विरुद्ध ले जाया गया था जिससे देरी होने के कारण बच्चे का जन्म हुआ था।

6.23 आयोग ने हालांकि यह नोट किया कि जांच समिति के सदस्य डॉक्टर उसी अस्पताल से थे जिसमें यह घटना हुई थी जिससे जांच की निष्पक्षता एवं तटस्थता पर प्रश्न उठता है। इसी प्रकार आयोग को यह तथ्य भी ज्ञात है कि एक आम आदमी लोक सेवक के विरुद्ध बहुत ही कम मामलों में बयान देता है, खासतौर पर उस क्षेत्र में नियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध जहां से उस व्यक्ति के बयान को रिकॉर्ड किया जाना है। आयोग ने अतः यह राय व्यक्त की कि समिति द्वारा जिन व्यक्तियों का बयान

रिकॉर्ड किया गया, यह पूर्ण संभावना है कि उन्होंने पूरा सच नहीं बताया हो।

6.24 आयोग ने अतः जांच रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया तथा टिप्पणी दी कि पीड़ित एक गूंगी एवं बहरी तथा एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब परिवार की महिला थी। गरीब रोगी के पास बहुत ही कम वित्तीय क्षमता थी तथा वह उस क्षेत्र में उपलब्ध लोक स्वास्थ्य देख–रेख सुविधा पर पूर्ण रूप से आश्रित थी। इसके परिणामस्वरूप उसे सरकारी अस्पताल से नहीं ले जाया जाता यदि सरकारी अस्पताल द्वारा उसे आवश्यक स्वास्थ्य देख–रेख मुहैया कराई जाती तथा उस पर यथोचित ध्यान दिया जाता। एक गरीब व्यक्ति अपने रोगी को सरकारी अस्पताल से केवल उस समय ही ले जाता है जब वह पाता है कि रोगी को सरकारी अस्पताल में यथोचित ध्यान एवं देख–रेख नहीं दिया जा रहा है अर्थात् यदि अस्पताल में रोगी को दिए जाने वाले उपचार से वह पूर्ण रूप से असंतुष्ट हो तथा घोर लापरवाही के मामले, जो अस्पताल में रोगी द्वारा सामना किया गया, जिससे परिवार को कोई उम्मीद नहीं रही। जिला अस्पताल संत कबीर नगर में नियुक्त डॉक्टरों ने पीड़ित के प्रति उनकी लापरवाही से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिससे उसके घरवालों को पीड़ित को अस्पताल से ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीड़ित को जिला अस्पताल संत कबीर नगर से ले जाया गया जो कि उसे देखने वाले डॉक्टरों की घोर चिकित्सा लापरवाही थी, जिससे पीड़ित महिला के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ।

6.25 आयोग ने अतः मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा कि श्रीमती किस्मती देवी को वित्तीय राहत के रूप में एक लाख रुपये की संस्तुति क्यों न की जाए।

6.26 चूंकि, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार से कारण बताओ नोटिस का अनुस्मारक देने के बाद भी कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ आयोग ने अतः 05.12.2016 की कार्यवाही के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से संस्तुति की कि पीड़ित श्रीमती किस्मती देवी को एक लाख रुपये मुआवज़े का भुगतान करें। भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

4. *हिन्दू राव तथा सफदरजंग अस्पताल, दिल्ली के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण 10 वर्षीय लड़के के पैर को काटना।*

   (मामला संख्या 4301/30/0/2015)

6.27 आयोग ने "डॉक्टरों की लापरवाही से काटना पड़ा बच्चे का पैर" शीर्षक से 01.08.2015 को हिंदी दैनिक 'नई दुनिया' में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया। रिपोर्ट के अनुसार, एक 10 वर्षीय बालक बिलाल, पैर में 01.05.2014 को कांच का टुकड़ा चुभने के कारण जिसका बांया पैर जख्मी हो गया था। जिसे शुरूआत में राणा प्रताप बाग कॉलोनी, दिल्ली के संगम पार्क के क्षेत्र में एक झोलाछाप के पास ले जाया गया था जिसने उसके जख्म को कांच का टुकड़ा निकाले बिना ही सिल दिया था। चूंकि बच्चे की हालत सही नहीं थी इसलिए उसे उपचार हेतु दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में ले जाया गया। एक्स–रे करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसमें कांच का टुकड़ा नहीं है तथा उन्हें अगली सुबह ओ.पी.डी. में आगे का उपचार करने की सलाह दी। ओ.पी.डी.

में दोबारा किए गए एक्स–रे से पता चला कि उसके पैर में कांच का टुकड़ा है। हालांकि, मरीज़ को अस्पताल में रखा गया था, फिर भी तीन दिनों के बाद उसे निकाला गया। इसके कारण गंभीर संक्रमण हो गया जिसके लिए उपचार नहीं दिया गया। रोगी को लोकनायक अस्पताल के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था जहां उसको एडमिट नहीं किया गया तथा बाद में उसे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया जहां उसको शुरू में एडमिट करने से मना कर दिया गया था परन्तु बाद में उसे दो दिन के लिए रखा गया तथा डिस्चार्ज कर दिया गया। रोगी को मेरठ के अस्पताल ले जाया गया जहां उसका जीवन बचाने के लिए उसके पैर को काटा गया। समाचार रिपोर्ट में उल्लेख था कि दिल्ली चिकित्सा परिषद् द्वारा हिंदूराव एवं सफदरजंग अस्पताल के 4 डॉक्टरों का पंजीकरण एक महीने के लिए रद्द कर दिया गया था। झोलाछाप के विरुद्ध भी मामला दर्ज किया गया था।

6.28 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, सचिव, दिल्ली चिकित्सा परिषद्, सी.एम.ओ. (प्रशासन), उत्तरी दिल्ली नगर निगम, हिंदूराव अस्पताल तथा अवर सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली से रिपोर्टें प्राप्त हुंई।

6.29 आयोग को दिल्ली चिकित्सा परिषद् (डी.एम.सी.) से 30.07.2015 का विस्तृत आदेश प्राप्त हुआ जो इसके समक्ष श्री कादिर अहमद द्वारा दर्ज की गठ शिकायत से संबंधित था, जिसमें उनके बेटे बिलाल का बांया पैर विभिन्न डॉक्टरों द्वारा किए गए उपचार में हुई चिकित्सा लापरवाही से संबंधित थी।

6.30 दिल्ली चिकित्सा परिषद् ने व्यापक तथ्य अन्वेषण जांच के बाद यह पाया कि आफ़ताब आलम नामक अयोग्य चिकित्सक, जो संगम पार्क दिल्ली में एक क्लीनिक चलाता था, भा.द.सं. के प्रावधानों के तहत अभियोजन हेतु उत्तरदायी है क्योंकि उसने पीड़ित बिलाल अहमद की चोटों का उपचार बिना अपनी समझ एवं दक्षता होने के बावजूद लापरवाहीपूर्वक किया था। हिन्दुराव अस्पताल, दिल्ली जहां बिलाल अहमद को 01.05.2014 को ले जाया गया था, के डॉक्टरों की ओर से भी ज्ञान एवं दक्षता की पूर्ण कमी दिखाई देती है। लापरवाही के लिए दोषी पाए गए डॉक्टर थे– डॉ. अनन्त शर्मा, जूनियर रेज़ीडेंट तथा डॉ. जगदीश वी., सीनियर रेज़ीडेंट। इसके अलावा, रोगी बिलाल अहमद को क्योंकि आरटेरियल थ्रोम्बोसिस हो गया था। अतः उसे 08.05.2014 को सफ़दरजंग अस्पताल में वस्कुलर सर्जन मैनेजमेंट हेतु रैफर किया गया था। डॉ. विशाल गज़भिये, जिन्होंने सी.टी.एन्जियोग्राफी के अन्वेषण की जांच की थी, नोट किया था कि किसी प्रकार के सर्जरी की आवश्यकता नहीं थी। यह भी बताया गया था कि पैर के नीचे की सी.टी.एन्जियोग्राफी से पुष्टि हुई थी कि रोगी का पैर दबा हुआ था जिसके लिए रोगी को सी.टी.वी.एस. द्वारा तत्काल समीक्षा करने हेतु अस्पताल में एडमिट किया जाना चाहिए था तथा उसके पैर को बचाने के लिए प्रयास किय जाना चाहिए था। हालांकि, यह नहीं किया गया तथा रोगी को सी.टी.वी.एस. ओ.पी.डी./वार्ड हेतु रैफर किया गया था।

6.31 डी.एम.सी. ने माना कि यह डॉक्टर विशाल गजभिये, जिन्होंने सी.टी. एन्जियोग्राफी के अन्वेषण की जांच की थी, की ओर से परिश्रम और व्यवसायिकता की कमी का संकेत देता है। काउंसिल ने यह भी माना कि सफदरजंग अस्पताल के सी.टी.वी.एस. विभाग के डॉक्टर अरविन्द कुमार पाण्डे, जो

कि बिलाल अहमद के उपचार में संलिप्त थे, वे भी यथोचित परिश्रम एवं देख–रेख करने में असफल रहे, जिसकी अपेक्षा एक जानकार डॉक्टर से की जाती है।

6.32 दिल्ली मेडिकल परिषद् ने माना कि डॉक्टर विशाल गजभिये तथा डॉ. अरविंद कुमार पाण्डे दोनों ही व्यवसायिक दुराचरण अथवा चिकित्सा लापरवाही के दोषी थे। आयोग ने पाया कि दिल्ली चिकित्सा परिषद् एक व्यापक तथ्यान्वेषण जांच के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची जिसके दौरान इसने विभिन्न बयान रिकॉर्ड किए थे जिनमें पीड़ित के पिता तथा उसके उपचार में संलिप्त विभिन्न अस्पतालों के डॉक्टर शामिल थे। आयोग ने अतः दिल्ली चिकित्सा परिषद् द्वारा दिए गए निष्कर्षों को स्वीकृत किया तथा अपनी 20.06.2016 की कार्रवाई द्वारा टिप्पणी की कि प्रथमदृष्टया यह स्थापित होता है कि पीड़ित बिलाल अहमद के उपचार में सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों की ओर से लापरवाही हुई तथा प्रोफेशनलिज़्म की कमी पाई गई जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के बराबर है तथा इसीलिए, उसे वित्तीय रूप से मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। आयोग ने अतः मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (ए)(1) के तहत सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि बिलाल अहमद को उसके मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु एक लाख रुपये के वित्तीय मुआवज़े की संस्तुति क्यों न की जाए।

6.33 सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त जवाब आयोग के विचाराधीन है।

5. *गुजरात के वड़ोदरा जिले के छोटा उदयपुर तालुक में सिलिकोसिस के कारण 9 मज़दूरों की मौत तथा बड़ी संख्या में सिलिकोसिस से ग्रस्त मज़दूर*

   (मामला संख्या 212/6/9/2010)

6.34 आयोग को श्री जगदीश पटेल, डाइरेक्टर, पीपुल्स ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर, वड़ोदरा, गुजरात से व वड़ोदरा जिले के छोटा उदयपुर तालुक में सिलिकोसिस के कारण मौत तथा बड़ी संख्या में सिलिकोसिस से ग्रस्त मज़दूरों एवं जिला दहोड़ में गांव खरसाना में नौ मौतों की पुष्टि के मामले के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्होंने आयोग के हस्तक्षेप की मांग की थी।

6.35 आयोग ने जिलाधिकारी, दहोड़, गुजरात से रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा कि गुजरात राज्य सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा मृतक व्यक्तियों के नज़दीकी रिश्तेदारों को मुआवज़े का भुगतान क्यों नहीं किया गया।

6.36 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में अवर सचिव, गुजरात सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग ने एक रिपोर्ट भेजी जो शिकायतकर्त्ता को उसकी टिप्पणी हेतु भेजी गई थी। शिकायतकर्त्ता ने 9 मज़दूरों की सूची भेजी थी जिनमें से उसने 4 मज़दूरों का नाम हटा दिया था क्योंकि उनके मामले का निपटान कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा चुका था। अब 5 मज़दूरों, जिनकी सिलिकोसिस के कारण मौत हो गई थी, के नज़दीकी रिश्तेदारों को राहत अथवा मुआवज़ा गुजरात सरकार अथवा ई.एस.आई.

अथवा अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा दिए जाने पर विचार किया जाना है। शिकायतकर्त्ता के अनुसार, ये मज़दूर गोधरा में पत्थर पीसने की इकाई में कार्य करते थे। ये सभी इकाइयां फैक्ट्री अधिनियम अथवा ई.एस.आई. अधिनियम के तहत आतीं हैं। ये इकाइयां फैक्ट्री अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कानून द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक सिलिका धूल के संपर्क में अपने मज़दूरों को रखते हैं। इन्होंने मज़दूरों को ई.एस.आई. पहचान पत्र भी जारी नहीं किए थे जबकि उन्होंने इनका नाम दर्ज किया था। अतः गुजरात सरकार के श्रम विभाग एवं ई.एस.आई. निगम इन यूनिटों द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना को देखने में असफल रहे। यह संकेत करता है कि गुजरात सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में स्थापित इन मज़दूरों के स्वास्थ्य एवं जीवन के संरक्षण करने की ड्यूटी में विफल रही।

6.37 आयोग ने 05.08.2014 को मामले पर विचार किया। तथा टिप्पणी की कि उपरोक्त के आधार पर यह स्पष्ट था कि पांच मज़दूर जो गोधरा में पत्थर पीसने की इकाई में कार्यरत थे, सिलिका के संपर्क में आए तथा बाद में सिलिकोसिस के कारण उनकी मौत हो गई। गुजरात सरकार के प्रवर्तन अभिकरण मज़दूरों के जीवन की रक्षा करने में विफल रहे। शिकायतकर्त्ता ने पांच मज़दूरों की अंतिम सूची तथा उनके चिकित्सा प्रमाण–पत्र, जो दर्शाते हैं कि उनकी मौत सिलिकोसिस के कारण हुई, प्रस्तुत की। अतः यह मृतक मज़दूरों के नज़दीकी रिश्तेदारों के मानव अधिकारों का स्पष्ट मामला है तथा वे मुआवज़े के पात्र हैं।

6.38 इसके अलावा, उपनिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 08.08.2012 की रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता चला कि ई.एस.आई.सी. किसी प्रकार के मुआवज़े का भुगतान नहीं कर रही परन्तु ई.एस. आई. अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, बीमित व्यक्ति एवं उसके आश्रितों को देय लाभ का भुगतान करती है। इसके अलावा, दहोड़ क्षेत्र में ई.एस.आई. अधिनियम लागू नहीं है तथा यह कार्यान्वयन का क्षेत्र नहीं है। हालांकि, ई.एस.आई. ने व्यवसायिक बीमारी से ग्रस्त तथा गोधरा क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों में पंजीकृत बीमित व्यक्तियों को स्थाई, आंशिक, दिव्यांगता लाभ का भुगतान किया। बीमित व्यक्तियों को भुगतान किए गए लाभ की राशि बहुत ही कम थी तथा मज़दूरों के आश्रितों को ई.एस.आई.सी. द्वारा कोई राशि नहीं दी गई थी। इन परिस्थितियों में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत मृतकों के नज़दीकी रिश्तेदार मुआवज़े के पात्र थे।

6.39 आयोग ने तदनुसार मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (ए) (1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि मृतकों के नज़दीकी रिश्तेदार को क्यों न 6 सप्ताह के भीतर मुआवज़ा देने की संस्तुति की जाए।

6.40 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में संयुक्त सचिव, गुजरात सरकार, श्रम एवं रोजगार विभाग ने 07.10.2016 को निर्णय लिया कि निदेशक, गुजरात सरकार मृतक मज़दूरों के नज़दीकी रिश्तेदारों को मुआवज़े का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है मुआवज़े का भुगतान ई.एस.आई.सी. अथवा मज़दूर मुआवज़ा प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए। यह भी उल्लेख था कि क्र.स. 1 से 4 के मज़दूर ई.एस.

आई.सी. में पंजीकृत थे, परन्तु उपमंडलीय अधिकारी ई.एस.आई.सी., वड़ोदरा ने 24.01.2014 को सूचित किया कि ये मज़दूर लगातार छः महीने के न्यूनतम रोज़गार की योग्यता को पूरा नहीं करते अतः ये ई.एस.आई.अधिनियम के तहत मुआवज़े के पात्र नहीं हैं। संयुक्त सचिव, गुजरात सरकार, श्रम एवं प्रवर्तन विभाग ने राज्य में सिलिकोसिस की बीमारी हेतु गुजरात सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को रेखांकित किया। संयुक्त सचिव के अनुसार, क्योंकि विभाग द्वारा सुरक्षा एंव स्वास्थ्य उपायों पर अत्यधिक ध्यान दिया गया था अतः प्रथम दृष्टया गुजरात सरकार की ओर से कोई निष्क्रीयता नहीं थी।

6.41 आयोग ने 08.06.2016 को मामले पर विचार किया तथा टिप्पणी की कि गुजरात सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि जहां एक ओर रिपोर्ट से खुलासा होता है कि चार मज़दूर, जिनकी सिलिकोसिस के कारण मौत हुई, वे मैसर्स भारत सिलिका सैण्ड, मैसर्स सदरी मिनरल्स, वड़ोदरा तथा मैसर्स डायमण्ड अबरेसिव, वड़ोदरा में कार्यरत थे तथा उनके पास अपना ई. एस.आई. नम्बर भी था परन्तु दूसरी ओर उपमंडलीय अधिकारी, ई.एस.आई.सी., वड़ोदरा ने बताया था कि क्र.सं. 1 से 4 के मज़दूर न्यूनतम छः महीने के निरन्तर रोज़गार की शर्तों को पूरा नहीं करते थे, इसलिए वे ई.एस.आई. अधिनियम, 1948 के तहत मुआवज़े के पात्र नहीं थे। ये दोनों बातें एक–दूसरे के विराधाभासी थीं।

4.42 आयोग ने 05.08.2014 को विशेष रूप से उल्लेख किया कि वड़ोदरा में पत्थर पीसने की इकाइयों में कार्यरत मज़दूर सिलिका धूल के संपर्क में थे तथा बाद में सिलिकोसिस के कारण उनकी मौत होने के पीछे गुजरात के प्रवर्तन अभिकरणों की निष्क्रीयता थी। यह राज्य प्रवर्तन अभिकरणों का दायित्व है कि वे संबद्ध आद्योगिक इकाइयां उपयुक्त निवारक/सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें। इस प्रकार, राज्य प्राधिकारियों द्वारा जांच एवं पर्यवेक्षण से मज़दूरों के जीवन को बचाया जा सकता था। जिनकी अंततः सिलिकोसिस के कारण मौत हो गई थी। आयोग का मत था कि मृतक मज़दूरों के परिवारों को ई.एस. आई. अधिनियम, 1948 अथवा कर्मचारी मुआवज़ा अधिनियम, 2010 के तहत दी जाने वाली राहत आयोग द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 के तहत आयोग द्वारा संस्तुत, यदि कोई हो, वित्तीय राहत के अतिरिक्त है।

6.43 कारण बताओ नोटिस के लिए संयुक्त सचिव, श्रम एवं प्रवर्तन विभाग, गुजरात द्वारा कोई ठोस जवाब नहीं किया गया। आयोग का यह मानना था कि श्रम विभाग, गुजरात सरकार तथा ई.एस.आई. निगम, गुजरात यह देखने में पूर्ण रूप से विफल रहे कि इन इकाइयों में विधिक उपबंधों का कड़ाई से पालन हो रहा है। इस प्रकार, गुजरात सरकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्थापित मज़दूरों के स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा के दायित्व में विफल रहे। अतः 4 मज़दूरों, जिनकी सिलिकोसिस के कारण मौत हुई, गुजरात राज्य की सरकार से मुआवज़े के पात्र थे।

6.44 आयोग ने अतः संस्तुति की कि चारों मृतकों श्री दिनेश पट्टा कामोद, कड़वा सादिया कामोद, नरसिंह सादिया कामोद तथा हरसी कुंवर भाई कामोद के नज़दीकी रिश्तेदारों में से प्रत्येक को चार लाख रुपये गुजरात सरकार द्वारा भुगतान किया जाए। चार लाख में से दो लाख रुपये मृतक के नज़दीकी

रिश्तेदार को नकद दिए जाएं तथा दो लाख रुपये उनके फिक्स डिपोज़िट अकाउण्ट में रखे जाएं जो कि मृतक के रिश्तेदारों को मासिक ब्याज़ के रूप में उपलब्ध रहें। मुख्य सचिव, गुजरात सरकार से भुगतान के साक्ष्य सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

अध्याय-7

भोजन का अधिकार

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि भोजन का अधिकार भारत में 'आर्थिक लोकतंत्र' हासिल करने के लिए आवश्यक बुनियादी आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में से एक है। लेकिन भारत में कहीं भी यह अधिकार वास्तविक नहीं है, जहां पोषण का स्तर दुनिया में सबसे कम है।

–ज़ीन ड्रेज़े

7.1 एक अच्छी तरह से पोषित, स्वस्थ आबादी सतत् विकास के लिए एक प्रारंभिक शर्त है और भारत अपने युवा जनसांख्यिकीय आधार से दीर्घकालिक लाभांश में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। हालांकि हाल के दिनों में भारत ने तेजी से आर्थिक विकास किया है, लेकिन दुनिया में भूख और कुपोषण का उच्च स्तर हमारे देश में अभी भी मौजूद है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 (2015–16) में इस समस्या को दर्शाया गया है क्योंकि 15 से 49 वर्ष की आयु के बीच की आधी महिलाएं (53 प्रतिशत) से अधिक रक्त की कमी से ग्रस्त हैं तथा 22 प्रतिशत का बॉडी मास इंडैक्स सामान्य से नीचे है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के बीच अपनी आयु से 35.7 प्रतिशत कम वजन है तथा 21 प्रतिशत का वजन लम्बाई से कम है। यह स्थिति इस तथ्य के बावजूद है कि भारत में विश्व के दो सबसे बड़े पोषण कार्यक्रम 'इंटीग्रेटेड चाइल्ड डवलपमेंट स्कीम' (आई.सी.डी.एस.) छः वर्ष की आयु के अंतर्गत आने वाले बच्चों हेतु है तथा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए मिड–डे मील कार्यक्रम है। हाल ही में भारत को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टिट्यूट की ग्लोबल हंगर इंडैक्स, 2016 में 118 विकासशील देशों के बीच 97 स्थान पर रखा गया था।

7.2 यह स्थिति इसके बावजूद है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 सहपठित अनुच्छेद 39 (ए) एवं 47 में खाद्य सुरक्षा के विषय को देश के लोगों के भोजन के अधिकार को प्रभावपूर्ण ढंग से उपलब्ध कराने में राज्य अपने दायित्व से बाधित है, का सही परिप्रेक्ष्य दिया गया है। 1966 की आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, जिसके लिए भारत एक पक्षकार है, के तहत संविधान की आवश्यकताएं राज्यों पर दायित्व सहित हैं। प्रसंविदा अनुच्छेद 11 यह मान्यता देता है कि प्रत्येक के लिए जीवन–यापन के उचित स्तर में पर्याप्त भोजन शामिल है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक सक्रिय सदस्य है तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा

हेतु राज्य पक्षकार है। वर्ष 2030 तक विश्व को बदलने का वादा करता है, को भारत सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया गया है। ये 17 लक्ष्य अधिक समृद्ध, शांतिपूर्ण और टिकाऊ दुनिया की दृष्टि प्रदान करते हैं जिसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। ये 2000 मिलेनियम विकास लक्ष्यों के सृजन की मांग करते हैं। ये सभी तथा इसकी अधिक भारत के प्रत्येक नागरिक को भोजन के अधिकार का सम्मान, संरक्षण एवं प्राप्ति हेतु सरकार का दायित्व है।

7.3 भारत सरकार ने एक व्यापक खाद्य एवं सुरक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, 10 सितम्बर, 2013 को लागू किया जो लोगों के भोजन एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करना अपेक्षित करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 लक्षित लाभधारियों को खाद्य सुरक्षा देना है। यह खाद्य आधारित कल्याणकारी योजनाओं जैसे लक्षित लोक वितरण योजना, प्रतिपूरक पोषण कार्यक्रम एकीकृत बाल विकास सेवाएं तथा मिड–डे–मील योजना तथा मातृत्व लाभ कार्यक्रम (इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना) जैसे सर्शत नकद स्थानांतरण योजना के साथ जुड़े हुए हैं तथा इसमें व्यापक संभावनाएं हैं।

7.4 सरकार की अनेक फ्लैगशीप कार्यक्रमों (मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिज़िटल इंडिया) की सफलता स्वस्थ एवं प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं की उपलब्धता पर निर्भर करती है। भारत में कुपोषण की वर्तमान स्थिति इस दृष्टिकोण से गंभीर चेतावनी देती है। कुपोषण का आर्थिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर पर गहरा प्रभाव होता है जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोटे बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में कम निवेश होने से नीति की दृष्टि से कमी साबित हुई है। देश की जनसंख्या का लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं एवं बच्चों को मिलाकर बनता है, जो न केवल वर्तमान मानव संसाधन का आधार है बल्कि भविष्य का आधार भी है। यह आधार स्रोत कुपोषण से ग्रस्त है जो उनके जीवन स्वास्थ्य उनकी समग्र सीखने की क्षमता तथा व्यस्क उत्पादनशीलता को कम करता है तथा इस पर तुरंत ध्यान दिए जाने की आवश्कता है।

7.5 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 तथा फ्लैगशिप योजनाओं नमतः इंटिग्रेटिड चाइल्ड डवलेपमेंट सर्विसिज़ स्कीम अथवा आई.सी.डी.एस. तथा मिड–डे–मील योजना के भी उचित कार्यान्वयन पर जोर दिया है। इसने अपने विशेष संपर्ककर्त्ताओं से भी आग्रह किया कि इन योजनाओं के साथ–साथ राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति का फीडबैक दें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28–29 अप्रैल, 2016 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भोजन का अधिकार पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन इस बात को ध्यान में रखते हुए किया कि देश में गरीबी, भूख एवं कुपोषण की समस्या से अभी भी बहुत से लोग जूझ रहे हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन का राज्यवार आकलन, सूचना प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल का आकलन तथा अन्य उपलब्ध तरीकों से खाद्यान्न के असमान वितरण की रोकथाम एवं अन्य टी.पी.डी.एस. में विद्यमान अन्य भ्रष्ट प्रथाओं का आकलन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में पायी जाने वाली त्रुटियों/कमियों को राज्यवार पहचान करने तथा इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र हेतु संस्तुतियों को अंतिम रूप देना था।

7.6 सम्मेलन के पूर्ण सत्रों में तीन प्रमुख विषयों पर विचार–विमर्श किया गया:–

सत्र I : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 – कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति।

सत्र II : राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन – योग्य घरों की पहचान : उठाए गए कदम, संरचनात्मक समस्याएं, प्रचालन के विषय तथा बाधाएं।

सत्र III : राज्यों द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का कार्यान्वयन – गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पोषण समर्थन : उठाए गए कदम, संरचनात्मक समस्याएं, प्रचालन के विषय तथा बाधाएं।

भोजन का अधिकार पर अप्रैल 28–29, 2016 को नई दिल्ली में आई आई सी में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी

7.7 सम्मेलन में तीन वर्किंग ग्रुप गठित किए गए थे जिन्होंने इन विषयों पर अपनी संस्तुतियां दीं (i) योग्य घरों की पहचान (ii) गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक की आयु के

बच्चों के लिए पोषण समर्थन (iii) लक्षित लोक वितरण प्रणाली में सुधार। संस्तुतियों को बाद में केन्द्रिय मंत्रालयों तथा सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था।

क. भोजन का अधिकार पर अध्ययन – बिहार एवं उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों में प्रचलित स्थिति

7.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वर्ष 2015–16 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख था कि अनुसंधान अनुभाग ने सेंटर फॉर रूरल डवेलपमेंट, नई दिल्ली के 'हरियाली' को एक अनुसंधान अध्ययन सौंपा था इसके वि ोश उद्दे य थे – बी.पी.एल. परिवारों की समाज–आर्थिक स्थिति एवं जीवन यापन की दशाओं का पता लगाना, यह पता लगाना कि बी.पी.एल. परिवारों को पर्याप्त भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक पहुंच है अथवा इसके लिए उन्हें कोई साधन मुहैया कराए गए हैं, घरेलू स्तर पर पुरुषों एवं महिलाओं बच्चों तथा व्यस्कों के खान–पान के ढंग का आकलन करना तथा खाद्य पदार्थों के संबंध में लिंग भेदभाव की प्रथा की सीमा का अध्ययन करना, लोक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न के असर के साथ–साथ आई.सी.डी.एस. के तहत तथा मिड–डे–मील योजना के तहत दिए जाने वाले भोजन से खासतौर पर बच्चों में कुपोषण एवं भुखमरी की समस्या से किस प्रकार निपटा जा सकता है, कुपोषण एवं भुखमरी के कारण बी.पी.एल. परिवारों एवं बच्चों के बीच रोगों की संख्या एवं मृत्यु–दर की प्रबलता का पता लगाना, बी.पी.एल. परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करने में नागरिक समाज संगठन तथा निजी संस्थानों की भूमिका का पता लगाना तथा बी.पी.एल. परिवारों एवं बच्चों के बीच भुखमरी की समस्या से निजात पाने के लिए उनके पोषण की स्थिति को सुधारने वाली रणनीतियां बनाना।

7.9 समीक्षाधीन अवधि के दौरान 'हरियाली' ने आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया तथा इसके द्वारा किए गए अध्ययन में पायी गयी कमियों को दूर करने के लिए एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करने की सलाह दी।

ख. कृषि संकट एवं किसानों की आत्महत्या पर अनुसंधान प्रोजेक्ट – स्थानीक राज्य-विषय एवं चिंताओं का प्रयोगसिद्ध अध्ययन

7.10 राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद के सहयोग से 'कृषि संकट एवं किसानों की आत्महत्या पर अनुसंधान प्रोजेक्ट – स्थानीक राज्य–विषय एवं चिंताओं का प्रयोगसिद्ध अध्ययन' एक अनुसंधान अध्ययन किया गया था। अध्ययन में किसानों की आत्महत्या के कारणों, आत्महत्या के बाद उनके परिवार की दशाओं, पुर्नवास हेतु उपायों संभव नितियों के हस्तक्षेप एवं सफल हस्तक्षेपों के द्वारा न केवल आत्महत्याओं की रोकथाम करने बल्कि परिवारों पर उनके दुष्प्रभाव को भी कम करना शामिल किया गया था। अध्ययन में महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओड़िशा एवं पंजाब राज्यों में किए गए अध्ययन से डाटा एकत्रित करने के प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत दोनों का ही इस्तेमाल किया जाए। अध्ययन की समयावधि 10 महीने है।

7.11 अध्ययन से प्राप्त तथ्यों को किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याओं की घटनाओं की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा किए जाने वाले आवश्यक नितिगत उपायों का सुझाव देना तथा यह सुनिश्चित करना कि प्रभावित परिवारों को कम–से–कम प्रशासनिक बाधाएं सहित पुर्नवास के श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हों।

ग. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा भोजन का अधिकार के दृष्टांत मामले

1. पंजाब में आंगनवाड़ियों में बच्चों को भोजन की आपूर्ति नहीं करना

(मामला संख्या 1164/19/0/2014)

7.12 आयोग ने "दि ट्रिब्यून" में 01.09.2014 को "आंगनवाड़ियों के बच्चे बिना भोजन के" शीर्षक से प्रकाशित समाचार रिपोर्ट का अवलोकन किया। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब के विभिन्न भागों में चार महीनों से 26,652 आंगनवाड़ी केन्द्रों को राशन की आपूर्ति नहीं किए जाने के कारण छः वर्ष की आयु के अंदर आने वाले लाखों बच्चों को कोई भोजन नहीं दिया जा रहा था। यह भी रिपोर्ट की गई थी पिछले वर्ष दिसम्बर माह में खजांची द्वारा प्रतिपूरक पोषण कार्यक्रम के तहत राशन खरीदने के लिए एडवांस के बिलों को पास नहीं किया गया था। इसके अलावा नए वित्त वर्ष में डी.डी.ओ. को शक्तियां देने में देरी के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। यह भी रिपोर्ट की गई थी कि 80 करोड़ रुपए जिसमें एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के प्रतिपूरक पोशण कार्यक्रम के तहत भारत सरकार से 90 प्रतिशत मैंचिग अनुदान दिया गया था जिससे लगभग 10 लाख गरीब बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए आंगनवाड़ियों के साथ नामांकन किया गया था। लगभग रोपड़ जिले में 857 आंगनवाड़ियों में 50,000 बच्चों को अनुदान उपलब्ध नहीं होने के कारण अप्रैल 2014 से चावल, दलिया एवं पंजीरी की आपूर्ति नहीं की गई थी।

7.13 आयोग ने मामले का स्वतः संज्ञान दिया तथा मुख्य सविच पंजाब सरकार को निम्नलिखित बिंदुओं सहित व्यापक रिपोर्ट हेतु नोटिस जारी किया :

i) राज्य के प्रत्येक जिले में आंगनवाड़ियों की संख्या का जिला–वार विवरण;

ii) एस.एन.पी. के तहत खाद्य पदार्थों की आपूर्ति हेतु राशन वितरित नहीं किए जाने वाले आंगनवाड़ियों की संख्या का जिला–वार विवरण; तथा

iii) मुख्य सचिव द्वारा प्रस्तावित उपचारी उपाय।

7.14 इस मामले को 27.11.2014 को चंडीगढ़ में आयोग की शिविर बैठक के दौरान लिया गया था, जब निर्देशक सामाजिक सुरक्षा एवं महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह स्वीकार किया गया था कि चार महिनों से राशन आपूर्ति उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि स्थानीय समुदाय की मदद से खाद्य आपूर्ति उपलब्ध करायी गई थी। बहरहाल आयोग ने उन्हें आगे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देष दिया।

7.15 आयोग ने 19.05.2015 को एक रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें उल्लेख था कि प्रतिपूरक पोषण कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2014–2015 के दौरान जिला ट्रेज़र द्वारा 14,153.97 लाख रुपए आबंटित किए गए। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख था कि पंजाब राज्य में 26656 आंगवाड़ी हैं। आंगनवाड़ियों को प्रतिपूरक पोषण की आपूर्ति 01.06.2014 से 10.11.2014 की अवधि में विभिन्न जिलों में बाधित थी जैसे अमृतसर, भटिंडा, फरीदकोट, फिरोज़पुर, फज़िलका, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, मंसा, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, रूपनगर, तरनतारन तथा बरनाला। रुपए 78.75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी परन्तु डी.डी.ओ. को भाक्तियां देने में देरी होने के कारण दो महीने तक जारी नहीं की गई थी जिसे 25.08.2014 को जारी किया गया था। जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ट्रेज़री से रुपए 69.76 करोड़ की राशि ली गई थी।

7.16 आयोग ने यह पाया कि पंजाब के तेरह जिलों में नौकरशाही विलंब के कारण गर्भवती महिलाएं स्तनपान कराने वाली माताएं तथा नवजात शिशु अनुपूरक पोषण की नियमित आपूर्ति से वंचित हैं। सरकार के इस रवैये के कारण नवजातों के मानसिक विकास को बूरी तरह प्रभावित करेगा जैसा कि बच्चे के दिमाग का विकास प्रथम छः वर्षों में हो जाता है। इस समय इस क्षति को पूर्ववत् करना संभव नहीं। परन्तु अनुपूरक पोषण से वंचित हितभागियों को एक उचित प्रतिपूर्ति द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है।

7.17 अतः आयोग ने पंजाब सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि पंजाब के 13 जिलों में दिनांक 01.06.2014 से 10.11.2014 तक की अवधि के दौरान आपूर्ति से वंचित राशन के मूल्य के बराबर पैसे के भुगतान की संस्तुति आयोग क्यों न करे।

7.18 कारण बताओ नोटिस के जवाब में, निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब ने दिनांक 12.08.2015 के अपने पत्र द्वारा यह सूचना दी कि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, केन्द्रिय प्रायोजित योजना, के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार के खर्चों का अनुपात 50:50 है; हितधारियों को नकद राशि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिपूरक पोषण की आपूर्ति में विघटन हेतु खेद प्रकट किया गया। यह भी दर्शाया गया कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी की भविष्य में इस तरह की घटना घटित न हो।

7.19 कारण बताओ नोटिस के जवाब का अवलोकन करने पर, आयोग ने यह पाया कि पंजाब के तेरह जिलों में नौकरशाहों के कारण दिनांक 01.06.2014 से 10.11.2014 की अवधि तक गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को अनुपूरक पोषण की नियमित आपूर्ति से वंचित रखा गया अतः गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के मानव अधिकार का उल्लंघ हुआ। आयोग ने इसके पश्चात् यह भी महसूस किया कि हालांकि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना एक निश्चित ही प्रायोजित योजना है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुपूरक पोषण प्रदान करने का अनुपात 50:50 है, इस मामले में केन्द्र सरकार की तरफ से कोई असफलता या कार्यविहिनता नहीं पाई गई। राज्य सरकार के हर्जाने की जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकता है। भारत

सरकार हितधारियों नकद भुगतान प्रदान न करने के संबंध में जारी दिशा–निर्देश पीड़ितों को आर्थिक हर्जाने के भुगतान से रोक नहीं सकता। मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण हेतु, आयोग पंजाब सरकार को दिनांक 01.06.2014 से 10.11.2014 की अवधि के दौरान पंजाब के तरह जिलों में अनुपूरक पोषण की नियमित आपूर्ति से वंचित लोगों को उक्त अवधि तक राशन के एवज में आर्थिक राहत का भुगतान करने का निदेश दिया। मुख्य सचिव, पंजाब सरकार को भुगतान के प्रमाण के साथ तीन सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

7.20 इसके उत्तर में, पंजाब सरकार ने यह सूचना दी कि वित्त विभाग, पंजाब सरकार ने निधियों के विमोचन के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है तथा अनुपूरक पौष्टिक भोजन से वंचित हितधारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने के संबंध में आव यक कार्रवाई की जा रही है।

7.21 पंजाब सरकार से प्राप्त उत्तर पर विचार करते हुए आयोग ने अपने दिनांक 27.02.2017 की कार्रवाई द्वारा अपर निर्देशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंजाब सरकार को अनुपूरक व पौष्टिक भोजन से वंचित हितधारियों को आर्थिक राहत प्रदान करने तथा आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट के साथ–साथ भुगतान के प्रमाण को आयोग में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। इस मामले में अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

2. *मल्कानगिरी ओड़िशा में भालूगुड़ा सेवाश्रम के जनजातियों के लिए सरकार द्वारा चलित एक छात्रावास में दो सौ छात्राओं को उचित भोजन तथा पर्याप्त जीवन स्तर से वंचित रखना*

   (मामला संख्या 3727/18/29/2013)

7.22 आयोग ने दिनांक 29.11.2013 को डॉ0 सुभाष महापात्र, कार्यकारी निदेशक, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स कम्यूनिकेशन से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने मल्कानगिरी ओड़िशा में भालूगुड़ा सेवाश्रम के जनजातियों के लिए सरकार द्वारा चलित एक छात्रावास में दो सौ छात्राओं को पर्याप्त भोजन तथा बेहतर जीवन स्तर से वंचित रखने के संबंध में आयोग का ध्यान आकर्शित किया। गैर सरकारी संगठन के अनुसार, दिनांक 25.11.2013 को भूख एवं पर्याप्त जीवन स्तर से वंचित रखने की वजह से दो सौ छात्राओं ने छात्रावास छोड़ दिया। यह भी आरोप लगाया गया कि भालूगुड़ा सेवाश्रम में पांच शिक्षकों को रखने का प्रावधान है लेकिन विद्यालय में ड्यूटी पर एक भी उपलब्ध नहीं थे। तद्नुसार, छात्राओं को पर्याप्त भोजन प्रदान नहीं किया जाता था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित इन छात्राओं के लिए छात्रावास में एक भी महिला शिक्षक उपलब्ध नहीं करायी गई थी। अपनी असुरक्षा की वजह से उन लोगों ने छात्रावास छोड़ दिया।

7.23 दिनांक 11.12.2013 को आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, निदेशक (एस.टी.) सहित अपर सचिव, ओड़िशा सरकार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास विभाग में दिनांक 18.08.2014 को यह सूचना दी कि जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार यह पाया गया कि 200 की बजाय 161 छात्राओं ने छात्रावास छोड़ दिया। उसके पश्चात् भोजन की गुणवत्तता तथा अन्य छात्रावास प्रबंधन पहलुओं के संबंध

में आव यक उपचारी कदम उठाए गए हैं। प्रधान सेविका के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है जिन्हें कार्रवाई न करने के संबंध में दोशी पाया गया तथा कर्त्तव्य की अवहेलनाओं की वजह से उन्हें कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। इस घटना के पश्चात्, लापरवाह शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण कर दिया गया तथा उनके विकल्पों ने भी ज्वाइंन कर दिया है। वर्तमान में, गुणवत्तायुक्त निर्धारित मेन्यू के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। छात्रावास के समग्र प्रबंधन में सुधार हेतु सभी प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रावास की स्थिति में सुधार हेतु, जिला प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित परिदृश्य एवं गंभीर प्रयासों को देखते हुए, कार्यवाही खत्म करने का निवेदन किया गया है।

7.24 आयोग ने इसके पश्चात् दिनांक 30.12.2016 को इस मामले पर विचार करते हुए यह महसूस किया कि भूख एवं पर्याप्त जीवन स्तर की अवहेलना के कारण 161 छात्राओं ने छात्रावास छोड़ दिया। अब भोजन की गुणवत्ता तथा अन्य छात्रावास प्रबंधन की बेहतरी हेतु आव यक उपाय किए गए हैं। मुख्य सेविका जिन्हें कार्रवाई न करने के खिलाफ विभागीय कार्रवाई तथा लापरवाह शिक्षकों एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण भी कर दिया गया है।

7.25 उचित भोजन की अनुपलब्धता तथा पर्याप्त जीवन स्तर की अवहेलना से सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में रह रही जनजाति छात्राओं के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ अतः सभी छात्राएं हर्जाने की हकदार हैं।

7.26 तद्नुसार, मुख्य सचिव, ओड़िशा सरकार को पी.एच.आर.ए. एक्ट की धारा 18 (क) (i) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि आयोग भालूगुड़ा सेवाश्रम, मल्कानगिरी में रह रही सभी 161 छात्राओं में से प्रत्येक को हर्जाने के रूप में रुपए 1,000/– के भुगतान की संस्तुति क्यों न करें। कारण बताओ नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा है।

अध्याय-8

शिक्षा का अधिकार

8.1 शिक्षा सीखने एवं ज्ञान प्राप्त करने की एक प्रक्रिया हो तथा किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में कौशलता, मूल्यों एवं विश्वास के समावेशन से इसे हासिल की जा सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के अनुसार, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य एवं मुफ्त होगी। वस्तुतः अन्तर्राष्ट्रीय कानून निर्माताओं ने यह बात प्रसारित की है कि माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा भी मुफ्त में प्रदान की जाए। मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षा तक पहुंच एक मौलिक प्रत्याभूति है। हांलाकि, कई विकासशील देशों में, परिवार वाले अपने बच्चों को विद्यालय भेजना वहन नही कर पाते, लाखों के बच्चें शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय एहसान के बावजूद, कुछ राज्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के एवज में शुल्क वसूल करते हैं। इसके अतिरिक्त, शिक्षा के साथ अप्रत्यक्ष लागत जुड़े होते हैं जैसे विद्यालय पुस्तक, यूनीफॉर्म या यात्रा जिससे कम आय वाले परिवारों के बच्चे विद्यालय तक पहुंच नहीं पाते।

8.2 भारत में बच्चों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार या शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आर.टी.ई.) संविधान का एक अधिनियम है जिसे दिनांक 4 अगस्त, 2009 को पारित किया गया। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 (क) के तहत भारत में 6 एवं 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के महत्व के साधन का वर्णन करता है। दिनांक 1 अप्रैल, 2010 को इस अधिनियम के लागू होने पर भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाले 135 देशों में से एक बन गया। यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चों की शिक्षा को एक मौलिक अधिकार तथा प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम मानदण्डों को विनिर्दिष्ट करता है। सभी के निजी विद्यालयों को 25: सीट बच्चों के लिए आरक्षित करने की आवश्यकता (लोक–निजी साझेदारी योजना के तहत राज्य द्वारा प्रतिपूर्ति की जाए) है। बच्चों को निजी विद्यालयों में आर्थिक स्थिति या जाति आधारित आरक्षण द्वारा प्रवेश कराया जाता है। यह सभी अमान्यता प्राप्त विद्यालयों को चंदे या केपेसिटी शुल्क की प्रथा या प्रावधानों एवं प्रवेश के समय बच्चों या माता–पिता के साक्षात्कार से रोकता है। यह अधिनियम यह भी प्रदान करता है कि किसी भी बच्चे को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक एक कक्षा में दो बार रखना, निष्काषित करना तथा बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। विद्यालय से निकाले गए विद्यार्थियों को समान उम्र वाले विद्यार्थियों के समतुल्य बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण के भी प्रावधान है।

8.3 शिक्षा के अधिकार की अवधारणा मुफ्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है इसी उद्देश्य

से माध्यमिक, तकनीकी एवं उच्च स्तरों में शिक्षण अवसरों तक पहुँचाना है। इस बात पर तर्क दिया गया कि, आर.टी.ई. एक्ट के तहत शिक्षण एवं लर्निंग प्रक्रिया तनाव रहित होगी। बाल हितैषी शिक्षण प्रक्रिया प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम सुधार पर जोर दियागया जो संगत एवं शक्तिवर्धक है। इस संबंध में भारत सरकार ने भारत में साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए हुई महत्वपूर्ण कदम उठाएं एवं कार्यवाही की है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा वर्ष 2001 एवं 2011 में प्रदानकिए गए डेटा साफ दर्शाते हैं कि भारत के साक्षरता दर में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत थी जबकि 2001 में यह 64.84 प्रतिशत ही थी।

8.4 इसके अलावा, कई मूल्यांकन रिपोर्ट में इसे उद्धृत किया गया कि, भारत के कई शहरों में आर.टी.ई. एक्ट अब तक एक मरीचिका ही है। इस अधिनियम के निष्पादन में पूरे देश भर में प्रमुख असमानताएं हैं। इस संबंध में बच्चों के विद्यालय में नामांकन से, नामांकन दर में सुधार हुआ है लेकिन शिक्षण के परिणामों में उतनी प्रगति नहीं हुई है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बालिकाओं के नामांकन में वित्तीय वर्ष 2009–10 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2013–14 में 49 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। साथ ही, लिंग समानता सूचकांक (दिए गए एक स्तर में नामांकित पुरुषों की संख्या द्वारा महिलाओं की संख्या का विभाजन) में भी वि.व. 2009–10 में 0.93 की तुलना में वि.व. 2013–14 में 0.95 तक की वृद्धि हुई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का नामांकन संख्या (सी.डब्लू.एस.एन.) में वि.व. 2009–10 में दोगुना इजाफा हुआ है तथा वार्षिक ड्राप–आइट रेट वि.व. 2009–10 में 9 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2013–14 में 5 प्रतिशत से नीचे तक की कमी आई है। प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन दर वि.व 2005–06 में 84.5 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2013–14 में 88.08 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

8.5 गुणवत्ता संकेतक यह दर्शाते हैं कि ज्यादातर राज्यों ने आर.टी.ई. अधिनियम के तहत पाठ्यक्रम आदेश को अंगीकृत कर लिया है। सरकारी विद्यालयों में, 80 प्रतिशत शिक्षकों के पास पढ़ाने हेतु विहित वृत्तिक अहर्तता है। हालांकि, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का प्राथमिक के साथ–साथ उच्च प्राथमिक विद्यालयों में औसत उपस्थिति एक चिंता का विषय है। शिक्षक संकेतक सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। अधिनियम द्वारा निहित छात्र–शिक्षक अनुपात (पी.टी.आर.) को पूरा न करने वाले विद्यालयों की संख्या कम कर दी गई है। पी.टी.आर.अनुपात जैसा कि आर.टी.ई. अधिनियम में उद्धृत है, यह सुनिश्चित करता है कि विद्यालय छोटी कक्षा का रख–रखाव करेगा। जिससे शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी का निजी तौर पर ध्यान रखा जा सकेगा एवं यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन निति के आधार को पूरा करेगा। अगर हम वि.व.2013–14 से वि.व. 2009–10 की तुलना करें तब हम सामाजिक आधारभूत संकेतकों में काफी महत्वपूर्ण सुधार पाएंगे। कई विद्यालयों में खेल का मैदान, बाउंडरी वाल एवं किचन शेड अब तक निर्मित नहीं किए गए हैं। विद्यालयों में बच्चियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वि.व.2009–10 में 59 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2013–14 में 85 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, लेकिन पूर्ण अनुपालन को प्राप्त करने हेतु अभी भी काफी काम करना बाकी है।

8.6 जैसा कि ऊपर दर्शाया गया, साक्षरता दर एवं स्कूलींग तक पहुंच में महत्त्वपूर्ण बदलाव के बावजूद, राज्यों द्वारा आर.टी.ई. के कार्यान्वयन खासकर मूल आधारभूत आवश्यकता, जैसा कि उचित

कक्षा, शौचालय एवं विद्यालयों के लिए बाउंडरी वाल्स, पेय जल की उपलब्धता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षकों के रिक्त पदों की भर्ती एवं छात्र शिक्षक अनुपात की आवश्यकता है। हमारे देश में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहां तीन किलोमीटर की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है। आर.टी.ई. जनजातीय एवं अल्पसंख्यक तथा संघर्ष क्षेत्रों के बच्चों के लिए भ्रामक मात्र है। इसके अतिरिक्त, आर.टी.ई. के कार्यान्वयन की जांच हेतु सभी राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन नहीं किया गया है। आर.टी.ई. का ज्यादा लक्ष्य निजी विद्यालयों में वंचित समूहों के बच्चों की सीटों पर 25 प्रतिशत आरक्षण पर ही केन्द्रित रहता है।

8.7 इसे समझने की आवश्यकता है कि भारत में एक बड़ी संख्या में बच्चे सरकारी विद्यालय या सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षा अध्ययन करते हैं, अतः आधारभूत संरचना, शिक्षण गुणवत्ता तथा समाज के वंचित वर्गों के बच्चों के शिक्षण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आर.टी.ई. के कार्यान्वयन सुधार की आवश्यकता है ताकि समाज में सभी वर्गों को शिक्षा अध्ययन का समान अवसर मिल सके। आज भी ज्यादातर बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पूर्व ही विद्यालय छोड़ देते हैं। बच्चों का विद्यालय छोड़ देना एक समता स्थापित करने के संबंध में एक कठिन प्रश्न उजागर करता है जैसे कि शहरी एवं ग्रामीण शिक्षा तथा गरीबों एवं अमीर द्वारा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा में काफी अंतर है। अतः, एक विशाल वित्तीय एवं मानव संसाधनों के प्रयोग के अलावा इन अधिकारों तक सही अर्थ में तथा पूर्ण सावधानी के साथ जमीनी स्तर तक उपलब्ध कराने हेतु बहुत कार्य करने की आवश्यकता है।

क. केरल में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के शिक्षा के अधिकार से संबंधित मानव अधिकार के मुद्दों पर अनुसंधान अध्ययन

8.8 उपरोक्त अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 2014–2015 के दौरान सेक्रेड हार्ट कॉलेज (एस.एच.सी.) के सहयोग से थेवारा कोच, केरल में किया था। अध्ययन में उल्लेखित मुद्दे हैं: (i) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के नामांकन के स्तर; (ii) स्कूलों में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर; (iii) उच्च शिक्षा में प्रवासी मजदूरों के बच्चों के नामांकन के स्तर; (iv) प्रवासी मजदूरों की रहने की स्थिति; (v) प्रवासी श्रमिकों के आर्थिक मामलों की स्तिथि का विश्लेषण; और (vi) प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के सामने आई सांस्कृतिक दुविधा।

8.9 आयोग ने एस.एच.सी. की साक्षात्कार सूची तैयार करने में मदद की। तैयार की गई साक्षात्कार सूची की पूर्व जांच तथा सुधार कर अध्ययन हेतु अंतिम रूप दिया गया। अंतरिम रिपोर्ट को आयोग के पास भेजी गई जिसके आयोग द्वारा विश्लेषण कर प्रधान अन्वेशक के पास संप्रेषित कर दी गई।

ख. एन.एच.आर.सी. द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित दृष्टांत मामले

1. *इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर*

परिणाम अपलोड करने में गलती के कारण पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नात्तक कार्यक्रम के एक विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की पुनः जांच के साथ–साथ आगामी टर्म परीक्षा में बैठने से वंचित रखना

(मामला संख्या 4167/30/0/2014)

8.10 श्री राम विजय प्रसाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) में जूलाई 2007 को पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नात्तक में नामांकन किया था जो 2011 तक वैद्य था। हालांकि, जो जून 2012 तक बढ़ गया तथा शिकायतकर्त्ता दो टर्म परीक्षाओं; एक दिसम्बर 2011 में तथा अन्य जून 2012 में बैठने के लिए योग्य हो गए। श्री राम विजय प्रसाद जून 2012 को टर्मिंग परीक्षा में बैठा। जब दिनांक 17.08.2012 को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर परिणाम की घोषणा की गई, उसमें दर्शाया गया कि शिकायतकर्त्ता के नामांकन के संबंध में "पंजीकरण नहीं किया गया है"। शिकायतकर्त्ता ने विश्वविद्यालय से आर.टी.आई. अधिनियम के तहत सूचना की मांग की तथा विश्वविद्यालय ने यह सूचना दी कि दिनांक 17.08.2012 को उनके परिणाम के संबंध में वेबसाइट पर दी गई सूचना सही नहीं है; यह गलती कम्प्यूटर विभाग के श्री राकेश मिगलानी द्वारा हुई है; तथा इस परिणाम को आयोग की वेबसाइट पर 04.10.2012 को उपलब्ध कराया गया। हालांकि तब तक पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने की भी अवधि समाप्त हो गई थी।

8.11 सहायक रजिस्ट्रार (आर – II) ने अपने दिनांक 09.09.2014 के पत्र द्वारा आयोग को यह सूचित किया कि संबंधित कर्मचारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय कर दिनांक 10.10.2013 के ज्ञापन द्वारा उन्हें गंभीर चेतावनी दी गई है। इस उत्तर से यह साबित हो गया कि विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा शिकायत पर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया गया है। तथ्य यह है कि कम्प्यूटर विभाग द्वारा की गई गलती के कारण शिकायतकर्त्ता के परिणाम की घोषणा नहीं हो पाई तथा इसे "पंजीकरण नहीं किया गया है" के रूप में दिखाया गया। हालांकि शिकायतकर्त्ता को सूचित किए बिना आयोग की बेवसाइट पर दिनांक 04.10.2012 को इस परिणाम की घोषणा की गई तथा दिनांक 20.03.2013 को एक पत्र द्वारा शिकायतकर्त्ता को सूचना दी गई। तब तक पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन करने की आखिरी तिथि समाप्त हो गई थी। तद्नुसार, शिकायतकर्त्ता ने न तो पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन किया और न ही दिसम्बर 2012 की परीक्षा में उपस्थित हो सका। इसके पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा एक नए सिरे से उन्हें आवेदन करने की सलाह दी गई।

8.12 जैसा कि, विश्वविद्यालय की तरफ से गलती के कारण शिकायतकर्त्ता पुर्नमूल्यांकन के अवसर से वंचित रह गया, उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ तथा विश्वविद्यालय हर्जाने के भुगतान हेतु जिम्मेदार है। आयोग ने रजिस्ट्रार के द्वारा कुलपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 (1) (क) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें निम्न आधार पर हर्जाने के भुगतान से इंकार कर दिया :–

i) सी.आई.सी. ने पहले ही दिनांक 03.10.2017 को इस मामले को स्वीकार कर निपटान कर दिया है;

ii) संबंधित अधिकारी को परिणाम की घोषणा में विलंब हेतु चेतावनी दी गई है;

iii) शिकायतकर्त्ता को एक पत्र भी भेज दिया गया है।

8.13 रिकॉर्डों का अवलोकन करने पर, आयोग ने यह पाया कि शिकायतकर्त्ता की अपील का निपटान करते समय सी.आई.सी. ने यह महसूस किया था कि हालांकि अपीलकर्त्ता को सूचना प्रदान कर दी गई है, यह कार्य काफी विलंब के पश्चात् किया गया। सी.आई.सी. ने भी प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को इस मामले की जांच कर आर.टी.आई. के जवाब प्रदान करने में अत्यधिक विलंब पर जिम्मेदारी तय करने का निर्देश दिया। सी.आई.सी. के इस निर्णय से यह स्पष्ट है कि आर.टी.आई. अधिनियम के तहत शिकायतकर्त्ता को जवाब प्रदान करने में विलंब के कारण इग्नू को दोषी ठहराया गया है। यह निर्णय शिकायतकर्त्ता की याचिका की पुष्टि करता है तथा यह इस आयोग को शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन हेतु शिकायतकर्त्ता को आर्थिक राहत की संस्तुति रोक नहीं सकता। अतः इग्नू की इस आपत्ति को खारिज कर दिया गया।

8.14 यह सत्य है कि दोषी कर्मचारी जिन्होंने शिकायतकर्त्ता के परिणाम को अपलोड करने में गलती की, को भविष्य में सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। यह विश्वविद्यालय की तरफ से गलती की पुष्टि भी करता है एवं इससे शिकायतकर्त्ता के मानव अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ बचाव भी नहीं किया जा सकता।

8.15 अब प्रश्न यह उठता है कि क्या शिकायतकर्त्ता को समय रहते सटिक परिणाम के संबंध में सूचना दी गई जिससे वह विहित अवधि के भीतर पुर्नमूल्यांकन हेतु आवेदन कर सके। यह रिकॉर्ड पर यहां तक कि आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में यह उपलब्ध है कि उन्हें अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई जिसकी वजह से वह सी.आई.सी. की मदद लेने हेतु विवश हुआ। हालांकि विश्वविद्यालय ने उनके आवेदन पर दिनांक 07.09.2012, 09.10.2012, 25.10.2012, 21.11.2012, 01.02.2013 एवं 20.03.2013 के पत्र द्वारा उत्तर दिया, उक्त सभी पत्रों को पढ़कर यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्हें सटिक एवं स्पष्ट सूचना प्रदान नहीं की गई यहां तक कि विश्वविद्यालय भी दुविधा में दिखा।

8.16 यह पत्र यह साबित करता है कि पुर्नमूल्यांकन के आवेदन के लिए 17.08.2012 से समय–सीमा मानी जाए। यह पूरी तरह से गलत सूचना है। दिनांक 07.08.2012 या 04.10.2012 मानने पर किसी भी मामले में, शिकायतकर्त्ता को सूचना दिनांक 21.11.2012 के पत्र द्वारा प्रदान की गई जब तक पुर्नमूल्यांकन के लिए एक महीने की अवधि समाप्त हो गई थी।

8.17 जैसा कि दिनांक 09.12.2013 के पत्र द्वारा स्वीकार किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा परिणामों की घोषणा के संबंध में किसी प्रकार विश्वविद्यालय द्वारा व्यक्तिगत रूप से सूचना प्रदान नहीं की गई।

8.18 रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, यह स्पष्ट था कि शिकायतकर्त्ता के परिणाम की घोषणा दिनांक 17.08.2012 को नहीं की गई तथा इसे गलत तरीके से "पंजीकरण नहीं किया गया" के रूप में दिखाया गया। विशिष्ट रूप से परिणामों की घोषणा दिनांक 04.10.2012 को की

गई तथा जिसकी सूचना शिकायतकर्त्ता को नहीं दी गई यहां तक कि आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में शिकायतकर्त्ता को भेजे गए पत्र में भी इसे उद्धृत नहीं किया गया। विश्वविद्यालय ने शिकायतकर्त्ता को अपने दिनांक 21.11.2012 के पत्र द्वारा सूचित करते हुए गुमराह किया कि पुर्नमूल्यांकन के लिए आवेदन दिनांक 17.08.2012 के एक माह के अंदर फाइल किए जा सकते हैं।

8.19 आयोग ने दोहराया कि शिकायतकर्त्ता के शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन हुआ है जैसा कि विश्वविद्यालय की गलती के कारण वह पुर्नमूल्यांकन की सुविधा नहीं ले पाया। अतः विश्वविद्यालय आर्थिक हर्जाना भुगतान के लिए जिम्मेदार है।

8.20 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने दिनांक 16.09.2016 को शिकायतकर्त्ता को रुपए 25,000/– के आर्थिक हर्जाने के भुगतान की सिफारिश की। भुगतान के प्रमाण के साथ अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मामले को दिनांक 26.04.2017 को बंद कर दिया गया।

2. *तलाशी सेवाश्रम विद्यालय जन संचार विभाग, ओडिशा में एक विद्यार्थी को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा चुड़ैल करार देकर विद्यालय से निकाल देना।*

(मामला संख्या 224/18/7/2014–डब्ल्यू.सी.)

8.21 श्री सुभाश महापात्र ने यह आरोप लगाया कि तलाशी सेवाश्रम विद्यालय एवं जन संपर्क विभाग उड़ीसा की दूसरी कक्षा की छात्रा कुमारी ममता को दिनांक 12.02.2013 को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा चुड़ैल करार देते हुए निकाल दिया। इस संबंध में पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

8.22 आयोग ने दिनांक 11.11.2014 को इस मामले पर विचार करते हुए निम्न निर्देश दिया :

"ओड़िशा सरकार में जादू टोना विरोधी कानून है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट की गई, हालांकि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इस मामले को संबंधित पुलिस थाने में उड़ीसा राज्य में प्रर्वतनीय जादू टोना विरोधी कानून के तहत कार्रवाई हेतु दोबारा रिपोर्ट की जाए तथा यथा–उपयुक्त पंजीकृत मामले के तहत जांच करवाकर एक विधि सम्मत निष्कर्ष निकाला जाए। श्री उदय नाथ परिदा, प्रधानाचार्य एवं श्रीमती रूकमणि महंता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

पुलिस जांच के निष्कर्ष एवं विभागीय कार्यवाही के संबंध में 6 सप्ताह के भीतर कलेक्टर, क्योंझर एवं पुलिस अधीक्षक, क्योंझर द्वारा आयोग को सूचना दी जाए।"

8.23 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, क्योंझर ने आयोग के समक्ष दिनांक 23.11.2015 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें यह दर्शाया गया कि उप कलेक्टर तथा एस.डी.एम., क्योंझर द्वारा एक जांच करवायी गई। जांच दल ने यह पाया कि यह घटना दिनांक 19.12.2013 को घटित हुई तथा आई./सी. प्रधानाचार्य श्री उदय नाथ परिदा को दोषी पाया गया जिसने यह आरोप लगाया कि कथित लड़की रात्रि के दौरान एक बिल्ली जैसा बर्ताव कर रही थी तथा छात्रावास के

अन्य छात्राओं का खनू पी रही थी। जब विद्यालय दोबारा खुलने पर विद्यालय आई उन्हें छात्रावास में रहने की इजाजत नहीं दी गई। हालांकि जिला प्रशासन के दिनांक 05.01.2014 के हस्तक्षेप के पश्चात् पीड़ित लड़की को छात्रावास में वापस रखा गया एवं अब वह विद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रही है। रिपोर्ट में इसके पश्चात् यह भी दर्शाया गया कि दिनांक 05.01.2014 को दोषी प्रधानाचार्य उदय नाथ परिदा को निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरूआत की गई। प्रधानाचार्य को दिनांक 10.04.2015 को पुनः बहाल कर दिया गया। विभागीय कार्यवाही समाप्त होने पर, सजा के तौर पर उनकी दो वेतन वृद्धि रोक दी गई। लापरवाह अधिकारियों को भी भविष्य में इस तरह के कृत्यों को अंजाम न देने के संबंध में चेतावनी दी गई। श्रीमती रूकमणि महंता, गण शिक्षा एक संवेदात्मक मजदूर होने के नाते, को कटरापुली उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

8.24 ए.एस.पी., क्योंझर ने भी इस मामले की जांच की तथा यह पाया कि जैसा कि ओड़िशा जादू टोना निवारण अधिनियम, 2013 का प्रर्वत्तन दिनांक 25.02.2014 से किया गया, कथित अधिनियम का इस मामले में प्रयोग नहीं किया जा सकता जैसा कि यह घटना कथित अधिनियम की अधिसूचना से पूर्व घटित हुई।

8.25 आयोग ने दिनांक 03.02.2017 को रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह महसूस किया कि लापरवाह प्रधानाचार्य, उदय नाथ परिदा को जादू टोना के अंध–विश्वास की प्रथा को फैलाने तथा सरकारी विद्यालय की दूसरी कक्षा की विद्यार्थी कुमारी ममता के मानव अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया गया। उन्हें उनके कार्यों के लिए दंडित किया गया है। अतः आयोग ने पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत मुख्य सचिव, ओडिशा सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे यह जवाब मांगा है कि आयोग पीड़िता कुमारी ममता के मानव अधिकारों के उल्लंघन हेतु रुपए 25,000/– (रुपए पच्चीस हजार मात्र) की आर्थिक राहत के भुगतान की संस्तुति क्यों न करे। कारण बताओ नोटिस के जवाब की प्रतीक्षा है।

अध्याय-9

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकार

9.1 अनुसूचित जाति (एस.सी.) एवं अनुसूचित जनजाति को सरकारी रूप से एतिहासिक रुप से समाज के वंचित वर्ग के रुप में माना जाता है। दमन से इन वंचित वर्गों के उद्धार हेतु भारतीय संविधान ने उनके उत्थान एवं समाज में उनकी प्रगति के लिए आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं।

9.2 अपनी स्थापना के बाद से, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सक्रिय रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के प्रति सकारात्मक कार्रवाई में सक्रिय रहा है। सतत् जारी असमानताओं को खत्म करने के लिए, इसने भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ दंडकारी उपायों की दृढ़ता से सिफारिश की है। इसके अलावा, आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्षों से मूल्यवान एवं उपयोगी परामर्श मिलते हैं, जो आयोग के पदेन सदस्य हैं।

9.3 वर्षों से आयोग ने अस्पृश्यता सहित विभिन्न मुद्दों के व्यवस्थित बहिष्कार को लेकर विचार किया है। आयोग में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत प्राप्त शिकायतों का तरीका मुख्य रूप से उच्च जातियों द्वारा उनके उत्पीड़न और सरकारी कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य की अनदेखी उपेक्षा करने से संबंधित है।

9.4 आयोग ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम पर एक व्यापक अध्ययन की शुरूआत की है। इस अध्ययन की शुरुआत पहचान, अत्याचारों की रोकथाम तथा तदोपरान्त अ.जा./अ.जनजाति के खिलाफ हिंसा की घटना कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए की गई। इस अध्ययन से लगभग 150 संस्तुतियां निकल कर सामने आई जिसे संबंधित प्राधिकारियों के पास के भेजकर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। आयोग अ.जा./अ.जनजाति पर मानव अधिकार उल्लंघन के मामलों में व्यक्तिगत शिकायतों के निवारण हेतु स्वतः संज्ञान भी लेता है।

9.5 इसके अलावा, आयोग नागरिक आधिकार अधिनियम,1955, अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वन नगरिक, 2006 के कार्यान्वयन के लिए राज्य के अनुपालन की जांच के सक्रिय रहा है। आयोग

के अन्वेषण प्रभाग को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत हर्जाने के संबंध में मामलों में पुलिस की भूमिका, भेदभाव के पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर आयोग द्वारा दायित्व लिया जाता है। अ.जा./अ.जनजाति एवं अन्य विछड़ा वर्ग की पीड़ा के संबंध में आयोग में दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक 3,360 मामलों का पंजीकरण किया गया जिनमें से 2,933 का निपटान कर दिया गया है तथा 427 मामले आयोग ते तहत विचाराधीन है।

क. श्री के. वी. सक्सेना द्वारा "अनुसूचित जाति के अत्याचार निवारण" पर रिपोर्ट की संस्तुति

9.6 जैसा कि पूर्व रिपोर्ट में उद्धृत है, आयोग श्री के.वी.सक्सेना द्वारा की गई संस्तुतियों का अनुवीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट की संस्तुतियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के पास की गई कार्रवाई की रिपोर्ट हेतु स्थानान्तरित कर दिया गया। संबंधित मंत्रालयों से की गई रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। की गई कार्रवाई/आंशिक कार्रवाई की रिपोर्ट अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, चण्डीगढ. दादर एवं नगर हवेली दमन एवं दीव, एन.सी.टी. दिल्ली, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी राज्य से प्राप्त हो गई है। शेष राज्यों से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। इस मामले को संबंधित राज्य सरकार के पास उठाया गया है तथा सभी संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

ख. बंधुआ मजदूरी प्रणाली का उन्मूलन

9.7 रिट याचिका (सिविल संख्या 3922/1985) में सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश के विभिन्न भागों में बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 का निरीक्षण कर रहा है। शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 15 अक्टूबर, 2012 की रिट याचिका पर अपना निर्णय देते हुए सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बंधुआ मजदूरी के सर्वेक्षण एवं जांच करने का निदेश दिया।

क) बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

9.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने दिनांक 14–15 फरवरी, 2012 को न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू माननीय अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दो दिवसीय 'बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी' का आयोजन किया।

बंधुआ मजदूरी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

9.9 इस संगोष्ठी का उद्देश्य सभी पणधारियों में जागरुकता फैलाने एवं बंधुआ मजदूरों की पहचान. रिहाई एवं पुनर्वास पर रणनीति एवं कार्यप्रणाली के बारे में संकलात्मक स्पष्टता स्थापित करना तथा सभी सहभागियों में विचार एवं अनुभव का आदान–प्रदान करना था।

9.10 इस संगोष्ठी ने बंधुआ मजदूरी के क्षेत्र में देश के विभिन्न विशेषज्ञों एवं विभिन्न पणधारियों सहित श्री बंडारु दत्तत्रेय, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, जो इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे, को एक मंच पर ला खड़ा किया।

9.11 इस संगोष्ठी के प्रतिभागियों में केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण राज्य/केन्द्र शक्ति प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य मानव अधिकारी आयोग के प्रतिनिधित्व राज्य आयोगों, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विशेष संपर्क कर्तागण, एन.एच.आर.सी. की बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप के सदस्यगण शामिल थे।

9.12 इस संगोष्ठी के दौरान उभर कर आई संस्तुतियों को सभी राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के पास की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग हेतु प्रेषित कर दी गई। ये संस्तुतियां एन.एच.आर.सी. की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं।

ख) क्षेत्रीय कार्यशाला

9.13 बंधुआ मजदूरी के खतरे पर सरकारी तंत्रों को संवेदनशील एवं जागरुक करने तथा इस मुद्दे से संघर्ष के लिए रणनीति तैयार करने हेतु आयोग ने दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया। वर्ष 2016–17 के दौरान आयोजित कार्यशालाएं निम्न है :

क्रमांक	राज्य	कार्यशाला की तिथि
1	बंगलुरु (कर्नाटक)	13 मई, 2016
2	आंध्र प्रदेश की सहभागिता के साथ हैदराबाद (तेलांगना)	2 सितम्बर, 2016
3	रांची (झारखण्ड)	9 सितम्बर, 2016
4	भोपाल (मध्य प्रदेश)	29 सितम्बर, 2016

9.14 इन संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं के दौरान, विभिन्न श्रम संबंधित मुद्दों सहित बाल मजदूरी एवं अप्रवासी श्रमिकों पर चर्चा की गई। एन.एच.आर.सी. विभिन्न पणधारियों को इन अतिसंवेदनशील मुद्दों पर संघर्ष हेतु संवेदनशील करने तथा समिति तैयार करने में मदद करने के अपने प्रयास में काबिद है।

ग) बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप

9.15 बंधुआ मजदूरी पर कोर ग्रुप की बैठक आयोग में दिनांक 16.09.2016 को न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेसन, सदस्य एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में रखी गई। यह बैठक आयोग में दिनांक 28.01.2015 को आयोजित बैठक के क्रम में था। इस बैठक का उद्देश्य बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम एवं नियमावली, 1976 संशोधन की समीक्षा/संस्तुति एवं देश में बंधुआ मजदूरी के खतरे का उन्मूलन करना था।

9.16 अपने समापन भाषण में, बैठक के अध्यक्ष ने यह दर्शाया कि ऐसे कई क्षेत्र हैं जिस पर बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा दोबारा विचार करने की आवश्यकता है जैसे बंधुआ मजदूरी नियमावली में अन्तर्सम्पर्कता के महत्व में संसोधन आदि। न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगेसन ने कोर ग्रुप के सदस्यों से अधिनियम/नियमावली में आगे के सुझावों के स्वागत के द्वारा बैठक का समापन किया।

ग. एन.एच.आर.सी., द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित दृष्टांत मामले

1. *जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश में सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट के मेनहोल में कार्य करते हुए जहरीली गैस की वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित 3 मजदूरों की मौत*

   (मामला संख्या 29674/24/54/2011)

9.17 आयोग ने दिनांक 25.07.2011 को डॉ0 लेनिन, पी.वी.सी.एच.आर., वाराणसी से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने दिनांक 25.07.2011 को दैनिक जागरण में 'मेनहोल में समा गई तीन जिंदगी' शीर्षक से प्रकाशित एक समाचार की ओर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। समाचार रिपोर्ट में यह उद्धृत था कि दिनांक 24.07.2011 को शताब्दी नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में एक सीवेज ट्रिटमेंट प्लांट के मेनहोल में कार्य करते समय उदय राम एवं ओंकार नामक दो मजदूरों तथा उन्हें बचाने के प्रयास में जहरीली गैस की वजह से एक सुरेश नामक मजदूर की मौत हो गई। दिशा–निर्देशों के अनुसार जैसा कि मेनहोल को पहले खोलकर रखा नहीं गया था, जहरीली गैस अंदर ही एकत्रित हो गई। मजदूरों को किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण भी प्रदान नहीं किए गए थे। मृतक के परिवार जनों के लिए पर्याप्त हर्जाने के साथ–साथ दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हेतु आयोग के हस्तक्षेप की मांग की गई।

9.18 आयोग ने दिनांक 22.02.2012 को डी.आई.जी., मेरठ रेंज से प्राप्त रिपोर्ट पर विचार किया जिससे यह पता चला कि दिनांक 24.07.2011 को सहायक अभियंता, मेरठ विकास प्राधिकरण ने तीन लोगों की मौत के बारे में एक शिकायत दर्ज की है। यह सूचना दी गई कि सीवर को जोड़ने के लिए मेनहोल के निर्माण का कार्य श्री मुकेश कुमार एवं उनके प्रतिनिधि श्री मांगेराम को सौंपा गया था जिन्होंने बिना पूर्व सूचना के मेनहोल के ढक्कन को खोल दिया। जिसके परिणामस्वरूप जहरीली गैस निकलने लगी परिणामतः तीन लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में आई.पी.सी. की धारा 304 तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत एक मामला सी. आर. संख्या 355/2011 दर्ज किया गया। आरोपियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

9.19 जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ से प्राप्त रिपोर्ट पर यह पता चला कि दोनों मृतक उदय एवं सुरेश शर्मा के निकट संबंधियों को कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के भुगतान के लिए बजट के विमोचन के प्रस्ताव को आयुक्त सह–सचिव, राजस्व परिषद, लखनऊ के पास भेज दिया गया है। ओंकार के मामले में इस तरह के प्रस्ताव भेजे नहीं गए हैं जैसा कि इस योजना की भार्तों के तहत, वह किसी प्रकार की कृषिगत भूमि का स्वामी नहीं है। रिपोर्ट में यह भी उद्धृत था कि मेरठ विकास प्राधिकारियों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा इकट्ठा किए गए चंदों के आधार पर, तीन मृतकों के निकट संबंधियों में से प्रत्येक को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) प्रदान किए गए हैं। अपराधिक मामले के पंजीकरण के अलावा कथित फर्म को भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।

9.20 आयोग ने दिनांक 27.09.2013 को रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए यह नोट किया कि गंदी नालियों को जोड़ने के लिए मेनहोल के निर्माण का कार्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा श्री मुकेश को सौंपा गया था एवं उनके कार्मिकों की लापरवाही के कारण, जिन्होंने बिना पूर्व सूचना के मेनहोल के ढक्कन को खोल दिया जिसके परिणामस्वरूप जहरीली गैस एकत्रित हो गई जिससे तीन लोगों की मौत हो गई। इस संबंध में आई.पी.सी. की धारा 304 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति

(अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (अ) के तहत सी. आर. संख्या 355/2011 पंजीकृत की गई है। आयोग ने यह महसूस किया कि इस लापरवाही के कारण राज्य निरपवाद रूप से जिम्मेदार हैं। आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह पूछा है कि आयोग पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत तीन मृतकों के निकट संबंधियों को आर्थिक राहत की संस्तुति क्यों न करें। आयोग ने यह भी पूछा है कि क्या मेरठ विकास प्राधिकरण ने सीवेज मजदूरों की सुरक्षा के लिए कोई दिशा–निर्देश तथा संबंधित श्रम कानून के तहत उनके बीमा के लिए कोई दिशा–निर्देश जारी किए हैं तथा मृतकों के निकट संबंधियों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3 (2) (अ) तथा नियम, 1995 के तहत वे हकदार हैं।

9.21 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 06.01.2015 को रिपोर्ट को उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ के पास अग्रेशित कर दी जिसके अनुसार यह साफ था कि मेरठ, उत्तर प्रदेश में अवस्थित स्थानीय शताब्दी नगर के विकास के लिए मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सीवर लाईन बिछाई गई थी तथा मकानों एवं जमीन का संपूर्ण आबंटन मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया था। यदि सीवर लाईन के निर्माण/मरम्मत में कोई घटना घटित होती है, मेरठ विकास प्राधिकरण के साथ–साथ उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ सकती।

9.22 हालांकि यह कार्य एक निजी ठेकेदार सौंपा गया था, आयोग का यह मानना था कि मेरठ विकास प्राधिकरण इस मामले में मुख्य नियोक्ता थे एवं मजदूरों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना उनका कर्त्तव्य था जो उनके निर्देशों के अनुसार सीवर लाईन में काम कर रहे थे।

9.23 रिकॉर्ड पर उपलब्ध पेपरों के अवलोकन के पश्चात् यह साबित हो गया कि मेरठ विकास प्राधिकरण मुख्य नियोक्ता होने के नाते, मजदूरों के जीवन की रक्षा करने में असफल रहा एवं यह प्रथम दृष्टया तीन मजदूरों के मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन का मामला है जिन्होंने सीवर लाईन में काम करते हुए अपनी जान गवां दी तथा उनके निकट संबंधी राज्य सरकार से आर्थिक हर्जाने के हकदार हैं।

9.24 अतः आयोग ने मृत्तक उदय सुपुत्र रमेश; ओंकार सुपुत्र राघव; सुरेश सुपुत्र सौराज के निकट संबंधियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुपए 2,00,000/– (रुपए दो लाख मात्र) के आर्थिक हर्जाने के भुगतान की संस्तुति की। यह आर्थिक राहत कर्मचारी हर्जाना अधिनियम, 2012 के तहत मृतक के निकट संबंधियों को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगी। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश से अनुपालन रिपोर्ट के साथ–साथ भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है।

बंधुआ मजदूरी

2. *गांव मदीना, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जिला सीकर, राजस्थान के एक मजदूर एवं अन्यों से बंधुआ मजदूरी करवाना*

   (मामला संख्या 1693/7/19/2012–बी.एल.)

9.25 आयोग ने कार्यकर्त्ता राहुल गोथवाल से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह आरोप लगाया कि जिला मदीना, तहसील गुहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में जिला सीकर, राजस्थान निवासी एक भेनुआ राम, अनुसूचित जाति से संबंधित एवं अन्य से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही थी।

9.26 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, जिला मजिस्ट्रेट, जिला सोनीपत, हरियाणा ने दिनांक 17.10.2012 के पत्र द्वारा पुर्नवास हेतु 12 मजदूरों की रिहाई पर प्रमाण पत्र को जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, राजस्थान के पास प्रेषित कर दी। जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, राजस्थान ने अपने दिनांक 23.07.2012 के पत्र द्वारा रिहा किए गए 11 बंधुआ मजदूरों के पते का सत्यापन किया। उनमें से 3 को नवजात पाया गया। 8 योग्य मजदूरों में से 4 मजदूरों का पुर्नवास कर दिया गया। शेष 4 मजदूरों का जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, राजस्थान द्वारा पुर्नवास किया जाना था।

9.27 आयोग के आगे के निदेशों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट, सीकर ने दिनांक 09.03.2016 के अपने पत्र द्वारा यह सूचना दी कि शेष 4 बंधुआ मजदूरों का भी पुर्नवास कर दिया गया है। भुगतान के प्रमाण को भी संलग्न किया गया है।

9.28 आयोग ने इस मामले पर विचार कर यह पाया कि 8 रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास कर दिया गया अतः इस मामले को बंद कर दिया गया।

3. जिला फरीदाबाद, हरियाणा में एक ईंट भट्टे में मजदूरों को बंधुआ मजदूरों के रूप में रखना (मामला संख्या 6051/7/3/2015–बी.एल.)

9.29 आयोग ने एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह दर्शाया गया कि जिला फरीदाबाद, हरियाणा में एक ईंट भट्टे में कुछ मजदूरों को बंधक बनाकर रखा गया है।

9.30 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, जिला मजिस्ट्रेट, फरीदाबाद, हरियाणा ने दिनांक 02.12.2015 को अपने पत्र द्वारा आयोग को यह सूचना दी कि उपमंडलीय मजिस्ट्रेट, बल्लभगढ़ ने शिकायत में उद्धृत मजदूरों को बंधुआ मजदूरों के रूप में घोषित कर उनकी रिहाई के प्रमाण पत्र को दिनांक 02.12.2015 को जिला मजिस्ट्रेट, सीकर, राजस्थान के पास पुर्नवास हेतु प्रेषित कर दिया।

9.31 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर ने अपने दिनांक 09.03.2016 के अपने पत्र द्वारा आयोग को यह सूचना दी कि दिनांक 26.02.2016 को सभी 12 रिहा किए गए बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास कर दिया गया है। भुगतान का प्रमाण संलग्न है।

9.32 आयोग ने इसके पश्चात् इस मामले पर विचार करते हुए जिला मजिस्ट्रेट, सीकर तथा श्रम आयुक्त, राजस्थान द्वारा दो महीने के अंदर सभी पीड़ितों के पुर्नवास के लिए की गई कार्रवाई की प्रशंसा की। आयोग ने इन दोनों प्राधिकारियों से यह भी निवेदन किया कि उनके स्थायी पुर्नवास हेतु सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत पीड़ितों को सुविधाएं प्रदान की जाएं। इन निर्देशों के साथ मामले को बंद कर दिया गया।

अध्याय-10

महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार

10.1 एन.एच.आर.सी., भारत महिलाओं एवं बच्चों के सुभेद्य होने के कारण उनके संरक्षण हेतु प्रतिबद्ध है तथा सभी विषयगत क्षेत्रों में इसको महत्व देता है। दूसरे देशों की तरह, भारत में महिलाओं एवं बच्चों को उनके मानव अधिकार उल्लंघन का शिकार होना पड़ता है तथा उनके साथ अक्सर भेदभाव किया जाता है इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय संविधान उनके उत्तर जीविता, विकास संरक्षण, भागीदारी एवं सशक्तिकरण हेतु कई प्रावधान किए गए हैं। भारतीय अंततराष्ट्रीय परिसंवाद की एक पार्टी भी है जो मुख्य रूप से महिलाओं एवं बच्चों के मानव अधिकारों को संबोधित करता है। परिसंवाद को नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के साथ–साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों में समानता को सुनिश्चित करने हेतु बनाया गया है।

10.2 महिलाओं के मानव अधिकारों पर मुख्य अंततराष्ट्रीय करार महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव का उन्मूलन पर 1979 परिसंवाद (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू), जिसका 185 संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों द्वारा संशोधन किया गया। सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू के अंतर्गत महिलाओं के मानव अधिकारों को समझने के लिए आवश्यक चुनौतियों पर सहमति प्रदान प्रदान करता है। इसी प्रकार, बच्चों के अधिकारों पर परिसंवाद, 1989 (सी.आर.सी.) सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1993 में परिशोधित किया गया जबकि सी.आर.सी. को 1992 में परिशोधित किया गया। सी.आर.सी. एवं सी.ई.डी.ए. डब्ल्यू के परिशोधन से, इसके प्रावधान विभिन्न नितियों, कानून, योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रतिबिंबित है जिसका कार्यान्वयन भारत सरकार द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के लिए किया जा रहा है।

10.3 छः वर्ष से कम के आयु के बच्चों में प्रतिकूल बाल सेक्स दर द्वारा लड़कियों एवं महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा एवं एकाधिक वंचितता स्वतः स्पष्ट है। अतः इस दिशा में कार्य करना अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि सामाजिक एवं धार्मिक समुदायों से वंचित महिलाओं एवं बच्चों को संरक्षात्मक एवं सुरक्षित माहौल मिल सके।

10.4 नीचे दिए गए पैराग्राफ में महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों पर नीति अनुसंधान परियोजना एवं कार्यक्रम प्रभाग, संक्षेप में एन.एच.आर.सी., के अनुसंधान प्रभाग द्वारा आरंभ किए गए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाकलाप नीचे दिए जा रहे हैं :

क. महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार पर कोर ग्रुप का गठन

10.5 आयोग ने नवम्बर, 2016 को महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार पर एक कोर ग्रुप का गठन किया। इस कोर ग्रुप के सदस्यों में इस विशेषय पर विशेषज्ञों सहित केन्द्रीय सरकार, पुलिस, अनुसंधान संस्थान, गैर सरकारी संगठन एवं सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस कोर ग्रुप की प्रथम बैठक दिनांक 6 नवम्बर, 2016 को एस. सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में रखी गई। इस बैठक का आयोजन महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार से संबंधित मुद्दों पर निर्मित कार्यसूची पर चर्चा करने के लिए किया गया। कोर ग्रुप ने एन.एच.आर.सी. द्वारा तैयार किए गए तस्करी पर दिशा–निर्देशों के मसौदे का गौर किया तथा इसे पूनः प्रारूपण का निर्णय लिया। अप्रैल, मई एवं जून के महीनों में आयोजित कोर ग्रुप की अनुवर्ती बैठकों में भारत में मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) एवं लोगों की तस्करी से संघर्ष के लिए कोर ग्रुप ने एक मसौदा तैयार किया। एस.ओ. पी. में तस्करी की परिकल्पना, तस्करी की रोकथाम पर आसूचना संग्रहण, उद्धार से पूर्व की कार्रवाई, उद्धार व्यक्ति, उद्धार के बाद की प्रक्रिया, पूर्नवास एवं हर्जाना छानबीन एवं जवाबदेही, कानून प्रवर्त्त एवं कानूनी प्रावधानों सहित तस्करी के विभिन्न पहलूओं के संबंध में प्रावधान पर विस्तार से वर्णन है। इन दिशा–निर्देशों में निति एवं कानूनी फ्रेमवर्क सहित अंततराष्ट्रीय कर्त्तव्य एवं राष्ट्रीय फ्रेमवर्क–भारत में तस्करी का स्थितिगत विश्लेशण प्रदान किया गया है। इसके पश्चात् ये दिशा–निर्देश तस्करी की रोकथाम के सभी प्रक्रियाओं; पहचान, उद्धार, प्रत्यावासन, पूर्नवास तथा सम्मिलित सभी अपराधियों को दण्डित करने का एक न्यूनतम मानक तैयार करेगा। यह संसाधन आबंटन, क्षमता निर्माण एवं छानबीन, एवं जवाबदेही तथा पारदर्शिता तंत्र की बात करता है जिसे विद्यमान फ्रेमवर्क के बेहतर कार्यान्वयन हेतु विकसित करने की आवश्यकता है।

ख. किशोर न्याय (बच्चों का देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के मॉडल नियम, 2016 के ड्रॉफ्ट पर टिप्पणी

10.6 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपेक्षित किशोर न्याय (बच्चों का देख–रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत ड्राफ्ट मॉडल नियमावली पर एन.एच.आर.सी., ने अपनी टिप्पणी प्रदान कर दी है। यह टिप्पणी निम्न है :

नियम	ड्राफ्त नियमावली 2016 में प्रावधान	प्रस्तावित बदलाव	सुझाव/टिप्पणी के लिए तर्क
नियम 17	लंबितता (अधिनियम की धारा 16 (3))	जिला जज के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को धारा 16 (3) के अनुरूप शामिल किया गया	जे.जे. एक्ट की धारा 16 (3) के अनुसार जे.जे.बी. की लंबितता को त्रैमासिक आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एवं जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रेषित की जाए।

	नियम 17 के तहत लंबितता/त्रैमासिक रिपोर्ट को जिला जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/मुख्य मेटोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत की जाए।	• अधिनियम की धारा 16 (3) में आनुशांगिक सांविधिक समर्थन के अभाव में नियम 17 (3) के समावेष की एक नए सिरे से जांच की जानी चाहिए।	• अधिनियम की धारा 16 में जिला जज का कोई जिक्र नहीं है।
नियम 21	चयन, प्रशिक्षण तथा समिति के सदस्यों की शर्तें नियम 21, नियम 119 के तहत गठित चयन समिति द्वारा बाल कल्याण समिति के सदस्यों की चर्चा करता है।	• रिक्तियों के विज्ञापन के पश्चात् ही सदस्यगणों का चयन किया जाए।	• नियम 21 यह दर्शाता है कि नियम 119 के तहत गठित चयन समिति की संस्तुतियों पर राज्य सरकार अध्यक्ष एवं सदस्य, सी.डब्ल्यू.सी. की नियुक्ति करें। लेकिन नियम 21 अथवा 119 से यह स्पश्ट नहीं है कि सी.डब्ल्यू.सी. के अध्यक्ष एवं सदस्यगणों के पदों के लिए चयन समिति द्वारा कैसे आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। अतः चयन प्रक्रिया को संयुक्त एवं पारदर्शी बनाने के लिए यह उपयुक्त होगा कि आवेदन लोक–विज्ञापन के द्वारा आमंत्रित किए जाएं एवं इसे नियम में भी शामिल किया जाए।
नियम 23 (6)	समिति की बैठक (अधिनियम की धारा 28) नियम 23 (6) के अनुसार बाल कल्याण समिति सभी कार्य दिवसों में कम–से–कम 5 घंटे तक कार्य करेगी।	समिति सभी कार्य दिवस में 5 घंटों के बजाय 6 घंटे कार्य करेगी।	नियम 23 (6) के अनुसार बाल कल्याण समिति सभी कार्य दिवस में कम–से–कम 5 घंटे तक कार्य करेगी। हालांकि नियम 6 (3) के अनुसार जे.जे.बी. को सभी कार्य दिवस में कम–से–कम 6 घंटें तक कार्य करेगी। अतः कार्य घंटों में एकरूपता लाने के लिए, सी.डब्ल्यू.सी. के न्यूनतम कार्य को 5 घंटें से 6 घंटे तक करने की आव यकता है।
नियम 24	समिति की शक्ति अधिनियम की धारा 29 के तहत समिति की शक्तियों के अलावा, अधिनियम की धारा 92 तथा 93 के तहत समिति के किसी निर्देश को किसी अस्पताल, एक	• प्राधिकारी के पास यह दर्शाने की आवश्यकता है कि निजी अस्पताल या क्लीनिक अथवा स्पेशियालिटी या सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल में किसी बच्चे के उपचार पर खर्चों का भुगतान कौन करेगा।	• किसी बच्चे के पूर्ण चिकित्सीय उपचार के लिए खर्चों के भुगतान के संबंध में भ्रांति या अनिश्चितता के समाधान की आवश्यकता है।

	सरकारी अस्पताल या गैर सरकारी अस्पताल/क्लीनिक/सुपर स्पेशियालिटी अस्पताल/साइकियेट्रिक होम/ट्रीटमेंट सेंटर/सेंटर फॉर फिजीकली एंड मेंटली चेलेंज्ड/डी एडीक्शन सेंटर/इंटीग्रेटीड रिहेबिलीटेशन सेंटर के पास मामले के अनुसार संबोधित किया जा सकता है।		
नियम 30	लंबितता (अधिनियम की धारा 36 (4))	• समिति त्रैमासिक आधार पर फॉर्म 16 में जिला मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। • जिला जल को हटा दिया जाएगा।	• जे.जे. अधिनियम, 2015 की धारा 36 (4) के अनुसार त्रैमासिक रिपोर्ट को जिला मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत किया जाएगा। अतः जे.जे. अधिनियम, 2015 के अनुरूप नियम में बदलाव की आवश्यकता है।
नियम 60	बच्चों का संस्थागत प्रबंधन (अधिनियम की धारा 53) नियम 60 का पैरा के सी.सी.आई. से बच्चों की पूर्व रिहाई की योजना की बात करता है।	• इस नियम के तहत पैरा के (2) के विशयों को एक अलग हेड के तहत दर्शाया जा सकता है।	• किसी बच्चे का आकस्मिक रूप से बाल देखरेख संस्थान को छोड़ने पर इसे पूर्व रिहाई योजना के अन्य पहलूओं से अलग हटकर देखने की आवश्यकता है।
नियम 69	एक बच्चे की मृत्यु नियम 69 सी.सी.आई. ने किसी बच्चे की मृत्यु के मामले में अंगीकृत प्रक्रिया की बात करता है।	• यह सुझाव है कि नियम 69 के उप–नियम (vi) में, बच्चे की मृत्यु की रिपोर्ट को प्रेशित की जाने वाली संस्थान के अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.)/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी शामिल किया जा सकता है।	एन.सी.पी.सी.आर. एवं एस.सी.पी.सी.आर. वे निकाय हैं जो क्रमशः राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण हेतु जिम्मेदार हैं अतः इस तरह की मौतों पर उन्हें सूचित करने की आवश्यकता है।

नियम 2 (अ) (सी)	स्थानीय अस्पतालों या नर्सिंग होम की मदद	• इसे हटाने की आवश्यकता है जैसा कि एक अस्पतालों या नर्सिंग होम में सामुदायिक सेवा से बच्चे को स्वास्थ्य जोखिम का खतरा है।	• अस्पताल/नर्सिंग होम वे जगह हैं जहां पर संक्रमण का अत्यधिक खतरा रहता है एवं बच्चों को इन जगहों से दूर रखना चाहिए।

ग. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के अन्य पहलू से पड़ताल; अपराधियों की दुनिया का शोधात्मक अध्ययन।

10.7 महिलाओं के खिलाफ हिंसा के अन्य पहलू से पड़ताल; अपराधियों की दुनिया का अन्वेषणात्मक अध्ययन की शुरूआत एन.एच.आर.सी. द्वारा सेंटर फॉर वुमेन डेवलपमेंट स्टडीज़ (सी.डब्ल्यू.डी.एस.), नई दिल्ली के सहयोग से की। इस अनुसंधान का उद्देश्य दिल्ली में महिलाओं एवं बच्चियों के खिलाफ अपराध के आरोपी पुरूष अपराधियों की धारणाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना था। इस अध्ययन से महिलाओं के खिलाफ अपराध में आरोपियों को पहचान एवं जीवन स्तर को समनुरूप बनाने के लिए आर्थिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारकों पर खास लक्ष्य के साथ समझने में मददगार साबित होगा। तिहाड़ जेल में बंद महिलाओं के खिलाफ हिंसा के दोषी एवं/या आरोपों व्यस्क अपराधियों के दृष्टिकोण को समझने हेतु इस अध्ययन में व्यस्क या समूह के साक्षात्कार शामिल है। यह अध्ययन शहरी भारत पर केन्द्रित करते हुए जेंडर, हिंसा, अपराध एवं सामाजिक परिवर्तन के अंतः प्रतिच्छेद पर निष्कर्ष आकर्षित करेगा।

10.8 मामले के अध्ययन के तरीके का प्रयोग अपराधियों के वर्णन के लिए किया जाएगा। सी.डब्ल्यू.डी. एस. दल ने किशोर निरीक्षण गृह एवं तिहाड़ जेल में फील्डवर्क के समय के अवलोकनों के साथ–साथ आयोग के समक्ष प्रस्तुतीकरण के दौरान सी.डब्ल्यू.डी.एस. दल द्वारा सामना की रही चुनौतियों को चिह्नाकित किया। आयोग ने सी.डब्ल्यू.डी.एस. दल को अपराधियों के बयानों के सत्यापन हेतु निर्णय, पणधारियों की राय एवं मामला रिकॉर्डों का संग्रह का सुझाव दिया। इसके पश्चात्, आयोग कैदियों द्वारा सूचना प्रदान करने के लिए साक्ष्य की तलाश करने का निदेश दिया।

घ. 'तीसरे लिंग के रूप में ट्रांजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन'

10.9 'तीसरे लिंग के रूप में ट्रांजेंडर के मानव अधिकारों का अध्ययन' नामक अनुसंधान अध्ययन की जिम्मेदारी एन.एच.आर.सी. द्वारा केरल विकास समाज (के.डी.एस.), नई दिल्ली को सौंपी गई है। इस अनुसंधान अध्ययन के मुख्य उद्देश्य तीसरे लिंग के रूप में ट्रांसजेंडर के सामाजिक आर्थिक रूप–रेखा का अध्ययन है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सकरारी कार्यक्रमों से संबंधित शिक्षा एवं रोजगार की सुविधा प्राप्त करने तथा उनके बहिष्करण के कारणों के मूल्यांकन के साथ–साथ यह अध्ययन ट्रांसजेंडरों से संबंधित मुद्दो की जांच करेगा। इसके अतिरिक्त, केन्द्र, राज्य या स्थानीय सरकार के साथ–साथ कानून एवं नितियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय एवं उनके समग्र विकास हेतु उठाए गए कदमों पर

कार्यक्रम/योजनाओं का गहन विश्लेषण करेगा। इस संबंध में केरल विकास समाज के प्रधान अन्वेषक के साथ आयोग की बैठक रखी गई। प्रधान अन्वेषकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की गहन जांच की गई एवं इस रिपोर्ट की कमियों को दूर करने के लिए संप्रेशित की गई।

ड.) यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्याण के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकलन/राष्ट्रीय विष्लेशण

10.10 "यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य तथा कल्या के संदर्भ में मानव अधिकारों पर देशीय आकलन/राष्ट्रीय विश्लेषण" की शुरूआत एन.एच.आर.सी. द्वारा वर्ष 2016 में किया। राष्ट्रीय जांच के उद्देश्य से, यह अनुसंधान अध्ययन की शुरूआत दो दिल्ली आधारित संगठनों जैसे 'विकास में कानून के साझेदार' (जी. एम.डी.) तथा 'समा–महिलाओं एवं स्वास्थ्य पर संसाधन समूह' में की गई। इस अनुसंधान अध्ययन के मुख्य उद्देश्य घरेलू/राष्ट्रीय कानून को शामिल करना, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों के संबंध में विद्यमान कमियों को शामिल करना था। इसके अतिरिक्त, यह यौन एवं प्रजनन अधिकारों के अतिव्यापी अवयवों की जांच करेगा। यह अनुसंधान अध्ययन को स्तरों–डेस्क कार्य एवं उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम क्षेत्र में कार्यरत् मुख्य विशेषज्ञों के साथ विचार–विमर्श द्वारा पूरा किया जाएगा।

च. भारत में मानव तस्करी पर राष्ट्रीय अनुसंधान

10.11 आयोग ने 2002–2004 के दौरान, एन.एच.आर.सी. द्वारा भारत में महिलाओं और बच्चों की तस्करी पर किए गए अनुसंधान की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में टाटा इंस्ट्यूट ऑफ सोशल साइंसेंज़ (टी.आई. एस.एस.), मुंबई के सहयोग से उपरोक्त अनुसंधान की शुरूआत की। इस संबंध में समय–समय पर न्यायमूर्ति श्री सिरियक जोसफ, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाता है। इस परियोजन में अब तक की प्रगति के आंकलन पर दिनांक 9 जनवरी, 2017 को आयोग में इसकी चौथी समीक्षा बैठक रखी गई। एन.एच.आर.सी. ने विभिन्न पणधारियों एवं मंत्रालयों के मध्य कड़ी को जोड़कर इस परियोजना में मदद एवं समर्थन किया है।

छ. सरोगेट्स की बदलती गतिशीलता एवं चुनौतियों को समझने हेतु एक अध्ययन

10.12 उपर्युक्त अनसंधान परियोजना की शुरूआत मार्च, 2017 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ सामाजिक विकास परिषद, नई दिल्ली द्वारा की गई। यह अध्ययन भारत के दो शहरों अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली एवं मुंबई खासकर सरोगेट माताओं द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं हेतु सरोगेसी प्रथाओं को समझने का एक प्रयास है। इस अध्ययन के मुख्य उद्देश्य (i) इनको शहरों में सरोगेसी प्रथाओं पर नए प्रस्तावित कानून के प्रभाव को समझना, (ii) सरोगेट माताओं को अधिकारों के उल्लंघन की वजह से उन्हें न्याय दिलाने पर चुनौतियों एवं कठिनाइयों का पता लगाना; (iii) वाणिज्यिक एवं उपकारी सरोगेसी दोनों में शोषण को कम करने में सरोगेसी के क्षेत्र में सर्वोत्तम

प्रथाओं का विकास करना है।

10.13 यह अध्ययन सरोगेट माताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों में अनुभव जन्य दृष्टिकोण सहित गहन साक्षात्कार के साथ–साथ अर्ध संरचित खुली समापन साक्षात्कार सेड्यूल तथा फोडस ग्रुप चर्चा को अंगीकृत करेगा। इस अध्ययन में आई.वी.एफ. विशेषज्ञों एवं डॉक्टरों सहित संरचनात्मक साक्षात्कार का आयोजन तथा आई.वी.एफ. क्लीनिक स्टॉफ एवं अभिकर्त्ताओं के असंरचित साक्षात्कारों का प्रयोग किया जाएगा। इस अध्ययन का उद्देश्य सरोगेसी से संबंधित कानून एवं निति में प्रस्तावित परिवर्तन के लिए संस्तुतियां प्रदान करना है।

ज. एन.एच.आर.सी. द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. *महावीर एन्क्लेव, दिल्ली के समीप कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक नाबालिग लड़की को गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा .मामले का पंजीकरण एवं कार्रवाई न करना।*

   (मामला संख्या 3322/30/7/2016)

10.14 श्री प्रमोद कुमार ने उनकी नाबालिग बेटी के अपहरण, पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ मामले का पंजीकरण तथा कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, आयोग के अन्वेषण प्रभाग ने तथ्यों का संग्रह किया, जिसमें यह पता चला कि महावीर एन्क्लेव के पास कुछ अज्ञात लोगों द्वारा कार में उस नाबालिग लड़की का अपहरण किया गया तथा बाद में उसे द्वारिका क्षेत्र से बरामद कर चिकित्सीय जांच हेतु पुलिस द्वारा डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया लेकिन पुलिस द्वारा मामले का पंजीकरण नहीं किया गया। दिनांक 03.06.2016 को एक लड़की की गुमशुदगी के संबंध में पुलिस थाना डाबरी में एक पी.सी.आर. कॉल प्राप्त किया गया तथा इसे आगे की कार्रवाई के लिए एच.सी. हरे राम को मार्क कर दिया गया।

10.15 जांच के दौरान, यह पाया गया कि पीड़िता अपने मित्र के घर गई थी तथा वहां से वापस आते समय अज्ञात लोगों द्वारा कथित रूप से अपहरण कर लिया गया। पीड़िता के घर न पहुंचने पर, उनकी माँ ने एक पी.सी.आर. कॉल किया। कुछ समय बाद, अपहरित लड़की की बरामदगी के संबंध में उन्होंने एक कॉल प्राप्त किया। लड़की की चिकित्सीय जांच हेतु डी.डी.यू. अस्पताल ले जाया गया, एम.एल.सी. तैयार की गई लेकिन पीड़िता एवं उनकी माँ ने डॉक्टरों द्वारा आंतरिक चिकित्सीय जांच करवाने से इंकार कर दिया। पुलिस थाना, डाबरी में हालांकि अब दिनां 20.06.2016 को अपहरण की घटना के संबंध में आई.पी.सी. की धारा 363 के तहत एफ.आई.आर. संख्या 509/16 पंजीकृत की गई है जो जांच हेतु लंबित है। आई.ओ./एच.सी. के आचरण को संतोषपूर्ण नहीं पाया गया जैसा कि इस मामले में कानूनी कार्रवाई करने पर वे असफल रहें तद्नुसार उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। आयोग ने इस मामले पर आगे विचार कर यह पाया कि यह घटना दिनांक 03.06.2016 को घटित हुई एवं लड़की को उसी दिन बरामद कर लिया गया। हालांकि एच. सी. हरी राम एक संज्ञेय अपराध के बावजूद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। आयोग के हस्तक्षेप के पश्चात् ही दिनांक 20.06.

2016 को आपराधिक मामला पंजीकृत किया गया। अपर डी.सी.पी., दक्षिणी पश्चिमी जिला, दिल्ली द्वारा यह सूचना दी गई कि लापरवाह पुलिस कर्मचारी एस. सी. हरी राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरूआत की गई है। मामले के पंजीकरण तथा पुलिस द्वारा कार्रवाई में विलंब की वजह से पीड़िता एवं उनके माता–पिता के मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ एवं अतः पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह सूचना देने को कहा गया है कि पीड़िता को आर्थिक हर्जाने के भुगतान के रूप में आयोग द्वारा रुपए 25,000/– (रुपए पच्चीस हजार मात्र) की संस्तुति क्यों न की जाए। पुलिस आयुक्त, दिल्ली को केवल लापरवाह पुलिस कर्मचारी एच. सी. हरी राम के खिलाफ ही नहीं बल्कि उनके पर्यवेक्षी अधिकारी के खिलाफ एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले पर विधि सम्मत कार्रवाई करने में असफलता तथा पुलिस थाना डाबरी में मामला एफ.आई.आर. संख्या 509/2016 की स्थिति/परिणाम के संबंध में आयोग ने बुलावा भेजकर सूचना देने को कहा है।

10.16 यह मामला आयोग में विचाराधीन है।

2. *माथिली ब्लॉक, मल्कानगिरी जिला, ओडिशा के चौला मेंडी अपग्रेडेड उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा IX विद्यार्थी की कथित यौन उत्पीड़न एवं बलात्कार*

(मामला संख्या 2101/18/29/2015–डब्ल्यू.सी.)

10.17 ओडिशा पोस्ट में दिनांक 12.03.2015 की समाचार रिपोर्ट के आधार पर कार्यकर्त्ता श्री जयंत कुमार दास से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि मल्कानगिरी जिला के माथिली ब्लॉक के चौला मेंडी अपग्रेडेड उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उनके विद्यालय की कक्षा IX की छात्रा द्वारा कथित बलात्कार किया गया। शिकायतकर्त्ता के अनुसार, कथित प्रधानाचार्य ने दिनांक 20.12.2014 को छात्रा के घर जाकर उन्हें विद्यालय आने हेतु विवश किया। जब लड़की विद्यालय आई तब प्रधानाचार्य ने उन्हें कमरे में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती की। उन्होंने उस लड़की को इस संबंध में किसी को इत्तला करने पर जान से मारने की धमकी दी। यह आरोप लगाया कि दिनांक 19.02.2015 को कथित प्रधानाचार्य ने लड़की को किचन में जाकर मध्य दिवसीय भोजन तैयार करने को कहा। इसके पश्चात् कथित शिक्षक ने कमरे के अन्दर उसका बलात्कार किया। पीड़िता का इस घटना के बारे में परिवार जनों को बतलाने के पश्चात्, पुलिस थाने में प्रधानाचार्य के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की गई। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, दिनांक 18.06.2015 को आई/सी, माथिली थाना द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त की गई। यह सूचना दी गई कि पीड़िता की लिखित रिपोर्ट के आधार पर, माथिली थाने में आई.पी.सी. की धारा 354/376 (2) (एफ)/506 तथा पास्को एक्ट, 2012 की धारा 4 के तहत दिनांक 10.03.2015 को मामला संख्या दर्ज कर जांच की गई। जांच की प्रक्रिया के दौरान, पीड़िता एवं आरोपी शिक्षक दोनों की चिकित्सीय जांच की गई तथा सी.आर.पी.सी. की धारा 164 के तहत पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। यह रिपोर्ट की गई कि प्रधानाचार्य तदोपरान्त फरार हो गया तथा उनकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की जा रही थी। जिला शिक्षा अधिकारी, मल्कानगिरी ने दिनांक 14.03.2015 से प्रधानाचार्य को निलंबित कर दिया है। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकारी,

मल्कानगिरी से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह सूचना दी गई कि अंतरिम राहत के रूप में पीड़िता को रुपए 15,000/– का भुगतान किया गया है। पीड़िता के पुर्नवास के संबंध में, यह सूचना दी गई कि पीड़ित लड़की अपने माता–पिता के साथ रह रही है तथा चौला मेंडी अंग्रेजी विद्यालय में कक्षा X में अध्ययनरत् है। आयोग ने इसके पश्चात् इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह पाया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों पर रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से काफी मदद मिली तथा लापरवाह शिक्षक के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है। प्रश्न में प्रधानाचार्य का आचरण जो एक लोक सेवक भी हैं, की वजह से पीड़िता के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ जिसके लिए राज्य निरपवाद से जिम्मेवार है। आयोग ने ओड़िशा सरकार को पी.एच.आर. एक्ट की धारा 18 (क) (i) का कारण बताने का निर्देश दिया है कि आयोग पीड़िता के मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के हर्जाने की संस्तुति क्यों न करें।

10.18 यह मामला आयोग के तहत विचाराधीन है।

3. जिला हुगली, पश्चिम बंगाल के आरामबाग में एक बच्ची पर तेजाब से हमला।

(मामला संख्या 1047/25/8/2015)

10.19 दिनांक 07.08.2014 को श्री आर. एस. बंसल, कार्यकर्त्ता से हुगली, पश्चिम बंगाल के आरामबाग इलाके में एक बच्ची पर तेजाब से हमले के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में एस.पी., हुगली से दिनांक 25.07.2016 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें यह दर्शाया गया कि घटना के पश्चात् पीड़िता द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई जैसा कि उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था तथा पूरा ध्यान उनके चिकित्सा उपचार पर लगाया गया था। तद्नुसार पीड़िता से एक लिखित रिपोर्ट प्राप्त होने पर आरामबाग थाने में दिनांक 22.10.2014 को अज्ञात लोगों के खिलाफ आई. पी.सी. की धारा 326 (क) 34 के तहत मामला संख्या 1055/14 दर्ज कर जांच की गई। हालांकि किसी सबूत या शिकायतकर्त्ता की जांच पर किसी संकेत एवं स्थानीय लोगों द्वारा किसी सूचना के अभाव में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पायी।

10.20 आयोग ने अपने दिनांक 13.01.2017 की कार्यवाही के द्वारा दिनांक 25.10.2016 की रिपोर्ट की विषय–वस्तु पर सावधानी से विचार कर दिनांक 25.10.2016 की रिपोर्ट की एक प्रति को प्रधान सचिव, गृह, पश्चिम बंगाल के पास प्रेषित कर इस मामले में सी.बी./सी.आई.डी. द्वारा जांच करवा कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। डी.जी.पी., पश्चिम बंगाल सरकार को भी लापरवाह एवं इस मामले में जिम्मेदार पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने तथा कथित अवधि के अंदर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

10.21 आयोग ने इसके पश्चात् यह महसूस किया कि माननीय शीर्ष न्यायालय, लक्ष्मी बनाम भारत संघ तथा अन्य में डब्ल्यू.पी. सी. आर. एल. संख्या में यह निर्णय दिया कि तेजाब हमले से पीड़िताओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा देखरेख एवं पूर्नवास लागत के रूप में कम से कम रुपए 3,00,000/–

(रु0 तीन लाख मात्र) का भुगतान किया जाएं। इस राशि से, तत्काल चिकित्सीय देखरेख एवं खर्चों के लिए घटना घटित होने के 15 दिनों के अन्दर रुपए 1,00,000/– का भुगतान किया जाए। शेष रुपए 2,00,000/– की राशि का भुगतान यथाशीघ्र दो सप्ताह के भीतर कर दिया जाए। अतः मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल को माननीय शीर्ष न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन करने तथा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

10.22 यह मामला आयोग के तहत विचाराधीन है।

4. *शराब बेचने के मामले में एक महिला के पति की रिहाई की बदोलत पुलिस थाना चिरवा, जिला झुंझुनु, राजस्थान के चनाना पुलिस पोस्ट के एक सहायक पुलिस निरीक्षक द्वारा एक महिला का बलात्कार*

(मामला संख्या 1741/20/18/2016–ए आर)

10.23 आयोग ने दिनांक 12.07.2016 को श्री त्रिवाणी बंसल, एक कार्यकर्त्ता से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि पुलिस पोस्ट चनाना, थाना चिरवा, जिला झुंझुनु में तैनात एक सहायक उपनिरीक्षक, लक्ष्मी नारायण ने एक व्यक्ति को शराब बेचने के मामले में झूठे आरोप में फंसा दिया। उन्हें रिहा करने के बदले, कथित पुलिस थाने में उनकी पत्नी का ए.एस.आई. द्वारा जबरन बलात्कार किया गया।

10.24 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस अधीक्षक, झुंझुनु ने दिनांक 29.08.2016 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह दर्शाया गया कि कथित घटना में पुलिस थाना चिरवा आई.पी.सी. की धारा 376 (2) क (i) (ii) के तहत ए.एस.आई. लक्ष्मी नारायण के खिलाफ एफ.आई.आर. संख्या 300/15 दर्ज की गई है। जांच के पश्चात् दिनांक 24.07.2015 को आरोप पत्र संख्या 131 न्यायालय में दर्ज किया गया।

10.25 आयोग ने यह पाया कि पुलिस अधिकारी द्वारा पुलिस पोस्ट के अंदर एक गंभीर घटना को अंजाम दिया गया एवं किसी अन्य पर्यवेक्षी अधिकारी ने इसकी रोकथाम नहीं की। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जहां किसी भी तरीके से पीड़िता की पीड़ा को कम नहीं किया जा सकता। पुलिस रिपोर्ट में यह दर्शाया गया कि ए.एस.आई. इस घटना में संलिप्त थे तथा उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। आर्थिक हर्जाने के रूप में अंतरिम राहत प्रदान करने से उनकी चोटिल भावनाओं में मदद मिल पाएगी। पुलिस रिपोर्ट में यह उद्धृत नहीं था कि इस मामले में क्या पीड़िता को किसी प्रकार का आर्थिक हर्जाने का भुगतान किया जाए।

10.26 आयोग ने इस संबंध में राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत आयोग पीड़िता को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 3,00,000/– की संस्तुति क्यों न करें। पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को इस संबंध में लापरवाह पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

10.27 यह मामला आयोग के तहत विचाराधीन है।

5. *एक नाबालिग लड़की की छोटी बहन की हत्या के मामले में पूछताछ के दौरान जिला भीलवाड़ा, राजस्थान के पुलिस कर्मियों द्वारा उस लड़की की गरिमा का उल्लंघन*

   (मामला संख्या 1340/20/6/2012)

10.28 आयोग ने दिनांक 05.06.2012 को श्री सत्य प्रकाश देव पांडेय, मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कुछ अज्ञात आरोपियों द्वारा रहस्यमयी तरीके से एक 9 वर्षीय नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। जांच के दौरान, पूछताछ के समय उनकी 12 वर्षीय बड़ी बहन सुश्री कंचन कलवेलिया, सुपुत्री श्यामनाथ को आई.ओ./पुलिस कर्मियों, जिला भीलवाड़ा द्वारा उत्पीड़न तथा बुरी तरह पीटा गया। पूछताछ के दौरान उनसे काफी भद्दे, अमानवीय एवं परेशान करने वाले प्रश्न जैसे कितनी बार उन्होंने अपने पिता के साथ यौन संबंध बनाए इत्यादि पुछे गए तथा गलत बयान दर्ज करवाने हेतु उन्हें जबरन ड्रग्स दिए गए। याचिकाकर्त्ता ने संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई करने के अलावा दोषियों के खिलाफ न्यायसंगत कार्रवाई की मांग की। किसी तुलसीदास राज, एक एन.जी.ओ. से इस मामले में एक और शिकायत प्राप्त हुई

10.29 पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा, राजस्थान से प्राप्त रिपोर्टों से यह पता चला कि सुश्री कंचन कलवेलिया (अनुसूचित जनजाति), मृत्तक की बहन को उनकी छोटी बहन सविता की हत्या के संबंध में पुलिस थाना रायपुर में आई.पी.सी. की धारा 302/201 के तहत दर्ज एफ.आई.आर. संख्या 59/12 के संबंध में थाना रायपुर में पूछताछ हेतु बुलाया गया था। सी.ओ. गंगापुर की उपस्थिति में कथित पूछताछ की गई। इस रिपोर्ट से यह साफ है कि कानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों को पीड़िता से पूछताछ उनके घर में करनी चाहिए थी न कि पुलिस थाने में बुलाकर। अतः आयोग ने यह पाया कि दोनों पुलिस अधिकारियों द्वारा सी.आर.पी.सी. की धारा 160 के प्रावधानों का घोर उल्लंघन किया गया एवं सुश्री कंचन के मानव अधिकारों का प्रथम दृष्टया घोर उल्लंघन हुआ जिसके लिए राज्य सरकार कथित कर्मचारियों की गलती हेतु पीड़िता के हर्जाने के भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं। अतः आयोग ने राजस्थान सरकार को पी.एच.आर.ए., 1993 की धारा 18 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि आयोग सुश्री कंचन कलवेलिया के मानव अधिकार उल्लंघन के लिए एक उपयुक्त आर्थिक राहत/हर्जाने की संस्तुति क्यों न करें। डी.जी.पी., राजस्थान सरकार को सी.बी./सी.आई.डी. द्वारा जांच करवाकर संपूर्ण रिपोर्ट आयोग में प्रेषित करने का भी निर्देश दिया गया है। कारण बताओं नोटिस का कोई जवाब नहीं मिलने पर, आयोग ने पीड़िता के लिए आर्थिक हर्जाने के रूप में रुपए 25,000/– की संस्तुति की।

10.30 जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा अपने दिनांक 06.05.2014 के पत्र द्वारा अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पीड़िता सुश्री कंचन कलवेलिया को दिनांक 05.05.2016 को रुपए 25,000/– की राशि का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान के प्रमाण को भी संलग्न किया गया।

10.31 आयोग ने इस मामले पर विचार करने के पश्चात् निम्न निर्देश दिया :

"आयोग द्वारा यथा संस्तुति रुपए 25,000/– की आर्थिक राहत का भुगतान कर दिया गया है। आयोग यह अवलोकन करने के लिए विवश है कि पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा ने आयोग को यह सूचना दी थी कि पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज ने दिनांक 17.12.2012 के पत्र द्वारा कथित उप–पुलिस अधीक्षक, सर्किल ऑफिसर, गंगापुर शहर के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की शुरूआत करने का निर्देश दिया गया है। कथित पुलिस महानिरीक्षक ने आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखलायी। इसके पश्चात् लापरवाह पुलिस अधिकारी का स्थानांतरण भरतपुर कर दिया गया एवं पुलिस महानिरीक्षक, भरतपुर रेंज को अपर पुलिस महानिदेशक, ए.एच.टी. द्वारा दिनांक 18.07.2014 को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा गया, जिनके द्वारा भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच, संयुक्त सचिव (एच. आर..) गृह विभाग, राजस्थान सरकार से आयोग में दिनांक 17.09.2014 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें गलत एवं गुमराह करने वाली रिपोर्ट की गई कि इस मामले में तत्कालीन सर्किल ऑफिसर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है। अपर पुलिस महानिदेशक, ए.एच.टी., राजस्थान सरकार से दिनांक 07.04.2016 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह सूचना दी गई कि दिनांक 01.07.2015 को आरोपी पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई रोक दी गई है तथा एक नए प्रस्ताव को राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा जैसा कि आरोपी पुलिस अधिकारी की पदोन्नति हो गई है तथा राज्य सरकार इस मामले में सक्षम प्राधिकारी है। इससे यह स्पष्ट है कि कैसे एक आरोपी पुलिस अधिकारी जो एक दलित नाबालिग लड़की को अवैध रूप से नज़रबंद करने, सी.आर.पी.सी. की धारा 160 के प्रावधानों का उल्लघंन करने तथा संविधान की धारा 21 का उल्लंघन करने के बावजूद भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की कानूनी एवं विभागीय कार्रवाई से वंचित रह गया तथा यहां तक कि उसे अपर पुलिस महानिर्देशक के उच्च पद पर पदोन्नति भी मिल गई। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने प्रधान सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार एवं पुलिस महानिदेशक, राजस्थान को नोटिस जारी करते हुए संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, अजमेर रेंज एवं भरतपुर रेंज तथा संयुक्त सचिव (एच.आर.), गृह विभाग, राजस्थान सरकार से छः सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है कि आयोग उनके खिलाफ इस मामले में उपयुक्त अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त विभागीय कार्रवाई की संस्तुति क्यों न करें। मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर एक उपयुक्त पद के अधिकारी द्वारा जांच करवाकर तथा लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।"

10.32 आगे की रिपोर्ट के अनुसार लापरवाह पुलिस अधिकारियों को विभाग द्वारा दंडित करने के पश्चात् मामले को बंद कर दिया गया है।

6. *दिल्ली के एक सरकारी विद्यालय में एक चार वर्षीय बच्ची का यौन उत्पीड़न*

   (मामला संख्या 6498/30/0/2014)

10.33 एक अंग्रेजी अखबार, 'द ट्रिब्यून' में दिनांक 01.09.2014 को विद्यालय में 'चार वर्षीय बच्ची का यौन–उत्पीड़न' शीर्षक से एक विचलित करने वाला समाचार प्रकाशित किया गया। आयोग ने समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अपने दिनांक 15.09.2014 की कार्यवाही में मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार एवं पुलिस आयुक्त, दिल्ली से रिपोर्ट की मांग की।

10.34 पुलिस उप–आयुक्त, बाहरी जिला, दिल्ली ने दिनांक 26.11.2014 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह दर्शाया गया कि पीड़िता की माँ की शिकायत पर थाना बेगमपुर, में आई.पी.सी. की धारा 376 एवं 6 पास्को एक्ट के तहत दिनांक 26.11.2014 को एफ.आई.आर. संख्या 904/2014 पंजीकृत की गई है। जांच की प्रक्रिया के दौरान पीड़िता की चिकित्सीय जांच की गई एवं एक किशोर को घटना को अंजाम देने का कसूरवार ठहराते हुए निरीक्षण गृह में भेजा गया। शिक्षा उपनिदेशक, उत्तर पश्चिम (ख) जिला पीतमपुरा ने अपनी रिपोर्ट में इन्हीं वाक्यों को दोहराया।

10.35 दोनों रिपोर्टों पर विचार करते हुए आयोग ने अपने दिनांक 09.05.2016 की कार्रवाई में निम्न निर्देश दिए :

"यह पाया गया कि लड़की सरकारी विद्यालय की एक छात्रा है। विद्यालय परिसर में कार्यरत् एक किशोर द्वारा उनका यौन–उत्पीड़न किया गया। किशोर को परिसर में कार्य करने हेतु संविदा पर रखा गया था। आयोग यह मानने के लिए विवश है कि विद्यालय प्राधिकारी या सरकारी विभाग के अन्य अधिकारी जिनका कथित सरकारी विद्यालय पर नियंत्रण है, की जिम्मेदारी है कि वे विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करें। यौन–उत्पीड़न की इस घटना को विद्यालय परिसर में अंजाम दिया गया तथा सरकार पीड़ित लड़की को हर्जाने के भुगतान के लिए निरपवाद रूप से जिम्मेदार है।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आयोग मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार को पीड़िता के माता–पिता के लिए रुपए 1,00,000/– के हर्जाने के भुगतान की संस्तुति करता है। अनुपालन रिपोर्ट आठ सप्ताह के भीतर आयोग में प्रस्तुत की जाए।"

10.36 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, शिक्षा उपनिदेशक, उत्तर पश्चिम (ख) जिला, दिल्ली सरकार ने दिनांक 24.10.2016, चेक संख्या "417953" द्वारा रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) के हर्जाने के भुगतान के संबंध में रसीद की प्रति प्रेषित की।

10.37 आयोग की संस्तुति के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 07.11.2016 को इस मामले को बंद कर दिया गया।

अध्याय-11

बुजुर्गों के अधिकार

11.1 बुजुर्गों की आबादी वैश्विक स्तर पर समाज में सबसे तेजी से बढ़ रही है। इसे कई रिपोर्टों में उद्धृत किया गया है कि वर्ष 2025 तक 1.2 अरब से ज्यादा लोग साठ या उससे उपर के होंगे एवं उनकी आबादी का सत्तर प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा उस जगह के होंगे जिन्हें विकासशील देश के रुप में विचार किया जाता है। प्रजनन दर का घटना एवं लम्बी जीवन की प्रत्याशा वैश्विक स्तर पर वृद्ध जनों की आबादी में अभूतपूर्व अनुपातिक विकाश के दो मुख्य कारक हैं। वर्तमान, वैश्विक वृद्धजनों की आबादी का दो–तिहाई हिस्सा निम्न एवं मध्यमवर्गीय देशों में रह रही है। वृद्धजनों की आबादी के मुद्दों एवं विषय को संबोधित करने के लिए वृद्धजनों की आबादी में वृद्धि विद्यमान नीतियों एवं पर्याप्त संरक्षण तत्रों के अभाव को प्रकाश में ला दिया है।

11.2 ऐतिहासिक रुप से, अदभूत एवं पृथक सामाजिक समूह के रुप में वृद्धजनों के मानव अधिकारों को मानव अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय संभाषणों में काफी कम जगह दी गई है। लेकिन, पिछले दशक में इस विषय ने काफी ध्यान आकर्षित किया है एवं वृद्धजनों का अधिकार लोक एजेंडा का एक हिस्सा बन रहा है। विकसित एवं विकासशील देश वृद्धजनों की आबादी के मुद्दों को विभिन्न तरीके से संबोधित करते हैं। विकसित देशों में, उदाहरण के रुप में, एक सामाजिक सुरक्षा उपकरण वृद्धजनों की देख–रेख का बीड़ा उठाता है। विकाशसील देशों में, दूसरी तरफ, परिवार पारांपरिक रुप से वृद्धजनों का देख–रेख करता है। सामाजिक सुरक्षा उपकरण एवं परिवारिक एकता में कमजोरी वृद्धजनों की देख–रेख में बाधा उत्पन्न करती हैं।

11.3 बुजुर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित मुद्दें सरकार एवं चुनौतियां एक से दूसरे व्यक्ति की अलग–अलग होती हैं क्योंकि वे सजाति समूह के नहीं हैं। कुछ वृद्धजन ऐसे हैं जो अपनी शकसियत परिवार एवं समुदाय की वजह से सक्रीय जीवन जीते हैं लेकिन कई ऐसे हैं जो निराश्रित, पर्याप्त देख–रेख का अभाव एवं अकेलेपन का शिकार होते हैं। ऐसा देखा गया है कि उनमे से ज्यादातर कई तरह के भेदभाव के शिकार होते हैं जिनमें से गरीबी, हिंसा, बुरा बर्ताव, असुरक्षा, अस्वस्थता, अपर्याप्त अर्जन क्षमता, वृद्धावस्था पेंशन की सीमित उपलब्धता, भय एवं परिसंपत्ति एवं संपत्ति पर सीमित नियंत्रण, निजी एवं लोक निर्वतमान में गैर–बराबरी योगदान मुख्य हैं।

11.4 हालाँकि वृद्ध पुरुष एवं महिला, दोनों द्वारा सामना किए जा रहे भेदभाव के स्तर पर कोई तुलना नहीं की जा सकती लेकिन भारतीय समाज में महिलाओं को दोयम दर्जा के रुप में देखा जाता

है। अतः वृद्ध महिलाएं अतिरिक्त संचित प्रथा का सामना करती हैं। सामाजिक एवं पारिवारिक संरचना की वजह से उन्हें कई बाधाओं का जबरन सामना करना पड़ता है। सामाजिक पार्श्वीकरण, अकेलापन, एकाकीपन एवं वृद्धावस्था में लापरवाही उनके मानव अधिकारों के उल्लंघन का मूल कारण है। विडम्बना यह है कि, भारत में फैली निरक्षरता एवं जागरुकता के अभाव में वृद्ध महिलाओं को उनके मूल अधिकारों के विषय में भी जानकारी नहीं है। चूंकि उनमें से ज्यादातर महिलाओं का जीवन घर की चार दीवारों में ही निकल जाता है, वे हमेशा ही असुरक्षित रहती हैं। वृद्ध महिलाएं न केवल उम्र से संबंधित भेदभाव बल्कि वृद्धावस्था में लैंगिक भेदभाव का भी सामना करती हैं। वृद्धावस्था में भेदभाव कैसे महिलाओं को प्रभावित करती हैं एवं उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस पर बढ़ते सबूतों के बावजूद भी इस मुद्दे का समाधान नहीं हो पाया है जबकि मिलेनियम विकास लक्ष्य के लक्ष्य 3 द्वारा लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए इस मामले पर काफी प्रगति हो रही है। पोस्ट–295 की चर्चा के दौरान इस मुद्दे पर दोबारा अपेक्षाकृत कम ध्यान केन्द्रित किया गया। इस मामले का सत्य यह है कि पोस्ट–2015 के विकास एजेंडा की रुपरेखा में सतत विकास लक्ष्य सहित वृद्धावस्था एवं वृद्धजनों के अधिकार भी शामिल थे।

11.5 जैसा की ऊपर पहले ही उद्धृत किया जा चुका है कि वैश्विक स्तर पर बुजुर्गों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, वर्तमान में भारत में भी, इनकी जनसंख्या में काफी इजाफा हुआ है। भारत में, वृद्धजनों की संख्या एवं प्रतिशत, वर्ष 2001 में 77 मिलियन से वर्ष 2011 में 104 मिलियन (2011 जनगणना) तक पहुँच गया है। वर्ष 2050 तक वृद्धजनों की जनसंख्या तीन गुना तक बढ़ने का अनुमान है जो देश की 20 प्रतिशत आबादी होगी। आपेक्षाकृत आने वाले वर्षों में आज का युवा भारत वृद्ध समाज में बदल जाएगा। यह काफी चिंता की बात है जैसा कि भारत बुजुर्गों के लिए सबसे दूसरी बड़ी आबादी वाला देश है जिन्हें 60 वर्ष से ऊपर की आयु के बाद में जाना जाता है। बदलते सामाजिक अर्थिक परिदृष्य के साथ न्यूक्लियर परिवारों के बदलते रुझान के साथ, बुजुर्गों का जीवन भी बदल रहा है एवं आने वाले वर्षों में वे और अधिक असुरक्षित होंगे। यह सुनिश्चित करना एक चुनौती है कि वे एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं आरामदायक जीवन जीएं।

11.6 यह समझना आवश्यक है कि बुजुर्गों की संख्या में इसका मानव अधिकार उल्लंघन खासकर बुजुर्गों के खिलाफ अपराध सहित शारीरिक उत्पीड़न को प्रभावित किया है और यह काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों की ज्यादातर आबादी, अनिश्चित होने की वजह से, मानव अधिकारों से वंचित हैं जिसकी वजह से उन्हें गंभीर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये सभी कारक समग्र रुप से जीवन के तरीकों एवं स्वस्थ होने की भावना को प्रभावित किया है।

11.7 भारत के संविधान में अनुच्छेद 41 के तहत वृद्ध व्यक्तियों का कल्याण अधिदेशित है, जिसमें कहा गया है कि "राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर, वृद्धावस्था मामलों में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा।" इसके अलावा अन्य प्रावधान भी हैं, जो राज्य को अपने नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का निर्देश देते हैं। समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में संविधान द्वारा गारंटी दी गई है। ये

प्रावधान वृद्ध व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं।

11.8 इसके साथ ही, भारत बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानदंडों और मानकों का पालन कर रहा है। इन में से 1982 में विश्व असेंबली में वृद्धावस्था पर अपनाया गया वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग, वृद्ध लोगों के लिए 1991 के संयुक्त राष्ट्र सिद्धांत, द्वितीय विश्व असेंबली में वृद्धावस्था पर अपनाया गया और महासभा द्वारा इसके संकल्प 57/167 में अनुमोदित 2002 का मैड्रिड इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग प्रमुख हैं ।

11.9 15 अगस्त, 1995 से लागू राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) संविधान के अनुच्छेद 41 में नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम दर्शाता है। इस कार्यक्रम ने गरीबों के लिए सामाजिक सहायता के लिए एक राष्ट्रीय नीति की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य है कि राज्य वर्तमान में उपलब्ध कराए जाने वाले या भविष्य में उपलब्ध कराए जाने वाले लाभों के अलावा, सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने के लिए है। एन.एस.ए.पी. में वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ.ए.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी. डी.पी.एस.), राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एन.एफ.बी.एस.) और अन्नपूर्णा शामिल हैं।

11.10 भारत की संसद ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए उनके कल्याण सहित आवश्यक भरण–पोषण सुनिश्चित करने के लिए माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 भी लागू किया है। भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पेंशन योजना और अटल पेंशन योजना स्कीम आरंभ की है। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है।

11.11 वृद्ध व्यक्तियों के अधिकारों के संबंध में एन.एच.आर.सी. की भागीदारी शुरू में उनके द्वारा प्राप्त शिकायतों के निवारण के साथ शुरू हुई। यह सहयोग धीरे–धीरे 2000 में बढ़ गया जब इसने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद के कार्य में भाग लिया और बुजुर्गों पर राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के संबंध में कार्य योजना (2000–2005) पर सुझाव दिया। तब से, यह बुजुर्गों के अधिकारों के लिए काम कर रहे समूहों और संगठनों के साथ घनिष्ट संपर्क रखता है और केंद्र सरकार को संस्तुतियों प्रदान कर रहा है। इसने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से सभी अस्पतालों में बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए एक अलग कतार के लिए प्रावधान करने के लिए सिफारिश की। संबंधित मंत्रालय ने इस पर, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सिफारिश परिचालित की थी।

11.12 इसने समाज के आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों खासकर असंगठित क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों की दूर्दशा पर अपनी चिंता जाहिर की। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों के लिए कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से, एन.एच.आर.सी. ने वृद्धजनों को प्रभावित करने वाली विभिन्न बीमारियों पर केन्द्रीत करते

हुए स्वास्थ्य जागरुकता शिविर एवं संभाषणों का आयोजन करता रहता है। इसके अलावा, आयोग ने अपना ध्यान कर्मचारियों को सेवा निवृत्त के पश्चात सेवानिवृत सुविधाओं का भुगतान न करना, विलम्बित भुगतान/आंशिक भुगतान से संबंधित मामलों तथा सेवानिवृत व्यक्ति की मौत पर उनके कानूनी उत्तराधिकारी को सभी सांविधिक देय को समय से भुगतान करवाने या अपना ध्यान केन्द्रीत कर दिया है।

क. बुजुर्गों के संरक्षण एवं कल्याण पर कोर ग्रुप की बैठक

11.13 एन.एच.आर.सी. द्वारा वृद्धजनों के संरक्षण एवं कल्याण पर एक कोर ग्रुप गठित की गई है। इस कोर ग्रुप की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2017 को आयोग में आयोजित की गई। काफी गहन विचार–विमर्श के पश्चात, कोर ग्रुप ने निम्न मुख्य सिफारिशे की :

1) बुजुर्गों के स्वास्थ्य देख–रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई है। हालांकि, अब तक यह देश में केवल 418 जिलों या कुल जिलों के 60 प्रतिशत भाग में ही इसका कार्यान्वयन किया गया है। यह सुझाव है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सभी 418 जिलों में इस कार्यक्रम के तत्काल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे। इसके पश्चात यह कार्यक्रम वर्ष 2020–21 के अंत तक देश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित होनी चाहिए। इस कार्यक्रम हेतु निधि के उचित उपयोग का आंकलन करने के लिए बुजुर्गों के स्वास्थ्य देख–रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यन्वयन का सरकार तीसरी पार्टी से लेखा परीक्षा भी करवा सकती है।

2) वृद्धावस्था पेंशन केवल गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे रह रहे लोगों तक ही सीमित है एवं प्रत्येक बुजुर्ग तक यह पहुंच नही पा रहा है। यह सुझाव है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को गैर कर दाताओं एवं जो किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं करते, उनके लिए भी वृद्दावस्था पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पेंशन को यथोचित कर इसे 2,500/– प्रति माह तक बढ़ा देनी चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी दर की साथी है।

3) शहरी विकास मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है जिसमें यह वर्णित है कि वृद्धाश्रम कैसा होना चाहिए। यह सुझाव है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वृद्धाश्रमों के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु विस्तृत आय न्यूनतम मानक स्थापित करें एवं ये सामान्य न्यूनतम मानक को सभी वृद्धाश्रमों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

4) देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जेन्एट्रीक दवाई में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रपति, भारतीय चिकित्सा परिषद भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों से कार्रवाई अपेक्षित है।

5) जैसा कि 40 प्रतिशत बुजुर्ग किसी प्रकार की अशक्तता एवं अन्य व्याधी के शिकार होते हैं, सभी सरकारी भवनों को तत्काल ही अशक्त एवं अशक्त बुजुर्गों के प्रवेश युक्त बनाना होगा।

6) सभी देश के सभी जिलों में वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु प्राथमिकता दी जाए।

7) तीसरे पक्ष द्वारा वृद्धाश्रमों का नियमित लेखापरीक्षा एवं निगरानी की जाए।

8) जैसा कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में बुजुर्ग मांसिक समस्याओं के शिकार होते हैं, लखनऊ में स्थापित जेरिएट्रिक मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख केन्द्र संस्थान के तर्ज पर इस तरह की संस्थाओं का निर्माण किया जाए।

ख. बुजुर्गों के मानव अधिकार से संबंधित कानून : नीति एवं कार्यान्वयन- केरल के विशेष संदर्भ में एक अध्ययन।

11.14 उपरोक्त अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स, द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज, कोच्चि में फरवरी, 2016 में 18 महीनों की अवधि में पूरा किया गया था। शोध अध्ययन के उद्देश्य हैं – बुजुर्ग व्यक्तियों की श्रेणियों का विश्लेषण; उनके सामने आई हुई समस्याओं की जांच; सामाजिक वास्तविकताओं की पृष्ठभूमि में बुजुर्ग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाने के औचित्य की जांच; बुजुर्ग व्यक्तियों को दिए गए संरक्षण की संभावना का निरीक्षण करना; उनके लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों और कार्यक्रमों की पहुंच की जांच करना; उनके लिए लागू सभी कानूनों के प्रावधानों का विश्लेषण; माता–पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना तथा आसपास के दक्षिणी राज्यों सहित केरल में अन्य संबंधित कानूनों का आकलन करना; और उनके सुधार के लिए प्रभावी सुधारों के लिए सिफारिशें करना।

11.15 केरल के युवाओं के विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रवसन करने के मद्देनजर, अध्ययन में यह जांच भी की जाएगी कि क्या इन प्रवसन प्रवृत्तियों से बुजुर्गों के संभावित अलगाव, भौतिक के साथ–साथ उनकी वित्तीय सुरक्षा के संबंध में कमी की संभावना है। इसके अलावा, अनुसंधान अध्ययन यह जांच करेगा कि क्या बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ सही इच्छुक लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं या नहीं।

11.16 समीक्षावधि के दौरान, नूआल्स ने इस परियोजना की स्थिति की एवं कार्य प्रणाली पर आयोग के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण दिया।

ग) एन.एच.आर.सी. द्वारा बुजुर्गों के अधिकारों से संबंधित निपटाए गए दृष्टांत मामले

1. *थाना, अहिरोली, जिला अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश के एक जमीनी विवाद के मामले में पुलिस द्वारा एक बुजुर्ग को उठाकर उसके बाएं कान को खिंचकर कर उखाड़ देना।*

   (मामला संख्या 43832/24/24/2013)

11.17 श्री लेनिन रघुवंशी, एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता ने दैनिक जागरण एवं हिंदुस्तान में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट की ओर आयोग का ध्यान आकर्शित किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि एक वृद्ध व्यक्ति के कान को खींचकर उखाड़ने की वजह से तीन पुलिस कार्मिकों का कथित निलंबन कर दिया गया।

11.18 शिकायत के अनुसार, एक राम लाओत, सत्तर वर्षीय बुजुर्ग को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ एक जमीनी विवाद के मामले में 3 कांस्टेबल, थाना अहिरोली उन्हें उनके घर से उठाकर ले गए। थाने में, दो पुलिस कांस्टेबलों ने उनके शरीर को पकड़ लिया एवं उनमें से एक शिवराम नामक कांस्टेबल ने पीड़ित के बाएं कान को खींचकर उखाड़ दिया जिसकी वजह से पीड़ित लथपथ हालत में घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। सर्किल ऑफिसर, सदर की जांच पर श्री विन्द्रेश यादव, राम सागर यादव एवं शिवराम भारती नामक तीन पुलिस कांस्टेबल दोशी पाए गए एवं उन्हें निलंबित कर दिया गया।

11.19 इस मामले में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार राम जनम सुपुत्र श्री राम लाओत की शिकायत पर थाना अहिरोली में तात्कालीन एस.ओ. एवं तीन पुलिस कांस्टेबलों के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 326/504/506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 181/2013 दर्ज किया गया। जांच के दौरान, एस. आई. नीरज राय, कांस्टेबल राम सागर एवं विन्द्रेश यादव के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत पाया गया।

11.20 जांच के दौरान, यह बात सामने आई कि कांस्टेबल शिव राम भारती का पीड़ित को गंभीर रूप से घायल करने का कोई मकसद नहीं था। अतः इस मामले को आई.पी.सी. की धारा 335 में परिवर्तित कर दिया गया। कांस्टेबल श्री शिव राम भारती का अनुसूचित जाति से संबंध होने के कारण, उन पर आई.पी.सी. की धारा 326, 504, 506 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) नहीं लगाया गया। जांच अधिकारी द्वारा कांस्टेबल श्री शिव राम भारती के खिलाफ केवल आई.वी.सी. की धारा 335 के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया।

11.21 आयोग ने इस रिपोर्ट को काफी असंतोशपूर्ण पाया। पीड़ित की मेडिकल रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की प्रति, पीड़ित एवं गवाहों के बयानों की प्रतियों को संलग्न नहीं किया गया था। आरोपी द्वारा अगर पीड़ित को गंभीर रूप से घायल किया गया, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि इसके पीछे आरोपी की यह मंशा नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एक निसहाय बुजुर्ग पर तात्कालीन एस.ओ. एवं दो अन्य पुलिस कांस्टेबलों द्वारा अत्याचार पर जांच अधिकारी ने उन्हें कानूनी परिणामों से बचाने की कोशिश की है। इस मामले पर निश्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है।

11.22 आयोग ने इस मामले पर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश को मुख्यालय में तैनात सी.बी./सी.आई.डी. के वरिष्ठ राजपत्रित पुलिस अधिकारी द्वारा इस अपराध में एक नए सिरे से जांच करवाने हेतु निर्देश दिया।

11.23 इस मामले में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, थाना अहिरोली में आई.पी.सी. की धारा 326/504/506 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (1) (ग) के तहत एक एफ.आई.आर. संख्या 181/2013 की जांच करने पर आरोपी एस.ओ. नीरज कुमार राय, कांस्टेबल राम सागर यादव एवं कांस्टेबल विन्द्रेश यादव को इस घटना में संलिप्त नहीं पाया गया अतः उपर्युक्त घटनाओं को आई.पी.सी. की धारा 335 में परिवर्तित कर दिया गया। जांच के पश्चात् केवल कांस्टेबल

शिव राम भारती को दोशी पाया गया एवं न्यायालय में उनके खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 335 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया।

11.24 जांच के दौरान कथित पीड़ित श्री राम लाओत एवं उनके पुत्र ने अलग–अलग बातें कहीं कि पीड़ित का अपनी साईकिल से जमीन पर गिरने से चोट लग गई है लेकिन इस घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में दावा करने वाले दो कांस्टेबलों ने आई. ओ. को यह दर्शाया कि कांस्टेबल शिव राम भारती ने पीड़ित के कान को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। डॉक्टर जिसने राम लाओत के बाएं कान की जाचं की थी ने इस घाव को काफी गंभीर बताया जैसा कि बाएं को काट दिया गया था। डॉक्टर ने जांच के दौरान यह स्पष्ट किया कि यह घाव पीड़ित को साईकिल से जमीन पर गिरने से नहीं लगा। आई. ओ., जिन्होंने यह निश्कर्ष निकाला कि कांस्टेबल शिव राम भारती ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 325 की बजाय धारा 335 का आरोप पत्र दायर किया।

11.25 आयोग ने उपर्युक्त रिपोर्ट पर विचार करते हुए यह पाया कि इस तथ्य में आई.पी.सी. की धारा 335 अनुप्रयुक्त है जैसा कि घायल द्वारा कांस्टेबल श्री शिवराम भारती को गंभीर या अचानक उकसाने का कोई आरोप/साक्ष्य नहीं है। अतः जांच अधिकारी आई.पी.सी. की धारा 325 लगाने में असफल रहा जो आरोपी कांस्टेबल शिव राम भारती के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है। जांच के दौरान तथ्यों पर अपना ध्यान लगाने में सी.ओ. एवं एस. पी. असफल रहे।

11.26 एस.पी., अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश को अन्वेषण रिपोर्ट की जांच के साथ–साथ आरोपी कांस्टेबलों के खिलाफ न्यायालय में कानून की उपयुक्त धारा के तहत अनुपूरक आरोप पत्र दायर करने हेतु सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उन्हें पीड़ित राम लाओत को आर्थिक राहत/हर्जाने के साथ–साथ इस गंभीर चोट के एवज में प्रशासन द्वारा मुफ्त चिकित्सा उपचार के प्रबंध के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया।

11.27 जांच की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि थाना अहिरोली, जिला अम्बेडकर नगर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल ने पीड़ित श्री राम लाओत के जीवन के अधिकार का उल्लंघन किया। अतः राज्य सरकार, अपने कर्मचारी द्वारा एक नागरिक के जीवन के अधिकार के उल्लंघन के लिए पीड़ित को हर्जाने के भुगतान करने का प्रथम दृष्टया जिम्मेदार है।

11.28 आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि आयोग पीड़ित श्री राम लाओत को मानव अधिकार सरंक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत रुपए 1,00,000/– (रुपए एक लाख मात्र) की आर्थिक राहत के भुगतान की सिफारिश क्यों न करें। अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है।

2. *अवैध परितोषण से निपटान के लिए रंगदारी हेतु वैशाली नगर पुलिस थाना, जयपुर, राजस्थान की पुलिस द्वारा गोवा के एक वरिष्ठ नागरिक को पकड़ कर झूठे आरोप में फंसाना।*

(मामला संख्या 2655/20/14/2015)

11.29 आयोग ने एक राजेश तिवारी, वरिष्ठ नागरिक एवं गोवा के निवासी से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि पुलिस थाना वैशाली नगर, जयपुर में तैनात पुष्पेन्द्र सिंह नामक उपनिरीक्षक ने एक मामले में गलत झूठे आरोप में फंसा दिया। उनको दिनांक 03.10.2015 को गोवा से उठाया गया, जयपुर में दिनांक 05.10.2015 को उनकी औपचारिक गिरफ्तारी की गई तथा अवैध परितोषण के रूप में कुल रुपए 50,000/– की रंगदारी की मांग की गई।

11.30 इस मामले में प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कथित पुलिस अधीकारी को अवैध परितोषण की मांग तथा शिकायतकर्त्ता से रुपए 50,000/– की रिश्वत मांगने का दोशी पाया गया। जैसा कि लगाए गए आरोप पुलिस अधिकारी के खिलाफ सिद्ध हो चुके हैं, उन्हें दिनांक 16.10.2015 से तद्नुसार निलंबित तथा उनके विभागीय कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है।

11.31 आयोग ने इस मामले पर विचार करते हुए यह पाया गया कि उपनिरीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने एक वरिष्ठ नागरिक से अवैध परितोशण एवं रंगदारी की मांग की एवं अतः उन्होंने वर्दी की आड़ में कानून को अपने हाथ में ले लिया। उन्हें निलंबित कर दिया गया है तथा उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है। याचिकाकर्त्ता के मानव अधिकार, जो एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं, का लोक सेवक द्वारा घोर उल्लंघन हुआ है जिसने अपनी भाक्ति एवं कुर्सी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। अतः राज्य निर्विवाद रूप से शिकायतकर्त्ता को हर्जाने के भुगतान का जिम्मेदार है। आयोग ने इस संबंध में राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 18 के तहत आयोग पीड़ित को रुपए 15,000/– के रूप में अंतरिम राहत के भुगतान की संस्तुति क्यों न करें।

11.32 आयोग ने मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक, राजस्थान सरकार को लॉ इनमोशन गठित कर सी.आई.डी./सी.बी. राजस्थान के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा इस मामले पर जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया।

अध्याय-12

दिव्यांग जनों के अधिकार

अशक्तता से ग्रसित लोग व्यवहारिक, शारीरिक एवं वित्तीय बाधाओं का सामना करने के कारण काफ़ी कमज़ोर होते हैं। इन बाधाओं को खत्म करना हमारे हाथ में है तथा हमारा यह एक नैतिक कर्त्तव्य भी बनता है..... लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि, इन बाधाओं के खात्मे से कई लोगों की क्षमताएं बढ़ जाएंगी जिससे विश्व में काफी योगदान हो पाएगा। हर एक सरकार सैंकड़ों लाखों दिव्यांग जनों को नज़रंदाज नहीं कर सकती जो स्वास्थ्य, पुर्नवास, सहायता, शिक्षा एवं रोज़गार से वंचित रहते हैं– तथा कभी आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल पाता।

–स्टीफन हॉकिंस

12.1 विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, लगभग विश्व की 15 प्रतिशत आबादी दिव्यांग जनों की है एवं इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2011 से जनगणना के अनुसार, भारत की 121 करोड़ आबादी में से लगभग 2.68 करोड़ की आबादी दिव्यांग जनों की है जो कि कुल आबादी का 2.21 प्रतिशत है। अखिल भारत स्तर पर 10–19 वर्ष की आयु समूह में दिव्यांग जनों की संख्या (46.2 लाख) सबसे अधिक है वृद्धजनों की अशक्तता कुल अशक्तता का 21 प्रतिशत है। अशक्तता की परिकल्पना में गतिरोध अशक्तता, मानसिक अशक्तता, क्रोनिक स्नायविक स्थिति की वजह से अशक्तता, रक्त विकार, एकाधिक विकलांगता एवं अन्य वर्ग शामिल हैं।

12.2 अवसर दिव्यांग जन आम मनुष्य की तुलना में कम शिक्षित, खराब स्वस्थ्य स्थिति, उच्च गरीबी दर एवं न्यूनतम आर्थिक व्यवसाय वाले होते हैं एवं यह कुछ अंश ही है क्योंकि दिव्यांग जन विभिन्न सेवाओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार एवं यातायात के साथ–साथ सूचना प्राप्त करने में बाधाओं का अनुभव करते हैं जिससे उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति खराब ही रहती है। जैसा कि दिव्यांग जन अक्सर असमानता, गरिमा का उल्लंघन एवं कभी–कभी स्वत्वाधिकार की अवहेलना के शिकार होते हैं, कई अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज जैसे अशक्तता पर वार्षिक रिपोर्ट ने अशक्तता को मानव अधिकार मुद्दे के रूप में चिह्नित किया है।

12.3 दिव्यांग जनों के अधिकार एवं गरिमा के संरक्षण हेतु दिनांक 13 दिसम्बर, 2006 को संयुक्त राष्ट्र दिव्यांग जन अभिसमय (यू.एन.सी.आर.पी.डी.) को अंगीकृत किया गया। इस बात को ध्यान में रखते

हुए कि दिव्यांग जनों को सामान्यतः सामाजिक एवं आर्थिक विकास के अवसरों से वंचित रखा जाता है एवं समाज के सबसे कमजोर वर्ग हैं, भारतीय संविधान ने अपनी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया है कि वह दिव्यांग जनों के हित के लिए सकारात्मक हस्तक्षेप के उपायों को अंगीकृत करे। इसने चार प्रमुख अधिनियमों को बनाने हेतु प्रेरित किया है, जो हैं (i) मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (ii) भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1991 (iii) दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 एवं (iv) स्वलीनता, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता एवं बहुविकलांगता के कल्याण तथा बहुअशक्तता अधिनियम, 1999 पर राष्ट्रीय विश्वास।

12.4 इन प्रधान अधिनियमों के अनुरूप में, भारत ने भी वर्ष 2006 में दिव्यांग जनों के लिए एक राष्ट्रीय नीति तैयार की। यह राष्ट्रीय नीति इस तथ्य को मानती है दिव्यांग जन हमारे देश के एक मूल्यवान मानव संसाधन है एवं उन्हें समाज में बराबर अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र सी.आर.पी.डी., 2006 के अनुरूप ही दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को दिसम्बर, 2016 में दिव्यांग जन अधिकार अधिकार अधिनियम, 2016 का नाम दिया गया। दिनांक 1 अक्टूबर, 2017 को भारत सरकार द्वारा यू.एन.सी.आर.पी.डी. को मंजूरी दी गई।

12.5 आयोग, जो यू. एन. सी. आर. पी. डी. को ड्राफ्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अशक्तता के मुद्दे को मानव अधिकारों के नजरिए से देख रहा है ताकि दिव्यांगजन को दान के पात्र नहीं बल्कि अधिकार धारक समझा जाए। वर्ष 2015 से 16 के दौरान आयोग दिव्यांग जनों के अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लियाः

क. अशक्तता पर एन.एच.आर.सी.कोर ग्रुप की बैठक

12.6 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में अशक्तता पर एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। गहन विचार–विमर्श के पश्चात्, कई महत्वपूर्ण सिफारिशें उभरकर सामने आईं, जिनका समुचित तरीके से कार्यान्वयन करने पर, दिव्यांग जनों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण में मदद मिल पाएगी। दिव्यांग जन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित से संबंधित निम्न मुख्य सिफरिशें हैं :

(i) दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 (3) में यह उद्धृत है कि अशक्तता के आधार पर किसी भी दिव्यांग जन के साथ भेदभाव न किया जाएगा, जब तक कि यह दर्शाया जाए कि एक वैद्य उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रभावित अधिनियम या चूक एक आनुपतिक माध्यम है। जैसा कि 'वैद्य अधिनियम' पर इस अधिनियम में कहीं जिक्र नहीं है, यह अशक्तता के आधार पर भेदभाव हेतु कार्यकारियों को निर्बाध शक्ति प्रदान कर देगा। यह सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा इस पर ध्यान रखना चाहिए।

(ii) आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 जिला न्यायालयों द्वारा सीमित संरक्षण अनुदान प्रदान करता है जिसके तहत दिव्यांग जनों एवं संरक्षकों के मध्य संयुक्त चर्चा होगी। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नैशनल ट्रस्ट एवं एकाधिक विकलांगता अधिनियम, 1999 में, संरक्षक नियुक्ति का प्रावधान है जैसा कि इस मुद्दे को सुसंगत होने की आवश्यकता है। विधेयक में पूर्ण संरक्षण का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। यह सुझाव दिया गया कि संरक्षण को सीमित करने के बजाय, आवश्यकता आधारित संरक्षण की आवश्यकता है।

(iii) दिव्यांग जनों को अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड के डॉक्टरों में संवेदनशीलता का पर्याप्त अभाव है। चिकित्सा बोर्ड के एक भी सदस्य के अभाव में, अशक्तता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। अतः दिव्यांग जन अशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक जगह से दूसरी जगह का चक्कर लगाते रहते हैं। यह सुझाव दिया गया कि व्यक्ति की अशक्तता के पहचान हेतु एक ही व्यक्ति काफी होना चाहिए जो अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम हो। कई डॉक्टर संपूर्ण परिपत्र जारी करने हेतु जागरूक नहीं है एवं अतः डॉक्टरों के संवेदनशीलता की आवश्यकता है। अतः एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे अशक्तता प्रमाण पत्र तुरन्त एक महीने के अन्दर जारी किया जा सके।

(iv) आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 की अनुसूची में, जिसके पैरा 7 के तहत 'विशिष्ट विकलांगता' वर्गीकृत है, इसमें यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा अशक्तता के किसी अन्य वर्ग को 'विशिष्ट अशक्तता' के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। अतः अन्य दिव्यांग जनों की पहचान कर इस सूची में शामिल की जा सकती है।

(v) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार, ड्राइव कर सकने वाले, शारीरिक रूप से दिव्यांग जनों द्वारा गाड़ी खरीदने पर उनके लिए उत्पाद शुल्क में छूट के प्रावधान है। दिव्यांग जनों के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ड्राइव नहीं कर सकते लेकिन उन्हें गाड़ी की आवश्यकता है। अतः यह सुझाव है कि उत्पाद शुल्क में छूट के प्रावधान को सभी दिव्यांग जनों के लिए बढ़ा दिया जाए।

(vi) भारतीय पूर्नवास परिषद (आर.सी.आई.) अधिनियम 1992 में संशोधन की आवश्यकता है जैसा कि इसमें सभी दिव्यांग जन शामिल नहीं होते। आर.जी.डी. अधिनियम, 2016 को ध्यान में रखते हुए आर.सी.आई. अधिनियम, 1992 में संपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। यू.एन.सी.आर.पी.डी. को ध्यान में रखते हुए, दो व्यापक कार्य की आवश्यकता है : प्रथम, यह स्थानीय समितियों द्वारा संरक्षकों की नियुक्ति करें एवं द्वितीय अशक्तता के चार वर्गों की योजनाओं का कार्यान्वयन करें। लेकिन अब, आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 के तहत संरक्षण की परिकल्पना में संशोधन किया गया है जैसा कि इसमें सीमित संरक्षण की बात करता है। जिसका राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 में कोई जिक्र नहीं है। अतः आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ट्रस्ट में संशोधन की आवश्यकता है।

12.7 केन्द्रीय मंत्रालयों को इन संस्तुतियों की जांच कर इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है।

ख. मानसिक स्वास्थ्य पर एन.एच.आर.सी. में मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की बैठक

12.8 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को एन.एच.आर.सी. में मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की बैठक

आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मनोवैज्ञानिकों की कमी के मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. द्वारा की गई तथा इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप के सदस्यगण एवं आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए। बैठक के दौरान विचार–विमर्श के आधार पर, निम्न सिफारिशें की गई :

1) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ संपर्क के पश्चात विद्यमान मानसिक स्वास्थ्य संस्थाओं को अपग्रेड कर राष्ट्रीय संस्थाओं के रूप में विकसित करें।

2) जिन अस्पतालों में मनोचिकित्सा विभाग नहीं है वहां राज्य सरकारों से मनोचिकित्सा विभाग की शुरूआत करने हेतु कहा जा सकता है।

3) राज्य सरकारें मानसिक स्वास्थ्य पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य देख–रेख केन्द्र के साथ–साथ राज्य चिकित्सीय सेवा संवर्ग में कार्यरत् कर्मचारी/विद्यमान डाक्टरों हेतु सेवा के दौरान प्रशिक्षण सुनिश्चित करें।

4) एम.सी.सी.एस. पाठ्यक्रम में मनोवैज्ञानिक को चिकित्सा से एक स्वतंत्र पेपर के रूप में तैयार किया जाए।

ग. एन.एच.आर.सी. द्वारा दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित उदाहरणार्थ मामले।

1. आंध्र प्रदेश में काकिनाड़ा के नजदीक नेत्रहीनों के लिए ग्रीनफिल्ड आवासीय विद्यालय के नेत्रहीन विद्यार्थियों को विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा बूरी तरह छड़ी से पीटना

(मामला संख्या 1117/1/6/2014)

12.9 चित्तूर, आंध्र प्रदेश के किसी श्री पी. सुकुमार ने अपने दिनांक 22.07.2014 की शिकायत पर यह आरोप लगाया कि दिनांक 21.07.2014 को आंध्र प्रदेश के कोकिनाड़ा के नजदीक नेत्रहीनों के लिए ग्रीनफिल्ड आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य ने तीन नेत्रहीन विद्यार्थियों को 5 फिट लम्बी छड़ी से पिटाई की। लापरवाह शिक्षकों के खिलफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आयोग के हस्तक्षेप की मांग की है।

12.10 सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश से दिनांक 11.08.2015 की एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें घटना पर पुश्टि की गई। इसमें यह दर्शाया गया कि मंडल शिक्षा अधिकारी एवं तहसीलदार, काकीनाड़ा (ग्रामीण) की शिकायत पर आरोपी प्रिंसीपल एवं एक संवाददाता को पुलिस हिरासत में लिया गया है एवं आई.पी.सी. की धारा 324 के तहत मामला संख्या 77/2014 पंजीकृत किया गया है जिसकी जांच की जा रही है। यह भी पता चला कि विशाखापट्नम, आंध्र प्रदेश में नेत्रहीन सरकारी आवासीय विद्यालय में किसी के वैंकटेस्वरराव (नेत्रहीन), टी.जी.टी. द्वारा कथित विद्यालय को अवैध रूप से एन.जी.ओ. के नाम पर चंदा इक्ट्ठा करके चलाया जा रहा था। उपर्युक्त विद्यालय की अनियमितताओं का पता लगाने हेतु एक विशेष लेखा परीक्षा करवाने की आवश्यकता है। यह भी रिपोर्ट की गई कि कलेक्टर एवं डी.एम. ईस्ट गोदावरी, काकीनाड़ा ने आई.ई.डी. कॉरडीनेटर, एस.एस.ए. विद्यालय शिक्षा, ईस्ट

गोदावरी, काकीनाड़ा को विशेष अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। संबंधित आरोपी संवाददाता जिसे कथित नेत्रहीन विद्यालय का संस्थापक–सह–अध्यक्ष के रूप में पाया गया, को निलंबित कर दिया गया है। रिपोर्टानुसार कथित विद्यालय के संस्थापक सचिव ने डब्ल्यू. पी. संख्या 32657/2014 द्वारा माननीय आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की है एवं कथित न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा है।

12.11 आयोग रिपोर्टों पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए यह महसूस किया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया गया है। कथित प्राधानाचार्य जो एक लोक सेवक है के द्वारा पीड़ितों जिसके मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन किया गया।

12.12 सचिव, विद्यालय शिक्षा विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार से दिनांक 30.11.2015 की दूसरी रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि पीड़ितों को किसी प्रकार के हर्जाने का भुगतान नहीं किया गया है। आपराधिक मामला लंबित है, एफ.एस.एल. रिपोर्ट की मांग हेतु जांच जारी है एवं डब्ल्यू. पी. संख्या 3257/2014 में निर्णय की प्रतीक्षा है।

12.13 रिपोर्ट की विषयवस्तु पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए आयोग ने यह महसूस किया कि कथित मामलों के लंबित होने या निपटान से पीड़ितों के हर्जाने के भुगतान का कोई संबंध नहीं है। स्वीकार्य रूप से ग्रीनफिल्ड नेत्रहीन आवासीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा बड़ी बर्बरता से पीड़ितों की पिटाई की गई जो एक लोक सेवक भी है। जिसकी वजह से पीड़ितों के मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। अतः पीड़ित राज्य की तरफ से एक उचित हर्जाने के हकदार हैं जो परोक्ष रूप से इसके जिम्मेदार भी हैं। आयोग ने मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (क) (i) के तहत यह कारण बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि पीड़ितों को आर्थिक राहत के रूप में रुपए 25,000/– (रुपए 25 हजार मात्र) का भुगतान क्यों न किया जाए।

12.14 आयोग ने सचिव, शिक्षा विभाग को मामला संख्या 77/2014 में की गई कार्रवाई के साथ–साथ जांच परिणाम की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

अध्याय-13

मानव अधिकार शिक्षा, प्रशिक्षण एवं जागरूकता

13.1 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पास अधिदेश है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (एच), आयोग को यह दायित्व सौंपता है कि "समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार करे तथा प्रकाशन, संगोष्ठी तथा अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध सुरक्षापायों की जागरुकता का संवर्धन करें। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग विद्यार्थी, एन.जी.ओ. एवं आम जनमानस के अलावा सरकारी तंत्रों खासकर पुलिस में मानव अधिकार जागरुकता फैलाने के लिए काफी सक्रिय रहा है।"

13.2 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का प्रशिक्षण विभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्था, पुलिस प्रशिक्षण संस्था, राज्य मानव अधिकार आयोग, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के साथ–साथ विश्वसनीय गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से मानव अधिकार मुद्दों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मानव अधिकार साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। इन सबके अलावा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा देश के विभिन्न राज्य के विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए अपने भवन में वर्ष में दो बार अर्थात् ग्रीष्म एवं शीतकालीन एक माह चलने वाली अन्तःशिक्षु कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पूरे वर्ष भर मई–जून एवं दिसम्बर–जनवरी के अलावा मानव अधिकारों के क्षेत्र में रूची रखने वाले विद्यार्थियों के लिए अल्पावधि अंतःशिक्षुता कार्यक्रम का आयोजन करता है।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

13.3 अपने अधिदेश के तहत, वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग मानव अधिकारों एवं इससे संबंधित मुद्दों पर 125 संस्थाओं के 560 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया, जिनमें से विभिन्न राज्यों जैसेः असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं त्रिपुरा में ब्लाक पंचायत एवं नगर पंचायत स्तर के लिए मानव अधिकारों पर 403 एक दिवसीय जागरुकता कार्यक्रम शामिल हैं। इनमें से 98 संस्थाओं, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय, प्रशासनिक एवं पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं एवं गैर–सरकारी संगठनों द्वारा 116 प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इसके अलावा, वर्ष 2016–17 के दौरान, वर्ष 2015–16 के लिए अनुमोदित 04 संस्थाओं के 09 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया जिससे 102 संस्थाओं द्वारा आयोजित समग्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या 125 हो गई।

ख. अंतःशिक्षुता कार्यक्रम

13.4 उपर्युक्त के अलावा, देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से 99 (49+50) अंतःशिक्षुओं ने सफलतापूर्वक ग्रीष्म एवं शीतकालीन अतःशिक्षुता कार्यक्रम को पूरा किया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान, 105 विद्यार्थियों को एन.एच.आर.सी. के साथ अल्पावधि अंतःशिक्षुता का अवसर प्रदान किया गया। विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय से विद्यार्थी एवं अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि/ अधिकारियों वाले कई प्रतिनिधिमण्डल, जिनकी कुल संख्या 599 थी, ने एन.एच.आर.सी. का दौरा किया एवं उन्हें मानव अधिकार मुद्दों एवं आयोग के कार्यो पर संक्षिप्त जानकारी दी गई। एन.एच.आर.सी. ने राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता, 2017 प्रायोजित किया जिसका आयोजन यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज, बैंगलुरू द्वारा भी किया गया।

शीतकालीन अंतः शिक्षुता कार्यक्रम–2016

ग्रीष्मकालीन अंतः शक्षुता कार्यक्रम–2017

ग. मानव अधिकारों पर ओपन ऑनलाईन कोर्स

13.5 एन.एच.आर.सी के निवेदन पर, उच्च शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) के सहयोग से स्वयं पोर्टल के द्वारा मानव अधिकारों पर मैसिव ओपन आनलईन कोर्स (मूक्स) को तैयार करने का कार्य अपने हाथ में लिया है। इसी प्रकार, एन.एच.आर.सी. ने पुलिस कार्मिकों एवं न्यायिक अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों के प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं मानव अधिकारों के लिए ऑनलाईन प्रशिक्षण/जागरुकता कार्यक्रम पर इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

घ. मानव अधिकारों पर हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन

13.6 आम जनमानस को मानव अधिकारों पर जागरुकता लाने के अपने प्रयास में, आयोग देश के विभिन्न भाग में मानव अधिकार विषयक हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन करता रहा है। इसी श्रंखला में, (i) दिनांक 19 से 20 अगस्त 2016 को "सुशासन, विकास एवं मानव अधिकार" पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, द्वारका के सहयोग से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू (पूर्व मुख्य न्यायधीश), अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. उदघाटन सत्र के मुख्य अतिथि थे। (ii) दिनांक 15 मार्च, 2017 को "जेंडर, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार उत्तर पूर्व के संदर्भ में" विषय पर नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा के सहयोग से आयोजन किया गयाय (iii) दिनांक 23 से 24 मार्च 2017 को "साहित्य, समाज एवं मानव अधिकार" विषय पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के सहयोग से राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

13.7 आयोग के माननीय अध्यक्ष, सदस्यगण, महासचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इन संगोष्ठियों में भाग लिया। इसके अलावा इन संगोष्ठियों में दिल्ली, नागालैण्ड, छत्तीसगढ़, राज्य मानव अधिकार आयोगों, विभिन्न गैरसरकारी संगठन एवं मीडिया के विशिष्ट प्रतिनिधियों सहित अन्य विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया।

ङ. एन.एच.आर.सी. हिन्दी पखवाड़े का आयोजन

13.8 अपने दैनिक कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 14 सितम्बर, 2016 के एन.एच.आर.सी. में वार्षिक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने इसी दौरान आयोजित प्रश्नोत्तरी, अनुवाद, हिन्दी निबन्ध, टंकड़ एवं सुलेख प्रतियोगिताओं में सक्रिय रुप से भाग लिया।

च. भारत के चयनित 28 जिलों में मानव अधिकार जागरूकता एवं सुगम निर्धारण तथा मानव

अधिकार कार्यक्रम का प्रवर्तन।

13.9 आयोग वर्षों से खाद्य सुरक्षा, हिरासतीय न्याय, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, स्वच्छता एवं सफाई, आवास का अधिकार, किशोर न्याय, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन, बालश्रम, सिर पर मैला ढ़ोना, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा, संस्कृति का अधिकार, सामुदायिक संपत्ति की रक्षा, जीवन का अधिकार, जीवन स्थिति एवं सरकार तथा पंचायतों की जिम्मेदारी के स्वभाव पर अपना ध्यान केन्द्रीत कर रखा है। फिर भी, देश में जमीनी स्तर पर मानव अधिकार मुद्दों पर जागरुकता का पर्याप्त अभाव ही है। अतः लोगों में जागरुकता लोने के उद्देश्य से, एन.एच.आर.सी. ने 28 जिलों को चयनितकिया है जहाँ पर प्रत्येक राज्य के एक जिले में उपर उद्धृत मुद्दों पर दिशा–निर्देश के कार्यन्वयन की समीक्षा करता है।

13.10 दिनाँक 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान, आयोग के 28 जिला कार्यक्रम के तहत इन जिलों में मानव अधिकार जागरुकता एवं सुकर निर्धारण तथा मानव अधिकार कार्यक्रम के प्रवर्तन के हिस्से के रुप में आयोग ने दिनांक 2–4 जून, 2016 को चम्पावट जिला, उत्तराखण्ड दिनांक 1–3 अगस्त, 2016 को जिला, केरल, दिनाक 22–23 सितम्बर, 2016 को कड़पा जिला, आन्ध्र प्रदेश का दौरा किया।

13.11 इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, हिरासतीय न्याय, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सफाई जैसे मानव अधिकार मुद्दों पर विद्यालयों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों, कारागारों, पंचायतों, लोक वितरण प्रणाली के तहत कार्यरत राशन की दुकानों, बाल सशक्तिकरण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं समाज के अन्य हाशिए के लोगों के लिए पर्याप्त विभिन्न–विभागों का दौरा करना था।

छ. मीडिया कार्यशाला

13.12 राष्ट्रीय मानव अधिकार द्वारा दिनांक 27 अप्रैल, 2012 को सफलतापूर्वक आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला से प्राप्त फीडबैक के पश्चात आयोग ने दिनांक 15 अप्रैल, 2015 को देश के विभिन्न हिस्सों में संरचनात्मक तरीके से नियमित सुविधा के रुप में मीडिया कार्मिकों के लिए कार्यशाला आयोजन के प्रस्ताव का सैद्धान्तिक अनुमोदन प्रदान कर दिया। इस कार्यशाला की शुरुआत दिनांक 01 नवम्बर, 2011 को आयोग के 'मीडिया सलाहकार समूह' की संस्तुतियों के आधार पर की गई जिसकी सथापना आयोग के मीडिया एवं आउटरीच नीति के हिस्से के रुप में की गई। हालांकि, मीडिया एवं संचार संकाय द्वारा प्रत्येक वर्ष के एक तिमाही में एक कार्यशाला आयोजित करने के प्रस्ताव पर, आयोग एक वर्ष में केवल दो कार्यशाला आयोजित करने पर सफल हो गया।

13.13 इन कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य प्रमुख/महत्वपूर्ण समाचार संगठनों में कार्यरत पत्रकारों को मानव अधिकारों के साथ–साथ कानून एवं संस्थागत सुरक्षा उपायों सहित एन.एच.आर.सी. जो इन अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध है, के बारे में अभिमूख करना है। इस तरह के कार्यशाला अंततः मीडिया के माध्यम से आयोग की भूमिका, अधिकार क्षेत्र एवं क्रियाकलापों के बारे में

जागरुकता फैलाने में मददगार साबित हो सकते हैं।

13.14 इनसे मीडिया कार्मिकों के लिए राज्य राजधानियों एवं अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों में आयोग के हस्तक्षेपों एवं संस्तुतियों के बारे में लोगों से प्रत्यक्ष संवाद एवं संपर्क करने में मदद मिल पाएगी। इन कार्यशालाओं का आयोजन संबंधित राज्य सरकारों के राज्य सूचना विभागों के सहयोग से किया जाएगा। प्रेस क्लबों को भी इनमें शामिल किया जा सकता है। यह प्रक्रिया लम्बित है।

13.15 दिनांक 22 फरवरी, 2017 को भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से एक मीडिया कार्यशाला के आयोजन के संबंध में आयोग के प्रशिक्षण प्रभाग को पूर्ण समर्थन दिया गया।

ज. विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर पुस्तिकाओं का प्रकाशन

13.16 एन.एच.आर.सी. ने कमजोर एवं हाशिए के लोगों के अधिकारों एवं विधि का ज्ञान एवं अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिकारों एवं कौशलता के सम्मान के बारे में कानूनी जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न मानव अधिकार विषयों पर मल्टीपल एक्शन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली (मार्ग) के सहयोग से पुस्तिकाओं के सृजन के परियोजना की शुरुआत की। समग्र रुप से मार्ग 11 विषयों पर 27 पुस्तिकाओं का सृजन करना। मूल साहित्यिक ज्ञान रखने वाले लोग भी इन पुस्तिकाओं का उपयोग आसानी से कर सकेंगे। प्रत्येक पुस्तकों में उपभोक्ता/पाठकों को बेहतर समझने के उद्देश्य से सचित्र उदाहरण दिए जाएंगे। इन पुस्तिकाओं को शुरुआत में अंग्रेजी में लिए जाएंगे तथा बाद में उनका हिन्दी में अनुवाद एवं मुद्रण करवाया जाएगा। मार्ग ने कुछ पुस्तिकाएं प्रस्तुत की है जिनकी आयोग द्वारा समीक्षा की जा रही है।

झ. भारत के विद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा पर अनुसंधान अध्ययन : राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का एक तुलनात्मक अध्ययन

13.17 एन.एच.आर.सी. द्वारा राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पंजाब के सहयोग से "भारत के विद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा : राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का एक तुलनात्मक अध्ययन" शीर्षक से शुरुआत की गई है। यह अध्ययन भारत के विद्यालयों में राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली मानव अधिकार शिक्षा के पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का आंकलन के विश्लेषण का प्रयास रहेगा। यह अध्ययन वर्णात्मक एवं विश्लेषणात्मक दोनों होगा। अपेक्षित आंकड़ों को भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा विहित पाठ्यक्रम के संकलन द्वारा संग्रह किया जाएगा। इस अनुसंधान अध्ययन की अवधि 15 महीने की होगी।

13.18 प्रथमिका माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सामाग्री में एकरुपता लाने के उद्देश्य से यह अध्ययन देश भर के विभिन्न विद्यालयों में राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा की जाने वाली मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति प्रदान करेगा।

ञ. महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति

13.19 एन.एच.आर.सी. द्वारा ग्रामीण एवं औद्योगिक विकास अनुसंधान केन्द्र (सी.आर.आर.आई.डी.) चंडीगढ़ के सहयोग से "महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में मानव अधिकार शिक्षा की स्थिति" शीर्षक से एक अनुसंधान अध्ययन की शुरूआत की गई। यह अध्ययन एक अलग अंतः विषय शिक्षण के रुप में मानव अधिकार शिक्षा में शिक्षण एवं अनुसंधान की विद्यमान स्थिति तथा भारत के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में अधिकारों के परिपेक्ष्य से मानव अधिकार शिक्षा पाठ्यक्रम विकसित करने में उच्च शिक्षण संस्थाओं की भूमिका का पता लगाएगा। इस अध्ययन के उद्देश्य को पूरा करने हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों एवं चयनित सम्बद्ध महाविद्यालयों को शामिल किया जाएगा। यह अध्ययन आकड़ों के दोनों प्राथमिक एवं गौण स्रोतों का उपयोग करेगा। यह अध्ययन देश के विश्वविद्यालयों एवं उच्च अकादमिक संस्थाओं के मानव अधिकार अध्ययन में विभिन्न पाठ्यक्रमध्कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रम विकसित करने में सामाजिक एवं नीति निर्माणकों की मदद करेगा। इस अध्ययन की अवधि 12 महीने की होगी।

13.20 यह अध्ययन सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में मानव अधिकार शिक्षा के बढ़ते अकादमिक शिक्षण को योगदान देगा तथा इस संबंध में सैद्धांतिक नीति बनाने में भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करेगा।

ट. विधि विद्यालयों द्वारा मानव अधिकार शिक्षा के संरक्षण, प्रसार एवं संवर्धन की चुनौतियाँ : उत्तर भारत का एक अध्ययन

13.23 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत ने पब्लिक अफैयर्स सेंटर (पी.ए.सी.) के सहयोग से "डेवेलपिंग ह्यूमन राईटस इंडेक्स एण्ड ह्यूमन राईटस रिपोर्ट" शीर्षक से पैन. इण्डिया प्रोजेक्ट की शुरूआत की। इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य पाँच चयनित विषयों पर मानव अधिकार संकेतकों को विकसित करना है ये विषय हैं : (i) पुलिस नृशंसता; (ii) समाज के हाशिए के लोगों के खिलाफ अपराध; (iii) अवैध सामाजिक प्रथा; (iv) राज्यों में मानव अधिकारों के लिए संस्थागत संरचना; (v) विकासात्मक पात्रता जैसे गरीबी, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेय जल, मकान, बिजली, विधवाओं के लिए, सुविधाएं, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुविधाएं, कामकाजी महिलाएं आदि। मानव अधिकारों पर तुलनात्मक राष्ट्रीय इंडेक्स विकसित करने के अलावा, यह परियोजना मानव अधिकारों के संरक्षण में सभी राज्यों की शासन प्रणाली का स्वरुप एवं गुण पर भी विचार करेगा। पी.ए.सी. एक व्यापक मानव अधिकार रिपोर्ट भी प्रकाशित करेगा। एन.एच.आर.सी. सहित पब्लिक डोमेन में उपलब्ध सेकेंडरी डॉटा का प्रयोग मानव अधिकार संकेतक को विकसित करने के लिए किया जा रहा है एवं इसे और भी विकसित किया जाएगा। इस परियोजना की अवधि 12 महीने की है।

13.24 कथित परियोजना मानव अधिकारों के संरक्षण में राज्य शासन प्रणाली के स्वरुप एवं गुण को प्रस्तुत करेगा। इससे देश भर में मानव अधिकारों के संरक्षण की निगरानी में मदद मिल पाएगी।

ठ. एन.एच.आर.सी. का 23वां स्थापना दिवस समारोह

13.25 आयोग द्वारा प्रतिवर्ष 12 अक्टूबर को स्थापना दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अर्थात वर्ष 2016 में, आयोग के स्थापना दिवस का आयोजन दिनांक 21.10.2016 को डॉ. डी.एस. कोठारी प्रेक्षागृह, डी.आर.डी.ओ. भवन, राजाजी मार्ग नई दिल्ली को किया गया। श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय दूरसंचार एवं कानून मंत्री इस अवसर पर मुख्य अतिथि थें।

स्थापना दिवस, 2016

ड. मानव अधिकार दिवस का आयोजन एवं एन.एच.आर.सी. प्रकाशनों का लोकार्पण

13.26 एन.एच.आर.सी. द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसम्बर को मानव अधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष अर्थात 2016 को मानव अधिकार दिवस समारोह का आयोजन डॉ. डी.एस. कोठारी प्रेक्षागृह, डी.आर.डी.ओ. भवन, राजाजी मार्ग नई दिल्ली में दिनांक 10.12.2016 को किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति श्री पी.सदाशिवम, माननीय राज्यपाल, केरल मुख्य अतिथि एवं श्री बेजवाड़ा विलसन, संस्थापक, सफाई कर्मचारी आंदोलन सम्मानीय अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आयोग के निम्न पुस्तकों का लोकार्पण किया गया :

- मानव अधिकारों पर एन.एच.आर.सी. अंग्रेजी जर्नल (खण्ड 15, 2016)
- मानव अधिकारों पर एन.एच.आर.सी. हिन्दी जर्नल : मानव अधिकार : नई दिशाएं (खण्ड 13, 2016)

- सिलीकॉसीस पर एन.एच.आर.सी. हस्तक्षेप– (अंग्रेजी में)
- "भारत में बच्चे एवं उनके अधिकार" (संशोधित संस्करण)–(अंग्रेजी में)

मानव अधिकार दिवस 2016, 10 दिसंबर, 2016

ढ. निबन्ध लेखन प्रतियोगिता

13.27 आम जनमानस में मानव अधिकारों पर जागरुकता फैलाने के अपने प्रयास में, आयोग ने भारतीय नागरिकों के लिए निबन्ध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस योजना के विवरण को आयोग की वेबसाईट पर भी अपलोड किया गया।

13.28 इस वर्ष इस निबन्ध प्रतियोगिता का विषय था : "महिलाओं के अस्तित्व का संकट एवं मानव अधिकार"। इस प्रतियोगिता हेतु प्रविष्टियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2016 थी। इस प्रतियोगिता के चार विजेताओं को आयोग के स्थापना दिवस 21.10.2016 के अवसर पर सम्मानित किया गया।

ण. 'अखिल भारतीय अन्तर्केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल' वाद विवाद प्रतियोगिता 2016

13.29 जैसा कि वर्ष 2016–17 के अध्याय–3 (पैरा 3.15/एफ) में उध्दृत है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा एन.एस.जी. प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर, हरियाणा में सी.ए.पी.एफ. के लिए वाद–विवाद के लिए सेमीफाइनल एवं फाइनल राउण्ड का आयोजन क्रमशः दिनांक 20 सितम्बर, 2016 एवं 30 नवम्बर, 2016 को किया गया।

13.30 केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.) को इस वाद–विवाद प्रतियोगिता का विजयी घोषित किया गया तथा उन्हें रोलिंग ट्रॉफी सौंपी गई। कार्मिकों (व्यक्तिगत) के लिए वाद–विवाद प्रतियोगिता में श्री अजय सिंह, टी.सी., एन.एस.जी. को अंग्रेजी में तथा श्री जे.एम.मिश्र, एस.एस.बी. को हिन्दी में विजयी घोषित किया गया।

त. राज्य/केन्द्र शासित पुलिस बलों के लिए अंग्रेजी एवं हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में मानव अधिकार जागरूकता पर वाद-विवाद प्रतियोगिता

13.31 जैसा कि इस वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय–3 (पैरा 3.15/जी), में उद्धृत है, वित्तीय वर्ष 2016–17 में, कुल 15 राज्य का कथित वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्ताव प्राप्त होने पर, इस वाद–विवाद प्रतियोगिता के आयोजन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उनके प्रस्ताव प्राप्त होने पर, इस वाद–विवाद के आयोजन हेतु प्रत्येक राज्य को रु. 15,000/– वितरित किए गए।

अध्याय-14

मानव अधिकार समर्थक

14.1 कोई व्यक्ति या समूह जो मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कार्य करते हैं उन्हें "मानव अधिकार समर्थकों" के रुप में जाना जाता है। सार्वभौमिक रुप से मान्यता प्राप्त (साधारण तथा जिसे मानव अधिकार समर्थक रुप में जाना जाता है) के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए व्यक्ति, समूह या समाज के अंगों के अधिकार एवं जिम्मेदारी पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा मानव अधिकार समर्थकों का मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेज है। 14 वर्षों तक समझौता वार्ता के पश्चात संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा दिसम्बर, 1998 में इसे अंगीकृत किया गया।

14.2 आम जनमानस के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन को सुनिश्चित करने के अपने प्रयास में मानव अधिकार समर्थक केवल आयोग के ही नहीं अपितु स्थानीय निकायों, राज्य या केन्द्र स्तर पर सरकार के भी साझेदार हैं। तथ्य यह है कि नागरिकों के लिए सुशासन प्रदान करने में सरकार की मुहिम को बाधा पहुँचाने वाले मुद्दों को उजागर कर मानव अधिकार समर्थक सरकार की मदद ही करती हैं जिन क्षेत्रों में न्याय एवं मदद की आवश्यकता पड़ती है। मानव अधिकार समर्थकों द्वारा उजागर की गई समस्या पर सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई के बदले, सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारियों एवं आम जनता के मानव अधिकारों के संरक्षण की मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करता है इसके साथ ही जनता के विश्वास को भी मिलता है।

14.3 दुर्भाग्यवश, कई बार, राज्य प्राधिकारी इस महत्त्वपूर्ण बात को भूलकर, मानव अधिकार समर्थक एवं उनके मानव अधिकारों के प्रति चिंता को, परेशान करने वाले के रुप में मान लेते हैं। आयोग विभिन्न पणधारियों को संवेदनशील कर इस मानसिकता को बदलने की कोशिश कर रहा है। मानव अधिकार समर्थकों के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति उनके न्यायोचित कार्य के लिए उन्हें हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। आर.टी.आई. कार्यकर्ता, बड़े पैमाने पर विकास परियोजना की वजह से विस्थापितों के समर्थन में कार्यकर्ताओं एवं महिला मानव अधिकार समर्थक इस हिंसा के मुख्य शिकार हैं। मानव अधिकार समर्थकों की भूमिका के बारे में राज्य प्राधिकारियों को अपनी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। उन्हें एक बाधा के रुप में न देखकर सुशासन के संवर्धन के लिए एक महत्तवपूर्ण माध्यम के रुप में देखनी चाहिए।

14.4 मीडिया एक महत्वपूर्ण मानव अधिकार समर्थक के रुप में जानी जाती है। आयोग प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही मानव अधिकार के संबंध में नवीनतम मुद्दों एवं घटनाओं पर सचेत

हो पाता है। स्वतः संज्ञान द्वारा लिए गए कुल महत्वपूर्ण मामलों पर कुछ महत्वपूर्ण हस्तक्षेप आयोग प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा ही ले पाया है। सरकारी प्रक्रिया में भी खामियों को उजागर करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राधिकारियों को मीडिया की भूमिका को उजागर करने में मीडिया एक महत्वपूर्ण माध्यम है। प्राधिकारियों को मीडिया की भूमिका को कम करने के बजाए इसके द्वारा उजागर की गई खामियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मीडिया एक ऐसी खिड़की है हम बाहरी दुनिया में घट रही घटनाओं को देखते हैं तथा मजबूत एवं निष्पक्ष मीडिया एक जोशपूर्ण एवं मजबूत लोकतंत्र की गारन्टी है।

14.5 आयोग इस बात को दोहराना चाहता है कि समाज के समग्र विकास एवं परस्पर हित के लिए राज्य एवं मानव अधिकार समर्थकों के मध्य सहयोग की आवश्यकता है।

14.6 यह उद्घोषणा विश्वभर में मानव अधिकार समर्थकों की गतिविधियों के संरक्षण करने वाले अंतरराष्ट्रीय मानकों को कोडित करती है। यह मानव अधिकारों की गतिविधि की वैधता तथा इस गतिविधि की आवश्यकता तथा जो इसे करते है उनके संरक्षण को मान्यता देती है। घोषणा के अंतर्गत, मानव अधिकारों के संवर्द्धन एवं संरक्षण हेतु कार्यरत कोई भी हो सकता है। मानव अधिकार समर्थक इस व्यापक परिभाषा में व्यावसायिक के साथ–साथ गैर–व्यावसायिक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, स्वयंसेवक, पत्रकार, वकील तथा कोई भी अन्य जो भी यह कार्य करता है, चाहे वह कभी–कभी हो, मानव अधिकार गतिविधि, को शामिल किया गया है।

14.7 यह उद्घोषणा विद्यमान अधिकारों को इस तरह व्यक्त करता है कि मानव अधिकार समर्थकों की स्थिति में इन्हें अनुप्रयुक्त करना आसान हो जाता है। यह स्पष्ट करता है कि कैसे अभिव्यक्ति की आजादी, संघ एवं सभा सहित अधिकारों में सम्मिलित मुख्य मानव अधिकार औजार समर्थकों के लिए अनुप्रयुक्त होता है। यह उद्घोषणा मानव अधिकार समर्थन के संबंध में व्यक्ति की जिम्मेवादी के साथ–साथ राज्यों के विशिष्ट कर्त्तव्यों की रूप–रेखा तैयार करता है। मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र उद्घोषणा के तहत संरक्षण के लिए मानव अधिकार समर्थकों के लिए भी एकरूपता एवं अहिंसा के दो सिद्धांतों को अपनाना भी बराबर ही महत्त्वपूर्ण है।

14.8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (1) के तहत, मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों के उत्साहवर्द्धन हेतु प्रतिबद्ध है। अतः अपनी स्थापना काल से ही, आयोग कई सरकारी व गैर सरकारी संगठनों एवं व्यक्तियों के साथ देश में मानव अधिकार स्थिति में सुधार के साथ–साथ मानव अधिकार समर्थकों को सहायता व रक्षा प्रदान करने हेतु गंभीरता से कार्यरत है। इसने मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा का अनुपालन करते हुए देश भर में मानव अधिकार समर्थकों के लिए सुरक्षा तंत्र के विकास के संवर्द्धन हेतु निरन्तर प्रयास किया है। अपनी रणनीती के एक हिस्से के तौर पर, मानव अधिकार समर्थकों एवं उनके द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु इसने गैर सरकारी एवं सिविल सोसायटी संगठनों, राज्य मानव अधिकारों एवं अन्य मुख्य संभार तंत्रों के साथ कार्यरत है।

क. एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट

14.9 नई दिल्ली में 12 अक्टूबर, 2009 को आयोग द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर आयोजित कार्यशाला की एक संस्तुति पर कर्यवाही करते हुए, लोक प्राधिकारियों से या उनके द्वारा मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न पर प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एन.एच.आर.सी. में मानव अधिकार समर्थकों के लिए एक फोकल प्वाइंट की स्थापना की जिसके लिए श्री श्रीनिवास कामथ, उप रजिस्ट्रार (विधि) फोकल प्वाइंट के लिए नामित किया गया हैं। मानव अधिकार समर्थकों के लिए फोकल प्वाइंट से रात–दिन (i) मोबाईल संख्या 9810298900 (ii) फैक्स संख्या 24651334 एवं (iii) ई–मेल : hrd-nhrcaliasnic.in पर संपर्क किया जा सकता है। फोकल प्वाइंट यह सुनिश्चित करता है कि मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न के प्रत्येक मामले में आयोग के निर्देशों का प्राथमिकता से अनुपालन हो सके तथा संबंधित मानव अधिकार समर्थक को इसकी जानकारी प्रदान की जा सके। मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों के संबंध में अद्यतन जानकारी को आयोग की वेबसाइट पर भी पोस्ट किया जाता है।

14.10 मानव अधिकारों के लिए फोकल प्वाइंट जमीनी स्तर पर मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन की स्थिति को समझने के लिए गैर सरकारी संगठन/मानव अधिकार समर्थकों/राज्य सरकार के अधिकारियों से स्वयं को संलिप्त रखता है।

ख. मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा किए जाने वाले कार्य

14.11 मानव अधिकार के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए आयोग ने हमेशा ही अपना समर्थन किया है एवं इस कार्य में लिप्त लोगों के खिलाफ हिंसा/उत्पीड़न के कार्य की निंदा की है। वस्तुतः मानव अधिकार समर्थकों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना आयोग द्वारा किया गया महत्त्वपूर्ण पहल था।

14.12 मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमः

- मानव अधिकार पीड़ितों को प्रताड़ित नहीं करने हेतु राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा राज्यों को काफी सख्त संदेश भेजा गया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के महासचिव ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर मानव अधिकार समर्थकों के क्रियाकलापों हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने को कहा। पत्र अनुलग्नक–14 के रूप में संलग्न है।
- अभियोग, क्षतिपूर्ति इत्यादि सिफारिश द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों के मूहिम की रक्षा हेतु सुरक्षात्मक उपाय किए हैं।
- मानव अधिकार समर्थकों के अध्याय को वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करना भी जागरूकता फैलाने की दिशा में एक अहम कदम है।
- अपने शिविर बैठक एवं जन सुनवाई के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने गैर सरकारी

संगठनों एवं मानव अधिकार समर्थकों के साथ विचार–विमर्श किया। उनको हो रही समस्याएँ एवं गतिरोध के संबंध में दी गई सुझावों पर आयोग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। मानव अधिकार समर्थकों के मामलों को उच्च प्राथमिकता देकर, गुणवत्ता के आधार पर आवश्यक राहत प्रदान की जा रही है।

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग प्रत्येक वर्श दिसम्बर को एक संदेश जारी करता है। यह वही दिन है जब संयुक्त राष्ट्र आम सभा द्वारा मानव अधिकार समर्थकों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा को अंगीकृत किया। मानव अधिकार समर्थकों को समर्थन प्रदान करने के संबंध में आयोग दिनांक 9 दिसम्बर, 2015 को एक संदेश जारी करता है। यह संदेश अनुलग्नक–15 पर है।

ग. मानव अधिकार समर्थकों के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा सुने गए मामले।

14.13 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, आयोग ने मानव अधिकार समर्थकों पर कथित उत्पीड़न की 98 शिकायते प्राप्त की। इन में से आयोग द्वारा मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित 70 मामलों का निपटान कर दिया गया। वर्ष 2016–17 के दौरान, आयोग द्वारा सुने गए कुल महत्वपूर्ण मामले नीचे दिए जा रहे हैं :

1. *श्री राजीव शर्मा, मानव अधिकार समर्थक को गाजियाबाद पुलिस द्वारा सुरक्षा मुहैया करवाया। (मामला संख्या 41893/24/31/2016)*

14.14 आयोग ने श्री राजीव कुमार शर्मा, शकरपुर, दिल्ली से एक शिकायत प्राप्त की जिसमें शिकायतकर्ताओं ने साहिबाबाद में एक अवैध जैकेट निर्माण कारखाने में आग लगने से 13 मजदूरों की मौत एवं 3 के गंभीर रुप से घायल होने की घटना पर आयोग का ध्यान आकर्षित किया। शिकायतकर्ता ने पीड़ितों के लिए हर्जाना एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ता ने इसके पश्चात एक और शिकायत प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाया कि उन्होंने मानव अधिकार से संबंधित मुद्दे को प्रकाश में लाया है, उन्हें धमकियाँ मिल रही हैं एवं उनका जीवन खतरे में हैं।

14.15 आयोग ने यह नोट किया कि 13 मजदूरों की हत्या एवं 3 मजदूरों के घायल होने की घटना का संज्ञान शिकायतकर्त्ता द्वारा लाया गया। जांच से यह पता चला कि कथित कारखाना अवैध था। शिकायतकर्त्ता ने यह आरोप लगाया कि उन्हें उन लोगों द्वारा धमकियाँ मिल रही हैं जिनका शिकायतकर्त्ता की वजह से निहित स्वार्थ परेशान हो रहा है। शिकायतकर्त्ता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें गलत मामले में फंसाया गया है। प्रशासन एवं पुलिस प्राधिकारियों का यह कर्त्तव्य है कि वे इस तरह के लोगों की रक्षा करें जो मानव अधिकारों के लिए संघर्शरत हैं। अगर उन्हें उत्पीड़कों की दया पर छोड़ दिया जाए, मानव अधिकारों का संघर्श निश्चित ही प्रभावित होगा।

14.16 इसके पश्चात् आयोग ने जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद को शिकायतकर्त्ता की सुरक्षा का आंकलन कर आवश्यकता पड़ने पर कानून के अनुसार आवश्यक सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया।

14.17 आयोग के निर्देशों के उत्तर में जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद से एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि शिकायतकर्त्ता को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में पंजीकृत मामले की स्थिति के बारे में आई.पी.सी. की धारा 304 क/427 के तहत आपराधिक मामला संख्या 1916/2016 प्रगति पर है।

14.18 शिकायतकर्त्ता ने इसके पश्चात् सूचना दी कि उनकी सुरक्षा हटा दी गई है। पुलिस अधीक्षक, यातायात, गाजियाबाद ने आयोग को यह सूचना दी कि शिकायतकर्त्ता को सुरक्षा प्रदान की गई है। आयोग ने दिनांक 02.06.2017 को इस मामले पर विचार कर जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद को इस मामले पर ध्यान देने एवं शिकायतकर्त्ता की समस्याओं के निवारण हेतु विधि के अनुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

14.19 जिला मजिस्ट्रेट, गाजियाबाद द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि पुलिस कार्मिकों के अभाव में शिकायतकर्त्ता की सुरक्षा हटा दी गई थी जिसे पुनः प्रदान कर दी गई है।

14.20 इस मामले में अन्य मुद्दों पर आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

2. *जिला बदवानी, मध्य प्रदेश में मानव अधिकार समर्थक को मुआवजे का अनुदान जिन्होंने चिकित्सीय लापरवाही की शिकार एक बनिया बाई के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।*

   (मामला संख्या 1062/12/2/2013)

14.21 शिकायतकर्त्ता, "फ्रॉण्ट लाइन डिफेंडर" एक आयरलैण्ड आधारित गैर सरकारी संगठन के एक अधिकारी ने यह आरोप लगाया कि एक बनिया बाई नामक महिला के अधिकारों के लिए विरोध करने पर दिनांक 16.05.2013 को मध्य प्रदेश के बदवानी जिले में पुलिस द्वारा एवं मानव अधिकार समर्थक सुश्री माधुरी रामाकृष्णस्वाय को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसा कि वह बनिया बाई नामक महिला के अधिकारों की मांग कर रही थी जो जिला बदवानी, मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य केन्द्र, मेनीमाता में चिकित्सीय लापरवाही की शिकार बनी थी।

14.22 प्राधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट की गई कि पुलिस द्वारा माधुरी रामाकृष्णस्वाय को गिरफ्तार नहीं किया गया था बल्कि नोटिस के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने की वजह से, न्यायालय ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कर्त्तव्य की अवहेलना के संबंध में यह रिपोर्ट की गई कि लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की शुरूआत कर दी गई है।

14.23 आयोग ने मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह बताने के लिए कहा है कि आयोग पीड़िता बनिया बाई को हर्जाने के भुगतान की सिफारिश क्यों न करें। आयोग के कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उपसचिव, मध्य प्रदेश शासन, जी. ए. विभाग, मध्य प्रदेश शासन ने यह सूचना दी कि पीड़ित के अधिकारों के उल्लंघन के मामले में लोक सेवक के खिलाफ एक मामले की शुरूआत कर दी गई है। यह भी दर्शाया गया कि मध्य प्रदेश राज्य आयोग द्वारा की

गई संस्तुति का अनुपालन करेगा। आयोग ने पीड़िता बनिया बाई के लिए लोक सेवक के खिलाफ जीवन के अधिकार एवं स्वास्थ्य के अधिकार सहित उनके मानव अधिकार उल्लंघन के मामले में हर्जाने के रूप में रु0 3,00,000/– (तीन लाख) के भुगतान की सिफारिश की। आयोग ने इस बात को भी साफ कर दिया कि भुगतान/हर्जाने को अंतरिम रूप में माना जाए तथा इससे उपयुक्त मंच में निहित हर्जाने के दावे को रोका न जाए। अनुपालन रिपोर्ट एवं भुगतान के प्रमाण को प्राप्त होने पर आयोग द्वारा दिनांक 10.05.2016 को मामले को बंद कर दिया गया।

3. *के. आर. रामास्वामी, 82 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्त्ता की शिकायत पर पुलिस, थाना विपेरी, चेन्नई द्वारा कार्रवाई न करना।*

   (मामला संख्या 609/22/13/2015)

14.24 आयोग ने एक एन.जी.ओ. के किसी हेनरी टीफागने से एक शिकायत प्राप्त की कि जिसमें दिनांक 11.03.2015 को घटित एक घटना के संबंध में किसी श्री विरामनी द्वारा दर्ज झूठी शिकायत के आधार पर पुलिस, थाना विपेरी, चैन्नई द्वारा दिनांक 12.03.2015 को गौधूली काल में (जुलाई 2014 को अरनीश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए) श्री के. आर. रामास्वामी उर्फ ट्राफिक रामास्वामी, एक 82 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक को गिरफ्तार एवं रिमांड का आरोप लगाया गया। जेल में उनकी स्थिति काफी खराब हो गई तथा उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पीड़ित ने दिनांक 11.03.2015 को पुलिस में एक शिकायत दर्ज की थी जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिकायतकर्त्ता ने सी.बी.सी/सी.आई.डी. द्वारा एक निष्पक्ष जांच, हमले के लिए दोशियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई तथा लापरवाह पुलिस कार्मिकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की।

14.25 आयोग ने दिनांक 30.03.2015 को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पुलिस आयुक्त, चैन्नई से एक रिपोर्ट की मांग की। आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चैन्नई, विपेरी, चैन्नई ने अपने दिनांक 03.06.2015 को आयोग को यह सूचित किया कि दिनांक 11.03.2015 को लगभग प्रातः 10.00 बजे, जब शिकायतकर्त्ता सी.एस. विरामनी अपनी गाड़ी में राजा अन्नामलाई रोड़, एम.एस.आर. महल के नज़दीक से होकर गुज़र रहा था, के. आर. रामास्वामी उर्फ ट्राफिक रामास्वामी रास्ते के बीच में खड़े होकर एक टी.वी. चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। जब उन्होंने उनसे रास्ते से हटकर आगे बढ़ने का निवेदन किया तब के. आर. स्वामी ने उन्हें गन्दी गालिया दीं। आरोपी ने शिकायतकर्त्ता के वाहन पर पत्थर फेंक कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोपी ने शिकायतकर्त्ता को जान से मारने की धमकी दी। विरामनी द्वारा लिखित शिकायत के आधार पर विपरी पुलिस द्वारा आई.पी.सी. की धारा 341, 294 (ख), 506 (II) के तहत सी. आर. संख्या 462/2015 तथा तमिलनाडू संपत्ति क्षति एवं नुकसान अधिनियम, 1992 की धारा 3 (II) के तहत एक मामला पंजीकृत किया गया। आरोपी रामास्वामी को दिनांक 12.03.2015 को लगभग प्रातः 4.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी एवं उनके कृत्य के संबंध में उनके मित्र राजेन्द्रन को सूचना देने के पश्चात्, आरोपी को विपरी थाना तथा बाद में चिकित्सीय

जांच हेतु किलपौक अस्पताल ले जाने के पश्चात् XIV मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने की रिमांड की एवं तदोपरान्त उन्हें सरकारी रोयापेटा अस्पताल में भर्ती कराया गया। उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, आरोपी के आगे के उपचार हेतु मल्टी स्पेशलटी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिनांक 16.03.2015 को उन्हें सर्शत जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपी रामास्वामी को थाने, अस्पताल एवं न्यायालय ले जाते वक़्त तथा जेल की विडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। वीडियो रिकॉर्डिंग एवं गवाहों से पूछताछ में, मानव अधिकार उल्लंघन का कोई मामला नहीं पाया गया। रिपोर्ट से यह निर्णय निकला कि आरोपी पुलिस कार्मिकों के खिलाफ असंतोश था जैसा कि उनके खिलाफ एक मामले का पंजीकरण किया गया एवं अतः, उन्होंने एक झूठी याचिका दायर कर दी। इसमें यह निवेदन किया गया कि उनकी याचिका पर कोई कार्रवाई न की जाए।

14.26 आयोग अपने दिनांक 26.09.2016 की कार्यवाही के दौरान रिपोर्टों पर विचार करते हुए यह पाया कि दिनांक 11.03.2015 को थाना विपरी में पीड़ित द्वारा दर्ज शिकायत पर कार्यवाही के संबंध में कोई जिक्र नहीं है। अतः आयोग ने पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चैन्नई को दिनांक 11.03.2015 को पीड़ित द्वारा विपरी थाने में पंजीकृत शिकायत की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उन्हें पीड़ित के घनिश्ठ मित्र श्री जी. रवि कुमार द्वारा इस संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष दर्ज रिट याचिका की स्थिति/परिणाम के बारे में भी सूचित करने का निर्देश दिया गया।

14.27 पुलिस आयुक्त, ग्रेटर चैन्नई, विपरी, चैन्नई से प्राप्त दिनांक 03.06.2015 की संलग्नक सहित रिपोर्ट की एक प्रति को शिकायतकर्त्ता के पास भी प्रेशित की गई तथा उन्हें इस पर किसी प्रकार की टिप्पणी के साथ–साथ उनके घनिष्ठ मित्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में जारी आदेश की प्रति आयोग में भेजने के लिए कहा गया।

14.28 यह मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

4. छत्तीसगढ़ में मानव अधिकार समर्थकों पर हमला

(मामला संख्या 667/33/20/2016 एवं 130/33/1/2016)

14.29 आयोग ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीमती अर्चना प्रसाद एवं जे.एन.यू. के प्रोफेसर श्रीमती नंदनी सुंदर एवं तीन अन्य के खिलाफ छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा एफ.आई.आर. पंजीकृत करने के मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्मिकों द्वारा प्रोफेसर नंदनी सुंदर के पुतले जलाने की घटना पर निदां की। छत्तीसगढ़ राज्य में व्याप्त राज–काज के मामले पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए आयोग ने श्री एस. आर.पी. कल्लूरी, आई.जी.पी., बस्तर एवं मुख्य सचिव को समन किया। हालांकि श्री कल्लूरी स्वास्थ्य कारणों की वजह से आयोग के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। राज्य के सर्वोच्च पुलिस अधिकारीगण, डी.जी.पी. एवं अपर मुख्य सचिव ने आयोग में उपस्थित होकर यह भरोसा दिलाया कि इस संबंध में उपचारी कार्रवाई की जाएगी। आयोग के निर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव,

छत्तीसगढ़ ने आयोग के विचाराधीन मानव अधिकार समर्थकों के पर्याप्त संरक्षण को सुनिश्चित करने की कार्य योजना प्रस्तुत की। तदोपरांत्, आई.जी.पी. श्री कल्लूरी को बस्तर से दूसरी जगह भेज दिया गया।

14.30 इसी प्रकार आयोग ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा सुश्री भाालिनी गेड़ा एवं सुश्री ईशा खण्डेलवाल को बलात् निश्कासन पर शिकायत (मामला संख्या 130/33/1/2016) के संबंध में भी संज्ञान लिया।

14.31 बस्तर की सुश्री बेला भाटिया की कथित उत्पीड़न के संबंध में दूरभाष सूचना प्राप्त होने पर, आयोग ने अपने डी.आई.जी. के माध्यम से उसी दिन राज्य के डी.जी.पी. को इस मामले पर तत्काल हस्तक्षेप करने एवं सुश्री बेला भाटिया को सुरक्षा प्रदान करने को कहा। आयोग ने दिनांक 03.07.2017 को इस मामले पर विचार करते हुए मुख्य सचिव को मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण के मामले तथा वे सब मामले जिसमें आयोग ने हस्तक्षेप किया है एवं रिपोर्ट की प्रतीक्षा है, पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु दोबारा कहा है। आयोग ने सुरक्षा बल के सदस्यों के खिलाफ मानव अधिकार समर्थकों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हेतु गठित एक समिति के संदर्भ की भार्तों की प्रति की भी मांग की है। शिकायतकर्त्ता सुश्री कल्याणी मेनन सेन एवं श्री हेनरी टीफागने से कुछ अतिरिक्त सूचना जैसे एफ.आई. आर. की प्रति, पुलिस थानों एवं कानून की धारा के नाम, मानव अधिकार समर्थकों के नामों की भी मांग की गई है, जिसकी भी प्रतीक्षा है।

14.32 दिनांक 20.02.2016 को बस्तर की जानी–मानी आदिवासी एवं मानव अधिकार कार्यकर्त्ता सुश्री सोनी सूरी पर हमले के संबंध में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम घटना स्थल पर जांच के पश्चात् यह पाया कि थाना गीदम में अज्ञात हमलावारों के खिलाफ आपराधिक मामला एफ.आई.आर. संख्या 16/16 पंजीकृत है। कथित घटना के पश्चात् उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिन–रात निजी सुरक्षा अधिकारियों के साथ वाई क्लास सुरक्षा प्रदान की गई है।

14.33 एन.एच.आर.सी. टीम ने सुश्री ईशा खंडेलवाल, भाालिनी गेडा एवं मालिनी सुब्राह्मण्यम को मिल रही धमकियों की भी जांच की। एन.एच.आर.सी. टीम की संस्तुतियों को राज्य प्राधिकारियों के पास कार्यकर्त्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देशों के साथ भेजा गया है जिस पर राज्य प्राधिकारियों द्वारा आश्वासन भी दिया गया है।

5. श्री सत्य नारायण गर्ग, सामाजिक कार्यकर्त्ता, अजमेर, राजस्थान को हर्जाने की सिफारिश (मामला संख्या 2806/20/1/2015)

14.34 आयोग ने दिनांक 23.10.2015 को जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा कथित उत्पीड़न दुर्व्यवहार के संबंध में एक श्री सत्य नारायण गर्ग, सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं वरिष्ठ नागरिक से एक शिकायत प्राप्त की। यह घटना उस वक़्त घटी जब श्री गर्ग स्थानीय नागरिक एजेंसियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायत करने गए थे।

14.35 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में, उपसचिव, गृह (एच.आर.) विभाग, राजस्थान सरकार ने

अपने दिनांक 09.11.2016 के पत्र द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह दर्शाया गया कि मण्डलीय आयुक्त, अजमेर, राजस्थान द्वारा इस मामले पर एक जांच की गई। जांच के दौरान यह पता चला कि जिला कलेक्टर, अजमेर के दफ्तर के अंदर कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा नहीं लगाया गया है। याचिकाकर्त्ता ने गलत आरोप लगाया है। हालांकि याचिकाकर्त्ता ने जांच के दौरान अपने द्वारा लगाए गए आरोपों को पुनः दोहराया है। जांच अधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि हालांकि, जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा याचिकाकर्त्ता के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों की पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिकों की गुहार को प्राथमिकता के आधार पर गरिमा के साथ सुना जा सके। उनके साथ संवेदनशीलता से व्यवहार एवं उन्हें उपेक्षित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा है कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों की सुनवाई प्राथमिकता के साथ मानवता के आधार पर की जानी चाहिए।

14.36 इसके पश्चात् आयोग ने इस मामले पर विचार कर निम्न अवलोकन/निर्देश दिए :

"याचिकाकर्त्ता ने अपनी शिकायत में लगाए गए आरोपों को पुनः दोहराया है एवं जांच अधिकारी ने इस आरोप पर तात्कालीन जिला कलेक्टर, अजमेर से स्पष्टीकरण की मांग नहीं की थी। इसके अलावा जांच अधिकारी ने यह संकेत दिए है कि याचिकाकर्त्ता जो एक वरिष्ठ नागरिक है, जिला कलेक्टर, अजमेर के चेम्बर में मिलने आया एवं जिला कलेक्टर द्वारा उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्त्ता के साथ दुर्व्यवहार की वजह से उन्होंने आयोग एवं अन्य प्राधिकारियों की मदद मांगी है। अतः प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि तात्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा याचिकाकर्त्ता के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन हुआ।"

14.37 आयोग अपने दिनांक 06.01.2017 की कार्यवाही के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 18 के तहत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे यह जवाब मांगा है कि याचिकाकर्त्ता को अंतरिम राहत के रूप में रुपए 10,000/– के हर्जाने का भुगतान की संस्तुति क्यों न की जाए।

14.38 अपने दिनांक 12.09.2017 की कार्यवाही के द्वारा आयोग ने राजस्थान सरकार के दिनांक 22.02.2017 के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् याचिकाकर्त्ता के लिए अंतरिम राहत के रूप में रुपए 10,000/– की संस्तुति एवं भुगतान के प्रमाण के साथ–साथ लापरवाह अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के विवरण की मांग की।

6. *विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम के तहत सामाजिक सरोकार के संवर्द्धन हेतु केन्द्र की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण न करना।*

   (मामला संख्या 6259/30/0/2016)

14.39 आयोग दिनांक 16.11.2016 को सेंटर फॉर प्रॉमोशन ऑफ सो ाल कंर्सन (सी.पी.एस.सी.) की एफ.सी.आर.ए. अनुज्ञप्ति को नवीनीकरण न करने के मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया राय दी कि एफ.सी.आर.ए. अनुज्ञप्ति को नवीनीकरण न करना न तो वैद्य है और न ही लक्ष्य एवं इससे मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों का उल्लंघन होता है। आयोग ने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली पर संयुक्त राष्ट्र विशेष संपर्ककर्त्ता की रिपोर्ट पर भारत सरकार का ध्यान आकर्शित किया है जिसमें यह तर्क दिया गया है कि विदेशी फंडिंग सहित संसाधनों तक पहुंच के रूप में एफ.सी.आर.ए. अंतरराष्ट्रीय कानून, सिद्धांत, मानकों के अनुरूप नहीं है जो संघ की आजादी के अधिकार का मौलिक हिस्सा है। विदेशी फंडिंग के लिए इस तरह की पहुंच पर किसी प्रकार की सीमा के लिए (क) कानून द्वारा विहित (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक सुरक्षा, जनादेश, जन–स्वास्थ्य या नैतिकता अथवा दूसरों के अधिकार एवं आजादी तथा (ग) लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक जैसे कि दूसरों के अधिकार एवं आजादी की आवश्यकता होगी।

14.40 आयोग ने सचिव (गृह), भारत सरकार को गैर सरकारी संगठनों की संख्या जिनकी पिछले तीन वर्षों में अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण नहीं किया गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड असेंबली पर संयुक्त राष्ट्र विशेष संपर्ककर्त्ता द्वारा निर्धारित लिटमस टेस्ट का केन्द्र सरकार द्वारा न्यायनिर्णयन हेतु कैसे अनुप्रयुक्त होता है एवं यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है कि कैसे विदेशी फंडिंग के लिए पहुंच तथा इसे जारी रखना संघ निर्माण का अधिकार एवं अंतरराष्ट्रीय कानून, मानकों तथा सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है।

14.41 आयोग के निर्देशों के अनुपालन में गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इस मामले पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जो आयोग के तहत विचाराधीन है। हालांकि भारत ने गैर सरकारी संगठनों के फंडिंग का मामला सर्वोच्च न्यायालय तथा सी.पी.एस.सी. के नवीनीकरण न करने का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है, आयोग ने कुछ समय के लिए इस मुद्दे को लंबित रखने का विचार किया है।

7. हुगली, पश्चिम बंगाल में कीर्ति राय एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता एवं गैर सरकारी संगठन मासूम के अन्य सदस्यों का कथित धमकी एवं उत्पीड़न

(मामला संख्या 1063/25/6/2016)

14.42 यह मामला श्री कीर्ति राय, मानव अधिकार कार्यकर्त्ता, मानव अधिकार संगठन बांगलार मानव अधिकार सुरक्षा मंच (मासूम) के संस्थापक एवं सचिव तथा मासूम के अन्य सदस्यगण श्री तिलक बर्मन, श्री अजीजूल हक, श्री बि वेश्वर बर्मन एवं श्री अजीमुद्दीन सरकार को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा कथित धमकी एवं उत्पीड़न से संबंधित है।

14.43 इस संबंध में दिनांक 05.08.2016 को ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्रस अर्लट के द्वारा एक मोबाईल शिकायत प्राप्त हुई जिसमें यह बताया गया कि श्री कीर्ति राय जो कुछ बिहार में एन्कलेव निवासियों के लिए बने मैखलीगंज पुर्नवास एवं बंदोबस्त शिविरों का दौरा करने गए थे वहां उनका पुलिस द्वारा पीछा किया गया। कथित रूप से पुलिस श्री कीर्ति राय को भयभीत करने की योजना बना रही थी।

यह मोबाईल शिकायत को प्राप्त होने के पश्चात्, पुलिस अधीक्षक, कूच बिहार से दूरभाश पर संपर्क कर उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि श्री कीर्ति राय को उनके विधि सम्मत कार्य में कोई बाधा ना पहुंचे जो एक मानव अधिकार कार्यकर्त्ता हैं।

14.44 इसी विषय पर दिनांक 11.08.2016 को मानव अधिकार समर्थकों, उत्पीड़न के खिलाफ विश्व संगठन के विश्व कार्यक्रम एवं एफ.आई.डी.एच. के संरक्षण के लिए संरक्षकों से एक ई–मेल प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने आयोग से तत्काल हस्तक्षेप के लिए निवेदन किया। आयोग का ध्यान इस बात की ओर भी लाया गया कि श्री कीर्ति राय को कोलकाता पुलिस के आतंकवादी विरोधी सेल द्वारा दिनांक 07.04.2010 को उत्पीड़न के पीड़ितों एवं उनके परिवारों सहित 1200 लोगों की उपस्थिति के साथ उत्पीड़न पर एक लोक अधिकरण आयोजित करने हेतु आई.पी.सी. की धारा 120 ख, 170 एवं 229 के तहत पूर्व में गिरफ्तार किया गया था।

14.45 आयोग ने दिनांक 18.08.2016 को इस मामले पर संज्ञान लेते हुए मोबाईल शिकायत के साथ–साथ मानव अधिकार समर्थकों के संरक्षण हेतु निरिक्षकों से प्राप्त शिकायत को डी.जी.पी., पश्चिम बंगाल के पास स्थानांतरित कर इस मामले की जांच करने के पश्चात् 2 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। आयोग ने डी.जी.पी., पश्चिम बंगाल को यह भी निर्देश दिया कि वे श्री कीर्ति राय एवं उनके मानव अधिकार संगठन मासूम के अन्य सदस्यों हेतु राज्य में वैद्य मानव अधिकार संबंधी कार्य के निष्पादन में एक सौहार्द्ध वातावरण सुनिश्चित करें।

14.46 दिनांक 05.10.2016 को पुलिस महानिरिक्षक (प्रशासन), पश्चिम बंगाल द्वारा एक पत्र प्राप्त किया गया जिसमें उन्होंने लगाए गए सभी आरोपों से इंकार किया। इसकी एक प्रति को शिकायतकर्त्ता के पास टिप्पणी हेतु प्रेशित कर दिया गया है जिसकी प्रतीक्षा है।

8. श्री खुर्रम परवेज़ को यू.एन.एच.आर.सी. में भाग लेने हेतु जिनेवा की यात्रा करने से रोकना एवं मनमाने तरीके से नज़रबंद करना।

(मामला संख्या 183/9/13/2016)

14.47 श्री हेनरी टीफागने से एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें उन्होंने श्री खुर्रम परवेज़, मानव अधिकार समर्थक की अवैध गिरफ्तारी तथा उन्हें जिनेवा जाने से रोकने का आरोप लगाया। आयोग ने इस संबंध में संज्ञान लेते हुए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी, भारत सरकार से रिपोर्ट की मांग की। नोटिस के जवाब में, आयोग ने इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें यह दर्शाया गया कि श्री खुर्रम परवेज़ एक घाटी आधारित मानव अधिकार कार्यकर्त्ता हैं जो भारत विरोधी एवं अलगाववादी तथा देश विरोधी क्रिया–कलापों से जुड़े हुए हैं। इसके कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के साथ घनिष्ठ संपर्क हैं। निष्कर्षतः इस रिपोर्ट में श्री खुर्रम परवेज़ की ईमानदारी पर अभियोग लगाया गया। संबंधित व्यक्ति की ईमानदारी पर इस प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात्, आयोग ने अपनी बुद्धिमत्ता से मामले को बंद कर दिया।

अध्याय-15

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

15.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान (एन.एच.आर.आई.), राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थिति से संबंधित सिद्धांतों का पालन करता है जिसे साधारणतया पेरिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के प्रभावी कार्यान्वयन के अनुवीक्षण एवं संवर्द्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस भूमिका की अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा तेजी से सराहना की जा रही है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा, संधि अनुवीक्षण निकायों एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संभार तंत्र द्वारा पेरिस सिद्धांतो का पालन करने वाले प्रत्येक राज्य को एक प्रभावी, स्वतंत्र राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान के गठन तथा जहां यह कार्यरत है, उसे और मजबूती प्रदान करने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। एन.एच. आर.आई. कई तंत्रों के साथ सहयोग को बढ़ावा देता है जिनमें से संयुक्त राष्ट्र एवं खासकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त (ओ.एच.सी.एच.आर.) के अलावा मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति/आई.सी.सी., जिसे गनहरी के नाम से जाना जाता है) एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ.), इनमें से महत्वपूर्ण हैं।

15.2 समीक्षा अवधि के दौरान, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत जो गनहरी का एक सदस्य तथा ए.पी.एफ. का संस्थापक सदस्य है, ने आयोग में कई बैठकों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं एवं विदेशी प्रतिनिधिमंडल के साथ विचार–विमर्श में शामिल हुआ।

क. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फोरम के साथ सहयोग

15.3 राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का एशिया पेसिफिक फोरम (ए.पी.एफ) एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुख्य क्षेत्रीय मानवाधिकार संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई। यह एक सदस्य आधारित संगठन है जो इस क्षेत्र में स्वतंत्र राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की स्थापना एवं संवर्द्धन में सहायक होता है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य संस्थाओं के नेटवर्क के माध्यम से एशिया प्रशांत क्षेत्र के लोगों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करना है। इस वार्षिक रिपोर्ट को लिखते वक्त ई.पी.एफ. में कुल 15 पूर्ण सदस्य एवं सात सहयोगी सदस्य शामिल थे, ये सदस्यगण इस क्षेत्र के विभिन्न देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग इन संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से कोई भी राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान, ए.पी.एफ. का सदस्य बनने हेतु आवेदन

कर सकता है। इनकी सदस्यता के बारे में निर्णय ए.पी.एफ. की गवर्निंग बॉडी, मंच परिषद द्वारा ली जाती हैं।

15.4 एक पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए, एक राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान को पेरिस सिद्धांतों में स्थापित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अवश्य पालन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त, यह मंच ई.पी.एफ. सदस्यता की स्थिति निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के प्रत्यायन निर्णय को अंगीकृत करता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान जो पूरी तरह पेरिस सिद्धांतों का पालन करता है उन्हें 'दर्जा क' के रूप में प्रत्यायित किया जाता है जबकि आंशिक सिद्धांत का पालन करने वाले संस्थाओं को 'दर्जा ख' के रूप में प्रत्यायित किया जाता है। 'दर्जा क' से प्रत्यायित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद एवं इसके सहायक निकायों के कार्य एवं चर्चाओं में शामिल होने की इजाजत दी जाती है।

ए.पी.एफ. द्वारा अन्य आयोजन तथा एन.एच.आर.सी. की भागीदारी

15.5 दिनांक 26.04.2016 से 28.04.2016 तक श्री यू. एन. सरकार, सहायक निदेशक (प्रकाशन) ने काठमाण्डू, नेपाल में प्रशांत मंच (ए.पी.एफ.) संचार नेटवर्क कार्यशाला में हिस्सा लिया।

15.6 दिनांक 06.06.2016 से 10.06.2016 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में एन.एच.आर.आई. के एशिया पैसीफिक फॉरम (ए.पी.एफ.) उत्पीड़न निवारण संघ (ए.पी.टी.) एवं पीड़ितों के उत्पीड़न हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद द्वारा आयोजित एडवांसड ट्रेनिंग वर्कशॉप में श्री नितिन कुमार, निरीक्षक ने हिस्सा लिया।

15.7 दिनांक 26.09.2016 से 30.09.2016 तक बैंकॉक, थाईलैण्ड में एन.एच.आइ.आई. के एशिया पेसिफिक फॉरम (ए.पी.एफ.) द्वारा आयोजित ह्यूमन राईटस एजुकेशन ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स पर डॉ संजय दुबे, निदेशक (प्रशा.) ने फेस–टू–फेस प्रशिक्षण कार्यशाला में हिस्सा लिया।

15.8 दिनांक 26.11.2016 से 27.11.2016 तक काबुल, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान स्वतंत्र राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानव अधिकार एवं सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन में भी श्री ख्वाजा ए. हफीज, सहायक रजिस्ट्रार, (विधि) ने हिस्सा लिआ।

15.9 दिनांक 12.12.2016 से 16.12.2016 तक कोलम्बो, श्रीलंका में सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटीटी एवं सेक्स कैरक्टरस्टिक्स (एस.ओ.जी.आई.जी.सी.) पर फेस–टू–फेस प्रशिक्षण कार्यशाला में श्री सी.एस.मावरी सहायक रजिस्ट्रार (विधि) एवं एस.के.गाबा, अनुभाग अधिकारी ने हिस्सा लिया।

ख. राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के वैश्विक संगठन (गनहरी) के साथ सहयोग

15.10 मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय संस्थाओं की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति (आई.सी.सी.) का नया नाम गनहरी रखा गया है। यह राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की एक प्रतिनिधि निकाय है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के निर्माण एवं समर्थन के उद्देश्य से किया

गया तथा यह पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है। यह अपनी भूमिका इन राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान के संयुक्त क्रियाकलापों के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का उत्साहवर्धन एवं सहयोग, संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क तथा आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना के लिए सरकार की मदद द्वारा निभाता है। राष्ट्रीय संस्थाओं का गठन तथा उनके संवर्द्धन के लिए कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि ये संस्थाएं पेरिस सिद्धांतों का पालन करें। अपने सभी क्रियाकलापों एवं अपने कार्याधीन क्षेत्रों, समितियों, कार्यकारी समूह इत्यादि में लैंगिक समानता को सुनिश्चित करता है एन.एच.आर.सी., भारत स्थिति 'क' के साथ गनहरी का प्रतिनिधित्व सदस्य है जिसे पूर्व में वर्ष 1999 में प्रत्यायित एवं 2006 तथा 2011 में पुनःप्रत्यायित किया गया। प्रत्यायन पर उपसमिति (एस.सी.एस) सत्र में गनहरी के साथ एन.एच.आर.सी. भारत के पुनः प्रत्यायन का समय दिनांक 14 से 18 नवंबर, 2016 सुनिश्चित है। वर्ष के दौरान आयोग गनहरी की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया : –

15.11 एन.एच.आर.सी., भारत वर्ष 2003 एवं 2007 से 2011 तक आई.सी.सी. ब्यूरो का सदस्य था। दिनांक 21 से 23 मार्च, 2016 को जिनेवा में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर आई.सी.सी. की 29वीं वार्षिक सम्मेलन में एन.एच.आर.सी., भारत की तरफ से न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष सहित श्री सत्यनारायण मोहंती, महासचिव एवं डॉ. रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव वाले प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। इस सम्मेलन की शुरुआत एडवोकेट मबेडले लॉरेंस मुश्वना, अध्यक्ष, आई.सी.सी. की अध्यक्षता में आई.सी.सी. ब्यूरो की बैठक से हुई। इस अवसर पर आई.सी.सी. ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान की वैश्विक संधि गनहरी के रूप में नया नाम अंगीकृत किया। आम सभा ने भारत को एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए गनहरी का ब्यूरो सदस्य चयनित किया। अतः 4 साल के अंतराल के पश्चात, न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, वर्तमान अध्यक्ष के चयन के साथ एन.एच.आर.सी., भारत द्वारा गनहरी ब्यूरो का सदस्य बन गया। विस्तृत सत्र के शुरुआत में "व्यवसाय एवं मानव अधिकार" के प्राथमिक विषय पर न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने एन.एच.आर.सी., भारत की भूमिका को दर्शाते हुए अपना विचार रखा।

15.12 अक्टूबर, 2015 में अंगीकृत मेरीदा घोषणा के विचार–विमर्श सत्र में न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. की अगुवाई में एन.एच.आर.सी. भारत के प्रतिनिधिमण्डल ने मेरीदा घोषणा के अनुपालन में सतत विकास के लक्ष्य के कार्यान्वयन में एन.एच.आर.आई. की भूमिका पर एक बयान जारी किया।

15.13 इस तीन दिवसीय सम्मेलन की आखिरी तिथि को गनहरी द्वारा सभी सदस्य देशों के लिए आयोजित ज्ञान मेला में भारत ने सक्रीय रुप से हिस्सा लिया। इस मेले का उद्देश्य आपसी विचार–विमर्श एवं फेस–टू–फेस नेटवर्किंग हेतु एक अवसर के साथ–साथ क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एवं अनुभव को साझा करना था। एन.एच.आर.सी., भारत ने एक स्टॉल भी लगाया जिसमें वर्ष 1993 से 2015 तक मानव अधिकार मामलों के रुझान पर सूचना प्रदर्शित की गई थी। पोस्टर प्रस्तुतिकरण के रुप में यह वर्णित किया गया कि वर्ष 1993 में, 30 मामले पंजीकृत किए गए जबकि वर्ष 2015 में 1.20 लाख मामले पंजीकृत किए गए जिससे एन.एच.आर.सी. भारत पर आम जनता के भरोसा को दर्शाता है। एन.एच.आर.सी. भारत ने अपनी प्रकाशनों तथा विभिन्न मानव अधिकार मुद्दों पर आयोग द्वारा की गई कार्यवाही का

प्रदर्शन भी किया गया। इसके अतिरिक्त एन.एच.आर.सी. भारत द्वारा वर्ष 2015 में आयोजित लघु चलचित्र प्रतियोगिता के पोस्टरों को भी प्रदर्शित किया गया।

15.14 आई.सी.सी. को गनहरी, का नाम देना, जो गांधी, हमारे राष्ट्रपिता के नाम के समान ही है जिन्होंने मानव अधिकार के लिए संघर्ष किया, यह हमारे लिए बेहद गर्व एवं सम्मान की बात है। एशिया पेसीफिक क्षेत्र के विए भारत का एशिया पेसीफिक क्षेत्र के लिए गनहरी ब्यूरों सदस्य के लिए निर्विरोध चयन हुआ है। भारत पूरे क्षेत्र में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के प्रति अपना प्रभावी रुप से योगदान दे सकता है। मानव अधिकारों के क्षेत्र में भारत का योगदान केवल पारंपरिक एवं एतिहासिक नहीं अपितू भारतीय संविधान में भी मानवीय, गरिमा, जेंडर, सुशासन, सुरक्षा एवंसतत विकास की वकालत की गई है।

15.15 सियोल, दक्षिण कोरिया में भी सुंग–हो–ली, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, दक्षिण कोरिया के आमंत्रण पर न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. एवं संयुक्त सचिव (का एवं प्रशा.) एन.एच.आर.सी. वाले प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 14 जून, 2016 को बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर गनहरी विशेष सत्र एवं 15–16 जून, 2016 को वृद्धजनों के मानव अधिकारों पर असेम विशेषज्ञ मंच पर हिस्सा लिया। दिनांक 14 जून, 2016 को सम्मेलन की शुरुआत सुंग–हो–ली, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, कोरिया के स्वागत भाषण से हुई एवं सुश्री क्लोडिया मेहलर, वरिष्ठ अनुसंधानकर्ता, जर्मनी मानव अधिकार संस्थान, गनहरी अध्यक्ष प्रतिनिधि थी। राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के एशिया पेसिफिक फॉरम द्वारा उप–प्रायोजित बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर गनहरी विशेष सत्र में बुजुर्गों के मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर अनुभव साझा करने एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के योगदानों के तरीकों का मंथन किया गया। बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर असेम विशेषज्ञ मंच के रुप में, सभी प्रतिभागियों के हित के लिए असेम सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्यों सहित यू.एन. एवं एन.जी.ओ. के मध्य स्वास्थ्य के अधिकारों एवं गरीबी उन्मूलन पर चर्चा की गई।

15.16 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के दौरान बुजुर्गों की देख–रेख एवं संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया जो भारतीय संविधान एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे माता–पिता का भरण–पोषण एवं कल्याण तथा वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के तहत अधिदेशित है। माननीय अध्यक्ष ने आयोग की कार्यवाही एवं मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में बुजुर्गों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के सर्वोत्तम प्रथा पर ध्यान केन्द्रित किया।

15.17 न्यायमूर्ति श्री एच. एल. दत्तू ने बुजुर्गों के अधिकारों के संबंध में एन.एच.आर.सी. भारत द्वारा की गई पहल पर प्रस्तुतिकरण दिया। शुरुआत में उन्होंने भारत में बुजुर्गों की आबादी के संदर्भ में भौगोलिक विशेषता एवं विभिन्न अधिनियम, नीति एवं कार्यात्मक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में परिचय दिया। इस प्रस्तुतिकरण के दो मुख्य विषय थे अर्थात एन.एच.आर.सी. भारत द्वारा की गई पहल एवं बुजुर्गों के अधिकारों हेतु एन.एच.आर.सी. भारत की सर्वोत्म प्रथाएं। एन.एच.आर.सी. की कार्यवाहियों में वृद्धजनों के संरक्षण एवं कल्याण पर कोर ग्रुप का गठन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय नीति पर सरकार

को प्रदत्त सुझाव, अनुसंधान का संवर्द्धन, प्रशिक्षण, संगोष्ठी के माध्यम से जागरुकता फैलाना एवं वृद्ध जनों के अधिकारों पर सूचना के व्यापक प्रसार हेतु प्रकशनों का मुद्रण पर सविस्तार से चर्चा की गई। सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में भारत ने एक मजबूत एवं व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली नियमित रुप से जन सुनवाई एवं शिविर बैठकों का आयोजन, आर्थिक राहत का भुगतान, मानव अधिकार समर्थकों के लिए प्रकार्यात्मक फोकल प्वाइंट, स्वतः संज्ञान लेना एवं वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु निदेश जारी करना एवं अपीलीय प्राधिकरण आयुर्विज्ञान कॉलेजों में जेरोनेटोलॉजी में एम.डी.कोर्सों की शुरुआत, विशेष संपर्ककर्ताओं की नियुक्ति तथा आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकारों से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की मांग पर चर्चा की गई।

15.18 दिनांक 08.03.2017 से 09.03.2017 तक ज़िनेवा, स्विटजरलैण्ड में न्यायमूर्ति श्री एच.एल. दत्तू, माननीय अध्यक्ष के साथ–साथ श्री एस. सी. सिन्हा, सदस्य एवं डॉ. एस. एन. मोहन्ती, महासचिव ने गनहरी ब्यूरो मीटिंग, ज्ञान का आदान–प्रदान, आम सभा, वार्षिक सम्मेलन, राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थानों के कामनवेल्थ मंच (सी.एफ.एन.एच.आर.आई.) के एक दिवसीय बैठक तथा एन.एच.आर.आई. एवं बाल अधिकारों पर बैठकों में हिस्सा लिया।

15.19 एन.एच.आर.सी., भारत ने "भारत में बुजुर्गों के अधिकारों" पर एक लघु चलचित्र भी प्रदर्शित की। इस चलचित्र में एक वृद्ध महिला की दुर्दशा को दर्शाया गया कि जो इतनी अकेली थी कि एक चोर को देखकर भयभीत होने की बजाय अपने सदमे से मुस्कुरा रही थी। इस चलचित्र में दिखाने की कोशिश की गई कि बुजुर्गों को केवल वित्तीय आवश्यकता ही नहीं उन्हें प्रेम करने एवं परिवार के सदस्यों द्वारा उनकी देख–रेख करने की आवश्यकता है जो यदा–कदा ही उनसे मिलते हैं।

ग. सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा

15.20 वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा चलाई जा रही सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यू.पी.आर.) के द्वितीय चक्र के एक भाग के रूप में, एन. एच.आर.सी., एक स्वतंत्र स्वायत्त निकाय होने के नाते भारत सरकार द्वारा स्वीकृत सभी 67 सिफारिशों की जांच का कार्य स्वीकार कर अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट बनाकर इसकी प्रगति रिपोर्ट परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया। इस उद्देश्य के हेतु, पहले एवं सर्वप्रमुख, प्रत्येक 67 सिफारिशों पर अपेक्षित कार्यवाही एवं इसके ध्यान देने योग्य प्रभावों को दर्शाते हुए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जैसा कि यह महसूस किया कि इससे न केवल कई मुद्दों पर जमीनी स्तर के बारे में सूचना मिल सकेगा बल्कि इनमें हो रही खामियों को दूर करने हेतु एक सुझाव भी मिल पाएगा। 16 मुख्य शीर्ष के तहत इन 67 सिफारिशों का समूह बनाया गया। इस कार्य की शुरुआत अक्टूबर, 2012 में की गई एवं अन्य राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थान एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ साथ महत्वपूर्ण पणधारियों के साथ वर्ष 2012 एवं 2013 में भी जारी रहा।

15.21 यह फ्रेमवर्क फरवरी, 2014 में पूरा हो गया जिसके तहत कुल 16 विशिष्ट केंद्रीय मंत्रालय की पहचान की गई जिनकी तरफ से कार्रवाई अपेक्षित थी। इसके पश्चात एन.एच.आर.सी. ने यह भी

सुनिश्चित किया गया कि यह इसके द्वारा विकसित फ्रेमवर्क को अपनी वेबसाइट (www.nhrc.nic.in) पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने हेतु पोस्ट करने के अलावा सभी 16 मंत्रालयों एवं अन्य पणधारियों को भी अग्रेषित किया जाएगा। जैसा कि केवल 4 मंत्रालयों (अल्पसंख्यक मंत्रालय, भोजन एवं लोक वितरण, कानून एवं ग्रामीण विकास) से ही उत्तर प्राप्त न होने पर एन.एच.आर.सी. ने दोबारा सोलह मंत्रालयों के संबंधित सचिवों के साथ–साथ नीति आयोग को पत्र लिखकर आयोग में एक बैठक रखने की मांग की। ये मंत्रालय विदेश मंत्रालय, गृह, विधि एवं न्याय (न्याय–विभाग), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, अल्पसंख्यक मामले, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, वित्त, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं जन वितरण, श्रम एवं रोजगार, पेयजल एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास, सूचना एवं प्रसारण (प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया) एवं जनजातीय मामले से संबंधित है। वर्ष 2015 के प्रथम छह महीनों के दौरान महासचिव / संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने सभी केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों/महासचिवों/निदेशकों के साथ बैठक रखी। इन बैठकों में एन.एच.आर.सी. द्वारा विकसित फ्रेमवर्क के साथ–साथ यू.पी.आर. के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। इसके पश्चात संबंधित मंत्रालय द्वारा उनके कार्यों से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्यवाही पर चर्चा की गई। इन प्रयासों एवं अन्य स्मारकों के बावजूद, ज्यादातर मंत्रालयों से सटीक सूचना नहीं मिली तथा उनमें से कुछ मंत्रालयों ने तो जवाब ही नहीं दिया। इन सभी मंत्रालयों से पूर्ण सूचना प्राप्त करने हेतु एन.एच.आर.सी. ने वर्ष 2016 की शुरुआत में उन मंत्रालयों में से प्रत्येक के साथ दूसरी बैठक रखने का निर्णय लिया।

15.22 आयोग ने सरकार, मानव अधिकार संस्थाओं सहित राज्य मानव अधिकार आयोग, तकनीकी संस्थाओं, अकादमियों, विशेषज्ञ, गैर सरकारी एवं सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ पांच क्षेत्रीय परामर्श एवं एक राष्ट्रीय परामर्श के आयोजन का निर्णय लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य भारत की विविधता को देखते हुए देश भर में वास्तविक जमीनी स्थिति का आकलन करना था। समीक्षा अवधि के दौरान, आयोग ने दो क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया। इनमें से एक आयोजन अक्टूबर, 2015 में चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया जो उत्तर–पूर्वी राज्यों को कवर किया। दूसरे परामर्श का आयोजन फरवरी, 2016 में पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में किया गया जिसमें पूर्वी एवं केंद्रीय राज्यों को कवर किया गया

15.23 समीक्षावधि के दौरान, बैंगलुरु (दक्षिणी राज्य क्षेत्रों), मुम्बई (पश्चिमी राज्य क्षेत्रों) एवं लखनऊ (बिहार, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के लिए अतिरिक्त) में क्षेत्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। इसके बाद ही दिनांक 12–13 अगस्त , 2016 को इण्डिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में तीसरे यू.पी.आर. की ओर राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया गया। इन क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परामर्श के मुख्य उद्देश्य देश में विद्यमान मानव अधिकार स्वीकृति के बारे में प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने हेतु सभी पणधारियों से एक गहन विचार–विमर्श की प्रक्रिया विकसित करनी साथ ही भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रत्येक 67 सिफारिशों की प्रगति की स्थिति का आंकलन करना था।

तृतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा पर राष्ट्रीय परामर्श

15.24 दिनांक 22 सितम्बर, 2016 को एन.एच.आर.सी., भारत ने अपनी तृतीय सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा की स्वतंत्र रिपोर्ट को संयुक्त राष्ट्र मानव आधिकार परिषद के समक्ष प्रस्तुत की।

घ. व्यापार एवं मानव अधिकार

15.25 कॉरपोरेट लेनदेन की बढ़ती मान्यता प्राप्त जिम्मेदारियों में से मानव अधिकारों का संरक्षण भी है जैसा कि आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तार के साथ मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र की क्षमता में गति नहीं मिल पाई है। व्यापार उद्यमियों पर मानव अधिकार जिम्मेदारियों पर स्पष्टता की मांग के लिए व्यापार एवं मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि प्रो. जॉन सी. द्वारा एक मजबूत एवं प्राधिकृत फ्रेमवर्क "व्यापार एवं अधिकारों पर मार्गदर्शन सिद्धान्त : संयुक्त राष्ट्र कार्यान्वयन : संरक्षण, सम्मान एवं उपचार" तैयार की गई। मानव अधिकारों के सम्मान हेतु व्यापार इंटरप्राइजेज की जिम्मेदारी की पुष्टि करने के लिए जून 2011 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा इन दिशा–निर्देशों को पृष्ठांकित की जबकि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह उनके आचरण को विनियमित करें।

15.26 संयुक्त राष्ट्र गाइडिंग प्रिंसिपल्स के संदर्भ में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में संबद्ध पहलों के रुप में संयोजक के रुप में कार्य करने हेतु अडिग है। चूंकि, आयोग मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भारत की प्रतिबद्धता का एक संकेत है, यह स्वयं के व्यापार एवं मानव अधिकारों के क्षेत्र में अवश्य ही संलिप्त रखेगा।

15.27 एन.एच.आर.सी. कॉमनवेल्थ देशों में मानव अधिकार मुद्दों पर आधारित राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं (सी.एफ.एन.एच.आर.आई.) के कॉमनवेल्थ फोरम का एक सदस्य है। वर्ष 2016 से 19 तक इसकी रणनीतिक योजनाओं के तहत व्यापार एवं मानव अधिकार सहित विभिन्न मानव अधिकार मुद्दे आते हैं। अभी हाल ही जिनेवा में एक बैठक में ए.एफ.एन.एच.आर.आई. द्वारा एन.एच.आर.सी., भारत को व्यापार एवं मानव अधिकार पर फोकल प्वाइंट के रुप में नामित किया। इसको ध्यान में रखते हुए, औद्योगिक संघ के साथ चर्चा एवं रुपरेखा तैयार करने हेतु आयोग ने औद्योगिक फेडरेशन/संघ के साथ एक बैठक आयोजित की। इसके पश्चात व्यापार द्वारा मानव अधिकार सिद्धान्तों के स्वैच्छिक अनुपालन के संवर्धन हेतु औद्योगिक फेडरेशंस/संगठनों के साथ हुई बैठकों का आयोजन किया गया। अंत में स्वैच्छिक आधार पर प्रयोग के लिए ड्राफ्ट सेल्फ असेसमेंट टूल के विकास हेतु निर्णय लिया गया। सेल्फ असेसमेंट टूल का निर्माण यूनाईटेड नेशन गाईडिंग प्रिंसिपल्स, व्यापार की सामाजिक, पर्यावरणीय एवं आर्थिक जिम्मेदारी पर राष्ट्रीय वाल्यूटरी गाईडलाईन एवं मानव अधिकारों पर कॉरपोरेट प्रभाव के आंकलन हेतु अन्य विद्यमान 30 उपलब्ध दिशा निर्देशों के तर्क पर किया गया है।

15.28 इसके पश्चात आयोग ने तीन क्षेत्रीय सम्मेलनों जैसे दिनांक 17 जनवरी, 2017 को चेन्नई में व्यापार एवं मानव अधिकारों पर दक्षिण क्षेत्रीय सम्मेलन, दिनांक 22 फरवरी, 2012 को पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन, एवं दिनांक 2 जून, 2012 को कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इन क्षेत्रीय सम्मेलनों के मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय पणधारियों के साथ/अनुभवों की सुनवाई करने के अलावा व्यापार एवं मानव अधिकार के क्षेत्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विकास को साझा करना था। इन सम्मेलनों का आयोजन भारतीय औद्योगिक फेडरेशन के सहयोग से किया गया तथा इसमें क्षेत्रीय व्यापार फेडरेशन/संघ, प्रमुख कम्पनियों के सी.ई.ओ., राज्य सरकार के अधिकारी, एन.एच.आर.सी. एवं व्यापार तथा मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन का आयोजन दो मुख्य सत्रों में किया गया जिनके नाम है : हाल के वर्षों में "व्यवसाय एवं मानव अधिकार" पर मुख्य विकास एवं सी.ई.ओ. किनोट पैनल– व्यापार एवं मानव अधिकारों के परिपेक्ष्य।

15.29 सभी तीन सम्मेलनों के दौरान, प्रतिभागियों की टिप्पणी हेतु ड्राफ्ट सेल्फ असेसमेंट टूल को प्रस्तुत किया गया। सभी व्यापारियों की टिप्पणी आमंत्रित करने हेतु ड्राफ्ट सेल्फ असेसमेंट टूल को आयोग की वेबसाईट पर भी अपोलोड किया गया।

15.30 भविष्य में ही एन.एच.आर.सी. व्यापार एवं मानव अधिकारों पर अपने अधिदेश को पूर्ण करने के प्रयास में कायम रहेगा।

ङ. भारतीय संदर्भ में मानव अधिकारों के सम्मान हेतु कॉरपोरेट जिम्मेदारी पर अनुसंधान अध्ययन।

15.31 समीक्षावधि के दौरान, "भारतीय संदर्भ में मानव अधिकारों के सम्मान के लिए और कॉरपोरेट ड्यूटी– भारत में रगीज फ्रेमवर्क पर मानव अधिकार प्रथा आधारित स्थिति पर एक "प्रयोग सिद्ध अध्ययन" नाम से एक अनुसंधान अध्ययन को भारतीय तकनीकी संस्थान बॉम्बे, मुंबई को सौपा गया। व्यापार एवं मानव अधिकार के सक्रीय फ्रेमवर्क पर आधारित भारत में विभिन्न स्वामित्व के साथ व्यापार फर्मों के मानव अधिकार प्रचलन पर यह अध्ययन प्रयोगसिद्ध जाँच करेगा जिसाक मुख्य फ्रेमवर्क है– ""संरक्षण, सम्मान एवं उपाय"। यह अध्ययन डेटा के प्राइमरी एवं सेकेण्डरी स्रोतों का उपयोग करेगा। प्राइमरी अनुसंधान, गहन साक्षात्कार एवं प्रश्नावली सर्वेक्षण पर आधारित होंगे जबकि सेकेण्डरी अनुसंधान व्यपार एवं मानव अधिकारों के क्षेत्र में विद्यमान साहित्य की समीक्षा एवं कॉपोरेट सोशल जिम्मेदारी से संबंधित प्रचलन से संबंधित होगा। इस अनुसंधान की अवधि 12 महीने की होगी।

च. अन्य अन्तर्राष्ट्रीय बैठक एवं कार्यक्रमों में एन.एच.आर.सी. की भागीदारी

15.32 दिनांक 26.04.2016 से 28.04.2016 तक श्री यू. एन. सरकार, सहायक निदेशक (प्रकाशन) ने काठमाण्डू, नेपाल में प्रशांत मंच (ए.पी.एफ.) संचार नेटवर्क कार्यशाला में हिस्सा लिया।

15.33 दिनांक 02.05.2016 को बैंकॉक, थाईलैण्ड में श्रीमती छाया शर्मा, उपमहानिरीक्षक (अन्वेषण) ने मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए राष्ट्रीय मुद्दों की एक बैठक तथा संघर्ष से पूर्व, दौरान एवं पश्चात पीड़ितों तक न्याय की पहुंच ते लिए एन.एच.आर.सी. प्रक्रिया पर रावल वालेनवर्ग मानव अधिकार एवं मानवीय कानून संस्थान द्वार आयोजित 29वीं संलग्न कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

15.34 दिनांक 25.05.2016 से 27.05.2016 तक बेलफास्ट, आयरलैण्ड में उत्तरी आयरलैण्ड एवं उत्तरी आयरलैण्ड मानव अधिकार आयोग द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लोकपाल कार्य के लिए 21वीं सदी का दृष्टिकोण पर श्रीमती सुमेधा द्विवेदी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने हिस्सा लिया।

15.35 दिनांक 06.06.2016 से 10.06.2016 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में एन.एच.आर.आई. के एशिया पैसीफिक फॉरम (ए.पी.एफ.) उत्पीड़न निवारण संघ (ए.पी.टी.) एवं पीड़ितों के उत्पीड़न हेतु अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद द्वारा आयोजित एडवांसड ट्रेनिंग वर्कशॉप में श्री नितिन कुमार, निरीक्षक ने हिस्सा लिया।

15.36 दिनांक 21.06.2016 से 23.06.2016 तक ओस्लो, नार्वे में श्री संजय कुमार जैन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक–1 ने मृत्युदण्ड पर विश्व कांग्रेस में हिस्सा लिया।

15.37 दिनांक 02.06.2016 से 03.06.2016 तक डॉ. एस.एन.मोहन्ती, महासचिव, एन.एच.आर.सी. ने क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की संयुक्त कार्रवाई द्वारा बाल विवाह उन्मूलन पर तेज प्रयासों पर सम्मेलन में भाग लिया।

15.38 दिनांक 19.06.2016 से 16.06.2016 तक सियोल, कोरिया में न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, अध्यक्ष के साथ–साथ डॉ रणजीत सिंह, संयुक्त सचिव (का.एवं प्रशा.) ने बुजुर्गों के मानव अधिकारों पर गनहरी विशेष सत्र में हिस्सा लिया।

15.39 दिनांक 26.09.2016 से 30.09.2016 तक बैंकॉक, थाईलैण्ड में एन.एच.आइ.आई. के एशिया पेसिफिक फॉरम (ए.पी.एफ.) द्वारा आयोजित ह्यूमन राईटस एजुकेशन ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स पर डॉ संजय दुबे, निदेशक (प्रशा.) ने फेस–टू–फेस प्रशिक्षण कार्यशाला में हिस्सा लिया।

15.40 दिनांक 12.10.2016 से 14.10.2016 तक बर्लिन, जर्मनी में न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, अध्यक्ष, के साथ डॉ. एस.एन.मोहन्ती, महासचिव ने राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं की वैश्विक संघ (गनहरी) बैठक में हिस्सा लिया।

15.41 दिनांक 26.10.2016 से 27.10.2016 को बैंकॉक, थाईलैण्ड में न्यायमूर्ति श्री एच.एल.दत्तू, अध्यक्ष, न्यायमूर्ति श्री डी. मुरुगसेन, सदस्य एवं श्री सुनील अरोड़ा, उप रजिस्ट्रार (विधि)–प्रभारी संयुक्त रजिस्ट्रार (विधि) ने गनहरी की 21वीं बैठक में हिस्सा लिया।

15.42 दिनांक 26.11.2016 से 27.11.2016 तक काबुल, अफगानिस्तान में अफगानिस्तान स्वतंत्र राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा आयोजित मानव अधिकार एवं सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन में भी ख्वाजा ए. हफीज, सहायक रजिस्ट्रार, (विधि) ने हिस्सा लिया।

15.43 दिनांक 12.12.2016 से 16.12.2016 तक कोलम्बो, श्रीलंका में सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जेंडर आइडेंटीटी एवं सेक्स कैरक्टरस्टिक्स (एस.ओ.जी.आई.जी.सी.) पर फेस–टू–फेस प्रशिक्षण कार्यशाला में श्री सी.एस.मावरी सहायक रजिस्ट्रार (विधि) एवं एस.के.गाबा, अनुभाग अधिकारी ने हिस्सा लिया।

15.44 दिनांक 30.01.2017 से 31.01.2017 को बैंकॉक, थाईलैण्ड में श्री जे.एस.कोचर, संयुक्त सचिव (प्रशिक्षण एवं अनु.) ने "वस्त्र उद्योग एवं व्यापार तथा मानव अधिकार–अंतर की समाप्ति" पर दो दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लिया।

छ. एन.एच.आर.सी. के विदेशी प्रतिनिधिमण्डल के साथ-विचार विमर्श

15.45 पर्याप्त आवास एवं मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा बेहतर जीवन स्तर जिसमें आवास एक केन्द्रीय पहलू है कि कड़ियों पर विस्तार से चर्चा/जाँच करने हेतु सुश्री लीलानी फरहा, पर्याप्त आवास, ओ.एन.सी.एच.आर.ने दिनांक 11.04.2016 आयोग का दौरा किया।

15.46 श्रीमती एने. मार्कल, प्रथम काउंसलर, राजीतिक मामलों के शीर्ष, ई.यू. ने दिनांक 9 मई, 2016 को डॉ. एस.एन.मोहान्ती, महासचिव, एन.एच.आर.सी. के साथ एक शिष्टाचार बैठक की। उक्त बैठक में ई यू राजनीतिक कांउसलरों से ग्यारह (11) प्रतिभागी शामिल हुए।

15.47 आयोग के कार्यों के संबंध में चर्चा करने हेतु न्यायमूर्ति स्टेला अराक अमोको, अध्यक्ष, विधि विभाग केन्द्र (एल.डी.सी.) प्रबन्धन समिति, युगान्डा एवं युगान्डा सर्वोच्च न्यायलय की न्यायधीश वाले 12 लोगों की एक प्रतिनिधिमण्डल ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्यगण एवं महसचिव से चर्चा की।

15.48 एन.एच.आर.सी., बांग्लादेश (जमाकोन) से सात सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल अर्थात् मो. नजरुल इस्लाम, पूर्ण कालिक सदस्य प्रो मेघना गुहाथाकुर्ता, मानद सदस्य, श्री एनामूल हक चौधरी, मानद सदस्य, प्रो. अखतर हुसैन, मानद सदस्य, बेगम नुरुन नाहेर ओस्मानी, मानद सदस्य हीरणमय बटाई सचिव, एन.एच.आर.सी बांग्लादेश, सुश्री लुब्ना यासीन यू.एन.डी.पी. के प्रतिनिधियों ने दिनांक 23.11.2016 को एन.एच.आर.सी. भारत तथा दिनांक 21 से 22 नवम्बर, 2016 को अन्य आयोगों का दौरा किया। इन दौरे का मुख्य उद्देश्य एन.एच.आर.सी. भारत के संबंधित व्यापार एवं क्रियाविधि के संबंध में विचार साझा, शिकायत प्रबंधन प्रणाली, सुनवाई, प्रशासनिक प्रक्रिया इत्यादि के संबंध में माननीय सदस्यों को अवगत होना था जिनके अनुसार एन.एच.आर.सी., भारत ए.पी.एफ में एक बहुआयामी संगठन है।

अध्याय-16

राज्य मानव अधिकार आयोग

16.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में विभिन्न राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान है। मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में राज्य मानव अधिकार आयोगों का अस्तित्व एवं कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

16.2 आयोग उन राज्यों से निवेदन करता है, जहां राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है कि वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एवं पेरिस सिद्धांतों के अनुसार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित आव यक कार्रवाई की शुरूआत करें।

16.3 आयोग सहयोग एवं साझीदारी के क्षेत्र में मजबूती एवं अवसर तलाशने हेतु राज्य मानव अधिकार आयोगों के साथ नियमित विचार–विमर्श करता रहता है।

16.4 राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 26 राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना (संयुक्त एस.एच.आर.सी.), असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, जम्मू एवं क मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गोवा, पश्चिम बंगाल एवं मेघालय।

16.5 आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उनके कार्यों के निष्पादन एवं शिकायतों के निवारण हेतु सुप्रवाही बनाने के लिए आव यक मूल संरचना, न्यूनतम जन शक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को विकसित करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के पास उठाया है। इसके उत्तर में भारत सरकार ने प्रत्येक एस.एच.आर.सी. द्वारा पंजीकृत, निपटान किए गए एवं लंबित शिकायतों, अनुभाग आधारित विद्यमान जन–शक्ति, वित्तीय आबंटन, महसूस की जाने वाली कमियों का विवरण तथा अतिरिक्त राशि इत्यादि प्रदान करने हेतु वजह के संबंध में विवरण प्रेषित करने का निवेदन किया है। विभिन्न राज्य मानव अधिकार आयोगों से प्राप्त विवरण को भारत सरकार के पास दिनांक 23.05.2017 को भेज दिया गया। भारत सरकार की इस संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

16.6 आयोग में दिनांक 17.03.2017 को नई दिल्ली में एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. का एक सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष, सदस्यगण, महासचिव एवं अन्य अधिकारियों के अलावा विभिन्न एस.एच.आर.सी. के अध्यक्षगण/कार्यवाहक अध्यक्षगण, सदस्यगण, सचिव एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित हुए।

17 फरवरी 2017 को आयोजित रा.मा.अ. आयोग–राज्य मा.अ. आयोग की बैठक

16.7 भारत के कानून निर्माताओं के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. का गठन एक प्रेरणा के स्रोत रहें हैं जो भारत के नागरिकों के अनुल्लंघनीय अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इन आयोगों की शक्तियों के साथ–साथ मानव अधिकारों की व्यापक एवं संयुक्त परिभाषा पी.एच.आर. एक्ट, 1993 में वर्णित है जिसके तहत एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. को समस्त नागरिक राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संबोधित करने का आदेश प्राप्त है। आयोग ने एन.एच.आर.सी.–एस.एच.आर.सी. बैठक में एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश की जिसकी सीमा काफी व्यापक है एवं जिससे एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. दोनों के कई मुद्दों जैसे पी.एच.आर. एक्ट में उपयुक्त संशोधन ताकि इन आयोगों के निर्णयों के लिए अत्यधिक शक्ति के साथ–साथ इन आयोगों को और अधिक प्रभावी रूप से कार्य

करने के लिए वित्तिय एवं प्रकार्यात्मक स्वायत्तता से सक्षम बनाना शामिल है, में मदद मिल सके। इस बैठक के अन्य मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार समर्थकों, प्रशिक्षण एवं जागरूकता द्वारा मानव अधिकारों के संवर्द्धन के साथ–साथ एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. के सर्वोत्तम प्रथाओं खासकर जांच एवं अन्वेषण के क्षेत्र में अनुभव साझा करना था।

16.8 न्यायमूर्ति श्री दलबीर भण्डारी, सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सम्मेलन के उद्घाटन में बताते हुए यह दर्शाया कि 'सार्वभौमिकता' के सिद्धांत मानव अधिकारों की आधार शिला हैं। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर जोर दिया गया तथा वर्श 1948 में मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा (यू.डी.एच.आर.) के अंगीकरण के द्वारा इसे दोहराया गया। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समस्त मानव जीवन की गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित है। मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में अपनी भूमिका निभाने हेतु न्यायमूर्ति भण्डारी ने एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. की सराहना की तथा एन.एच.आर.सी. की स्थापना काल से प्राप्त शिकायतों में उत्तरोत्तर वृद्धि इस बात की पुष्टि करता है। न्यायमूर्ति भण्डारी ने इसके पश्चात् इस बात पर भी जोर दिया कि इन आयोगों खासकर राज्य मानव अधिकार आयोगों को और अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए इनको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है।

अध्याय-17

प्रशासन एवं संभारकीय सहयोग

क) कर्मचारी

17.1 दिनांक 31 मार्च, 2016 तक आयोग में सभी श्रेणियों के कुल मिलाकर 331 संस्वीकृत विभिन्न पदों की तुलना में 294 कर्मचारी कार्यरत थें। अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कर्मचारियों के चयन तथा अपने संवर्ग के निर्माण तथा विकास के कई तरीकों का सहारा लिया है। इन तरीकों में प्रत्यक्ष नियुक्ति, पुनः रोजगार तथा संविदा के आधार पर नियुक्ति शामिल है।

ख) बजट

17.2 आयोग को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 32 (1) के तहत भारत सरकार द्वारा फाईनेंस किया जाता है।

बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन

17.3 आयोग के बजट प्राक्कलन एवं संशोधित प्राक्कलन को वार्षिक आवश्यकताओं के अनुसार लेखा अनुभाग द्वारा तैयार किया जाता है। इस प्राकलन को महासचिव के अनुमोदन से अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में संचालन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यह समिति आयोग के वार्षिक बजट पर विचार कर अनुमोदन प्रदान करती है। संचालन समिति के अनुमोदन के पश्चात् बजट प्राक्कलन को केन्द्र सरकार के पास भेजा जाता है। इस बजट प्राक्कलन का गृह मंत्रालय द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से संवीक्षा कर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

लेखा परीक्षा

17.4 लेखा–जोखा का भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा करवाई जाती है एवं इस तरह की लेखा परीक्षा के संबंध में व्ययित खर्च आयोग द्वारा देय होगा।

वार्षिक लेखा-जोखा

17.5 आयोग के वार्षिक लेखा–जोखा को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से

अधिनियम की धारा 34 (1) के तहत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में तैयार किया जाता है। इस लेखा–जोखा का महासचिव द्वारा प्रमाणीकरण एवं हस्ताक्षर तथा संचालन समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है। मुद्रित लेखा–जोखा के साथ–साथ लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र को अधिनियम की धारा 34 (4) के तहत संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सरकार के पास प्रस्तुत किया जाता है।

खर्च

17.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अनुदान एवं व्ययित खर्च का विवरण निम्नलिखित है :

(रुपए लाख में)

वर्ष	बजट प्राक्कलन	खर्च
2014–15	3510.00	3384.12
2015–16	3754.54	3467.47
2016–17	4404.00	4044.24

ग) राजभाषा का संवर्द्धन

17.7 एन.एच.आर.सी. राजभाषा के संवर्द्धन के उद्देश्य से, आयोग में एक राजभाषा अनुभाग की स्थापना की गई है। इसका मुख्य कार्य एन.एच.आर.सी. की मासिक पत्रिका, वार्षिक रिपोर्ट, बजट रिपोर्ट एवं आयोग के महत्त्वपूर्ण प्रकाशनों के अनुवाद सहित राजभाषा नीति का अनुपालन करना है। इसके अलावा, आयोग का राजभाषा अनुभाग हिन्दी में राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं का आयोजन, वार्षिक जनरल (मानव अधिकार : नई दिशाएं एवं मानव अधिकार : संचयिका) का प्रकाशन, हिंदी लेखन प्रतियोगिता एवं महात्मा गांधी द्विवार्षिक हिंदी पुरस्कार योजना जैसे अन्य महत्त्वपूर्ण क्रियाकलापों द्वारा मानव अधिकारों का प्रचार–प्रसार करता है।

घ) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पुस्तकालय

17.8 आयोग के पुस्तकालय की स्थापना वर्ष 1994 में अनुसंधान एवं संदर्भ हेतु की गई। आयोग ने अपने पुस्तकालय को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) के रूप में अपग्रेड किया है जो कम्प्यूटर तथा इंटरनेट सुविधाओं से सुसज्जित है। पाठकों के व्यापक प्रयोग के लिए पुस्तकों/दस्तावेजों की सामग्री एवं लेख इंटरनेट/इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसके पाठकों में, विश्वविद्यालय के छात्र, शोद्यार्थियों तथा मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोग शामिल हैं।

17.9 गुणवत्ता के साथ जानकारी किसी दस्तावेजी केन्द्र के रीढ की हड्डी है। रा.मा.अ.आ. का दस्तावेजी केन्द्र (पुस्तकालय) विंभिन्न स्त्रोतों से महत्वपूर्ण सूचना एवं दस्तावेजों को लेकर आयोग के अध्यक्ष, अंत:शिक्षु, शोधार्थियों मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत लोगों को उपयोगी सूचना उपलब्ध करवाता है। मानव अधिकारों, सरकारी रिपोर्टों, संयुक्त राष्ट्र से प्राप्त सूचना, एन.जी.ओ., एन.एच.आर.आई, शोध पेपरों, अप्रकाशित रिपोर्टों, फिल्म, सी.डी., वीडियो कैसेटों इत्यादि पर पुस्तकों एवं जर्नलों द्वारा इस केन्द्र के डेटाबेस को लगातार अपडेट किया जाता है।

17.10 उपनिदेशक (मीडिया एवं संचार) द्वारा सूचना एवं अखबार कतरनों को संकलित कर पुस्तकालय में उपलब्ध करवाया जाता है। मानव अधिकारों के मुख्य विषयों पर सूचना संग्रह एवं संकलित करने की अपनी मुख्य भूमिका के अलावा यह वर्तमान सूचना को उपभोक्ताओं के पास फैलाने का काम भी करता है।

17.11 भारत में विभिन्न मानव अधिकार उल्लंघनों पर सूचना एवं डाटा प्रदान करने के लिए मानव अधिकारों का साप्ताहिक समाचार संग्रहण आयोग की एक महत्वपूर्ण शुरुआत है।

17.12 पुस्तकालय के पास मानव अधिकारों के साथ–साथ कथा साहित्य एवं संदर्भ पुस्तकों पर एक छोटे संग्रह के साथ–साथ मानव अधिकारों पर मुद्रित पुस्तकों के कम्प्यूटर डेटा बेस का रिकॉर्ड है। पुस्तकालय पूरी तरह कम्प्यूटरीकृत है तथा ई–ग्रंथालय (पुस्तकालय सॉफ्टवेयर) के सहयोग से पूरी तरह स्वचालित पुस्तकालय माहौल में बदल गया है। पुस्तकालय का ऑनलाइन कैटलॉग, समाज के विभिन्न वर्गों के मानव अधिकार उल्लंघन पर शोधार्थियों के लिए काफि उपयोगी साबित होती है। पुस्तकों एवं दस्तावेजों के संग्रह को अपडेट करने के लिए लगातार प्रयास किए जाते हैं। ताकि उपभोक्ता नवीनतम पुस्तकें, दस्तावेज, रिपोर्ट इत्यादि प्राप्त कर सकें।

17.13 आयोग के पुस्तकाल के पास 30,680 पुस्तक/जर्नलों का संग्रह है। इसके पास 515 सी डी/डी वी डी/कैसटों का संग्रह है। यह 53 जर्नलों (भारतीय एवं विदेशी), सहायता अनुदान पर प्राप्त 40 जर्नलों, 112 क्रमानुसार प्रकाशनों, 27 पत्रिकाओं 22 राष्ट्रीय एवं 9 क्षेत्रीय अखबारों का ग्राहक है। इसके पास मानव अधिकारों एवं संबंधित विषयों पर पुरस्तकों एवं दस्तावेजों का व्यापक संग्रह है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान मानव अधिकार एवं संबंधित विषयों पर 1329 नयी पुस्तकों को पुस्तकालय के संग्रह में शामिल किया गया।

17.14 आयोग का पुस्तकालय 4 ऑन लाइन डेटा बेस अर्थात एस. सी. सी. ऑन लाइन, मनुपात्र ऑन लाइन वेस्टले इंडिया एवं जे.एस.टी.ओ.आर. ऑन लाइन के साथ–साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसीत साफ्टवेयर पैकेज (ई–ग्रंथालय) से लैस है।

17.15 पुस्तकालय में किसी भी एक्सेस जैसे लेखक, शीर्षक, विषय, मूलशब्द एवं प्रकाशक द्वारा उपलब्धता एवं किसी उपलब्ध पुस्तक या दस्तावेज की स्थिति निर्धारण हेतु एक ऑनलाइन ओपन पब्लिक एक्सेस कैटेलागिंग (ओ.पी.ए.सी.) को खासकर विकसित किया गया है।

17.16 यह पुस्तकालय ब्रिटिश काउंसिल तथा डेलनेट (डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्किंग, नई दिल्ली) का एक संस्थानिक सदस्य है जो विभिन्न पुस्तकालयों से विभिन्न संसाधनों को बांटने में बढ़ावा देता है। पुस्तक/दस्तावेजों एवं जर्नलों तक पहुंच एवं उधार के लिए अंतर पुस्तकालय कर्ज सुविधा का भी प्रचालन करता है।

ड) सूचना का अधिकार

17.17 वर्ष 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान आर.टी.आई. एकक में प्राप्त आवेदनों अपीलों एवं सी.आई.सी. नोटिसों का विवरण निम्न है:–

क्र.सं.	विवरण	ऑन लाइन	डाक	कुल
1.	प्राप्त आवेदनों की संख्या	424	2388	2812
2.	30 दिनों के अंदर निपटान किए गए आवेदनों की संख्या	393	2322	2715
3.	एक महीने बाद लंबित आवेदनों की संख्या	–	–	–
4.	लंबित आवेदनों की संख्या किन्तु एक महीने के भीतर	31	66	97
5.	अन्य मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को स्थानांतरित किए गए आवेदनों की संख्या	118	191	309

प्रथम अपीलों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	ऑनलाइन	डाक	कुल
1.	अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपीलों की संख्या	53	204	257
2.	एक माह के अंदर इन अपीलों के किए गए निपटान संख्या	50	191	241
3.	लंबित अपीलों की संख्या	03	13	16

सी. आई. सी. के साथ दूसरी अपीलों की संख्या

क्र.सं0	विवरण	ऑनलाइन	डाक	कुल
1.	सी आई सी से प्राप्त नोटिसों की संख्या	03	11	14
2.	सी पी आई ओ/अपीली प्राधिकारी द्वारा प्रबंध किए गए सुनवाई की संख्या	03	11	14
3.	सी आई सी को प्रेशित अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाई की संख्या	03	11	14

4.	सी आई सी को प्रेशित न की गई अनुपालन रिपोर्ट के संबंध में सुनवाईयों की संख्या	–	–	–

17.18 इन विवरणों में दो विभिन्न नोडल अधिकारी, उपनिर्देशक (मीडिया एवं संचार) तथा सहायक निदेशक (प्रकाशन) की देखरेख में आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा 'डाक' एवं 'दस्ती' आवेदन/अपील के साथ–साथ ऑन लाइन आवेदनों पर कार्रवाई शामिल है।

अध्याय-18

राज्य सरकारों द्वारा एन.एच.आर.सी. की संस्तुतियों को स्वीकार न करना

18.1 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग धारा 18 (क)(i)(ii) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शिकायतकर्त्ता या पीड़ित परिवार के सदस्यों को हर्जाने या क्षतिपूर्ति के भुगतान एवं/या दोशी लोकसेवक के खिलाफ आयोग द्वारा यथोचित कार्रवाई की शुरूआत करने हेतु संस्तुति करता है।

18.2 वर्ष 2016–17 के दौरान आयोग द्वारा दिनांक 01.06.2012 को पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी द्वारा केन्द्रीय कारागार, बक्सर से जिला कारागार सासाराम में पारगमन के तहत विचाराधीन कैदी श्री दरोगा सिंह ऊर्फ दरोगा यादव की मौत के आर्थिक राहत के भुगतान की संस्तुति को चुनौती दी गई। यह मृत्तक के रेलवे अस्पताल में उपचार से इंकार का एक मामला था जहां उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट से दिनांक 01.06.2012 को ले जाया गया जिसके परिणामस्वरूप पी. आर. अस्पताल, मुगल सराय, उ0 प्र0 में उनकी मौत हो गई।

18.3 आयोग ने अपने दिनांक 30.10.2015 की कार्रवाई के तहत में मृत्तक के निकट संबंधियों के लिए रुपए 1,00,000/– की आर्थिक राहत के भुगतान की संस्तुति के साथ–साथ अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। रेलवे मंत्रालय (यू.ओ.आई) ने आयोग की संस्तुति को रिट याचिका (सी) 1194/2017 द्वारा दिल्ली उच्च न्यायलय में चुनौती दी। यह मामला उच्च न्यायलय के समक्ष विचारण हेतु लम्बित है एवं रजिस्टर उच्च न्यायलय (मामला संख्या 1951/4/7/2012 जे.सी.डी.) से राशि जमा करने तक इस पर अंतरिम रोक लगा दी गई है।

18.4 इसके पश्चात्, जैसा कि आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 में रिपोर्ट की गई, संबंधित प्राधिकारियों द्वारा 5 मामलों में आयोग की संस्तुतियों को चुनौती दी गई। एक और मामले के समावेश से जैसा कि ऊपर दर्शाया गया, आयोग की संस्तुति देने वाले मामलों की संख्या 6 हो गई जिसका विवरण निम्नलिखित है : –

क्रम सं.	राज्य का नाम/ रा0 क्षेत्र	मामला संख्या	शिकायत का स्वरूप	पीड़ितों/निकट संबंधितों के लिए संस्तुतित राशि	संस्तुति की तिथि	आयोग की संस्तुतियों के खिलाफ फाइल किए गए मामलों का विवरण
1.	रेल मंत्रालय	1951/4/7/ 2012–जेसीडी	रेलवे अस्पताल, मुगल सराय, उ0 प्र0 में मृत्तक के उपचार से इंकार	1,00,000	30.10.2015	रेल मंत्रालय ने आयोग की संस्तुतियों को दिल्ली उच्च न्यायालय में डब्ल्यू. पी. (सी) नं0 1194/2017 द्वारा चुनौती दी है।
2.	रेल मंत्रालय	984/34/15/ 08–09	आर.पी.एफ. कार्मिकों द्वारा रेल में यात्रा के समय पीड़ित की पत्नी को छेड़छाड़ करने की आपत्ति जताने पर बंदूक के बट से घायल होने के कारण मौत	5,00,000	06.05.2015	रेल मंत्रालय ने आयोग की संस्तुतियों को रांची उच्च न्यायालय में रिट याचिका (सी) नं0 5974/2015 द्वारा चुनौती दी है।
3.	जम्मू एवं कश्मीर	55/9/ 2003–2004 एडी	जम्मू पुलिस (शिकायत) की अभिरक्षा में कथित मौत	5,00,000	19.08.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं क मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
4.	जम्मू एवं क मीर	206/9/ 2003–2004 एम–4	सरकार (शिकायत) द्वारा मकान की क्षति	2,00,000	23.11.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं क मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।
5.	केरल	43/11/ 2002–2003–सीडी	न्यायिक अभिरक्षा में मृत्यु	1,50,000	12.09.2008	केरल सरकार ने आयोग तथा उच्च न्यायालय की संस्तुति को केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका नं0 21305/09 द्वारा चुनौती दी है। रिट याचिका के परिणाम की प्रतीक्षा है।
6.	ओडिशा	123/18/ 1999–2000	पुलिस द्वारा कथित शारिरिक उत्पीड़न एवं अवैध रूप से नज़रबंद करना	अनुशासनिक कार्रवाई	31.07.2000	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ओ.जे.सी.नं 8776/2000 चुनौती दी है जो विचाराधीन है।

अध्याय-19

एन.एच.आर.सी. के अपनी प्रभावी कार्यान्वयन में हो रही समस्याएं

19.1 एन.एच.आर.सी., भारत की स्थापना वर्ष 1993 में, मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के अधिदेश हेतु मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के तहत हुई। अधिनियम की धारा 2 (घ) के तहत मानव अधिकार का वर्णन किया गया है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार। किसी व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के लिए यह अधिकार काफी आव यक एवं अहस्तांतरणीय है। आयोग प्रतिवर्ष लगभग 1,00,000 मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है जिसमें फर्जी मुठभेड़ में मौत, हिरासतीय मौत एवं उत्पीड़न तथा अन्य पुलिस नृशसंता, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी, बलात्कार एवं अपहरण, महिलाओं का अवैध व्यापार, प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण करंट लगने से मौत, पर्यावरण एवं प्रदूषण संकट, अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पतालों में कदाचार इत्यादि से संबंधित कथित शिकायतें शामिल हैं। यह शिकायतें देश की परिधि सहित पूरे देश भर से प्राप्त होती हैं। मानव अधिकार समर्थकों सहित शिकायतकर्त्ताओं का आयोग पर अटूट विश्वास है कि आयोग उनके साथ अवश्य ही न्याय करेगा। आयोग पीड़ितों को उनकी दहलीज़ पर न्याय दिलाने के अपने प्रयास में देश के विभिन्न भागों में शिविर बैठक एवं जन सुनवाई का आयोजन भी करता है।

कानूनी बाध्यताएं

19.2 आयोग प्रतिवर्ष पीड़ितों या उनके निकटतम संबंधियों को आर्थिक राहत के भुगतान हेतु लगभग 400–500 मामलों पर संस्तुति प्रदान करता है। इस वर्ष भी आयोग 531 मामलों में रुपए 11,24,87,500/– की आर्थिक राहत के भुगतान की संस्तुति की। हालांकि तथ्य यह है कि, मानव अधिकार के उल्लंघन की रोकथाम करने, मानव अधिकारों के बारे में जागरुकता फैलाने, मानव अधिकार मुद्दों पर प्राधिकारियों को संवेदनशील करने एवं लोगों खासकर प्राधिकारियों ने मानव अधिकारों के सम्मान का संवर्द्धन करने, जिन पर मानव अधिकारों के संरक्षण की जिम्मेदारी है, पर आयोग के सर्वोत्तम प्रयास के बावजूद मानव अधिकारों के घोर उल्लंघनों की घटनाएं घटित होती रहती है। मानव अधिकार उल्लंघन के मुद्दों पर कार्रवाई करते हुए आयोग कई बाध्यताओं का सामना करता है। आयोग का यह मानना है कि अगर ये बाध्यताएं न हो तो यह और बेहतर प्रदर्शन कर सकेगा। आयोग, अतः लोगों के मानव अधिकारों

के बेहतर तरीके से संरक्षण एवं संवर्द्धन करने हेतु निम्न बाध्यताओं को हटाने पर आव यक उपचारी उपाय करने का निवेदन करता है।

19.3 दिनांक 31.03.2017 तक आयोग में 3285 शिकायतें निपटाने हेतु लंबित थीं जिनमें से 2537 हाल ही में पंजीकृत शिकायतें आयोग द्वारा प्राथमिक आदेश हेतु लंबित थी। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, कई शिकायतें काफी समय से लंबित पड़ी हुई हैं। ये शिकायतें प्राधिकारियों से अपेक्षित रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु लंबित हैं एवं कई शिकायतों में आयोग पी.एच.आर. एक्ट की धारा 13 के तहत केवल समन तथा जमानती वारंट जारी करने तक ही सीमित है। आयोग में जन शक्ति की कमी शिकायतों के लंबित होने का भी एक कारण है। आयोग में एक अध्यक्ष एवं चार सदस्यगण हैं जिन्हें 329 अनुमोदित कर्मचारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। आयोग का यह मानना है कि यह शिकायतों की लंबितता को बेहतर तरीके से कम कर सकेगा यदि आयोग के पास उपलब्ध जनशक्ति को उचित स्तर तक बढ़ा दिया जाए खासकर आयोग के विधि प्रभाग एवं अन्वेषण प्रमाण में जहां पर पर्याप्त रूप से इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायिक हत्या पीड़ित परिवार ए.एस.एस.एन. एवं ए.एन.आर. बनाम भारत संघ के मामले में रिट याचिका (सी) संख्या 445/12 में अपने दिनांक 14.07.2017 के आदेश के द्वारा निम्न अवलोकनों के साथ आयोग की जनशक्ति की वृद्धि की आवश्यकता पर अपना निम्न विचार रखा :–

> *"उपरोक्त प्रावधान' को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार आयोग को पर्याप्त अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदान करने हेतु बाध्य ('उपलब्ध कराएगा') है ताकि एन.एच.आर.सी. अपने कार्यों का निश्पादन दक्षतापूर्वक कर सके। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को पर्याप्त अधिकारी एवं कर्मचारी न होने के कारण हो रही समस्याएं मानव अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में चिंता का विषय है।"*

19.4 अन्य बाध्यताएं यह हैं कि आयोग द्वारा की गई संस्तुतियां प्राधिकारियों के लिए बाध्यकारी नहीं है जिसके परिणामस्वरूप आयोग को 'दंतविहिन शेर' का उपनाम दे दिया गया है। एक तरफ मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2 (घ) के तहत इन अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एवं धारा 13 (5) यह दर्शाता है कि आयोग की प्रत्येक कार्यवाही एक न्यायिक कार्यवाही के बराबर मानी जाएगी एवं धारा 13 (1) के अनुसार एक शिकायत की जांच करते वक्त इसे सिविल कोर्ट के तर्ज पर शक्ति प्रदान की जाएगी लेकिन मानव अधिकार उल्लंधन तथा मानव अधिकार संरक्षण हेतु उपचारी उपाय एवं पीड़ितों के हर्जाने के अनुदान पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 18 (सी) के अनुसार आयोग की भाक्ति को केवल सरकार के पास संस्तुति करने मात्र तक ही सीमित कर दिया गया। कभी–कभी ऐसा महसूस होता है कि संस्तुतियों को सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है तथा वे आयोग की संस्तुतियों की उपेक्षा करने पर स्वतंत्र हैं। यह तथ्य है कि ये संस्तुतियां केवल आम विचार एवं सलाह या परामर्श नहीं बल्कि ये कार्यवाही के पश्चात् के आदेश हैं जिन्हें आयोग द्वारा राज्य प्राधिकारियों को मामले की सुनवाई के पश्चात् पीड़ितों या मृत्तक के परिवार के सदस्यों के लिए आर्थिक हर्जाने के लिए राज्य प्राधिकारियों को या मानव

अधिकार उल्लंघन के पीड़ितों के दोशियों को सजा दिलाने के लिए की जाती है। अधिनियम के उपरोक्त प्रावधान यह दर्शातें हैं कि अधिनियम के तहत आयोग द्वारा की गई संस्तुति का अनुपालन सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि सरकार आयोग की संस्तुति के अनुपालन हेतु बाध्य हैं।

19.5 हालांकि उत्तर प्रदेश राज्य एवं दो अन्य बनाम एन.एच.आर.सी. एवं तीन अन्य (रिट–सी संख्या–15570/2016) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना यह विचार रखा कि राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुतियों का पर्याप्त सम्मान करना चाहिए जो निम्न है :–

"..... आयोग केवल एक विचार रखने वाला निकाय नहीं है जिसकी कोई पवित्रता या प्रर्वतन में गुणकारिता नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। अधिनियम की धारा 18 के खण्ड ख के प्रावधानों के तहत यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि यह इस प्रकार के निर्देशों, आदेश या रिटों जैसा कि न्यायालय उपयुक्त समझें, के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय से मदद लेने का हकदार है। एक संवैधानिक आदेश के तहत मानवीय गरिमा एवं स्वतंत्रता तथा जीवन के संरक्षण के मौलिक प्रावधानों तथा कानून के नियमों द्वारा जैसे कि हम बंधे हुए हैं, राज्य सरकार को आयोग की राय की अवहेलना का अधिकार नहीं है। आयोग ने राज्य सरकार को रिपोर्ट के अनुपालन का निर्देश दिया है। राज्य सरकार गुणवत्ता के आधार पर आयोग के आदेश को चुनौती दे सकता है चूंकि अधिनियम द्वारा अपील का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन यह अपने विवेकानुसार आयोग के आदेश की समीक्षा, खारिज या असम्मान कर सकता है जब तक कि आयोग के पास न्यायिक समीक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश को चुनौती देने का अधिकार हो। राज्य सरकार आयोग के आदेश के अनुपालन हेतु कर्त्तव्यनिष्ठ हो अन्यथा कानून बनाने का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधान जिसे जीवन एवं स्वतंत्रता के संवैधानिक सरंक्षण एवं प्रर्वतन हेतु बनाया गया है द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के लिए हर्जाना के भुगतान के लिए आयोग को सक्षम बनाता है जो काफी तुच्छ है। ऐसे परिणामों को उत्पन्न करने वाले कारकों को अंगीकृत नहीं किया जा सकता एवं इसे अवश्य ही हटाया जाना चाहिए।"

19.6 लेकिन कुछ उच्च न्यायालयों के निर्णयों को इस तथ्य के लिए विरोधी माना जा सकता है जैसा कि उनके अनुसार आयोग की संस्तुतियों को स्वीकार करना संबंधित सरकार के अधिकार क्षेत्र के तहत रखा जा सकता है। अतः अधिनियम में उपर्युक्त संशोधन द्वारा इस मामले को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

19.7 ऊपर उद्धृत बाध्यताओं के अलावा, आयोग की वार्षिक रिपोर्ट 2015–16 में रिपोर्ट की गई बाध्यताओं में अब तक समाधान होना बाकी है। संक्षेप में ये निम्न हैं :

19.8 लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई में खुद को सक्षम करने हेतु आयोग को दण्डात्मक शक्ति या अवहेलना कार्रवाई की शक्ति प्रदान की जाए जो आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते। तद्नुसार मामले लंबे समय तक लंबित पड़े रहते हैं।

19.9 सशस्त्र सैनिकों द्वारा मानव अधिकार उल्लंघन के संबंध में आयोग की शक्ति की समीक्षा एवं सुधार की आवश्यकता है।

19.10 जम्मू एवं क मीर राज्य के संबंध में आयोग की शक्ति की भी समीक्षा एवं सुधार की आवश्यकता है।

19.11 पी.एच.आर.एक्ट 1993 की धारा 36 (2) के प्रावधानों के अनुसार आयोग को घटना की तिथि से एक वर्श पश्चात् मानव अधिकार उल्लंघन की घटनाओं पर संज्ञान लेने से रोकता है जिसमें समीक्षा एवं सुधार की आवश्यकता है।

प्रशासनिक बाध्यताएं

19.12 एन.एच.आर.सी. पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करता है जिसमें यह दर्शाया गया है कि "राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं के पास उनके क्रियाकलापों के सुव्यवस्थित आचरण के अनुसार खासकर पर्याप्त फंडिंग एवं कर्मचारी सहित एक आधारभूत संरचना होगी। इस फंडिंग का उद्देश्य सरकार एवं वित्तिय नियंत्रण से स्वतंत्र होने के लिए स्वयं के कर्मचारी एवं प्रांगण से सक्षम होना है ताकि मानव अधिकारों के परिपेक्ष्य में उनकी स्वतंत्रता प्रभावित न हो।"

19.13 आयोग की भूमिका दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एवं वर्तमान में यह एक वर्ष में एक लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त कर रहा है जो आम जनता का आयोग पर विश्वास को प्रदर्शित करता है। इससे प्रशासनिक के साथ–साथ वित्तीय मामलों में अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी. की भाक्ति के हस्तांतरण की आवश्यकता जरूरी हो जाती है।

19.14 काफी लंबे समय से लंबित पड़े सदस्य के पद (श्री सत्यब्रत पाल, सदस्य जिन्होंने दिनांक 01.03.2014 को कार्यालय छोड़ दिया) को सरकार द्वारा भरने की आवश्यकता है जिससे आयोग का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। महानिदेशक (अन्वेषण) का पद दिनांक 01.11.2014 से 01.02.2017 के लिए भरा गया। सरकार ने दिनांक 02.02.2017 से प्रभावित श्री पी.वी.के. रेड्डी, आई.पी.एस. (टी.आर.:82) की तैनाती की है लेकिन वे भी 30.04.2017 को अधिवर्षिता की आयु पर पहुंचने के पश्चात् कार्यालय छोड़ देंगे।

19.15 हालांकि, आयोग विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् स्वास्थ्य का अधिकार, बुजुर्गों के अधिकार पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों एवं कार्यशालाओं का प्रभावी रूप से आयोजन करता है, सीधी भर्ती के द्वारा नियुक्त आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अधिवर्षिता के पश्चात् चिकित्सीय सुविधाएं प्राप्त नहीं होती हैं। वे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के अनुसार ही देखने एवं अधिवर्षिता के पश्चात् चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता है। इस मामले को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उठाया गया है लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम उभरकर सामने नहीं आया है।

19.16 जगह की समस्या भी आयोग की एक बाध्यता है जिसके तहत वार्ता की जा रही है। इसी प्रकार दिल्ली जल बोर्ड के साथ लगातार पत्राचार के पश्चात् भी, अब तक जल बोर्ड पानी की आपूर्ति

का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। परिणामस्वरूप आयोग खासकर ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त जल की कमी का सामना करता है। इसके पश्चात् जी.पी.ओ. काम्पलैक्स में कई कार्यालयों के स्थानांतरण से, यातायात में बाधा से संबंधित मुद्दे पर संबंधित यातायात प्राधिकारियों द्वारा कार्यवाही करने की आवश्यकता है जैसा कि जी.पी.ओ. काम्पलैक्स में वाहनों को बड़े ही असंगठित तरीके से पार्क किया जाता है।

जनशक्ति बाध्यता

19.17 वर्तमान में, आयोग के पास 331 संस्वीकृत कर्मचारियों की संख्या की तुलना में 294 कर्मचारी कार्यरत हैं। अंग्रेजी अख़बार, रोजगार समाचार आयोग की वेबसाइट तथा विभिन्न मंत्रालयों में विभिन्न पदों की भर्ती हेतु व्यापक प्रचार के बावजूद भी कई पदों के लिए उचित अधिकारी एवं कर्मचारी पाने में असफल है। अपनी स्थापना से ही, आयोग में पूर्ण संस्वीकृत पदों की तुलना में उपलब्ध पद को पूर्ण नहीं हो पाया है। परिणामस्वरूप, यह सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अल्पावधि के लिए संविदा आधार पर परामर्शदाता रखने हेतु विवश है।

19.18 यह उद्धृत करना प्रासंगिक ही होगा कि भर्ती नियमावली में संशोधन/परिशोधन कर इसकी एक प्रति को वर्ष 2012 में गृह मंत्रालय के पास भेजी गई थी हालांकि कई कारणों की वजह से इसकी अधिसूचना हो नहीं पाई एवं आयोग इसके संशोधन की कार्यवाही शुरू कर दी है।

19.19 आयोग देश भर में मानव अधिकार पीड़ितों की उम्मीदों पर खरा उतरने पर संर्घशरत् तथा मानव अधिकार संरक्षण एवं संवर्द्धन के अपने अधिदेश को पूरा करने में अक्षम हैं। अपने अधिदेश का प्रभावी एवं दक्षता से निर्वहन करने हेतु विभिन्न पदों के सृजन की आवश्यकता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 11 (ख) के तहत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अनुभवी जांच अधिकारियों की कमी की वजह से हिरासतीय मौत, उत्पीड़न, अवैध नज़रबंदी इत्यादि पर घटना स्थल की जांच प्रभावित हो रही है जहां पर्याप्त अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता है। विधि प्रभाग जो आयोग की रीढ़ की हड्डी है जन शक्ति की कमी के कारण शिकायतों के निपटान/कार्यवाही में अपनी और अधिक भूमिका के निष्पादन में समस्याओं का सामना कर रहा है।

वित्तीय बाधाएं

19.20 आयोग गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्रति वर्ष सहायता प्राप्त करता है मानव संरक्षण अधिनियम की धारा 32 (2) अध्याय 7 के तहत "इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निष्पादन हेतु यथोचित राशि का खर्च कर सकता है एवं इन खर्चों को उपधारा (1) के तहत इन अनुदानों को खर्च के रूप में माना जाएगा। वित्तीय स्वायत्तता के साथ आयोग दक्षता के साथ अपने अधिदेश को पूरा करने में सक्षम हो पाता है। अपनी वित्तीय स्वायत्ता के कारण आयोग को इस अवधि के दौरान अपने कार्य निष्पादन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। हालांकि आयोग वाहनों की खरीद के लिए वित्तीय स्वायत्तता का कयास लगाता है जैसा कि आयोग को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

अध्याय-20

प्रमुख अनुशंसाओं एवं टिप्पणियों का सारांश

20.1 पिछले वर्षों के अनुसार, मानव अधिकार उल्लंघन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर आयोग ने देश के विभिन्न हिस्सों से शिकायतें प्राप्त कीं। आयोग को प्राप्त होने वाली शिकायतों में लोकसेवकों द्वारा लापरवाही के कारण अभिकथित मानव अधिकार उल्लंघन तथा इस प्रकार के उल्लंघन से बचाव करने में लापरवाही, हिरासतीय हिंसा, यातना, फर्जी मुठभेड़, पुलिस की बर्बरता, सुरक्षा बलों द्वारा किए गए हनन जेलों से संबंधित स्थिति, महिलाओं एवं बच्चों तथा अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार, सांप्रदायिक हिंसा, बंधुआ एवं बाल मजदूरी, सेवानिवृत्ति के लाभों का भुगतान नहीं करना, सरकारी प्राधिकारियों द्वारा की गई लापरवाही तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार आदि के आरोप वाले मामले शामिल थे। आयोग ने इसके अतिरिक्त पुलिस मुठभेड़ एवं पुलिस हिरासत, न्यायिक हिरासत तथा रक्षा/अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचनाओं का संज्ञन लिया। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की रिपोर्ट के आधार पर कई घटनाओं का स्वतः संज्ञान लिया गया, जिनमें वे मामले भी शामिल थे, जो देश के विभिन्न भागों में दौरे के दौरान अध्यक्ष, सदस्यों, विशेष प्रतिवेदकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी में आए।

मनाव अधिकार उल्लंघन मामले

20.2 वर्ष 2016–17 के दौरान, कुल 91,887 मामले आयोग में दर्ज किए गए। इन 91,887 मामलों में से आयोग ने 42,590 मामले उत्तर प्रदेश, 8,750 मामले ओडिशा, 6,368 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, 4,596 हरियाणा तथा 3,765 बिहार से संबंधित थे। वर्ष 2016–2017 के दौरान कुल 1,00,699 मामलों का निपटान किया गया, जिसमें से पिछले वर्षों के मामले भी शामिल थे। समीक्षाधीन अवधि के दौरान आयोग द्वारा निपटाए गए कुल मामलों में से 42,527 मामलों को आरंभ में ही खारिज कर दिया गया। आयोग द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान 17,666 मामलों का निपटान उचित प्राधिकरणों को उपचारात्मक उपाय के निर्देश के साथ किया गया। कुल 20,446 मामलों को राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निपटान के लिए भेजा गया। रिपोर्टिंग अवधि अर्थात् 31 मार्च, 2017 के अंत में आयोग के पास कुल 32085 मामले लम्बित थे। इनमें 2,537 मामले प्रारम्भिक विचारण के लिए प्रतीक्षित तथा 29,548 मामले या तो संबद्ध प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त करने अथवा आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्टों पर विचारण हेतु लम्बित थे।

हिरासतीय हिंसा की रोकथाम

20.3 आयोग को वर्ष 2016–17 के दौरान न्यायिक हिरासत में मौत से संबंधित 1,616 सूचनाएं तथा पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार की 146 सूचनाएं प्राप्त हुई। समीक्षाधीन अवधि के दौरान अर्द्धसैन्य बल/रक्षा बल की हिरासत में मौत की एक सूचना प्राप्त हुई। आयोग ने हिरासतीय मौत के 2,194 मामले निपटाए। इन 2,194 मामलों में से न्यायिक हिरासत में मौत के 1,974 मामले, पुलिस हिरासत में मौत/बलात्कार के 220 मामले तथा अर्द्धसैनिक बलों की हिरासत में मौत के एक मामले का निपटान किया। इन आंकड़ों में पिछले वर्षों के मामले भी शामिल हैं।

आर्थिक राहत के लिए रा.मा.अ.आ. की सिफारिशें एवं उसका अनुपालन

20.4 समीक्षाधीन अवधि 01.04.2016 से 31.03.2017 के दौरान आयोग ने 531 मामलों में पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को मौद्रिक राहत/मुआवजे के भुगतान के रूप में ₹11,24,87,500/– की सिफारिश की। इन 531 मामलों में से जितने मामलों में आर्थिक सहायता की सिफारिश की गई थी, उनमें से केवल 96 मामलों में ही अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त हुई जबकि कुल ₹1,95,15,000/– की राशि का भुगतान पीड़ितों/मृतकों के निकट संबंधी को किया गया। इस मामलों का राज्य व संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा अनुलग्नक– 4 पर दिया गया है।

20.5 दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को ऐसे 435 मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई जिनमें ₹9,29,72,500/– की मौद्रिक राहत की अनुशंसा की गई थी (मामलों का विवरण अनुलग्नक–5 में दिया गया है)। मौद्रिक राहत के संबंध में की गई सिफारिश के अलावा आयोग ने 16 मामलों में दोषी लोक सेवकों के खिलाफ अनुशासनात्मक/विभागीय कार्रवाई तथा 4 मामलों में दोषी लोकसेवकों के अभियोजन की अनुशंसा भी की। आयोग ने एक बार फिर उन सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से उनके यहां लंबित पड़े मामलों पर अनुपालन से संबंधित त्वरित कार्रवाई करने की सिफारिश की ताकि प्रत्येक मामले में पीड़ितों/निकटतम संबंधी को संस्तुति मौद्रिक राहत तत्काल ही दी जा सके।

20.6 पिछले वर्षों से संबंधित मामलों की अनुपालन रिपोर्टों के संबंध में 202 (96+106) मामलों में अनुपालन रिपोर्ट प्रतीक्षित है। विवरण के लिए अनुलग्नक–6 एवं 7 देखें।

20.7 अनुलग्नक–6 में मौद्रिक राहत के भुगतान के संबंध में वर्ष 2015–16 के अनुपालन संबंधी लंबित 96 मामलों का विवरण दिया गया है। जैसा कि स्पष्ट है इस सूची में भी उत्तर प्रदेश राज्य एक बार फिर सबसे ऊपर है क्योंकि आयोग को आज की तारीख तक 34 मामलों, जिनमें से अधिकतर सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों से संबंधित हैं, में भुगतान का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। जिन अन्य राज्यों को अभी इस संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित करना शेष है वे इस प्रकार हैं– झारखंड (11), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (8), मध्यप्रदेश (6), महाराष्ट्र (6) हरियाणा (6), ओडिशा (5), राजस्थान (4),

बिहार (3), तेलंगाना (3), त्रिपुरा (3), पश्चिम बंगाल (2), असम (2), छत्तीसगढ़ (1), मणिपुर (1) तथा तमिलनाडु (1) (अनुलग्नक–6)।

20.8 अनुलग्नक–7 में वर्ष 2000–01 से 2014–2015 की अवधि के लिए आयोग द्वारा आर्थिक सहायता के भुगतान, अनुशासनिक कार्रवाई एवं अभियोजन के लिए की गई सिफारिशों पर लंबित अनुपालन के मामलों का विवरण दिया गया है। निर्दिष्ट अनुलग्नक में उद्धृत 106 मामलों में से 4 मामलों में संबंधित राज्य सरकारों ने अपने–अपने उच्च न्यायालायों में आयोग की सिफारिशों को चुनौती दी है तथा इनमें से अधिकांश मामलों में अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। ये राज्य हैं – जम्मू एवं कश्मीर (2), केरल (1) एवं ओडिशा (1)। आयोग इन सभी राज्य सरकारों से अपील करता है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों की प्रक्रिया में तेजी लाएं। इसके अतिरिक्त, आयोग को यह विश्वास है कि अनुलग्नक–7 में सूचीबद्ध अन्य राज्य आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का पालन करेंगे तथा पीड़ितों एवं उनके निकट संबंधी को तत्काल राहत प्रदान करेंगे।

सुशासन

20.9 सरकार के तीन अंगों अर्थात् विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के सामूहिक रूप से कर्नाटक में आयोजित कार्यशाला में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया में आम नागरिकों की भागीदारी के साथ–साथ मिनिमम गवर्नमेंट एण्ड मैक्सीमम गवर्ननैंस के महत्त्व सहित कई सिफारिशें निकल कर सामने आईं। इस कार्यशाला में कई विभिन्न मुद्दों जैसे सुशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, विभिन्न पणधारियों के प्रशिक्षण एवं जागरुकता पर बल दिया गया। जैसा कि सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट प्लेयर्स राज्यों के जी.डी.पी. में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनके लिए कर्मचारियों तथा हाशिए के वर्गों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन करना आवश्यक है। इस कार्यशाला में टेक सेवी युवा की भागीदारी तथा प्रवासी मज़दूरों के लिए नेशनल डाटा बैंक के विकास की भी संस्तुति की गई। इसके साथ ही जेलों के सुधार की भी सिफ़ारिशें की गईं।

20.10 मेघालय (शिलॉग) में भारत के उत्तर–पूर्वी क्षेत्र में सुशासन पर आयोजित एक कार्यशाला में जीवन प्रत्याशा का संवर्द्धन तथा इस क्षेत्र में शान्ति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सतत् विकास तथा उत्तर–पूर्व के पारम्परिक प्रणाली के रख–रखाव के लिए अवसरों पर कई संस्तुतियां की गईं। इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए, समाज के हाशिए के लोगों के अधिकारों के संरक्षण एवं भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु एक सामूहिक प्रयास की भी मांग की गई। भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए इन संस्तुतियों में आर.टी.आई. अधिनियम तथा ई–गवर्नैंस टूल्स के प्रगोग को भी शामिल किया गया। सुशासन एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, पब्लिक अफेयर इंडेक्स भी संस्तुतियों में से एक है जिनमें पारदर्शिता, जवाबदेही, भ्रष्टाचार विरोधी उपाय तथा जन–भागीदारी शामिल हैं। यह भी प्रस्तावित किया गया कि मानव अधिकारों को प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। आम संस्तुतियों में विकास की कमियों, आम जनता के समझ हेतु कानूनी शब्दजालों को आसान

बनाना, सेवाओं की तीव्र डिलीवरी हेतु एकल विंडो प्रणाली तैयार करना शामिल है। पुलिस विभाग की कार्यदक्षता में वृद्धि के लिए कुछ बदलाव की भी संस्तुति की गई।

सिलिकोसिस

20.11 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा स्थानिक राज्यों जैसे गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल के संबंध में दी गई संस्तुतियों के कार्यान्वयन की स्थिति के साथ–साथ सिलिकोसिस के विषय पर इन राज्यों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने की समीक्षा के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा विज्ञान भवन, एनैक्सी, नई दिल्ली में 22 जुलाई 2016 को सिलिकोसिस पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूर्ण सत्रों में विचार–विमर्शों पर स्थानिक स्थिति आधारित समीक्षा हेतु सम्मेलन में निम्नलिखित 2 प्रमुख थीम पर विचार–विमर्श किया गया जैसे सत्र–I: सर्वोत्तम प्रथाएं साझा करना; सत्र–II : स्थानिक राज्यों की समीक्षा; विषयगत सत्रों में हुई चर्चा के आधार पर सम्मेलन में निम्नलिखित संस्तुतियां की गईं।

20.12 सिलिकोसिस की समस्या पर कार्य करने के लिए समग्र दृष्टिकोण को बढ़ाया जाना चाहिए तथा इसमें निवारक, उपचारी, पुर्नवासात्मक एवं प्रतिपूरक, सभी को समाहित किया जाना चाहिए। हालांकि, सबसे अधिक ज़ोर निवारण पर अपेक्षित है। हालांकि, रोकथाम पर काफी महत्त्व देने की आवश्यकता है। संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा सभी एहतियाती उपायों, जिसमें सिलिकोसिस प्रबल उद्योगों के मज़दूरों द्वारा सुरक्षात्मक उपकरण पहनना शामिल है, का कड़ाई से पालन। स्थानिक राज्यों को उनके राज्यों में सिलिकोसिस रोगियों की संख्या, उपचार किए जाने वाले रोगियों की संख्या, पुनर्वास, सिलिकोसिस के कारण हुई मौतों की संख्या, मुआवज़े का भुगतान आदि की दृष्टि से पूर्ण मैपिंग किए जाने की आवश्यकता है। इससे उन्हें इस समस्या की पूरी रूपरेखा तथा इसके उन्मूलन हेतु कार्य करने में सहायता मिल पाएगी। सभी संबंधित उद्योगों को सिलिका/धूल के कम–से–कम संपर्क में आने के लिए आवश्यक उपकरण मुहैया कराने जैसी तकनीक के इस्तेमाल की आवश्यकता है। सिलिकोसिस के निवारण, प्रबंधन एवं पुनर्वास के लिए कार्य करने में निजी क्षेत्र को भी संलिप्त करने की आवश्यकता है। सभी पणधारियों, विशेष रूप से जन प्रतिनिधियों, जिला स्तर के सिविल सेवकों तथा स्थानिक राज्यों के ज़मीनी स्तर पर कार्यरत डॉक्टरों के बीच जागरुकता उत्पन्न करना एवं प्रसार करना। सिलिकोसिस प्रबल व्यवसायों के मालिकों एवं कर्मचारियों हेतु जागरुकता कार्यक्रम भी आयोजित करने की आवश्यकता है। भारत सरकार को सिलिकोसिस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार करना चाहिए अथवा सिलिकोसिस की बीमारी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लाना चाहिए। चूंकि, पी.एच.सी. अथवा सी.एस.सी. स्तर पर उपचार सुविधाएं हमेशा उपलब्ध नहीं हो सकती अतः सभी सिलिकोसिस रोगियों को उनके उपचार हेतु कैशलैस हैल्थ इंश्योरेंस कवर/लाइफ इंश्योरेंस कवर मुहैया कराना चाहिए तथा राज्य सरकार द्वारा इससे संबंधित यात्रा एवं प्रीमियम का भुगतान किए जाने की आवश्यकता है। सिलिकोसिस मामलों के निदान हेतु देशभर में सरल एवं समान प्रारूप करने की आवश्यकता है। सिलिकोसिस पर राष्ट्रीय स्तर का सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता है। यह सर्वेक्षण प्रभावित राज्यों के नोडल मंत्रालय के

साथ–साथ गैर–सरकारी संगठनों एवं नागरिक समाज संगठनों द्वारा किए जा सकते हैं। इससे इस विषय को गहराई से जानने तथा सिलिकोसिस की समस्या के निदान हेतु बेहतर रणनीति तैयार करने में सहायता मिलेगी। एक "केन्द्रीय कल्याण कोष" विकसित किए जाने की आवश्यकता है जिसके द्वारा सिलिकोसिस से प्रभावित सभी व्यक्तियों चाहे वे किसी भी प्रकृति एवं स्थान पर कार्य करते हों, को राहत प्रदान की जा सके। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सभी सिलिकोसिस से प्रभावित व्यक्तियों एवं उनकी मौत के बाद उनके संबंधित परिवारों को मानक पेंशन योजना उपलब्ध कराई जानी चाहिए। उन्हें बी.पी.एल. श्रेणी में शामिल करने के लिए अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए ताकि वे पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, उन बच्चों जिन्होंने अपने एक या दोनों अभिभावकों को सिलिकोसिस के कारण खो दिया हो, उन्हें मासिक शिक्षा भत्ता तथा निर्वाह भत्ता मुहैया कराए जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार, अन्य व्यवसायों में प्रत्येक मृतक व्यक्ति की विधवा का पुनर्वास किए जाने की भी आवश्यकता है। ताकि "विधवाओं का गांव" जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। वैकल्पिक रोजगार पर भी जोर दिया जा सकता है ताकि गांव के सभी निवासी समान रोजगार के माध्यम से सिलिकोसिस की चपेट में न आएं। सिलिकोसिस की वजह से मृत्यु के मामले में मरीज़ों के परिवार वालों को अपील तथा पोस्टमार्टम जांच की इज़ाजत दी जानी चाहिए।

स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह

20.13 स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह की बैठक 06 मई, 2016 को आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्य, श्री एस. सी. सिन्हा द्वारा की गई थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा लोक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने पर चर्चा करना था। चर्चा के बाद कोर समूह ने निम्नलिखित संस्तुतियां कीं:–

i. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसा इसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है। एन.एच.एम. के तहत दी जाने वाली राशि समय पर तथा पर्याप्त किए जाने की आवश्यकता है। सभी राज्यों को अपने राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे राष्ट्रीय एच.आई.वी./एड्स कंट्रौल कार्यक्रम, राष्ट्र वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य आदि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

ii. भारत सरकार को गरीबों के लिए लोक स्वास्थ्य योजना के तहत अनिवार्य दवाएं निःशुल्क मुहैया करानी चाहिए। साथ ही, अन्य दवाएं भी किफ़ायती मूल्य पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

iii. वे राज्य, जिन्होंने क्लिनिकल इस्टैबलिशमेंट एक्ट को अब तक अंगीकृत नहीं किया, उन्हें भी इस अधिनियम को अपनाने की आवश्यकता है।

20.14 स्वास्थ्य संबंधी कोर परामर्शी समूह की एक बैठक 31 मार्च, 2017 को आयोजित की गई थी। इस बैठक में "रोगियों के अधिकारों पर चार्टर तथा स्वास्थ्य देख–रेख को एक पात्रता बनाना" को तैयार करने के लिए दो उपसमितियां गठित करने का निर्णय लिया गया था।

भोजन का अधिकार

20.15 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 28–29 अप्रैल, 2016 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में भोजन का अधिकार पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन का राज्यवार आकलन, सूचना प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल का आकलन तथा अन्य उपलब्ध तरीकों से खाद्यान्न के असमान वितरण की रोकथाम एवं अन्य टी.पी.डी.एस. में विद्यमान अन्य भ्रष्ट प्रथाओं का आकलन तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन में पायी जाने वाली त्रुटियों/कमियों को राज्यवार पहचान करने तथा इन कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र एवं राज्य/संघ शासित क्षेत्र हेतु संस्तुतियों को अंतिम रूप देना था।

20.16 सम्मेलन में तीन वर्किंग ग्रुप गठित किए गए थे जिन्होंने इन विषयों पर अपनी संस्तुतियां दीं (i) योग्य घरों की पहचान (ii) गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं तथा 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए पोषण समर्थन (iii) लक्षित लोक वितरण प्रणाली में सुधार। संस्तुतियों को बाद में केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था।

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर क्षेत्रीय कार्यशाला

20.17 दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक एक राष्ट्रीय एवं चार क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं की संस्तुतियां में न्यूनतम मज़दूरी के नियतन हेतु पूर्व अधिनियम में संशोधन या नए अधिनियम बनाना जो मज़दूरी, बाल मज़दूरी उन्मूलन हेतु शिक्षा में बेहतर अवसर प्रदान करना, गैर–सरकारी विद्यालयों के अनुरूप सरकारी विद्यालयों की शिक्षा–स्थिति में सुधार, सभी कर्मचारियों को अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भर्ती कराने से संबंधित संस्तुतियां शामिल थीं। बंधुआ मज़दूरी पर राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण करवाने की आवश्यकता है। सरकारी कर्मचारी के अनुरूप असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को न्यूनतम मज़दूरी प्रदान की जानी चाहिए। सभी पणधारियों में जागरुकता लाने के उद्देश्य से सतर्कता समिति का गठन कर जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। आरोपियों के दोषों को शामिल किए बिना तत्काल ही बंधुआ मज़दूरों का उद्धार, रिहाई एवं पुनर्वास किया जाना चाहिए। खेतों में तीन से छः महीने काम करने वाले मज़दूरों को मनरेगा के तहत रोज़गार प्रदान किया जाना चाहिए। तत्पश्चात शेष महीनों के लिए उन्हें जीवन–निर्वहन हेतु रोज़गार प्रदान किया जाए। समझौता–ज्ञापन के हस्ताक्षर सहित अंतर–राज्य सहयोग की स्थापना की जाए। श्रम कल्याण फंड को तैयार किया जाए। क्षेत्र में संवादहीनता को भरने के लिए डी.एम., ए.डी.एम. इत्यादि के लिए ऑनलाईन ओपन एक्सेस सेल्फ टीचिंग कोर्स की शुरूआत की जाए। एक देशव्यापी एकीकृत टोल–फ्री नम्बर उपलब्ध कराया जाए।

बुजुर्गों के अधिकार

20.18 एन.एच.आर.सी. बुजुर्ग जनों के संरक्षण एवं कल्याण पर एक कोर ग्रुप गठित की गई है। इस कोर

ग्रुप की बैठक दिनांक 13 फरवरी, 2017 को आयोग में आयोजित की गई। काफी गहन विचार–विमर्श के पश्चात, कोर ग्रुप ने निम्न मुख्य सिफारिशें की :

1) बुजुर्गों के स्वास्थ्य देख–रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2010 में की गई है। हालांकि, अब तक यह देश में केवल 418 जिलों या कुल जिलों के 60 प्रतिशत भाग में ही इसका कार्यान्वयन किया गया है। यह सुझाव है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय सभी 418 जिलों में इस कार्यक्रम के तत्काल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करे। इसके पश्चात यह कार्यक्रम वर्ष 2020–21 के अंत तक देश के सभी जिलों में यह कार्यक्रम कार्यान्वित होनी चाहिए। इस कार्यक्रम हेतु निधि के उचित उपयोग का आंकलन करने के लिए बुजुर्गों के स्वास्थ्य देख–रेख के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यन्वयन का सरकार तीसरी पार्टी से लेखा परीक्षा भी करवा सकती है।

2) वृद्धावस्था पेंशन केवल गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे रह रहे लोगों तक ही सीमित है एवं प्रत्येक वृद्धजन यह पहुंच नही पा रहा है। यह सुझाव है कि सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को गैर कर दाताओं एवं जो किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं करते, उनके लिए भी वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को पेंशन को यथोचित कर इसे 2,500/– प्रति माह तक बढ़ा देनी चाहिए जो न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार ही है।

3) शहरी विकास मंत्रालय ने एक योजना तैयार की है जिसमें यह वर्णित है कि वृद्धाश्रम कैसा होना चाहिए। यह सुझाव है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय वृद्धाश्रमों के निर्माण एवं रख–रखाव हेतु विस्तृत आय न्यूनतम मानक स्थापित करें एवं ये सामान्य न्यूनतम मानक को सभी वृद्धाश्रमों द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

4) देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में जेन्एट्रीक दवाई में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शुरुआत की जानी चाहिए। इस संबंध में राष्ट्रपति, भारतीय चिकित्सा परिषद भारत सरकार एवं संबंधित राज्य सरकारों से कार्रवाई अपेक्षित है।

5) जैसा कि 40 प्रतिशत बुजुर्ग किसी प्रकार की अशक्तता एवं अन्य व्याधी के शिकार होते हैं, सभी लोक भवनों को तत्काल ही अशक्त एवं अशक्त बुजुर्गों के प्रवेश योग्य परिवर्तित करनी होगी।

6) सभी देश के सभी जिलों में वृद्धाश्रमों के निर्माण हेतु प्राथमिकता दी जाए।

7) तीसरे पक्ष द्वारा वृद्धाश्रमों का नियमित लेखापरीक्षा एवं निगरानी की जाए।

8) जैसा कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में बुजुर्ग मांसिक समस्याओं के शिकार होते हैं, लखनऊ में स्थापित जेरिएट्रिक मानसिक स्वास्थ्य देख–रेख केन्द्र/संस्थान के तर्ज पर इस तरह की संस्थाओं का निर्माण किया जाए।

दिव्यांगजनों पर एन.एच.आर.सी.कोर ग्रुप की बैठक

20.19 दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 को श्री एस.सी.सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. की अध्यक्षता में दिव्यांगजनों पर एक कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। गहन विचार–विमर्श के पश्चात्, कई

महत्वपूर्ण सिफारिशें उभरकर सामने आईं, जिनका समुचित तरीके से कार्यान्वयन करने पर, दिव्यांग जनों के अधिकारों के बेहतर संरक्षण में मदद मिल पाएगी। दिव्यांग जन विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संबंधित से संबंधित निम्न मुख्य सिफरिशें हैं :

(i) दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 3 (3) में यह उद्धृत है कि अशक्तता के आधार पर किसी भी दिव्यांग जन के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, जब तक कि यह दर्शाया जाए कि एक वैद्य उद्दे य को प्राप्त करने हेतु प्रभावित अधिनियम या चूक एक आनुपारिक माध्यम है। जैसा कि 'वैद्य अधिनियम' पर इस अधिनियम में कहीं जिक्र नहीं है, यह अशक्तता के आधार पर भेदभाव हेतु कार्यकारियों को निर्बाध भाक्ति प्रदान कर देगा। यह सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा इस पर ध्यान रखना चाहिए।

(ii) आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 जिला न्यायालयों द्वारा सीमित संरक्षण अनुदान प्रदान करता है जिसके तहत दिव्यांग जनों एवं संरक्षकों के मध्य संयुक्त चर्चा होगी। ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए नैशनल ट्रस्ट एवं एकाधिक विकलांगता अधिनियम, 1999 में, संरक्षक नियुक्ति का प्रावधान है जैसा कि इस मुद्दे को सुसंगत होने की आवश्यकता है। विधेयक में पूर्ण संरक्षण का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया गया है। यह सुझाव दिया गया कि संरक्षण को सीमित करने के बजाय, आवश्यकता आधारित संरक्षण की आवश्यकता है।

(iii) दिव्यांग जनों को अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में प्राधिकृत चिकित्सा बोर्ड के डॉक्टरों में संवेदन ाीलता का पर्याप्त अभाव है। चिकित्सा बोर्ड के एक भी सदस्य के अभाव में, अशक्तता प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। अतः दिव्यांग जन अशक्तता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु एक जगह से दूसरी जगह का चक्कर लगाते रहते हैं। यह सुझाव दिया गया कि व्यक्ति की अशक्तता के पहचान हेतु एक ही व्यक्ति काफी होना चाहिए जो अशक्तता प्रमाण पत्र जारी करने में सक्षम हो। कई डॉक्टर संपूर्ण परिपत्र जारी करने हेतु जागरूक नहीं है एवं अतः डॉक्टरों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। अतः एक ऐसी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है जिससे अशक्तता प्रमाण पत्र तुरन्त एक महीने के अन्दर जारी किया जा सके।

(iv) आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 की अनुसूचि में, जिसके पैरा 7 के तहत 'विशिष्ट विकलांगता' वर्गीकृत है, इसमें यह प्रावधान है कि केन्द्र सरकार द्वारा अशक्तता के किसी अन्य वर्ग को 'विशिष्ट अशक्तता' के रूप में अधिसूचित कर सकेगी। अतः अन्य दिव्यांग जनों की पहचान कर इस सूची में शामिल की जा सकती है।

(v) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार, ड्राइव कर सकने वाले, भाारीरिक रूप से दिव्यांग जनों द्वारा गाड़ी खरीदने पर उनके लिए उत्पाद शुल्क में छूट के प्रावधान है। दिव्यांग जनों के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो ड्राइव नहीं कर सकते लेकिन उन्हें गाड़ी की आवश्यकता है। अतः यह सुझाव है कि उत्पाद भाुल्क में छूट के प्रावधान को सभी दिव्यांग जनों के लिए बढ़ा दिया जाए।

(vi) भारतीय पुर्नवास परिषद (आर.सी.आई.) अधिनियम 1992 में संशोधन की आवश्यकता है जैसा कि इसमें सभी दिव्यांग जन शामिल नहीं होते। आर.जी.डी. अधिनियम, 2016 को ध्यान में रखते

हुए आर.सी.आई. अधिनियम, 1992 में संपूर्ण संशोधन की आवश्यकता है। यू.एन.सी.आर.पी.डी. को ध्यान में रखते हुए, दो व्यापक कार्य की आवश्यकता है : प्रथम, यह स्थानीय समितियों द्वारा संरक्षकों की नियुक्ति करें एवं द्वितीय अशक्तता के चार वर्गों की योजनाओं का कार्यान्वयन करें। लेकिन अब, आर.पी.डी. अधिनियम, 2016 के तहत संरक्षण की परिकल्पना में संशोधन किया गया है जैसा कि इसमें सीमित संरक्षण की बात करता है। जिसका राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम, 1999 में कोई जिक्र नहीं है। अतः आर.पी.डी.अधिनियम, 2016 को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय ट्रस्ट में संशोधन की आवश्यकता है।

20.20 केन्द्रीय मंत्रालयों को इन संस्तुतियों की जांच कर इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने को कहा गया है।

एन.एच.आर.सी. में मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की बैठक

20.21 दिनांक 30 नवम्बर, 2016 को एन.एच.आर.सी. में मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य देश में मनोवैज्ञानिकों की कमी के मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक की अध्यक्षता श्री एस.सी. सिन्हा, सदस्य, एन.एच.आर.सी. द्वारा की गई तथा इसमें मानसिक स्वास्थ्य पर कोर ग्रुप के सदस्यगण एवं आयोग के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए। इस बैठक के विचार–विमर्शों के आधार पर, संस्तुतियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अस्पताल जिनमें साइकैट्री विभाग नहीं है, राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासनों के पास अग्रेषित कर दी गई है।

राज्य मानव अधिकार आयोग

20.22 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अनुसार किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 21 में विभिन्न राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोगों के गठन का प्रावधान है। मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण में राज्य मानव अधिकार आयोगों का अस्तित्व एवं कार्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

20.23 आयोग उन राज्यों से निवेदन करता है, जहां राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है कि वे मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 एवं पेरिस सिद्धांतों के अनुसार लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन से संबंधित आव यक कार्रवाई की शुरूआत करें।

20.24 राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम सूचना के अनुसार, कुल 26 राज्यों ने राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है। शेष राज्यों में यथाशीघ्र राज्य मानव अधिकार आयोगों की स्थापना नागरिकों के हित में है। आयोग ने राज्य मानव अधिकार आयोगों को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत उनके कार्यों के निष्पादन एवं शिकायतों के निवारण हेतु सुप्रवाही बनाने के लिए आव यक मूल संरचना, न्यूनतम जन शक्ति एवं वित्तीय आवश्यकताओं को विकसित करने के मुद्दे को केंद्र सरकार के पास उठाया है।

20.25 आयोग में दिनांक 17.03.2017 को नई दिल्ली में एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति श्री दलवीर भंडारी, सदस्य, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे इस सम्मेलन में एन.एच.आर.सी. के अध्यक्ष, सदस्यगण, महासचिव एवं अन्य अधिकारियों के अलावा विभिन्न एस.एच.आर.सी. के अध्यक्षगण/कार्यवाहक अध्यक्षगण, सदस्यगण, सचिव एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण उपस्थित हुए। भारत के कानून निर्माताओं के लिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. का गठन एक प्रेरणा के स्रोत रहें हैं जो भारत के नागरिकों के अनुल्लंघनीय अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इन आयोगों की शक्तियों के साथ–साथ मानव अधिकारों की व्यापक एवं संयुक्त परिभाषा पी.एच. आर. एक्ट, 1993 में वर्णित है जिसके तहत एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. को समस्त नागरिक राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों को संबोधित करने का आदेश प्राप्त है। आयोग ने एन.एच.आर.सी.–एस.एच.आर.सी. बैठक में एक एजेंडा तैयार करने की कोशिश की जिसकी सीमा काफी व्यापक है एवं जिससे एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. दोनों के कई मुद्दों जैसे पी.एच.आर. एक्ट में उपयुक्त संशोधन ताकि इन आयोगों के निर्णयों के लिए अत्यधिक शक्ति के साथ–साथ इन आयोगों को और अधिक प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए वित्तीय एवं प्रकार्यात्मक स्वायत्तता से सक्षम बनाना शामिल है, में मदद मिल सके। इस बैठक के अन्य मुख्य उद्देश्य मानव अधिकार समर्थकों, प्रशिक्षण एवं जागरूकता द्वारा मानव अधिकारों के संवर्द्धन के साथ–साथ एन.एच.आर.सी. एवं एस.एच.आर.सी. के सर्वोत्तम प्रथाओं खासकर जांच एवं अन्वेषण के क्षेत्र में अनुभव साझा करना था।

अनुलग्नक

अनुलग्नक– 1 पैरा 2.27

दिनांक 01.04.2016 से 31.03.2017 तक पंजीकृत मामलों की संख्या दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	शिकायतें	स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौतों/बलात्कार के संबंध में प्राप्त सूचना			मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	कुल योग
			पुलिस हिरासत में मौत/ बलात्कार	न्यायिक हिरासत में मौत/ बलात्कार	अर्द्ध सैनिक बलों/ रक्षा की हिरासत में मौत/ बलात्कार		
संपूर्ण भारत	633	1	0	0	0	0	**634**
आंध्र प्रदेश	1214	1	2	30	0	3	**1250**
अरुणाचल प्रदेश	25	0	1	0	0	5	**31**
असम	199	1	9	26	0	33	**268**
बिहार	3668	2	5	86	0	4	**3765**
गोवा	51	0	1	4	0	0	**56**
गुजरात	1144	3	10	53	0	0	**1210**
हरियाणा	4539	1	9	45	0	2	**4596**
हिमाचल प्रदेश	176	0	1	4	0	0	**181**
जम्मू एवं कश्मीर	241	2	0	7	1	0	**251**
कर्नाटक	1418	4	4	6	0	2	**1434**
केरल	668	7	5	48	0	1	**729**
मध्य प्रदेश	2542	7	10	135	0	1	**2695**
महाराष्ट्र	2321	6	25	125	0	8	**2485**
मणिपुर	38	0	1	0	0	3	**42**
मेघालय	33	0	0	1	0	10	**44**
मिजोरम	8	0	2	4	0	0	**14**
नागालैण्ड	13	0	1	0	0	0	**14**
ओडिशा	8682	8	4	47	0	9	**8750**
पंजाब	972	1	6	150	0	3	**1132**
राजस्थान	2887	4	6	82	0	0	**2979**
सिक्किम	5	0	0	0	0	0	**5**
तमिलनाडु	3002	11	7	60	0	2	**3082**
त्रिपुरा	55	0	0	5	0	0	**60**
उत्तर प्रदेश	42160	15	11	400	0	4	**42590**
पश्चिम बंगाल	1561	2	9	99	0	7	**1678**
अंडमान निकोबार	43	0	0	0	0	0	**43**
चण्डीगढ़	123	0	0	3	0	0	**126**
दादरा एवं नगर हवेली	8	0	0	0	0	0	**8**
दमन एवं दीव	13	0	0	0	0	0	**13**
दिल्ली	6324	11	2	30	0	1	**6368**
लक्षद्वीप	10	0	0	0	0	0	**10**
पुदुचेरी	141	0	0	1	0	0	**142**
छत्तीसगढ़	586	6	6	56	0	75	**729**
झारखण्ड	1468	1	5	60	0	7	**1541**
उत्तराखण्ड	1693	0	0	20	0	0	**1713**
तेलंगाना	891	4	4	29	0	0	**928**
विदेश	291	0	0	0	0	0	**291**
कुल योग	**89846**	**98**	**146**	**1616**	**1**	**180**	**91887**

अनुलग्नक–2 **पैरा 2.29–2.32**

वर्ष 2016–17 के दौरान निपटाए गए मामलों को दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भ में खारिज	निर्देश सहित निपटान	राज्य मानव अधिकार आयोग को हस्तांतरित	रिपोर्ट प्राप्ति के बाद समाप्त			कुल योग
				शिकायतें/स्वतः संज्ञान के मामले	हिरासतीय मौतें/ बलात्कार	मुठभेड़ में हुई मौतों के संबंध में प्राप्त सूचना	
संपूर्ण भारत	550	60	0	4	0	0	614
आंध्र प्रदेश	636	201	257	317	76	6	1493
अरुणाचल प्रदेश	10	4	0	16	4	5	39
असम	116	32	23	131	38	76	416
बिहार	1843	479	909	681	127	0	4039
गोवा	31	7	8	12	7	0	65
गुजरात	601	179	211	168	104	0	1263
हरियाणा	2740	557	812	795	83	7	4994
हिमाचल प्रदेश	94	41	11	51	11	0	208
जम्मू एवं कश्मीर	110	90	40	142	3	0	385
कर्नाटक	734	419	165	197	10	5	1530
केरल	394	81	121	355	70	1	1022
मध्य प्रदेश	1302	384	537	475	193	7	2898
महाराष्ट्र	1370	375	483	367	224	15	2834
मणिपुर	8	8	4	92	3	13	128
मेघालय	23	4	0	34	4	10	75
मिजोरम	1	3	0	8	4	0	16
नागालैण्ड	4	2	0	20	3	0	29
ओडिशा	2096	4924	1245	1813	70	11	10159
पंजाब	497	155	195	256	129	1	1233
राजस्थान	1401	444	586	701	105	2	3239
सिक्किम	4	0	0	2	1	0	7
तमिलनाडु	1947	416	475	346	76	5	3265
त्रिपुरा	25	17	1	17	2	0	62
उत्तर प्रदेश	18420	5970	13172	7709	411	45	45727
पश्चिम बंगाल	888	199	272	374	95	8	1836
अंडमान निकोबार	20	13	0	9	2	0	44
चण्डीगढ़	92	21	3	44	6	0	166
दादरा एवं नगर हवेली	5	3	0	1	0	0	9
दमन एवं दीव	7	2	0	1	0	0	10
दिल्ली	3835	1710	2	1406	60	11	7024
लक्षद्वीप	5	3	0	1	0	0	9
पुदुचेरी	67	34	0	29	3	0	133
छत्तीसगढ़	322	104	96	201	107	27	857
झारखण्ड	631	283	302	365	68	10	1659
उत्तराखण्ड	922	182	453	250	30	0	1837
तेलंगाना	578	185	63	196	65	2	1089
विदेश	198	75	0	13	0	0	286
कुल योग	**42527**	**17666**	**20446**	**17599**	**2194**	**267**	**100699**

अनुलग्नक – 3 पैरा 2.33

31.03.2017 तक लंबित मामलों की संख्या को दर्शाने वाली तालिका

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	प्रारम्भिक विचारण हेतु लंबित मामले				वे लम्बित मामले जिनकी प्राधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है या फिर रिपोर्ट की प्रतीक्षा है				कुल योग
	शिकायतें/ स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/ बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	शिकायतें/ स्वतः संज्ञान	हिरासतीय मौत/ बलात्कार	मुठभेड़ में मौत	योग	
संपूर्ण भारत	31	0	0	31	15	0	0	15	**46**
आंध्र प्रदेश	56	1	1	58	340	122	11	473	**531**
अरुणाचल प्रदेश	6	0	0	6	25	19	16	60	**66**
असम	5	5	4	14	159	67	237	463	**477**
बिहार	121	14	1	136	1246	317	15	1578	**1714**
गोवा	1	0	0	1	14	3	0	17	**18**
गुजरात	76	2	0	78	487	109	2	598	**676**
हरियाणा	93	14	0	107	1208	122	11	1341	**1448**
हिमाचल प्रदेश	9	0	0	9	103	8	0	111	**120**
जम्मू एवं कश्मीर	7	0	0	7	122	6	1	129	**136**
कर्नाटक	45	1	0	46	216	12	4	232	**278**
केरल	38	3	0	41	230	89	0	319	**360**
मध्य प्रदेश	90	8	0	98	796	127	13	936	**1034**
महाराष्ट्र	67	6	0	73	594	223	27	844	**917**
मणिपुर	2	0	0	2	113	4	38	155	**157**
मेघालय	2	0	0	2	44	15	54	113	**115**
मिजोरम	0	0	0	0	12	13	0	25	**25**
नागालैण्ड	2	0	0	2	12	10	0	22	**24**
ओडिशा	148	5	2	155	1694	82	18	1794	**1949**
पंजाब	32	8	0	40	520	215	5	740	**780**
राजस्थान	93	12	0	105	1226	186	1	1413	**1518**
सिक्किम	0	0	0	0	6	1	0	7	**7**
तमिलनाडु	99	1	0	100	523	87	3	613	**713**
त्रिपुरा	2	0	0	2	47	18	2	67	**69**
उत्तर प्रदेश	908	28	1	937	11027	1028	54	12109	**13046**
पश्चिम बंगाल	67	14	3	84	550	265	27	842	**926**
अंडमान निकोबार	2	0	0	2	16	4	0	20	**22**
चण्डीगढ़	1	0	0	1	52	8	0	60	**61**
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	3	1	0	4	**4**
दमन एवं दीव	0	0	0	0	8	0	0	8	**8**
दिल्ली	187	0	0	187	2020	109	11	2140	**2327**
लक्षद्वीप	0	0	0	0	7	0	0	7	**7**
पुदुचेरी	7	0	0	7	55	2	0	57	**64**
छत्तीसगढ़	24	7	5	36	367	128	149	644	**680**
झारखण्ड	48	20	2	70	651	159	48	858	**928**
उत्तराखण्ड	39	3	0	42	271	43	2	316	**358**
तेलंगाना	36	4	0	40	258	110	7	375	**415**
विदेश	18	0	0	18	43	0	0	43	**61**
कुल योग	**2362**	**156**	**19**	**2537**	**25080**	**3712**	**756**	**29548**	**32085**

अनुलग्नक – 4 **पैरा 2.35**

वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय राहत के लिए रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या (दिनांक 06ध्08ध्2015 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

राज्य/संघ ाासित क्षेत्र का नाम	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुतियां की गई	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	उन मामलों की संख्या जिनमें संस्तुति का अनुपालन हुआ	भुगतान की गई राशि	अनुपालन हेतु लंबित मामले	अनुपालन हेतु लम्बित मामलों में संस्तुत राशि
संपूर्ण भारत	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	15	1685000	2	180000	13	1505000
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
असम	12	11200000	3	2000000	9	9200000
बिहार	31	6007500	6	1175000	25	4832500
गोवा	0	0	0	0	0	0
गुजरात	13	4775000	2	400000	11	4375000
हरियाणा	27	5050000	12	2825000	15	2225000
हिमाचल प्रदेश	1	100000	1	100000	0	0
जम्मू एवं कश्मीर	1	1500000	0	0	1	1500000
कर्नाटक	3	350000	1	300000	2	50000
केरल	7	1050000	0	0	7	1050000
मध्य प्रदेश	22	3865000	5	550000	17	3315000
महाराष्ट्र	38	8825000	9	2600000	29	6225000
मणिपुर	14	10240000	3	1500000	11	8740000
मेघालय	5	3000000	1	2000000	4	1000000
मिजोरम	3	500000	0	0	3	500000
नागालैण्ड	1	100000	0	0	1	100000
ओडिशा	64	10015000	14	1690000	50	8325000
पंजाब	12	1050000	5	425000	7	625000
राजस्थान	25	3020000	2	60000	23	2960000
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	10	2025000	2	200000	8	1825000
त्रिपुरा	2	600000	0	0	2	600000
उत्तर प्रदेश	145	19025000	12	810000	133	18215000
पश्चिम बंगाल	15	3875000	3	600000	12	3275000
अंडमान निकोबार	0	0	0	0	0	0
चण्डीगढ़	2	1150000	0	0	2	1150000
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	26	5620000	6	650000	20	4970000
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	8	2200000	2	600000	6	1600000
झारखण्ड	21	4455000	4	750000	17	3705000
उत्तराखण्ड	2	125000	1	100000	1	25000
तेलंगाना	6	1080000	0	0	6	1080000
कुल योग	531	112487500	96	19515000	435	92972500

अनुलग्नक – 5 पैरा 2.36

वर्ष 2016–17 के दौरान वित्तीय राहत के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा संस्तुत मामलों की कुल संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	आंध्र प्रदेश	1027/1/19/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/11/2017
2	आंध्र प्रदेश	1051/1/6/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	12/5/2016
3	आंध्र प्रदेश	1066/1/19/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	8/30/2016
4	आंध्र प्रदेश	1117/1/6/2014	100	बच्चे	75000	6/29/2016
5	आंध्र प्रदेश	1182/1/6/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/6/2017
6	आंध्र प्रदेश	1251/1/21/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/21/2016
7	आंध्र प्रदेश	135/1/6/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	9/16/2016
8	आंध्र प्रदेश	5/1/3/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	20000	4/1/2016
9	आंध्र प्रदेश	792/1/19/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/29/2016
10	आंध्र प्रदेश	864/1/10/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	110000	9/1/2016
11	आंध्र प्रदेश	909/1/22/2015	112	आश्रय गृह में कथित मौत	200000	10/4/2016
12	आंध्र प्रदेश	94/1/24/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/19/2016
13	आंध्र प्रदेश	970/1/6/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/20/2016
14	असम	141/3/13/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	4/6/2016
15	असम	213/3/16/2013-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	6/29/2016
16	असम	220/3/16/2014-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	600000	3/27/2017
17	असम	229/3/24/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	6/29/2016
18	असम	242/3/15/2012-AF	1603	अपहरण/बलात्कार	100000	3/30/2017
19	असम	358/3/4/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	6/7/2016
20	असम	389/3/10/2012-AF	1610	सैन्य मुठभेड़ में मौत	500000	2/21/2017
21	असम	46/3/24/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	4/6/2016
22	असम	63/3/24/09-10	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	5500000	1/25/2017
23	बिहार	1079/4/26/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/28/2016
24	बिहार	1165/4/5/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/20/2016
25	बिहार	1299/4/8/07-08-PF	1709	गोलीबारी में मौत	725000	11/9/2016
26	बिहार	1365/4/4/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	10000	5/23/2016
27	बिहार	1458/4/23/2015	809	हिरासतीय उत्पीड़न	20000	1/12/2017
28	बिहार	1521/4/4/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/1/2016
29	बिहार	1588/4/8/09-10-PF	1707	हिरासतीय उत्पीड़न	500000	10/6/2016
30	बिहार	16/4/24/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	10/21/2016
31	बिहार	2047/4/28/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/22/2017
32	बिहार	208/4/39/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	4/19/2016
33	बिहार	2166/4/23/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/6/2017
34	बिहार	2179/4/14/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	3/17/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
35	बिहार	2196/4/36/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/17/2017
36	बिहार	2267/4/27/2012-WC	803	अपहरण/बलात्कार	300000	3/22/2017
37	बिहार	2315/4/8/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/9/2016
38	बिहार	2546/4/3/2014-WC	1309	महिलाओं का अपमान	10000	6/8/2016
39	बिहार	2572/4/8/08-09-AD	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	5/27/2016
40	बिहार	2886/4/39/2013	100	बच्चे	67500	3/14/2017
41	बिहार	3380/4/26/2014	502	स्थानीय बदमाशों द्वारा उपद्रव	800000	2/9/2017
42	बिहार	3532/4/5/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	3/27/2017
43	बिहार	3554/4/23/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	9/27/2016
44	बिहार	4378/4/21/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	11/16/2016
45	बिहार	4598/4/26/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/6/2017
46	बिहार	715/4/39/2014-WC	803	अपहरण/बलात्कार	100000	4/19/2016
47	बिहार	846/4/39/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/2/2017
48	चण्डीगढ़	122/27/0/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	1050000	3/20/2017
49	चण्डीगढ़	131/27/0/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	3/29/2017
50	छत्तीसगढ़	166/33/14/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/24/2016
51	छत्तीसगढ़	487/33/14/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/14/2017
52	छत्तीसगढ़	532/33/14/2015-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	12/13/2016
53	छत्तीसगढ़	671/33/8/2015	106	यौन उत्पीड़न	300000	10/7/2016
54	छत्तीसगढ़	702/33/5/2013	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	500000	4/27/2016
55	छत्तीसगढ़	961/33/9/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/8/2016
56	दिल्ली	1111/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	7/13/2016
57	दिल्ली	1290/30/10/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	4/18/2016
58	दिल्ली	1361/30/9/2014	815	गलत मामले में फंसाना	500000	11/8/2016
59	दिल्ली	3434/30/2/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	11/7/2016
60	दिल्ली	374/30/3/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	3/16/2017
61	दिल्ली	4167/30/0/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	9/16/2016
62	दिल्ली	4345/30/0/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	2/10/2017
63	दिल्ली	4433/30/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	3/1/2017
64	दिल्ली	4631/30/3/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	25000	3/27/2017
65	दिल्ली	4632/30/10/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	2/27/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
66	दिल्ली	5050/30/5/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	3/20/2017
67	दिल्ली	532/30/1/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	12/7/2016
68	दिल्ली	5357/30/8/2012	809	हिरासतीय उत्पीड़न	100000	7/11/2016
69	दिल्ली	5494/30/0/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	900000	11/28/2016
70	दिल्ली	5537/30/9/2014-PF	1703	अपहरण/बलात्कार	100000	3/20/2017
71	दिल्ली	6233/30/10/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	3/1/2017
72	दिल्ली	6507/30/2/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	12/7/2016
73	दिल्ली	6738/30/8/2014	1200	सेवा मामले	25000	6/20/2016
74	दिल्ली	7294/30/1/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	5/19/2016
75	दिल्ली	7298/30/3/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	620000	7/15/2016
76	गुजरात	1345/6/25/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/17/2016
77	गुजरात	1435/6/13/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	6/7/2016
78	गुजरात	1515/6/25/2014	815	गलत मामले में फंसाना	25000	9/15/2016
79	गुजरात	1573/6/9/2013-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	12/7/2016
80	गुजरात	160/6/21/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/8/2016
81	गुजरात	212/6/9/2010	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	1600000	6/8/2016
82	गुजरात	256/6/9/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	550000	1/25/2017
83	गुजरात	286/6/23/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	8/29/2016
84	गुजरात	394/6/6/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	1/5/2017
85	गुजरात	805/6/25/2015-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/24/2017
86	गुजरात	964/6/26/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/1/2016
87	हरियाणा	10991/7/5/2014-AD	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हि. रासतीय हत्या	400000	8/29/2016
88	हरियाणा	13005/7/10/2014	305	कैदियों का उत्पीड़न	100000	11/21/2016
89	हरियाणा	1438/7/15/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	7/25/2016
90	हरियाणा	1969/7/6/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	11/30/2016
91	हरियाणा	2064/7/15/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	5/10/2016
92	हरियाणा	3007/7/3/2014-WC	1311	बलात्कार	300000	2/21/2017
93	हरियाणा	3431/7/6/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/21/2016
94	हरियाणा	3688/7/12/2012	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	8/18/2016
95	हरियाणा	4569/7/2/2014-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	3/17/2017
96	हरियाणा	4778/7/6/2012	109	गुमशुदगी	100000	1/24/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
97	हरियाणा	5563/7/7/2014-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	200000	11/9/2016
98	हरियाणा	5832/7/6/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	5/20/2016
99	हरियाणा	6189/7/18/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	3/20/2017
100	हरियाणा	7904/7/1/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	25000	11/17/2016
101	हरियाणा	90/7/20/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	6/22/2016
102	जम्मू एवं कश्मीर	94/9/8/2010-AF	1611	कथित फर्जी मुठभेड़ (रक्षा)	1500000	8/17/2016
103	झारखण्ड	1167/34/16/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	12/13/2016
104	झारखण्ड	118/34/16/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/12/2016
105	झारखण्ड	1188/34/18/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	200000	3/2/2017
106	झारखण्ड	1194/34/11/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	500000	5/17/2016
107	झारखण्ड	1209/34/20/2012	1500	विविध	400000	9/7/2016
108	झारखण्ड	1447/34/11/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	2/7/2017
109	झारखण्ड	1538/34/4/2014-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/8/2016
110	झारखण्ड	319/34/21/09-10	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	125000	9/8/2016
111	झारखण्ड	355/34/22/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	1/29/2017
112	झारखण्ड	370/34/2/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	10000	5/16/2016
113	झारखण्ड	410/34/20/2015	604	जोख़िमपूर्ण रोज़गार	400000	9/7/2016
114	झारखण्ड	514/34/11/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	2/21/2017
115	झारखण्ड	767/34/22/2010-PF	1709	गोलीबारी में मौत	150000	9/8/2016
116	झारखण्ड	817/34/9/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	50000	9/7/2016
117	झारखण्ड	890/34/3/2013	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	25000	6/20/2016
118	झारखण्ड	947/34/11/2013	811	पुलिस गोलीबारी में मौत	700000	10/19/2016
119	झारखण्ड	949/34/0/2012	1500	विविध	70000	7/11/2016
120	कर्नाटक	204/10/1/2014-WC	1309	महिलाओं का अपमान	25000	12/30/2016
121	कर्नाटक	967/10/1/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	4/13/2016
122	केरल	189/11/12/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	7/13/2016
123	केरल	437/11/8/2014-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/31/2016
124	केरल	448/11/11/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	7/13/2016
125	केरल	454/11/13/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	7/4/2016
126	केरल	464/11/3/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	1/5/2017
127	केरल	508/11/2/2016-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	3/27/2017
128	केरल	615/11/3/2016	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	1/24/2017
129	मध्य प्रदेश	1328/12/18/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/20/2016

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
130	मध्य प्रदेश	1761/12/24/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	50000	4/1/2016
131	मध्य प्रदेश	204/12/5/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/9/2016
132	मध्य प्रदेश	2100/12/17/2014	104	बच्चों का उत्पीड़न	50000	8/22/2016
133	मध्य प्रदेश	2157/12/8/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/1/2016
134	मध्य प्रदेश	2170/12/54/2015	106	यौन उत्पीड़न	200000	10/31/2016
135	मध्य प्रदेश	2198/12/35/2014-WC	803	अपहरण/बलात्कार	100000	3/21/2017
136	मध्य प्रदेश	2203/12/30/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	3/22/2017
137	मध्य प्रदेश	236/12/38/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	30000	1/11/2017
138	मध्य प्रदेश	2695/12/33/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	625000	3/22/2017
139	मध्य प्रदेश	3022/12/46/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	200000	2/21/2017
140	मध्य प्रदेश	325/12/36/2014-WC	1305	दहेज की मांग	25000	6/30/2016
141	मध्य प्रदेश	353/12/54/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	125000	5/23/2016
142	मध्य प्रदेश	508/12/24/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/7/2016
143	मध्य प्रदेश	675/12/7/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	6/30/2016
144	मध्य प्रदेश	834/12/7/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	900000	2/27/2017
145	मध्य प्रदेश	877/12/24/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	10000	3/8/2017
146	महाराष्ट्र	1010/13/22/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	25000	10/19/2016
147	महाराष्ट्र	102/13/13/2014-WC	1313	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (सर. कारी कार्यालय)	100000	11/24/2016
148	महाराष्ट्र	1196/13/17/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/21/2016
149	महाराष्ट्र	1286/13/6/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	9/15/2016
150	महाराष्ट्र	1384/13/4/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/13/2016
151	महाराष्ट्र	1385/13/28/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/16/2017
152	महाराष्ट्र	1386/13/17/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	2/2/2017
153	महाराष्ट्र	1391/13/3/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	9/28/2016
154	महाराष्ट्र	1454/13/9/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/16/2017
155	महाराष्ट्र	1517/13/14/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	1/25/2017
156	महाराष्ट्र	1615/13/17/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	9/20/2016
157	महाराष्ट्र	1756/13/30/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	3/27/2017
158	महाराष्ट्र	18/13/4/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	11/10/2016
159	महाराष्ट्र	1831/13/13/2015	106	यौन उत्पीड़न	50000	2/21/2017
160	महाराष्ट्र	2242/13/23/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2016
161	महाराष्ट्र	228/13/21/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11/16/2016
162	महाराष्ट्र	2991/13/16/2013-WC	1312	यौन उत्पीड़न (सामान्य)	50000	9/19/2016

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
163	महाराष्ट्र	3143/13/23/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	1/25/2017
164	महाराष्ट्र	390/13/22/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/2/2017
165	महाराष्ट्र	473/13/26/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	50000	5/27/2016
166	महाराष्ट्र	496/13/23/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	2/13/2017
167	महाराष्ट्र	501/13/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	4/6/2016
168	महाराष्ट्र	545/13/6/2013-WC	1311	बलात्कार	100000	5/11/2016
169	महाराष्ट्र	554/13/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	6/14/2016
170	महाराष्ट्र	56/13/16/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	9/21/2016
171	महाराष्ट्र	820/13/33/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	450000	6/1/2016
172	महाराष्ट्र	848/13/16/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	11/23/2016
173	महाराष्ट्र	873/13/4/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	9/15/2016
174	महाराष्ट्र	902/13/25/09-10-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	1/25/2017
175	मणिपुर	108/14/15/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	6/29/2016
176	मणिपुर	11/14/2/09-10-PF	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1000000	5/10/2016
177	मणिपुर	2/14/1/2010-PF	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	500000	9/15/2016
178	मणिपुर	2/14/12/07-08-PF	1709	गोलीबारी में मौत	440000	11/9/2016
179	मणिपुर	33/14/4/09-10-PF	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1000000	3/1/2017
180	मणिपुर	35/14/12/09-10-PF	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1500000	2/2/2017
181	मणिपुर	37/14/12/08-09-FE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	3/2/2017
182	मणिपुर	4/14/0/09-10-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	5/10/2016
183	मणिपुर	45/14/4/08-09-PF	1709	गोलीबारी में मौत	1000000	11/10/2016
184	मणिपुर	52/14/1/2010-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	300000	11/9/2016
185	मणिपुर	65/14/13/2012-PF	1711	कथित फर्जी मुठभेड़ (अर्द्ध शासकीय बल)	1500000	11/30/2016
186	मेघालय	2/15/1/2011-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	8/2/2016
187	मेघालय	20/15/3/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	12/7/2016
188	मेघालय	35/15/0/2015-AR	823	पुलिस अभिरक्षा में कथित बलात्कार	200000	11/8/2016
189	मेघालय	38/15/3/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	3/16/2017
190	मिजोरम	11/16/1/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	10/20/2016
191	मिजोरम	6/16/0/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	6/1/2016
192	मिजोरम	9/16/1/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	6/22/2016
193	नागालैण्ड	10/17/1/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	8/10/2016
194	ओडिशा	1030/18/29/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/16/2017
195	ओडिशा	11351/18/26/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	2/16/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
196	ओडिशा	11430/18/16/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	6/23/2016
197	ओडिशा	1194/18/20/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	120000	6/15/2016
198	ओडिशा	12002/18/9/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	1/10/2017
199	ओडिशा	12095/18/8/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	155000	1/9/2017
200	ओडिशा	13526/18/5/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	285000	1/10/2017
201	ओडिशा	1475/18/7/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	150000	5/18/2016
202	ओडिशा	1627/18/6/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/11/2017
203	ओडिशा	1754/18/8/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	3/22/2017
204	ओडिशा	1798/18/28/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	65000	11/29/2016
205	ओडिशा	1806/18/31/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	2/21/2017
206	ओडिशा	192/18/12/2014	100	बच्चे	20000	5/3/2016
207	ओडिशा	1981/18/13/2014	106	यौन उत्पीड़न	600000	1/6/2017
208	ओडिशा	2109/18/30/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	9/21/2016
209	ओडिशा	2173/18/7/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	60000	8/2/2016
210	ओडिशा	2180/18/28/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	7/8/2016
211	ओडिशा	2187/18/10/2013	106	यौन उत्पीड़न	50000	9/19/2016
212	ओडिशा	2207/18/10/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	3/22/2017
213	ओडिशा	2284/18/29/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	12/20/2016
214	ओडिशा	2307/18/26/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	870000	11/16/2016
215	ओडिशा	2328/18/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	9/23/2016
216	ओडिशा	2373/18/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	3/22/2017
217	ओडिशा	2430/18/12/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	1/9/2017
218	ओडिशा	2524/18/13/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	12/21/2016
219	ओडिशा	2842/18/8/2012	1202	पेशन/हर्जाने का भुगतान न करना	100000	7/11/2016
220	ओडिशा	2976/18/3/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	50000	12/21/2016

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
221	ओडिशा	3098/18/10/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	12/30/2016
222	ओडिशा	3274/18/1/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	225000	4/13/2016
223	ओडिशा	3321/18/17/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	11/4/2016
224	ओडिशा	3332/18/33/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	6/27/2016
225	ओडिशा	3513/18/4/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	300000	1/10/2017
226	ओडिशा	3526/18/31/2014	1904	प्रताड़ित करना	925000	4/26/2016
227	ओडिशा	3556/18/1/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	6/8/2016
228	ओडिशा	3778/18/12/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	40000	3/30/2017
229	ओडिशा	4060/18/2/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	20000	10/7/2016
230	ओडिशा	4137/18/3/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	5/11/2016
231	ओडिशा	4959/18/12/2014-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	150000	3/10/2017
232	ओडिशा	5027/18/31/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	60000	1/9/2017
233	ओडिशा	577/18/3/2013-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	1/11/2017
234	ओडिशा	6654/18/3/2016	1904	प्रताड़ित करना	100000	1/9/2017
235	ओडिशा	674/18/2/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	3/22/2017
236	ओडिशा	6744/18/7/2016	801	शक्ति का मनमाना प्रयोग	100000	1/9/2017
237	ओडिशा	689/18/8/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	3/22/2017
238	ओडिशा	705/18/3/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	2/13/2017
239	ओडिशा	727/18/29/08-09-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	6/30/2016
240	ओडिशा	8302/18/1/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	350000	1/10/2017
241	ओडिशा	8527/18/4/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	12/1/2016
242	ओडिशा	9328/18/2/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	1/30/2017
243	ओडिशा	9429/18/17/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	80000	12/9/2016
244	पंजाब	1117/19/3/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/31/2017
245	पंजाब	1534/19/13/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	2/21/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
246	पंजाब	273/19/13/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	2/13/2017
247	पंजाब	290/19/18/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	9/16/2016
248	पंजाब	304/19/19/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	1/23/2017
249	पंजाब	782/19/10/2014-WC	1311	बलात्कार	100000	3/20/2017
250	पंजाब	977/19/2/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	25000	2/13/2017
251	राजस्थान	1157/20/10/2016	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	100000	3/29/2017
252	राजस्थान	1196/20/14/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/29/2016
253	राजस्थान	1200/20/9/2015	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	3/7/2017
254	राजस्थान	1306/20/11/2013-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	50000	1/23/2017
255	राजस्थान	1338/20/2/2015	1901	अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. पर अत्याचार	10000	7/14/2016
256	राजस्थान	1533/20/7/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	6/27/2016
257	राजस्थान	1536/20/7/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/1/2016
258	राजस्थान	168/20/2/2014-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	4/19/2016
259	राजस्थान	1699/20/18/2015-WC	803	अपहरण/बलात्कार	100000	10/31/2016
260	राजस्थान	1703/20/26/2016	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	2/16/2017
261	राजस्थान	2033/20/19/2015-WC	1903	अनु. जाति/अनु. ज. जा. ति/अ.पि.व. का बलात्कार	50000	11/10/2016
262	राजस्थान	2185/20/14/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/18/2016
263	राजस्थान	2560/20/1/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/4/2016
264	राजस्थान	2583/20/21/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/14/2017
265	राजस्थान	2731/20/14/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/17/2017
266	राजस्थान	2971/20/9/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	2/8/2017
267	राजस्थान	344/20/24/2014	307	जेलों में अनियमितताएं	50000	5/16/2016
268	राजस्थान	586/20/6/2013	100	बच्चे	350000	5/23/2016
269	राजस्थान	64/20/30/2015-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	25000	12/7/2016
270	राजस्थान	84/20/29/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	10/4/2016
271	राजस्थान	922/20/21/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/11/2016
272	राजस्थान	937/20/13/2010	809	हिरासतीय उत्पीड़न	300000	1/23/2017
273	राजस्थान	942/20/10/2015-WC	1903	अनु. जाति/अनु. ज. जा. ति/अ.पि.व. का बलात्कार	50000	3/7/2017
274	तमिलनाडु	1482/22/11/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	5/11/2016
275	तमिलनाडु	1694/22/37/2014	106	यौन उत्पीड़न	50000	3/27/2017
276	तमिलनाडु	2051/22/13/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/21/2017
277	तमिलनाडु	2715/22/30/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	3/24/2017
278	तमिलनाडु	459/22/26/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	7/28/2016

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
279	तमिलनाडु	61/22/13/2014	816	अवैध हिरासत	300000	4/13/2016
280	तमिलनाडु	63/22/15/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	11/7/2016
281	तमिलनाडु	634/22/0/2016	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	1/23/2017
282	तेलंगाना	1047/1/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/23/2017
283	तेलंगाना	1077/1/7/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	80000	8/17/2016
284	तेलंगाना	1331/1/14/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/29/2016
285	तेलंगाना	403/1/14/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	6/29/2016
286	तेलंगाना	765/1/16/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	200000	8/1/2016
287	तेलंगाना	855/1/8/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/8/2017
288	त्रिपुरा	1185/23/5/2013-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	2/2/2017
289	त्रिपुरा	29/23/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12/7/2016
290	उत्तर प्रदेश	10226/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	9/29/2016
291	उत्तर प्रदेश	10642/24/40/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	7/21/2016
292	उत्तर प्रदेश	10703/24/71/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	3/22/2017
293	उत्तर प्रदेश	12021/24/46/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	5/23/2016
294	उत्तर प्रदेश	12111/24/41/2012	817	अवैध नज़रबंदी	50000	3/24/2017
295	उत्तर प्रदेश	13141/24/35/09-10-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	200000	7/21/2016
296	उत्तर प्रदेश	13259/24/35/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	100000	6/8/2016
297	उत्तर प्रदेश	13270/24/76/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	75000	4/25/2016
298	उत्तर प्रदेश	1333/24/7/2015-PCR	808	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	5/4/2016
299	उत्तर प्रदेश	13742/24/63/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	2/28/2017
300	उत्तर प्रदेश	13810/24/19/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	12/14/2016
301	उत्तर प्रदेश	14254/24/69/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	9/27/2016
302	उत्तर प्रदेश	14390/24/48/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	1/25/2017
303	उत्तर प्रदेश	14505/24/62/2014	1202	पेशन/हर्जाने का भुगतान न करना	100000	3/14/2017
304	उत्तर प्रदेश	14789/24/39/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	5/18/2016
305	उत्तर प्रदेश	14807/24/42/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	3/23/2017
306	उत्तर प्रदेश	1544/24/31/2014-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	100000	9/16/2016
307	उत्तर प्रदेश	15736/24/14/2014	1500	विविध	100000	3/17/2017
308	उत्तर प्रदेश	15744/24/42/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	10/24/2016
309	उत्तर प्रदेश	16296/24/68/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	7/11/2016
310	उत्तर प्रदेश	16511/24/60/2015-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	12/8/2016
311	उत्तर प्रदेश	17590/24/6/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	2/13/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
312	उत्तर प्रदेश	17661/24/75/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	2/13/2017
313	उत्तर प्रदेश	18128/24/27/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/30/2016
314	उत्तर प्रदेश	18424/24/50/2014	1202	पेशन/हर्जाने का भुगतान न करना	10000	5/3/2016
315	उत्तर प्रदेश	18780/24/53/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/18/2016
316	उत्तर प्रदेश	19040/24/57/2014-WC	1305	दहेज की मांग	25000	1/12/2017
317	उत्तर प्रदेश	19607/24/41/2010-WC	1311	बलात्कार	20000	1/25/2017
318	उत्तर प्रदेश	19697/24/15/2011-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	5/10/2016
319	उत्तर प्रदेश	20336/24/7/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	10/24/2016
320	उत्तर प्रदेश	20338/24/53/2013	306	जेल में अनियमितताएं	50000	10/7/2016
321	उत्तर प्रदेश	20925/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	400000	12/26/2016
322	उत्तर प्रदेश	21140/24/38/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	7/28/2016
323	उत्तर प्रदेश	21607/24/20/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	5/23/2016
324	उत्तर प्रदेश	21939/24/48/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	5/31/2016
325	उत्तर प्रदेश	22031/24/13/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	11/9/2016
326	उत्तर प्रदेश	22082/24/10/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/29/2017
327	उत्तर प्रदेश	22473/24/43/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	2/16/2017
328	उत्तर प्रदेश	22499/24/9/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	1/24/2017
329	उत्तर प्रदेश	23050/24/14/2015-WC	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	10000	3/7/2017
330	उत्तर प्रदेश	23289/24/34/2013-WC	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	50000	4/19/2016
331	उत्तर प्रदेश	23902/24/31/2012-AD	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हि. रासतीय हत्या	100000	2/13/2017
332	उत्तर प्रदेश	25081/24/31/2011	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	9/2/2016
333	उत्तर प्रदेश	25136/24/55/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	300000	5/25/2016
334	उत्तर प्रदेश	25272/24/51/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	50000	2/28/2017
335	उत्तर प्रदेश	25395/24/44/2010-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	8/4/2016
336	उत्तर प्रदेश	25500/24/35/2014	109	गुमशुदगी	100000	3/20/2017
337	उत्तर प्रदेश	25866/24/15/2015	816	अवैध हिरासत	50000	1/25/2017
338	उत्तर प्रदेश	26090/24/44/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	100000	10/20/2016
339	उत्तर प्रदेश	26275/24/14/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/29/2017
340	उत्तर प्रदेश	26532/24/69/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	10000	11/10/2016
341	उत्तर प्रदेश	2672/24/27/2013-WC	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	25000	6/15/2016
342	उत्तर प्रदेश	27032/24/8/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	2/3/2017

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
343	उत्तर प्रदेश	27060/24/14/2011-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	11/9/2016
344	उत्तर प्रदेश	27898/24/49/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/6/2017
345	उत्तर प्रदेश	27930/24/18/2015	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	3/21/2017
346	उत्तर प्रदेश	29370/24/56/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	100000	2/28/2017
347	उत्तर प्रदेश	29674/24/54/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	600000	7/8/2016
348	उत्तर प्रदेश	29716/24/52/2014	815	गलत मामले में फंसाना	25000	2/8/2017
349	उत्तर प्रदेश	29796/24/13/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	2/21/2017
350	उत्तर प्रदेश	29803/24/42/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	3/20/2017
351	उत्तर प्रदेश	29857/24/9/2016	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	3/22/2017
352	उत्तर प्रदेश	30016/24/76/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	3/20/2017
353	उत्तर प्रदेश	30311/24/31/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	11/9/2016
354	उत्तर प्रदेश	30768/24/64/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	10/24/2016
355	उत्तर प्रदेश	31226/24/21/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	25000	12/5/2016
356	उत्तर प्रदेश	31656/24/4/2011	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	50000	10/3/2016
357	उत्तर प्रदेश	32377/24/75/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	10000	5/20/2016
358	उत्तर प्रदेश	3241/24/48/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	5/20/2016
359	उत्तर प्रदेश	32706/24/68/2014	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	10/20/2016
360	उत्तर प्रदेश	33149/24/54/2014	815	गलत मामले में फंसाना	50000	6/30/2016
361	उत्तर प्रदेश	33200/24/5/2013	802	अपहरण	25000	4/25/2016
362	उत्तर प्रदेश	33348/24/56/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	3/16/2017
363	उत्तर प्रदेश	33352/24/14/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	6/30/2016
364	उत्तर प्रदेश	33406/24/16/2012-DH	108	न्यायिक हिरासत में मौत	50000	11/29/2016
365	उत्तर प्रदेश	33710/24/14/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	1/2/2017
366	उत्तर प्रदेश	3384/24/76/2015-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	500000	6/23/2016
367	उत्तर प्रदेश	34079/24/18/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	30000	4/27/2016
368	उत्तर प्रदेश	34636/24/69/2011	801	शक्ति का मनमाना प्रयोग	500000	4/12/2016
369	उत्तर प्रदेश	34791/24/43/2013	106	यौन उत्पीड़न	100000	6/21/2016
370	उत्तर प्रदेश	35010/24/15/2013	817	अवैध नज़रबंदी	50000	5/4/2016
371	उत्तर प्रदेश	35027/24/50/2014	305	कैदियों का उत्पीड़न	100000	1/23/2017
372	उत्तर प्रदेश	35164/24/25/2013	105	बच्चों का अवैध व्यापार	50000	3/6/2017
373	उत्तर प्रदेश	35220/24/1/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/6/2016
374	उत्तर प्रदेश	35370/24/7/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	260000	7/21/2016

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
375	उत्तर प्रदेश	36210/24/31/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	6/20/2016
376	उत्तर प्रदेश	36481/24/2002-2003-AD	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हि. रासतीय हत्या	500000	3/16/2017
377	उत्तर प्रदेश	37174/24/14/2013	305	कैदियों का उत्पीड़न	100000	8/9/2016
378	उत्तर प्रदेश	37313/24/48/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	1/29/2017
379	उत्तर प्रदेश	37675/24/9/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचा. रियों द्वारा कार्रवाई न करना	125000	2/16/2017
380	उत्तर प्रदेश	38292/24/21/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	300000	12/20/2016
381	उत्तर प्रदेश	38745/24/54/2013	500	माफिया/अण्डरवर्ल्ड	50000	9/16/2016
382	उत्तर प्रदेश	39116/24/30/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	1/30/2017
383	उत्तर प्रदेश	39429/24/57/2012	816	अवैध हिरासत	50000	2/16/2017
384	उत्तर प्रदेश	39669/24/57/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	4/29/2016
385	उत्तर प्रदेश	40161/24/65/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	4/19/2016
386	उत्तर प्रदेश	40332/24/48/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	7/11/2016
387	उत्तर प्रदेश	40361/24/55/2013	817	अवैध नज़रबंदी	50000	2/16/2017
388	उत्तर प्रदेश	40420/24/75/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	6/20/2016
389	उत्तर प्रदेश	41931/24/65/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	12/5/2016
390	उत्तर प्रदेश	42848/24/31/2012	817	अवैध नज़रबंदी	25000	2/28/2017
391	उत्तर प्रदेश	42963/24/9/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/21/2017
392	उत्तर प्रदेश	43345/24/37/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	20000	8/1/2016
393	उत्तर प्रदेश	43922/24/3/2012	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	25000	4/25/2016
394	उत्तर प्रदेश	44438/24/43/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/16/2016
395	उत्तर प्रदेश	44878/24/49/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/6/2017
396	उत्तर प्रदेश	44988/24/59/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	4/19/2016
397	उत्तर प्रदेश	48166/24/4/2011	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	1/29/2017
398	उत्तर प्रदेश	49485/24/33/2011-WC	1309	महिलाओं का अपमान	10000	6/10/2016
399	उत्तर प्रदेश	49638/24/4/2014-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	25000	1/23/2017
400	उत्तर प्रदेश	5016/24/31/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	3/22/2017
401	उत्तर प्रदेश	5205/24/18/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/17/2016
402	उत्तर प्रदेश	5646/24/10/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/9/2016
403	उत्तर प्रदेश	5906/24/8/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	50000	1/6/2017
404	उत्तर प्रदेश	6170/24/57/08-09-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200000	8/24/2016

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नज. दीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
405	उत्तर प्रदेश	618/24/35/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	5/3/2016
406	उत्तर प्रदेश	6202/24/60/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	10000	1/31/2017
407	उत्तर प्रदेश	6270/24/68/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	3/16/2017
408	उत्तर प्रदेश	6383/24/24/2011-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	5/25/2016
409	उत्तर प्रदेश	7066/24/26/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/29/2017
410	उत्तर प्रदेश	7351/24/30/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	150000	1/31/2017
411	उत्तर प्रदेश	7501/24/75/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	9/23/2016
412	उत्तर प्रदेश	7805/24/31/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	8/18/2016
413	उत्तर प्रदेश	7828/24/54/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	8/18/2016
414	उत्तर प्रदेश	803/24/13/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	6/1/2016
415	उत्तर प्रदेश	8049/24/28/2014	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	4/1/2016
416	उत्तर प्रदेश	8119/24/46/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/30/2016
417	उत्तर प्रदेश	8470/24/17/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	7/13/2016
418	उत्तर प्रदेश	8555/24/56/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	1/30/2017
419	उत्तर प्रदेश	8998/24/9/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	9/1/2016
420	उत्तर प्रदेश	9078/24/43/2014	819	पुलिस द्वारा प्रेरित घटनाएं	25000	4/13/2016
421	उत्तर प्रदेश	9867/24/48/08-09-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	9/15/2016
422	उत्तर प्रदेश	9967/24/7/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	8/30/2016
423	उत्तराखण्ड	1227/35/6/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	3/6/2017
424	पश्चिम बंगाल	1066/25/13/2014	809	हिरासतीय उत्पीड़न	25000	2/8/2017
425	पश्चिम बंगाल	1107/25/2/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	500000	12/1/2016
426	पश्चिम बंगाल	127/25/15/2013-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11/9/2016
427	पश्चिम बंगाल	1272/25/5/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	12/5/2016
428	पश्चिम बंगाल	1315/25/11/2013	809	हिरासतीय उत्पीड़न	150000	6/20/2016
429	पश्चिम बंगाल	1356/25/13/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	11/24/2016
430	पश्चिम बंगाल	1419/25/22/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	150000	8/2/2016
431	पश्चिम बंगाल	157/25/13/09-10-AD	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	9/1/2016
432	पश्चिम बंगाल	624/25/13/09-10-AD	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	7/8/2016
433	पश्चिम बंगाल	79/25/5/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	5/4/2016
434	पश्चिम बंगाल	81/25/5/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	6/10/2016
435	पश्चिम बंगाल	915/25/17/2010-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	550000	11/9/2016

अनुलग्नक– 6 **पैरा 2.37**

वित्तीय राहत के भुगतान हेतु वर्ष 2015–16 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

(दिनांक 14ध्03ध्2017 तक सी.एम.एस. डाटा के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
1	असम	282/3/9/2013-WC	1309	महिलाओं का अपमान	50000	29/03/2016
2	असम	354/3/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	29/10/2015
3	बिहार	1453/4/23/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02/06/2015
4	बिहार	180/4/26/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300000	01/03/2016
*5	बिहार	1951/4/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	30/10/2015
6	छत्तीसगढ़	835/33/14/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	09/12/2015
7	दिल्ली	1907/30/0/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	600000	05/05/2015
8	दिल्ली	2315/30/10/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	75000	04/11/2015
9	दिल्ली	2624/30/0/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	22/06/2015
10	दिल्ली	3925/30/7/2013-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	31/03/2016
11	दिल्ली	5755/30/6/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	24/02/2016
12	दिल्ली	6565/30/8/2013	821	प्रताड़ित करना	250000	27/11/2015
13	दिल्ली	7146/30/0/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	10/12/2015
14	दिल्ली	969/30/1/2014-WC	1311	बलात्कार	100000	05/05/2015
15	हरियाणा	1195/7/3/2014	815	गलत मामले में फंसाना	100000	24/06/2015
16	हरियाणा	1572/7/19/2014	503	असामाजिक तत्वों द्वारा समस्या	900000	07/11/2015
17	हरियाणा	2942/7/14/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	50000	27/05/2015
18	हरियाणा	3267/7/0/2011-BL	601	बंधुआ मजदूर	400000	14/05/2015
19	हरियाणा	5390/7/1/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	07/07/2015
20	हरियाणा	9267/7/17/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	200000	15/09/2015
21	झारखण्ड	1011/34/4/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	09/07/2015
22	झारखण्ड	1155/34/11/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	11/06/2015
23	झारखण्ड	1243/34/6/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	10/12/2015
24	झारखण्ड	1276/34/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	11/06/2015
25	झारखण्ड	130/34/6/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	400000	10/12/2015
26	झारखण्ड	1383/34/5/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	02/12/2015
27	झारखण्ड	164/34/5/2013	305	कैदियों का उत्पीड़न	100000	18/11/2015
28	झारखण्ड	345/34/9/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	2400000	11/06/2015
29	झारखण्ड	550/34/20/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	80000	08/03/2016
30	झारखण्ड	564/34/3/2013-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	50000	21/04/2015
**31	झारखण्ड	984/34/15/08-09	804	शक्ति का दुरुपयोग	500000	06/05/2015
32	मध्य प्रदेश	1298/12/7/2014	1904	प्रताड़ित करना	100000	26/02/2016
33	मध्य प्रदेश	1598/12/2002-2003	1500	विविध	300000	02/07/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
34	मध्य प्रदेश	3446/12/8/2014	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	100000	19/10/2015
35	मध्य प्रदेश	554/12/15/2015	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	25000	24/02/2016
36	मध्य प्रदेश	629/12/8/2014	106	यौन उत्पीड़न	200000	22/01/2016
37	मध्य प्रदेश	902/12/20/2013-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	28/10/2015
38	महाराष्ट्र	2839/13/23/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	06/01/2016
39	महाराष्ट्र	2851/13/36/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	06/01/2016
40	महाराष्ट्र	2852/13/3/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	25000	21/01/2016
41	महाराष्ट्र	2855/13/36/2015	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50000	06/01/2016
42	महाराष्ट्र	2857/13/2/2015	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	50000	06/01/2016
43	महाराष्ट्र	415/13/24/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	14/10/2015
44	मणिपुर	16/14/6/2014-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	22/09/2015
45	ओडिशा	1179/18/18/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	10/02/2016
46	ओडिशा	1760/18/24/2014	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	100000	17/02/2016
47	ओडिशा	2106/18/14/2013-WC	1903	अनु. जाति/अनु. ज. जाति/अ.पि.व. का बलात्कार	100000	31/08/2015
48	ओडिशा	2296/18/28/2013-WC	1311	बलात्कार	100000	19/08/2015
49	ओडिशा	395/18/28/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	100000	18/11/2015
50	राजस्थान	1617/20/26/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	28/10/2015
51	राजस्थान	1651/20/2/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	150000	22/07/2015
52	राजस्थान	1766/20/2/2013	804	शक्ति का दुरुपयोग	300000	16/07/2015
53	राजस्थान	1904/20/14/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	50000	13/01/2016
54	तमिलनाडु	134/22/13/2015	106	यौन उत्पीड़न	100000	13/11/2015
55	तेलंगाना	1010/1/8/2013-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	300000	18/11/2015
56	तेलंगाना	1271/1/14/2013-WC	1311	बलात्कार	300000	14/07/2015
57	तेलंगाना	344/1/12/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	10/12/2015
58	त्रिपुरा	1670/23/4/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	25000	14/03/2016
59	त्रिपुरा	1691/23/3/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	10000	29/03/2016
60	त्रिपुरा	8/23/5/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	30/11/2015
61	उत्तर प्रदेश	12023/24/46/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	26/10/2015
62	उत्तर प्रदेश	18355/24/68/2010-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	13/05/2015
63	उत्तर प्रदेश	20006/24/60/2015	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	18/02/2016
64	उत्तर प्रदेश	21330/24/34/2013	821	प्रताड़ित करना	25000	31/08/2015
65	उत्तर प्रदेश	22385/24/34/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	24/06/2015
66	उत्तर प्रदेश	22934/24/46/2013-WC	1311	बलात्कार	25000	26/10/2015
67	उत्तर प्रदेश	24179/24/13/2011-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	12/01/2016
68	उत्तर प्रदेश	24558/24/31/2013	817	अवैध नज़रबंदी	25000	25/06/2015

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायतों का स्वरूप	पीड़ितों/ मृतकों के नजदीकी रिश्तेदारों को संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि
69	उत्तर प्रदेश	25042/24/8/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	03/07/2015
70	उत्तर प्रदेश	25612/24/10/2013	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	200000	31/08/2015
71	उत्तर प्रदेश	257/24/40/2014	806	अनु.जाति/अनु.ज.जा. पर अत्याचार (पुलिस द्वारा)	100000	14/07/2015
72	उत्तर प्रदेश	26047/24/7/2014	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	15000	01/10/2015
73	उत्तर प्रदेश	27481/24/71/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	09/11/2015
74	उत्तर प्रदेश	27603/24/77/2014-WC	803	अपहरण/बलात्कार	100000	13/07/2015
75	उत्तर प्रदेश	29202/24/2006-2007-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	500000	24/06/2015
76	उत्तर प्रदेश	32498/24/1/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	31/03/2016
77	उत्तर प्रदेश	34021/24/72/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	26/05/2015
78	उत्तर प्रदेश	35618/24/31/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25000	15/10/2015
79	उत्तर प्रदेश	36086/24/31/2013-WC	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	100000	24/06/2015
80	उत्तर प्रदेश	39313/24/3/2014	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज़ /प्रवर्तन/वन/ आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंस्तता	25000	07/03/2016
81	उत्तर प्रदेश	39734/24/36/2013-WC	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	100000	19/08/2015
82	उत्तर प्रदेश	39952/24/31/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	250000	02/06/2015
83	उत्तर प्रदेश	40059/24/43/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	100000	04/01/2016
84	उत्तर प्रदेश	40404/24/21/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	25/06/2015
85	उत्तर प्रदेश	41114/24/25/2013-WC	1304	दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास	100000	22/01/2016
86	उत्तर प्रदेश	42106/24/6/2011-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	08/10/2015
87	उत्तर प्रदेश	43640/24/51/2013	817	अवैध नज़रबंदी	30000	08/09/2015
88	उत्तर प्रदेश	43743/24/46/2012-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	300000	06/07/2015
89	उत्तर प्रदेश	44142/24/5/2011	1200	सेवा मामले	50000	01/12/2015
90	उत्तर प्रदेश	44241/24/72/2012	804	शक्ति का दुरुपयोग	50000	20/01/2016
91	उत्तर प्रदेश	44339/24/62/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	300000	17/04/2015
92	उत्तर प्रदेश	52622/24/48/08-09-AFE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	12/11/2015
93	उत्तर प्रदेश	6689/24/31/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	02/12/2015
94	उत्तर प्रदेश	6973/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	23/09/2015
95	पश्चिम बंगाल	614/25/16/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	02/12/2015
96	पश्चिम बंगाल	84/25/19/2014	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई न करना	600000	21/03/2016

***** रेलवे मंत्रालय ने मृतक के निकट संबंधियों (क्र.सं. 5) को आर्थिक राहत के भुगतान हेतु आयोग की संस्तुति को रिट याचिका (वाद) संख्या 1194/2017 द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी

****** रेलवे मंत्रालय ने मृतक के निकट संबंधियों को आर्थिक राहत के भुगतान हेतु आयोग की संस्तुति को रिट याचिका (वाद) संख्या 5974/2015 द्वारा उच्च न्यायालय, रांची में चुनौती दी

अनुलग्नक– 7 पैरा 2.37

वित्तीय राहत/अनुशासनात्मक कार्रवाई/अभियोजन के लिए वर्ष 2000–01 एवं वर्ष 2014–15 के दौरान रा.मा.अ.आ. द्वारा संस्तुत अनुपालन हेतु लंबित मामलों का विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदा. रों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
1	आंध्र प्रदेश	232/1/10/2014-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	100,000	30/01/2015	आंध्र प्रदेश
2	बिहार	1517/4/23/2011	100	बच्चे	50,000	02/09/2014	बिहार
3	बिहार	1934/4/5/2013	106	यौन उत्पीड़न (बच्चे)	100,000	16/12/2014	बिहार
4	बिहार	2329/4/39/2011	106	यौन उत्पीड़न (बच्चे)	25,000	20/02/2015	बिहार
5	बिहार	258/4/8/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	08/09/2014	बिहार
6	बिहार	349/4/34/2013	816	अवैध हिरासत	90,000	24/03/2015	बिहार
7	दिल्ली	252/30/8/2014	2006	उत्पीड़न (विदेशी/एन.आर.आई.)	300,000	29/09/2014	दिल्ली
8	दिल्ली	4693/30/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500,000	08/10/2014	दिल्ली
9	दिल्ली	6429/30/1/2012	204	सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	300,000	20/10/2014	दिल्ली
10	गुजरात	128/6/23/2012	205	राज्य में पर्याप्त सुविधाओं का अभाव	100,000	22/04/2014	गुजरात
11	गुजरात	500/6/19/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	03/11/2014	गुजरात
12	झारखण्ड	254/34/1/2010-AD	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हि. रासतीय मौत	100,000	09/04/2014	झारखण्ड
13	झारखण्ड	589/34/22/2012-PF	1704	अर्द्धसैन्य बलो द्वारा बल का दुरुपयोग	100,000	09/07/2014	झारखण्ड
14	केरल	354/11/13/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300,000	23/12/2014	केरल
15	केरल	392/11/2/2013-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	08/09/2014	केरल
16	मध्य प्रदेश	342/12/36/2013	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	3,000,000	24/04/2014	मध्य प्रदेश
17	मध्य प्रदेश	430/12/32/2012	604	जोखिमपूर्ण रोजगार	1,200,000	11/09/2014	मध्य प्रदेश
18	महाराष्ट्र	3622/13/33/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	25,000	22/12/2014	महाराष्ट्र
19	ओडिशा	2463/18/18/2013	100	बच्चे	300,000	26/09/2014	ओडिशा
20	ओडिशा	3246/18/17/2012	804	पुलिस द्वारा बल का दुरुपयोग	25,000	16/02/2015	ओडिशा
21	राजस्थान	142/20/14/2014-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	300,000	22/12/2014	राजस्थान
22	राजस्थान	258/20/29/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	200,000	16/07/2014	राजस्थान
23	राजस्थान	2841/20/14/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	30/03/2015	राजस्थान
24	तमिलनाडु	101/22/13/2014-WC	2003	एन.आर.आई./विदेशियों का बलात्क. ार	100,000	17/02/2015	तमिलनाडु
25	तेलंगाना	634/1/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	30/06/2014	तेलंगाना
26	उत्तर प्रदेश	13267/24/56/2013	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100,000	21/10/2014	उत्तर प्रदेश
27	उत्तर प्रदेश	15672/24/1/2012	817	पुलिस द्वारा अवैध रूप से नज़रबंदी	20,000	25/08/2014	उत्तर प्रदेश
28	उत्तर प्रदेश	18450/24/51/2013	804	पुलिस द्वारा बल का दुरुपयोग	20,000	23/03/2015	उत्तर प्रदेश
29	उत्तर प्रदेश	19687/24/4/2013	817	पुलिस द्वारा अवैध रूप से नज़रबंदी	100,000	12/02/2015	उत्तर प्रदेश

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदा. रों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
30	उत्तर प्रदेश	20381/24/72/2013	809	पुलिस द्वारा कथित ाारीरिक उत्पीड़न एवं अवैध नज़रबंदी	100,000	28/10/2014	उत्तर प्रदेश
31	उत्तर प्रदेश	2061/24/54/2013	804	पुलिस द्वारा बल का दुरुपयोग	50,000	06/08/2014	उत्तर प्रदेश
32	उत्तर प्रदेश	2629/24/54/2012	817	पुलिस द्वारा अवैध रूप से नज़रबंदी	50,000	30/01/2015	उत्तर प्रदेश
33	उत्तर प्रदेश	26885/24/48/2011	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300,000	16/12/2014	उत्तर प्रदेश
34	उत्तर प्रदेश	30596/24/3/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	02/01/2015	उत्तर प्रदेश
35	उत्तर प्रदेश	31257/24/3/2013	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300,000	20/01/2015	उत्तर प्रदेश
36	उत्तर प्रदेश	33505/24/26/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300,000	06/06/2014	उत्तर प्रदेश
37	उत्तर प्रदेश	34906/24/1/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	200,000	04/04/2014	उत्तर प्रदेश
38	उत्तर प्रदेश	35842/24/25/2011-WC	1307	सामूहिक बलात्कार	100,000	05/03/2015	उत्तर प्रदेश
39	उत्तर प्रदेश	35845/24/4/2012-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100,000	06/08/2014	उत्तर प्रदेश
40	उत्तर प्रदेश	38710/24/79/2013-WC	1903	अनु.जा./अनु.ज.जा./अ.पि.व. का बलात्कार	75,000	16/02/2015	उत्तर प्रदेश
41	उत्तर प्रदेश	39032/24/68/2012	109	गुमशुदगी	300,000	30/03/2015	उत्तर प्रदेश
42	उत्तर प्रदेश	39182/24/1/2012-AD	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित अवैध मौत	100,000	16/02/2015	उत्तर प्रदेश
43	उत्तर प्रदेश	43723/24/72/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100,000	09/09/2014	उत्तर प्रदेश
44	उत्तर प्रदेश	5581/24/72/2010	809	पुलिस द्वारा कथित ाारीरिक उत्पीड़न एंव अवैध नज़रबंदी	25,000	25/08/2014	उत्तर प्रदेश
45	उत्तर प्रदेश	6066/24/56/2014-AD	822	न्यायिक अभिरक्षा में कथित अवैध मौत	500,000	18/03/2015	उत्तर प्रदेश
46	उत्तर प्रदेश	7876/24/54/2014	800	पुलिस	100,000	12/08/2014	उत्तर प्रदेश
47	उत्तर प्रदेश	8324/24/18/08-09-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500,000	17/07/2014	उत्तर प्रदेश
48	आंध्र प्रदेश	1042/1/5/2012-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस½	200000	25-03-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
49	असम	259/3/7/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	1000000	05-12-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
50	बिहार	2572/4/8/08-09-AD	1716	कथित हिरासतीय मौत	500000	21-08-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
51	बिहार	4589/4/35/2012	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	200000	21-10-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
52	दिल्ली	3500/30/0/2011	800	पुलिस	100000	15-05-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
53	गुजरात	1012/6/9/2011	202	जन स्वास्थ्य जोखिम	2500000	22-10-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
54	जम्मू एवं कश्मीर	370/9/3/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	600000	31-03-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
55	झारखण्ड	380/34/11/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	150000	18-12-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
56	केरल	91/11/7/2012-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	07-03-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
57	मध्य प्रदेश	485/12/5/2012	104	बच्चों का उत्पीड़न	35000	31-10-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
58	महाराष्ट्र	334/13/2006-2007-CD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	08-08-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
59	महाराष्ट्र	558/13/11/08-09-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	500000	01-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
60	मणिपुर	108/14/4/2011-AD	309	न्यायिक अभिरक्षा में कथित हि. रासतीय हत्या	200000	07-05-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
61	राजस्थान	1345/20/21/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	300000	26-08-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदा. रों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
62	राजस्थान	642/20/29/2013-WC	803	अपहरण/बलात्कार	300000	07-03-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
63	उत्तर प्रदेश	14844/24/39/2010	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	25-09-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
64	उत्तर प्रदेश	1553/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
65	उत्तर प्रदेश	15725/24/20/2011	816	अवैध हिरासत	50000	12-03-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
66	उत्तर प्रदेश	20803/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
67	उत्तर प्रदेश	20804/24/24/2010	1202	पेशन/हर्जाने का भुगतान न करना	50000	27-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
68	उत्तर प्रदेश	24089/24/12/08-09-FE	813	कथित फर्जी मुठभेड़	1000000	17-04-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
69	उत्तर प्रदेश	2547/24/4/09-10-DH	108	न्यायिक हिरासत में मौत	300000	27-09-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
70	उत्तर प्रदेश	2655/24/34/2012-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	300000	31-03-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
71	उत्तर प्रदेश	2888/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	20-11-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
72	उत्तर प्रदेश	33018/24/20/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	11-12-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
73	उत्तर प्रदेश	34109/24/24/2011-AD	822	पुलिस अभिरक्षा में कथित मौत	100000	27-06-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
74	उत्तर प्रदेश	34188/24/72/2013	1901	अ.जा./अ.ज.जा.एवं अ.पि.व. पर अत्याचार	200000	26-11-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
75	उत्तर प्रदेश	3656/24/2005-2006	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	15-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
76	उत्तर प्रदेश	38084/24/2005-2006	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	08-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
77	उत्तर प्रदेश	3885/24/45/2012-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
78	उत्तर प्रदेश	39743/24/3/2010-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	03-04-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
79	उत्तर प्रदेश	40795/24/31/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	11-12-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
80	उत्तर प्रदेश	41496/24/2000-2001	816	अवैध हिरासत	1000000	05-12-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
81	उत्तर प्रदेश	42032/24/27/2012-WC	1301	अपहरण, बलात्कार एवं हत्या	100000	20-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
82	उत्तर प्रदेश	43024/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	12-11-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
83	उत्तर प्रदेश	43091/24/17/2012-WC	1311	बलात्कार	50000	17-09-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
84	उत्तर प्रदेश	44122/24/40/2010-PCD	807	हिरासत में मौत (पुलिस)	100000	16-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
85	उत्तर प्रदेश	452/24/37/2011-ED	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	15-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
86	उत्तर प्रदेश	47835/24/2006-2007	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	16-01-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
87	उत्तर प्रदेश	53582/24/72/07-08	812	पुलिस मुठभेड़ में मौत	500000	19-12-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
88	उत्तर प्रदेश	6855/24/56/2012	203	चिकित्सा व्यवसायीयों का कदाचार	300000	02-09-2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
89	उत्तर प्रदेश	8584/24/57/2012	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	1000000	12-02-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
90	उत्तराखण्ड	1597/35/2006-2007	813	कथित फर्जी मुठभेड़	500000	05-02-2014	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
91	बिहार	1817/4/32/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	1400000	19/11/2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
92	बिहार	1818/4/1/2011	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	400000	30/08/2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
93	चण्डीगढ़	43/27/0/2010		सरकारी अस्पतालों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनियमितताएं	50,000	19.03.2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
94	दिल्ली	5494/30/0/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	900000	15/10/2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मामला संख्या	घटना कोड	शिकायत की स्वरूप	पीड़ितों/मृतकों के नजदीकी रिश्तेदा. रों के लिए संस्तुत राशि	संस्तुति की तिथि	टिप्पणी
95	दिल्ली	2843/30/1/2010	1505	राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा कार्यवाही न करना	1,00,000	20.01.2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
96	जम्मू एवं कश्मीर	55/9/2003-2004-ad	822	जम्मू पुलिस की हिरासत में कथित मौत (शिकायत)	5,00,000	19.08.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी
97	जम्मू एवं कश्मीर	206/9/2003-2004 M-4	1508	सरकार द्वारा मकान का विध्वंस (शिकायत)	2,00,000	23.11.2009	राज्य सरकार ने आयोग की संस्तुति को जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में चुनौती दी
98	केरल	43/11/2002-2003-cd	301	न्यायिक हिरासत में मौत	1,50,000	12.09.2008	आयोग तथा उच्च न्यायालय द्वारा की गई संस्तुति के विरूद्ध केरल उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 21305/09 केरल सरक. ार द्वारा दर्ज। और उच्च न्यायालय रिट याचिका का परिणाम प्रतीक्षित है
99	मणिपुर	8/14/2004-2005-AF		हिरासतीय मौत	10,00,000	26/07/2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
100	ओडिशा	157/18/24/09-10	1508	केन्द्र एवं राज्य सरकार के कस्टम/एक्साइज़/प्रवर्तन/ वन/आयकर विभाग इत्यादि द्वारा नृशंस्तता	400000	27/12/2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
101	ओडिशा	123/18/1999-2000	809	पुलिस द्वारा कथित ारीरिक उत्पीड़न एंव अवैध नज़रबंदी	Disciplinary action	31.07.2000	आयोग की संस्तुति के विरुद्ध ओडिशा उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या ओ. जे.सी. नम्बर 8776/2000 राज्य सरकार द्वारा दर्ज, जो विचाराधीन लंबित है।
102	पंजाब	377/19/8/09-10-JCD	301	हिरासत में मौत (न्यायिक)	100000	30/11/2012	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
103	उत्तर प्रदेश	41459/24/1/2010	814	विधिसम्मत कार्यवाही करने में असफलता	100000	28/03/2013	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है
104	उत्तर प्रदेश	30217/24/2002-2003-cd	301	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	10000	20.02.2008	अनुपालन रिपोर्ट की प्रतीक्षा है
105	उत्तर प्रदेश	39058/24/2003-2004 (FC)	813	पुलिस द्वारा फर्जी मुठभेड़ में हत्या (शिकायत)	600000 (3,00,000/- each 2 persons)	27.07.2009	मृतक प्रभात कुमार के संबंध में भुगतान का साक्ष्य प्रतीक्षित
106	उत्तर प्रदेश	38166/24/2006-2007-cd M-5	301	न्यायिक हिरासत में मौत (सूचना)	100000	31.10.2009	भुगतान के प्रमाण की प्रतीक्षा है

अनुलग्नक –8 **पैरा 14.12**

मानव अधिकार समर्थकों का समर्थन जारी रखने की शपथ, 9 दिसम्बर 2016 (मानव अधिकार समर्थक दिवस) के अवसर पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संदेश

संदेश

"आज 9 दिसम्बर, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1998 में मानव अधिकार समर्थकों की घोषणा को अंगीकृत किया गया था, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत मानव अधिकार संस्कृति को भारत तथा पूरे विश्व में सुदृढ़ करने की अपनी महत्त्वपूर्ण कार्य की एक अभिन्न अंग के रूप में मानव अधिकार समर्थकों को सुदृढ़ करने की अपनी शपथ को दोहराता है।

मानव अधिकार समर्थक हमेशा ही मानव अधिकारों के लिए संघर्श में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। हालांकि उनके प्रयासों को मानव अधिकार समर्थकों की घोषणा के माध्यम से प्रेरित किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत भी 1993 में अपने स्थापना काल से ही मानव अधिकार समर्थकों को अपना साझेदार मानता है तथा इसने मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

आयोग द्वारा की गई महत्त्वपूर्ण पहलुओं से मानव अधिकार समर्थकों हेतु फोकल प्वाइंट निर्मित करना तथा वार्षिक रिपोर्ट में मानव अधिकार समर्थकों पर अध्याय शामिल करना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार समर्थकों के कथित उत्पीड़न की शिकायतों पर विशेष रूप से ध्यान देता है। इन शिकायतों को एक अलग श्रेणी के रूप में उचित मॉनिटरिंग एवं अनुर्वतन हेतु पंजीकृत किया जाता है। आयोग मानव अधिकार समर्थकों से संबंधित शिकायतों पर निपटान करने के समय उन्हें प्रभावी एवं ठोस राहत देने के लिए कानून एवं गुण के अनुसार सभी संभव प्रयास करता है।

आयोग ने 19 फरवरी, 2015 को मानव अधिकार समर्थकों पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था इस चर्चा में बड़ी संख्या में महत्त्वपूर्ण पणधारियों ने हिस्सा लिया तथा कुछ विशेष संस्तुतियां दी। यह आयोग का दायित्व है कि संगत पणधारियों द्वारा दी गई संस्तुतियों जो मानव अधिकार समर्थकों से संरक्षण एवं संवर्द्धन से संबंधित हैं, उन पर उचित प्रकार से कार्य किया जाए। आयोग ने सभी स्तरों पर मानव अधिकार समर्थकों से उनकी समस्याओं एवं कठिनाईयों को समझने के लिए चर्चा की। आयोग देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों/समारोहों में भाग लेकर मानव अधिकार समर्थकों हेतु अपने फोकल प्वाइंट के माध्यम से गैर सरकारी संगठनों/मानव अधिकार समर्थकों से मुलाकात की इसके अलावा अपनी जन सुनवाईयों/शिविर बैठकों के दौरान आयोग मानव अधिकार समर्थकों एवं गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ विशेष चर्चा सत्र आयोजित करता आ रहा है। इन चर्चाओं के दौरान प्राप्त फीडबेक पर आयोग यथोचित विचार करता है तथा उनके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए सभी संभव कदम उठाता है।

आयोग ने 10 दिसम्बर, 2013 अर्थात् मानव अधिकार दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा "एन.एच.आर.सी. एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स; दि ग्रोइंग सिनर्जी" शीर्षक से एक प्रकाशन जारी किया। इस पुस्तक में मानव अधिकारों के समर्थकों के अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग द्वारा निभायी जा रही भूमिका का विवरण दिया गया है यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस पुस्तक की प्रशंसा सभी पणधारियों एवं शिक्षाविदों तथा अधिवक्ताओं द्वारा की गई।

आयोग द्वारा एक अन्य महत्त्वपूर्ण विषय, जिसमें विदेशी भागीदारी विनियमन अधिनियम (एफ.सी.आर.ए.) के तहत कुछ गैर सरकारी संगठनों/मानव अधिकार समर्थकों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया गया, पर भी कदम उठाया। आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत सरकार का ध्यान संयुक्त राष्ट्र विशेष संपर्ककर्त्ता की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एवं असेम्बली की रिपोर्ट जिसमें यह तर्क दिया गया था कि एफ.सी. आर.ए. अंतरराष्ट्रीय कानून, सिद्धांतों एवं मानकों का अनुपालन नहीं करता है जैसा कि संसाधनों की पहुंच जिसमें विदेशी चंदा भी शामिल है, संगठित होने की स्वतंत्रता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इस प्रकार के विदेशी चंदे की पहुंच को सीमित करना (क) कानून द्वारा निर्धारित (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा, जन सुरक्षा, जनादेश, लोक स्वास्थ्य अथवा नैतिकता अथवा दूसरों के अधिकारों एवं स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए केवल थोपा गया तथा (ग) एक लोकतांत्रिक समाज में आवश्यक दूसरों के अधिकार एवं स्वतंत्रता।

आयोग ने प्रथम दृष्टया यह पाया कि एफ.सी.आर.ए. लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना न तो वैद्य है और न ही आपत्तिजनक है। अतः मानव अधिकार समर्थकों के अधिकारों पर अतिक्रमण है। आयोग ने सचिव (गृह) भारत सरकार को निर्देश दिया कि वे यह सूचना दें की पिछले तीन वर्षों में कितने गैर सरकार संगठनों के लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं किया गया, केन्द्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विशेष संपर्ककर्त्ता की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एवं असेम्बली की रिपोर्ट के संबंध में किस प्रकार लिटमस टेस्ट किया गया तथा यह बतायें कि विदेशी चंदे की प्राप्ति का सामान्य पहलू एवं इसका जारी रहना किस प्रकार से संगठन बनाने के अधिकार नहीं है तथा यह अंतरराष्ट्रीय कानून, मानक एवं सिद्धांतों के विरूद्ध नहीं है। आयोग इस मामले का बहुत गहरायी से अवलोकन कर रहा है।

आयोग छत्तीसगढ़ राज्य में हुई घटना, जहां मानव अधिकार कार्यकर्त्ताओं सहित शिक्षाविदों आदि के नाम एफ.आई.आर. दर्ज की गई, से काफी विचलित है। आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया तथा टिप्पणी की कि यह छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किए गए इस कार्य से बेहद परेशान है तथा आयोग ने मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार तथा पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज के साथ इस मामले को उठाया।

आयोग अतः यह दोहराना चाहेगा कि देश में मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु इसको सौंपे गए कार्य में मानव अधिकार समर्थक एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानव अधिकार समर्थकों प्रामाणिक हितों का संरक्षण किया जाना चाहिए तथा राज्य को एक ऐसे सुरक्षित एवं सक्षम वातावरण तैयार एवं कायम रखना चाहिए जिससे मानव अधिकार समर्थकों के मानव अधिकारों का संरक्षण एवं सवंर्द्धन हो सके। आयोग इसी प्रकार मानव अधिकार समर्थकों एवं नागरिक समाज कार्यकर्त्ताओं को दिमाग में यह बैठाने का भी आहवान करता है कि देश हित अन्य सभी हितों से सर्वोपरि है तथा इस बात का उनके कार्यों से भी पता चलना चाहिए।

आयोग राज्य कार्यकर्त्ताओं जैसे पुलिस, सेना, सशस्त्र पुलिस बल आदि का भी हृदय से भी धन्यवाद करना चाहता है जो कि मानव अधिकार समर्थक हैं जो भारत के नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा का संरक्षण करने के लिए प्रयास करते समय अपना जीवन न्यौछावर कर देते हैं।"

(न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत
नई दिल्ली

संक्षिप्तियाँ

ए ए वाई (AAY)	–	अंत्योदय अन्न योजना
ए सी जे एम (ACJM)	–	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अनु0 (Art.)	–	अनुच्छेद
अनु0 (Arts.)	–	अनुच्छेदों
ए टी आर (ATR)	–	की गई कार्रवाई की रिपोर्ट
ए एस आई (ASI)	–	सहायक उप–निरीक्षक
बी पी एल (BPL)	–	गरीबी रेखा के नीचे
सी एफ एन एच आर आई CFNHRI	–	राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के रा ट्रमंडल फोरम
सी ओ पी 21 COP 21	–	पक्षों का 21वां सम्मेलन
सी.पी.सी.बी. CPCB	–	केन्द्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड
सी आर पी सी Cr. P.C.	–	दण्ड प्रक्रिया संहिता
सी आर पी एफ CRPF	–	केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल
डी. डी. DD	–	दैनिक डायरी
डी जी पी (DGP)	–	पुलिस महानिदेशक
डी एम (DM)	–	जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधिकारी
एफ आई आर (FIR)	–	प्रथम सूचना रिपोर्ट
एफ एस एल (FSL)		फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी
गनहरी (GANHRI)	–	राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का वैश्विक संघ
जी डी (GD)	–	सामान्य डायरी
जी पी एफ (GPF)	–	उपदान भविष्य निधि
जी आर पी (GRP)	–	सरकारी रेलवे सुरक्षा
एच सी (HC)	–	हैड कांस्टेबल
मुख्या0 (HQs.)	–	मुख्यालय
आई सी सी (ICC)	–	मानव अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्द्धन पर अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति
आई ओ (I/O)	–	जांच अधिकारी
सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी (I&PRO)	–	सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी
आई पी सी (I.P.C.)	–	भारतीय दण्ड संहिता
जे सी एल (JCL)	–	विधि के संघर्ष में किशोर
जे जे ए (JJA)	–	किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम,2000
एल एफ (LFs)	–	लिंक फाइल
एम ई आर (MER)	–	मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट

मनरेगा योजना (MGNREG Scheme)	–	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एम/ओ (M/O)		मंत्रालय
एन सी आर (NCR)	–	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
एन सी आर बी (NCRB)	–	राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो
एन सी टी (NCT)	–	राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र
ओ बी सी (OBC)	–	अन्य पिछड़ा वर्ग
पी सी एण्ड पीएनडीटी, DV (PC & PNDT Act)	–	पूर्व गर्भाधान और पूर्व प्रसव निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिशेध) अधिनियम, 1994
पी डी (PD)	–	शारीरिक ड्रिल
पी डी एस (PDS)	–	लोक वितरण प्रणाली
पी एच आर एक्ट (PHR Act)	–	मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993
पी एस (P.S./PS)	–	पुलिस स्टेशन
आर/ओ (r/o)	–	निवासी
आर/डब्ल्यू (r/w)	–	सह–पठित
आर.टी.ई. (RTE)	–	शिक्षा का अधिकार
एस/ओ (s/o)	–	सुपुत्र
एस सी (SC)	–	अनुसूचित जाति
एस डी एम (SDM)	–	उप–मंडलीय मजिस्ट्रेट
एस एच ओ (SHO)	–	थाना प्रभारी
एस एम एस (SMS)	–	लघु संदेश सेवा
एस ओ पी एस (SOPs)	–	मानक प्रचालन प्रक्रियाएं
एस पी (SP)	–	पुलिस अधीक्षक
एस एस पी (SSP)	–	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
एस टी (ST)	–	अनुसूचित जनजाति
एस टी एफ (STF)	–	विशेष कार्य बल
यू पी (U P)	–	उत्तर प्रदेश
यू एस (u/s)	–	धारा के तहत्
डब्ल्यू/ओ (w/o)	–	पत्नी